लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ५१, १९६१ / १८८२ (शक)

[२८ फरवरी से १३ मार्च १९६१ / ९ से २२ फाल्गुन १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Date 18.5.2
Fumigated On 3.12.83
Parliament Library

तेरहवां सत्र, १९६१ / १८८२ (शक)

(खण्ड ५१ में अंक ११ से २० तक हैं)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

द्वितीय माला, खण्ड ५१——अंक ११ से २०——२८ फरवरी से १३ मार्च १९६१/९ से २२ फाल्गुन १८८२ (शक)

अंक ११——मंगलवार, २८ फरवरी, १९६१/९ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ३७३ से ३७९, ३८१ से ३८३ और ४०३ . . . ९९७–१०१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ३१८ से ३७२, ३८०, ३८४ से ४०२ और ४०४ से ४२५ . . . १०१८–६७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५४५ से ५५७, ५५९ से ६१२ और ६१४ से ६८३ . . . १०६७–११३१

स्थगन प्रस्ताव——

कराची में भारतीय उच्च आयोग पर आक्रमण . . . ११३१——३३

सभा पटल पर रखे गये पत्र ११३४

राष्ट्रपति से सन्देश . . . ११३६–३७

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना——

कलकत्ते की गोदियों में खुरचने और रंग करने वालों की हड़ताल . . ११३७

धार्मिक न्यास विधेयक——

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना . ११३८

विधेयक प्रस्तुत किये गये—— ११३८–३९

१. रेलवे यात्री किराया (निरसन) विधेयक १९६१

२. विनियोग विधेयक, १९६१

३. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, १९६१

रेलवे आय व्ययक——सामान्य चर्चा ११३९–४१

श्री तंगामणि ११३९–४०

श्री विमल घोष . ११४०–४१

सामान्य आय व्ययक (१९६१–६२)——उपस्थापित . . . ११४१–६६

वित्त विधेयक, १९६१——पुर:स्थापित . . . ११६६

निक संक्षेपिका ११६७–७८

विषय सूची

विषय सूची	पृष्ठ
अंक १२—बुधवार, १ मार्च, १९६१/१० फाल्गुन, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४२६ से ४३० और ४३२ से ४३५ . .	११७९—१२०१
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३१ और ४३६ से ४७२ . . .	१२०१—१९
अतारांकित प्रश्न संख्या ६८४ से ७०६, ७०८ से ७७७ और ७७९ से ७९८	१२२०—७३
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१२७३
राज्य सभा से सन्देश	१२७३
दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया	१२७४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —	
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय . . .	१२७४—७६
सदस्य द्वारा त्याग पत्र	१२७६
तारांकित प्रश्न संख्या ९०८ के उत्तर में शुद्धि . .	१२७६—७७
विनियोग विधेयक १९६१—पारित किया गया . . .	१२७७
आय व्ययक (रेलवे)—सामान्य चर्चा	१२७७—१३०२
आदिवासियों के संबंध में आधे घंटे की चर्चा . . .	१३०२—०७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन—	
सतत्तरवां प्रतिवेदन	१३०७
दैनिक संक्षेपिका	१३०८—१५
अंक १३—गुरुवार, २ मार्च, १९६१/११ फाल्गुन, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४७४ से ४८३	१३१७—४०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २	१३४०—४३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४७३ और ४८४ से ५१५ . . .	१३४३—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या ७९९ से ८९१	१३५९—९९
सदन में शिष्टाचार का पालन	१३९९—१४००
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१४००
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
आसाम में रहने वाले बंगालियों को मतदाता सूचियों में दर्ज करना	१४०१—०२

विषय सूची	पृष्ठ

रेलवे आय-व्ययक--सामान्य चर्चा . १४०२-३३

दैनिक संक्षेपिका १४३४-४०

अंक १४--शनिवार, ४ मार्च, १९६१/१३ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५१६ से ५१९, ५२१, ५२२, ५२४, ५४३ और ५२५ १४४१-६४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या . . . १४६४-६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५२०, ५२३, ५२६ से ५४२ और ५४४ से ५६१ १४६६-८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ८९२ से ९३७, ९३९ से ९६२ और ९६४ से ९७३ १४८५-१५२२

स्थगन प्रस्ताव--

उड़ीसा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश . १५२२-२४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५२४-२५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

पटसन के मूल्यों में वृद्धि १५२५

सरकारी कार्य के लिये समय नियत करना . १५२६

सभा का कार्य १५२७

रेलवे आय-व्ययक --सामान्य चर्चा १५२७-४१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति--

सत्तरवां प्रतिवेदन . . . १५४१

धार्मिक पूजा स्थानों के राजनैतिक प्रचार के लिये प्रयोग पर प्रतिबन्ध संबंधी--
संकल्प . . १५४१-५४

सरकारी कर्मचारियों की कार्मिक संघ की कार्यवाहियों संबंधी संकल्प . १५५४-५९

दैनिक संक्षेपिका . १५६०-६६

अंक १५--सोमवार, ६ मार्च, १९६१/१५ फाल्गुन १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५६२ से ५६८, ५७०, ५७१, ५७४, ५७६ से ५८० और
५८२ से ५८७ १५६७-९५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ और ५ १५९५-१६००

विषय सूची — पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६९, ५७२, ५७३, ५७५, ५८१ और ५८८ से ६०४ — १६०१—१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७४ से ११०६ — १६१२—७६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . १६७६–७७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कांगो के लिये भारतीय सैनिक — १६७७—७९

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (उड़ीसा) १९६०–६१ — १६७९

राज्य सभा से सन्देश — १६७९

समिति के लिये निर्वाचन—

दिल्ली विकास प्राधिकार की परामर्श परिषद — १६७९

रेलवे आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . १६८०–१७०१

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (मान्यतादान) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव — १७०१–१७

खंड २ से ४ तथा १ . — १७१७

पारित करने का प्रस्ताव . . १७१७

दैनिक समवाय (संशोधन) विधेयक . . १७१७–२३

विचार करने का प्रस्ताव १७१७–२२

खंड २ से ९ तथा १ . . १७२२

पारित करने का प्रस्ताव . , , . १७२२–२३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें—रेलवे १९६०–६१ . . १७२३–२५

सभा का कार्य . . . १७२५–२६

दैनिक संक्षेपिका . . १७२७–३५

अंक १६—मंगलवार, ७ मार्च, १९६१/१६ फाल्गुन, १८८२ (शक)

निधन संबंधी उल्लेख — १७३७–४३

दैनिक संक्षेपिका — १७४४

अंक १७—बुधवार, ८ मार्च, १९९६१/१७ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६५९ से ६६२, ६६४ से ६६६, ६६८ से ६७२, ६७४, ६७५, ६७८ और ६७९ — १७४५–६९

विषय सूची पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६४६, ६५१ से ६५८, ६६३, ६६७, ६७३, ६७६, ६७७ और ६८० से ६६० . . . . . १७७०–१८०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०७ से १२१८ और १२२० से १३०१ . १८०४–८३

स्थगन प्रस्ताव

सिमलाबहल और बद्रचक कोयला खानों में हुई दुर्घटनायें . १८८३–८६

पंडित गोविन्द बल्लभ के निधन पर प्रधान मंत्री का सन्देश . १८८७

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८८७

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

अठत्तरवां प्रतिवेदन . . . १८८८

पूर्वी पाकिस्तान में अल्प संख्यकों पर आक्रमण के संबंध में वक्तव्य . . १८८८

रेलवे दुर्घटना के संबंध में वक्तव्य १८८८–८६

औषधीय तथा प्रसाधन (उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक—पुरस्थापित १८८६

सभा का कार्य १८८६

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १६६०–६१ . . . १८६०–६६

उड़ीसा के बारे में उद्घोषणा संबंधी संकल्प . . १८६६–१६०४

दैनिक संक्षेपिका . १६०५–१६

अंक १८—गुरुवार, ६ मार्च, १६६१/१८ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६६२, ६६४ से ७००, ७०४, ७०६, ७०६ और ७११ १६१७–४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६६१, ६६३, ७०१ से ७०३, ७०५, ७२० और ७१२ से ७२८ . . . १६४३–५५

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०२ से १३६६ . . . १६५५–६४

स्थगन प्रस्ताव के बारे में १६६४–६५

आंध्र प्रदेश में गुड़ के भाव में गिरावट के बारे में वक्तव्य . . १६६५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . १६६५

राज्य सभा से सन्देश १६६५

विनियोग (रेलवे) विधेयक—पुरस्थापित १६६६

उड़ीसा के बारे में उद्घोषणा—संबंधी संकल्प . . . १६६६–२००६

आतिशबाजी के सामान के कारखाने में विस्फोट के बारे में वक्तव्य . . १६६६

विषय सूची | पृष्ठ

उड़ीसा के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगें . . . २००७—२२

अनुदानों की मांग (रेलवे) १९६१–६२ . . . २०२३—६०

दैनिक संक्षेपिका . . . २०६१—६७

अंक १९—शुक्रवार, १० मार्च, १९६१/१९ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२९ से ७३७ . . . . २०६९—९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३८ से ७६५ और ६५० . . . २०९०—२१०२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४०० से १४९३ . . . २१०२—४१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

रेलगाड़ी से गिर जाने के कारण मृत्यु २१४१

तारांकित प्रश्न संख्या ७३३ के अनुपूरक प्रश्नों के बारे में . . २१४१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

धागर नदी में बाढ़ . . . २१४२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . २१४३—४५

सभा का कार्य २१४५

उड़ीसा विनियोग विधेयक—पुरस्थापन स्थगित . . . २१४५–४६

विनियोग (रेलवे) विधेयक १९६१—पारित . . . २१४७

अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९६१–६२ . . . . २१४७—७२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

अठत्तरवां प्रतिवेदन २१७२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरस्थापित—

(१) श्री नारायणन् कुट्टि मेनन का अत्यावश्यक पण्य (मूल्यों का निर्धारण विनियमन और नियंत्रण) विधेयक, १९६१ . . . २१७२

(२) श्री केशव का भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, १९६१ (धारा ४ का संशोधन) २१७३

(३) श्री अरविन्द घोषाल का राजनैतिक पीड़ित सहायता विधेयक, १९६१ श्री अरविन्द घोषाल का ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के संभरण का अन्त विधेयक २१७३

प्रस्ताव करने का विचार (अस्वीकृत) . . २१७३—८५

विषय	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति—	
बासठवां प्रतिवेदन	२१८६
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक श्री त० ब० विट्ठल राव द्वारा (नये अध्याय ५क का रखा जाना)	२१८६
विचार करने का प्रस्ताव	२१८६
दैनिक संक्षेपिका	२१८७—९४
अंक २०—सोमवार, १३ मार्च, १९६१/२२ फाल्गुन, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७६६, ७७८, ७६७ से ७६९, ७७३ से ७७७, ७७९, ७८३ से ७८५, ७८७ और ७९२	२१९५—२२२०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७७० से ७७२, ७८० से ७८२, ७८६, ७८८ से ७९१ और ७९३ से ८०३	२२२०—३०
अतारांकित प्रश्न संख्या १४९४ से १५४०, १५४२ से १५५६, १५५८ और १५५९	२२३०—६०
स्थगन प्रस्ताव—	
१. चलती रेलगाड़ी से गिरने के कारण श्री के० रामाराव की मृत्यु	२२६०—६२
२. रुद्रसागर में कथित दुर्घटना	२२६२–६३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
अदीस अबाबा में रहने वाले भारतीय नागरिकों की शिकायतें	२२६३–६४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२२६५
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ आठवां प्रतिवेदन	२२६५
लोक लेखा समिति—	
चौतीसवां प्रतिवेदन	२२६६
समिति के लिये निर्वाचन—	
लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति	२२६६
उड़ीसा विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित	२२६६–६७
कार्य मंत्रणा समिति—	
बासठवां प्रतिवेदन	२२६७
अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९६१–६२	२२६७—२३२२

विषय	पृष्ठ
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक—पुरस्थापित . . .	२३२२
रेलवे यात्री किराया (निरसन) विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव	२३२२—२४
दैनिक संक्षेपिका	२३२५—३०

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का घोतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GIPND—LSIII—2292(Ai) LS—15-4-61—125

लोक-सभा

मंगलवार, २८ फरवरी, १९६१

९ फाल्गुन, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

गांवों में बेरोजगारी

†*३७३. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री अजित सिंह सरहदी : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के गांवों में कितने लोग बिल्कुल बेरोज़गार हैं तथा कितने व्यक्तियों को अल्प रोजगार मिला हुआ है ; और

(ख) इन समस्याओं का समाधान करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जाने वाली है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) ठीक ठीक सांख्यिकी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन कार्यान्विति की जाने वाली विभिन्न योजनाओं से रोजगार के अवसर पर पैदा हो रहे हैं और उनसे बेकारी और नाकाफी रोजगार की समस्या कुछ हद तक हल हो जायगी ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार देश में बेकारों की संख्या ३० लाख है और उन लोगों की संख्या १५० लाख है जिनका रोजगार नाकाफी है । चूंकि सहकारी खेती और मशीनी खेती से भी बेकारी की समस्या बढ़ेगी इस लिये और अधिक बेकार होने वाले लोगों को खपाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) :** तीसरी योजना की व्यवस्थाओं के अनुसार १५० लाख बेकारों में से १४० लाख बेकारों को रोजगार दिया जा सकेगा । किन्तु इतने ही

†मूल अंग्रेजी में

2103(Ai)LSD—1.

को अच्छा नहीं समझा गया। इसलिये बाकी १० लाख लोगों को भी रोजगार देने की व्यवस्था की गयी है। हमें आशा है कि तीसरी योजना में बेकारों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी दूर करने के जो उपाय किये जा रहे हैं उनसे नाकाफी रोजगार का प्रभाव घटेगा।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : तीसरी योजना में रोजगार सम्बन्धी व्यवस्थाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि बेकारी तब तक ज्यों की त्यों रहेगी जब तक गांवों में बिजली नहीं ले जायी जाती। सरकार गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए क्या कर रही है ताकि वहां पर बीच के दर्जे के उद्योग चलाए जा सकें ?

†**श्री नंदा** : तीसरी योजना में गांवों में बिजली पहुंचाने की व्यवस्था है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या गांवों में भी कृषि मजदूरों के लिये न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का प्रस्ताव है, जैसा कि औद्योगिक श्रमिकों के बारे में है ?

†**श्री नंदा** : न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की व्यवस्था है। उससे सम्बन्धित कानून है और उसमें ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित न्यूनतम वेतन दरों के बारे में समय समय पर परिवर्तन किया जाता है।

†**श्री रंगा** क्या सरकार के पास बेकारी और नाकाफी रोजगार को दूर करने की कोई स्पष्ट योजना नहीं है अर्थात् ऐसी योजना जो सामान्य योजनाओं से भिन्न हों ?

†**श्री नंदा** : यह केवल आशा की बात नहीं है। उन खर्चों के अलावा जिनका उद्देश्य *नाकाफी* रोजगार को दूर करना है हमारे पास दूसरी योजनाएं भी हैं जिन्हें योजना की रूपरेखा में दर्ज किया गया है और बहुत सी अग्रगामी परियोजनाएं हैं जिनके बारे में समय समय पर सभा में जानकारी दी जाती रही है। उन्हें रोजगार बढ़ाने और नाकाफी रोजगार में कमी करने के लिये अनुभव प्राप्त करने के लिये कार्यान्विति किया जाता है।

†**श्री रंगा** : क्या इसका यह अभिप्राय नहीं है कि उन्होंने जिन सब विशिष्ट बातों का उल्लेख किया है, उन्हें केवल उन अतिरिक्त श्रमिकों को इकट्ठा करने के लिये गिना गया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान तथा बढ़ती हुई बेकारी को कम करने के अतिरिक्त कुल जनसंख्या में जोड़े जायेंगे ?

†**श्री नंदा** : जिस समय हमें आशा होगी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की व्यवस्था के द्वारा रोजगार की नई आवश्यकताएं पूरी हो जायंगी, तो यह निष्कर्ष निकलेगा कि बेकारी नहीं बढ़ेगी। इसकी तुलना दूसरी पंचवर्षीय योजना से की गई है जिसमें २० लाख की बेकारी बढ़ी थी। यह बड़ी अच्छी हालत है और इसका यह मतलब है कि विनियोजन बढ़ने के कारण हम समस्या का अधिक सफलता से मुकाबला कर रहे हैं।

डा० गोविंद दास : जहां तक देहातों का सम्बन्ध है, अब हमारे कई बांध तैयार हो गये हैं और वहां से बिजली भी पैदा होने लगी है। क्या माननीय मन्त्री जी को यह बात मालूम है कि अब तक इन बांधों की बिजली का देहात में किस प्रकरा उपयोग किया जा सकता है और वहां पर छोटे छोटे उद्योग धंधों को किस प्रकार शुरू किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में सरकार की कोई निश्चित योजना नहीं है ? क्या इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है कि स्थान स्थान की परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रकार के छोटे छोटे उद्योग धंधों की योजना बनाई जाये, जिससे बिजली का उपयोग हो सके और वह सहकारी ढंग से किया जा सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री नन्दा : इस पर विचार हुआ था प्लान की ड्राफ्ट आउटलाइन बनाने से पहले भी और उसके बाद भी और यही निश्चित हुआ था कि जितना इस वक्त इस बारे में सोचा गया है, उससे भी ज्यादा इस दिशा में काम हो सके ।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या माननीय मंत्री जी ने यह बात सोची है कि अलावा बिजली के देहातों में हाथ से चलने वाले या डीज़ल से चलने वाले यन्त्रों से बिजली उत्पादन करके, या यन्त्र चला कर छोटे छोटे उद्योगों को शुरू किया जाये, ताकि वहां की बेरोजगारी दूर हो सके ?

श्री नन्दा : किसी किसी जगह यह हुआ है लेकिन वह ज्यादा महंगी चीज़ होती है ।

श्री ब्रजराज सिंह : अभी मन्त्री महोदय ने यह बताया कि गांवों में बेकारी का कोई ऐसा सर्वेक्षण नहीं हुआ है, जिससे इस सम्बन्ध में सही सही आंकड़े प्राप्त किये जा सकें । क्या सरकार इस समस्या का समाधान करने के लिये कोई इस तरह का सर्वेक्षण करने का इरादा रखती है, जिससे गांवों की बेकारी के पूरे आंकड़े जनता के सामने पेश हो सकें और इस समस्या को सुलझाया जा सके ?

श्री नन्दा : ऐसे आंकड़े हैं । मैंने यह कहा कि वे बिल्कुल नहीं हैं, यह बात नहीं है । नेशनल सैम्पल सरवे से आंकड़े मिलते हैं । उन को कुछ ज्यादा प्रिसाइज़ करना है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बड़ा मामला है । माननीय सदस्यों को बजट सम्बन्धी चर्चा के समय बोलने का अवसर मिलेगा ।

पंचकुइयां रोड, नई दिल्ली पर चतुर्थ श्रेणी के क्वार्टर

\+

*३७४. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री १० दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचकुइयां रोड-क्षेत्र के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पुराने क्वार्टरों को गिरा कर उनके स्थान पर नये क्वार्टर बनाने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उन पुराने क्वार्टरों में चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी पहिले से रह रहे थे, उनके निवास की इस बीच क्या व्यवस्था की गई है या की जा रही है ;

(ग) चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी इस निर्णय से प्रभावित हुए हैं या होने वाले हैं; और

(घ) उनके बच्चों की शिक्षा में व्याघात न पड़े इसके लिये क्या व्यवस्था की जा रही है या सुविधा दी जा रही है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चंदा) : (क) से (घ). दिल्ली इम्प्रूवमेंट जोन के क्षेत्र के पुनः विकास की पहली प्रावस्था (फेज़) के लिये नक्शे और प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं और वे सरकार के विचाराधीन हैं । पहली प्रावस्था के पहले भाग में पंचकुई मार्ग क्षेत्र के पुरानी श्रेणी ४ के १८४ क्वार्टर गिराये जायेंगे । ऐसा प्रस्ताव है कि इन १८४ क्वार्टरों में रहने वालों

†मूल अंग्रेजी में

को १२०० एकड़ क्षेत्र में नये क्वार्टरों में, उनका निर्माण पूरा हो जाने पर, स्थानान्तरित कर दिया जाये। यह यत्न किया जा रहा है कि जब इन क्वार्टरों में लोग जाकर रहना शुरू करें, तब तक इस क्षेत्र में विद्यालयों की व्यवस्था भी हो जाये। इन नये क्वार्टरों के निवासी पास पड़ौस की बस्तियों, जैसे नौरोजी नगर, नेताजी नगर इत्यादि, में पहले से विद्यमान शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का भी उपयोग कर सकेंगे।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, यह चर्चा बहुत दिनों से चल रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई खास तारीख बताई जा सकती है, कोई डेफिनेट डेट बताई जा सकती है, जब कि इनको वहां से हटाया जायेगा ?

श्री अनिल कु० चन्दा : यह सत्य है। इस पर काफी समय से विचार होता रहा है। एक समय तो हम इनकी मरम्मत कराने का विचार कर रहे थे। किन्तु उस पर काफी खर्चा होता। इस लिये हमने निर्णय किया कि इन्हें दुबारा बनाया जाय और ज्यादा लोग इनमें रह सकें। पहले दौर के लिए योजनायें तैयार हैं और हमने वित्त मंत्रालय से मंजूरी मांगी है।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जो नये मकान इन के लिये बनाये जा... वे सुविधा की दृष्टि से अब के मकानों से अच्छे होंगे ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : निस्संदेह यह अच्छा होगा। हमारा विचार है कि प्रत्येक एकक में एक एक शौचालय और स्नानागार हो।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट यह आश्वासन देने को तैयार है कि जब पंचकुइयां रोड के क्वार्टर बन कर तैयार हो जायेंगे तो जो उनके प्रेजेंट आकूपेंट्स हैं, दुबारा उनको ही सब से पहले वे एलौट किये जायेंगे ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : हां, श्रीमान्, हम प्राथमिकता उनको देंगे जो क्वार्टरों के निर्माण के समय उन्हें खाली कर देंगे। यदि वे चाहेंगे तो उनमें वापस आ सकेंगे।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् क्या...

अध्यक्ष महोदय : एक और सवाल ?

श्री भक्त दर्शन : जी हां।

†अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। छोटी बातों को बड़ा बना दिया जाता है और बड़ी बातों को छोड़ा जाता है, मुझे इसका आश्चर्य है। अगला प्रश्न।

श्री भक्त दर्शन : यह सिद्धान्त का प्रश्न है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दादरा और नगर हवेली

+

*३७५. श्री दी० चं० शर्मा :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री विभूति मिश्र :
श्री हेम बरुआ :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री प्र० गं० देव :
श्री सै० अ० मेहदी :
डा० विजय आनन्द :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दादरा और नगर हवेली की शासन व्यवस्था सम्बन्धी रिपोर्ट में, जो १३ दिसम्बर, १९६० को सभा पटल पर रखी गई थी, की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) क्या इस विषय में इन क्षेत्रों के लोगों को राय लेने का विचार है ; और

(ग) ये सिफारिशें संभवतः कब तक कार्यान्वित होंगी ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) से (ग). यह प्रतिवेदन दादरा और नगर हवेली की वरिष्ठ पंचायत के सामने रखा गया था । पंचायत ने प्रतिवेदन को स्वीकार करने का संकल्प अपनाया और प्रार्थना की कि :

(१) स्वतंत्र कराये गये क्षेत्रों के लोगों के प्रतिनिधियों से गठित एक वरिष्ठ पंचायत के चुनाव की तुरन्त कार्यवाही की जाय और वही पंचायत आगे चल कर विधान सम्बन्धी तथा कार्यपालिका के काम करे ;

(२) दादरा और नगर हवेली के प्रशासन का उत्तरदायित्व संभालने के लिये एक अनुभवी अधिकारी की सेवाओं को दिया जाय ;

(३) दादरा और नगर हवेली में डाक व तार सेवा की सुविधायें तुरन्त पहुंचाई जायें ।

प्रशासक ने इन संकल्पों का अनुमोदन किया और सरकार को शीघ्र कार्यवाही करने के लिए लिखा । इस पर भारत सरकार ने एक वरिष्ठ आई० ए० एस० पदाधिकारी की सेवायें दे दीं जिसने १६ अक्तूबर, १९६० से जिम्मेदारी संभाल ली ।

भारत सरकार ने दादरा और नगर हवेली में डाक तार की सुविधायें देने का भी निर्णय कर लिया है ।

संलग्न क्षेत्रों के लोगों द्वारा एक नयी पंचायत का चुनाव कराने का विचार है । यह उन क्षेत्रों के लिये विधान परिषद् का काम करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस पंचायत के कृत्यों की परिभाषा कर दी गयी है ? यदि हां, तो वह किस दिशा में कानून बना सकेगी ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : पंचायत को कार्यपालिका तथा विधायिनी अधिकार होंगे । मेरे विचार में माननीय सदस्य जानते हैं कि इसका मतलब क्या है ?

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या इन पंचायतों के कानूनी अधिकार सामान्य पंचायतों के से होंगे या नगरपालिकाओं के से या भिन्न प्रकार के होंगे ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : दादरा और नगर हवेली की स्थिति भिन्न प्रकार की है । हम उन्हें अधिकार नहीं दे रहे हैं । उन्होंने पुर्तगालियों से स्वतंत्र होकर स्वयं अधिकार प्राप्त कर लिये हैं । इसलिये वे हर प्रकार के अधिकारों को प्रयोग करने में सक्षम हैं । हो सकता है कि क्षेत्र के छोटा होने के कारण व्यावहारिक कठिनाइयां हों । हमने अफसर देकर उनकी सहायता की है । हमें आशा है कि वह लोग ठीक काम करेंगे । इस तरह के प्रश्न भी पूछे गये हैं कि हम उन्हें पूरी तरह से भारतीय संघ ही में क्यों नहीं ले लेते । कोई वैधानिक कठिनाई नहीं है और वे भारत ही में मिलाये जायेंगे । पर हमारा खयाल था कि पहले स्थिति को स्थिर हो जाना चाहिये । बाद में यह परिवर्तन तो करना ही होगा । किन्तु इस समय यह चीज विकास के लिये बाधक सिद्ध होगी । इस पर विचार तो किया जा रहा है । किन्तु अभी यह ठीक चल रहा है ।

†श्री हेम बरुआ : क्या दादरा और नगर हवेली के लोग विकास की गति को और तेज कराने के इच्छुक नहीं हैं और क्या वह यह नहीं चाहते कि भारतीय कानून और प्रशासन प्रणाली वहां लागू की जाय तथा वे क्षेत्र भारतीय संघ में मिलाये जाएं ?

†अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता ।

†श्री हेम बरुआ : यह हैरानी की बात है कि हेग न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी ये क्षेत्र भारत संघ में शामिल नहीं किये गये हैं ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : इस पंचायत ने एक संकल्प स्वीकार किया था कि क्षेत्र का विलय किया जाय । निस्संदेह यह चीज उन्हें पसन्द है । और होगा भी यही । यह नये परिवर्तनों से पहले ही होगा ।

†डा० राम सुभग सिंह : प्रधान मंत्री ने बताया कि विलय का संकल्प पंचायत ने पारित किया था जिसे स्वीकार नहीं किया गया । क्या आगे भी सरकार वहां के स्वीकृत निर्णयों को स्वीकार किया करेगी या नहीं ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : किस सम्बन्ध में ?

†डा० राम सुभग सिंह : विलय के बारे में । क्या आगे भी उनकी विधान परिषद का निर्णय स्वीकार किया जायेगा या नही ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे माननीय सदस्य का मतलब ही समझ नहीं आया । सैद्धान्तिक रूप से वे इस संसद् के भी अधीन नहीं हैं । व्यावहारिक रूप से उन्हें अनेक प्रकार के परिसीमनों में काम करना पड़ता है और वे प्रशासक की सलाह लेते हैं जो वरिष्ठ अधिकारी हैं । मुझे कुछ नहीं

†मूल अंग्रेजी में

पता कि वे क्या निर्णय करेंगे । यदि वे ऐसा निर्णय करें जो हमें खतरनाक दिखाई दे तो हम उनका ध्यान उस ओर दिला सकते हैं ।

†**श्री त्यागी** : सभा यह जानना चाहती है कि विलय के लिये क्या बाधा है । क्या मंत्रालय खाली बैठा यही देख रहा है कि स्थिति खुद बखुद विकसित हो अथवा वे कुछ कार्यवाही कर रहे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उचित समय आ जाने पर उनके विलय के लिये कोई बाधा नहीं होगी । किन्तु वहां कुछ विकासात्मक योजनायें हैं जो अभी ठीक ढंग से चल रही हैं । यदि अभी साथ मिला लिया गया तो भाषा सम्बन्धी और अन्य प्रश्न भी उठ खड़े हो सकते हैं जिनका विकास से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र : माननीय प्रधान मंत्री जी ने अभी कहा कि उनको अलग रखेंगे और एडमिनिस्ट्रेटर आपका रहेगा । मैं जानना चाहता हूं कि तीसरे फाइव यीअर प्लान के दौरान उनके विकास के लिए क्या कुछ धन राशि आपने अलग रखी है ताकि नगर हवेली और दादरा का विकास हो सके ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह तो मुझे याद नहीं लेकिन बिल्कुल इन पिछले ७–८ वर्षों में उन्होंने काफी रुपया जमा कर लिया है उस आमदनी में से जो वहां होती है । खर्च कम करके उन्होंने ऐसा किया हो या जैसे भी किया हो लेकिन २०–२२ लाख उन्होंने अलग रखा है, शायद ज्यादा हो । अगर और उनको जरूरत होगी तो हम देंगे ।

†**श्री राधा रमण** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत की संचित निधि का कोई भाग उस पर व्यय होगा या नहीं । वहां कर का ढांचा किस प्रकार का होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री ने कहा है कि २२ लाख रुपये अलग से रखे गये हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह सहायता का प्रश्न है । मैंने यह कुछ नहीं कहा । कर के बारे में मैं उत्तर नहीं दे सकता । वहां छोटे छोटे गांव हैं और सामान्य कर ही उन्हें देने पड़ते हैं । कोई नया कर नहीं है । पुर्तगालों से आजाद होने के बाद से वह कुछ रुपया रखते रहे हैं जिसे वे स्कूलों और अन्य विकास योजनाओं पर खर्च करते रहे हैं । शायद २० लाख रुपये तक की प्रारक्षित निधि भी उनके पास है । इस रकम को निस्संदेह विकास योजनाओं पर ही खर्च किया जायेगा । यदि उनको ज्यादा जरूरत होगी तो हम उनकी सहायता करेंगे ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : माननीय प्रधान मंत्री ने कहा कि अब भाषा सम्बन्धी या राजनैतिक बातें खड़ी हो सकती हैं । क्या वे लोग साथ के भारतीय गांवों से भिन्न भाषा बोलते हैं । उनके विलय में राजनैतिक दिक्कत क्या होगी ? क्या विलय आम चुनावों से पहले शुरू हो जायेगा ताकि वे चुनावों में भाग ले सकें ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अधिकांश लोग आदिवासी हैं । और आदिवासियों की भाषा में कई प्रकार की बातें कही जा रही हैं । यह सरल बात नहीं है । इसलिये संभावना है कि यदि हम तुरन्त ही विलय कर लें तो विवाद भी उठ खड़े हों ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों का विकास

+

†*३७६. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **योजना** मंत्री २२ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों का विकास करने के लिये परामर्शदात्री समिति की नियुक्ति करने का जो प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था उसको क्रियान्वित करने के बारे में तब से अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** ऐसा समझा जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विभाजन मंडल स्तर पर संसद् सदस्यों तथा विधान सभा के सदस्यों की एक समिति बनाई है जो राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से सम्बन्धित तीसरी योजना की कार्यान्विति आदि के काम में सहायता देगी ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या इस समिति का काम वैसा ही होगा जैसा कि पंजाब के बारे में बनी समिति का है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** हां श्रीमान्, यह योजना की क्रियान्विति के लिये है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या अन्य अविकसित या पिछड़े क्षेत्रों के बारे में भी ऐसी प्रस्थापनायें सरकार के पास पहुंची हैं ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** इस समय हमारे पास केवल दो राज्यों अर्थात् पंजाब और उत्तर प्रदेश के बारे में ही जानकारी है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** पंजाब में अविकसित क्षेत्र भी हैं । क्या ऐसी समिति उनके लिये भी बनायी जायेगी ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** यह केवल पहाड़ी क्षेत्रों के लिये है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** अन्य पिछड़े क्षेत्र भी हैं जो पहाड़ी नहीं हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वे केवल पहाड़ी क्षेत्रों के लिये हैं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में जो पर्वतीय जिले हैं उन में से कुछ नये सीमान्तिक या बोर्डर डिस्ट्रिक्ट बनाये गये हैं और उनकी समस्याओं में कुछ अन्तर हो गया है । मैं जानना चाहता हूं कि जो एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है वह केवल उत्तराखंड के जिलों के लिये है या कि सभी पर्वतीय जिलों के लिये ?

श्री श्या० नं० मिश्र : मेरा खयाल है कि यह सभी पर्वतीय क्षेत्रों के लिये हो रही है लेकिन पूरी तफसीलात मेम्बर साहबान वहां पर डिवीजनल लेवेल पर जो कमेटी बनाई गई है उस से जान सकेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से इस बात का पता लगाया है कि यह जो कमेटी बनाई गई है उसकी कभी बैठक भी हुई है और संसद् सदस्यों को उसकी सूचना भी दी जा रही है या नहीं ?

श्री श्या० नं० मिश्र : हम बहुत सी चीजों का मुतालबा राज्य सरकारों से करें, यह मुनासिब नहीं मालूम होता है, माननीय मेम्बर साहबान, जिनका ताल्लुक उन राज्यों से है, वे बहुत से विवरणों को स्वयं जान सकते हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्र द्वारा कुछ रकम आवंटित की जा रही है ; यदि हां, तो कितनी ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** हमने इस सम्बन्ध में जानकारी मांगी है और वह शीघ्र ही प्राप्त हो जायगी ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा गृह मंत्री के इन वक्तव्यों की ओर गया है कि उत्तराखंड का विकास किया जायेगा और वहां पर कुछ लोग भारत-विरोधी प्रचार कर रहे हैं । यदि हां, तो क्या यह समिति उनकी गति विधियों पर रोकथाम लगायेगी ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** समिति का सम्बन्ध विकास कार्यों से होगा । शायद दूसरी बातों से इसका सम्बन्ध न हो ।

†**श्री मनायन :** क्या दार्जिलिंग का जिला भी पिछड़ा हुआ नहीं है । क्या उस सम्बन्ध में समिति बनाना ठीक न होगा ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** हम उत्तर प्रदेश को छोड़ कर बंगाल चले गये हैं ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार कितना रुपया देगी और स्टेट गवर्नमेंट कितना रुपया खर्च करेगी ।

श्री श्या० नं० मिश्र : इस के बारे में मैं ने अभी माननीय मेम्बर के प्रश्न के जवाब में बतलाया कि हम ने राज्य सरकार से इस का व्यौरा मांगा है कि वह इस के लिये कितनी लागत की स्कीम जारी करना चाहती है । जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है हम ने इस के बारे में जब उन के साथ तमाम प्लैन के सम्बन्ध में विचार किया था उस समय कुछ दर्शाया था । लेकिन अभी इस के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते ।

श्री विभूति मिश्र : केन्द्रीय सरकार क्या देगी ? उन से तो आप मांगते हैं, लेकिन आप को क्या देना है, इस को तो आप स्पष्ट तौर से बतलायें ।

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) : मैं अर्ज करूं ? जिस वक्त हर एक स्टेट का प्लैन बना था उस वक्त उन स्टेट्स की डीप्रेस्ड एरियाज, बैकवर्ड एरियाज और हिली एरियाज, सब की जरूरतें देखी गई थीं और उन की जांच की गई थी और उस के हिसाब से प्लैन का ऐलोकेशन हुआ था । उस में उन्हें अलहदा अलहदा बताना है और वह अपनी स्कीम भेजेंगी ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आखिरी दो वर्षों के अन्दर पहाड़ी क्षेत्रों के लिये खास तौर से अनुदान प्लैनिंग कमिशन ने रक्खा था, यानी दो करोड़ रु० यू० पी० के सारे बैकवर्ड एरियाज के लिये रक्खे गये थे, उस में से ६० लाख एक बार और ७१ लाख दूसरी

---

†मूल अंग्रेजी में

बार पर्वतीय क्षेत्रों को दिये गये पर मुझे बतलाया जा रहा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। तो क्या इस कमेटी ने या उत्तर प्रदेश की सरकार ने सलाह दी थी कि इस कार्यक्रम को न चलाया जाये ?

श्री श्या० न० मिश्र : इस प्रश्न का उद्देश्य साफ नहीं मालूम हुआ, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सन् १९५९–६० और सन् १९६०–६१ में कुछ लागत की स्कीमें वहां पर रक्खी गई थीं और उस में खर्च भी हुआ था। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस तरह से कार्यक्रम उपस्थित किया जायेगा इस के सम्बन्ध में जो कमेटी बनी है वह विचार करेगी मगर मेरा खयाल है कि प्रति वर्ष तो इस की योजना बनेगी ही और उसी के मुताबिक खर्च होगा।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि इस के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ ऐलोकेशन किया जा रहा है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : अब तक नहीं हुआ।

एडविना माउंटबैटन निधि

+
†*३७७. { **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री प्र० गं० देव : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को एडविना माउंटबेटन निधि में अंशदान करने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने इस निधि में कोई अंशदान दिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) से (ग). एडविना माउंटबेटन स्मारक निधि भारत में १ अक्तूबर, १९६० को शुरू की गयी थी। उससे पहले अर्थात् अगस्त, १९६० में एडविना माउंटबेटन न्यास लंदन के प्राधिकारियों ने भारत की सेंट जोन एम्बुलस एसोसियेशन के सभापति को लिखा था कि वह एम्बुलेंस से युनिटों और अन्य स्थानों से रुपया उगाहने में उनकी मदद करें। सभापति ने सेंट जान एम्बुलेंस युनिटों को और भारत के राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को इसके बारे में लिखा क्योंकि स्वर्गीय काउंटैस माउंटबेटन, नर्सिंग, शिशु कल्याण तथा सेंट जान एम्बुलेंस आदि के काम से सम्बंधित थीं। ऐसा प्रकट होता है कि इस पत्र के बाद आंध्र प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार ने क्रमशः ६,६८० रुपया और ५,००० रुपया दिया। निधि शुरू होने के बाद इस रकम को सेंट जान एम्बुलेंस एसोसियेशन ने, विदेशी मुद्रा के परिरक्षण के लिये निधि में अंतरित कर दिया।

पता चला है कि हाल ही में उसी प्रार्थना के फलस्वरूप केरल राज्य से ३,३७५ और गुजरात से २,६६६ रुपये की प्राप्ति हुई है। उसी प्रार्थना के जवाब में पंजाब सरकार ने ३०,००० रुपया और मसूर राज्य ने १,००० रुपया देना स्वीकार किया है। संभवतया इन रकमों को भारतीय एडविना माउंटबेटन स्मारक निधि में अंतरित कर दिया जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में

भारत सरकार ने इस प्रकार के दान देने की कोई प्रार्थना राज्यों को नहीं की। राज्य सरकारें चाहें तो ऐसे दान दे सकती हैं।

एडविना माउंटबैटन निधि के लोगों ने भी राज्य सरकारों से चंदा पाने के लिये कोई पहुंच नहीं की।

†**श्री वें० प० नायर** : यह लंबा उत्तर है। हम इसे कहां तक याद रख सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि उत्तर लेना हो तो, मंत्री जी को उसे विवरण के रूप में सभा पटल पर रख देना चाहिये।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या यह सही है कि प्रधान मंत्री के भूतपूर्व सेक्रेटरी, मिस्टर मथाई, इस कोष के सेक्रेटरी हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जी हां।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या यह भी सही है कि वह अब भी प्रधान मंत्री के सिफारिशी पत्र लेकर बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास कोष में धन एकत्र करने के लिये जाते हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक मुझे मालूम है सही नहीं है। यह तो बिल्कुल सही नहीं है कि वह मेरे पत्र लेकर जाते हैं क्योंकि मैं ने किसी को इस बारे में कोई पत्र लिखा ही नहीं। लेकिन यह भी सही नहीं है कि वह इस तरह से गये।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या राज्यों द्वारा दी गयी रकमें उन्हें सौंपी जाती हैं या किसी और को ? हिसाब किताब कौन रखता है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : रुपया बैंक को दिया जाता है। उस रुपये का हिसाब किताब खजानची या सचिव रखता है। मुझे ब्यौरा मालूम नहीं है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या सरकार का निधि पर कोई नियंत्रण है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कुछ नहीं।

श्री ब्रजराज सिंह : प्रधान मंत्री के भूतपूर्व सचिव के अलावा क्या और कोई सरकारी अधिकारी या कोई मिनिस्टर भी इस फंड के संयोजक या प्रबंधकर्ताओं में हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरा विचार है कि ऐसा नहीं। मुझे नामों का तो पता नहीं पर मंत्री शायद कोई नहीं है।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या हम विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिये गये चन्दे का पता कर सकते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस का उत्तर मुख्य प्रश्न के साथ ही दिया गया है। इस निधि के शुरू करने से पहले इंग्लैंड वालों ने यहां की सेंट जान एम्बुलेंस एसोसियेशन के सभापति अर्थात् राजकुमारी अमृत कौर को लिखा था कि वह चन्दा इकट्ठा करें। उन्होंने राज्य सरकारों से प्रार्थना की और कुछ राज्यों ने चन्दा दिया। रकमें बता दी गयी हैं। सेंट जान एम्बुलेंस संस्था ने उन छोटी रकमों को निधि में दे दिया। सरकारों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री म० ला० द्विवेदी : क्या इसके प्रश्न जिसका सम्बन्ध सरकार से नहीं लोक-सभा के लिये स्वीकृत किये जा सकते हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : उत्तर आने तक यह नहीं जाना जा सकता कि इनका सम्बन्ध सरकार से है या नहीं ।

†श्री म० ला० द्विवेदी : क्या यह सच नहीं है कि प्रश्न मंत्रालयों को सूचना देने के लिये भेजे जाते हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : मैंने इस प्रश्न को ग्रहण किया । इससे गलतफहमी नहीं रह जायगी । बात अब साफ हो गयी है कि भारत सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रश्नों की ग्राह्यता मेरे ही अधिकार में है ।

†श्री म० ला० द्विवेदी : मैं समझता हूं कि प्रश्न सूचना प्राप्ति के लिये मंत्रालयों को भेजे जाते हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : यह मेरा विशेषाधिकार है कि मैं प्रश्नों को अनुमति देने के लिये क्या कार्यवाही करता हूं ।

पश्चिम बंगाल से दण्डकारण्य जाने वाले शरणार्थी

+

†*३७८. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री कोडियान :
श्री अजितसिंह सरहदी :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री हेम बरुआ :
श्री सूपकार :
श्री साधन गुप्त :
पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार पश्चिमी बंगाल में छोटे छोटे शिविरों में रहने वाले सभी शरणार्थियों के नाम यह नोटिस जारी करने का विचार कर रही है कि वे निश्चित अवधि के भीतर दंडकारण्य चले जायें अन्यथा उन्हें वह सहायता नहीं मिलेगी जो कि आजकल मिल रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन शरणार्थियों को जो स्वेच्छा से वहां जा रहे हैं सरकार कुछ अतिरिक्त सहायता देगी ; और

(ग) अब तक वहां कितने शरणार्थी बस गये हैं और उन पर कितना व्यय हुआ है ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १७२५ परिवार ग्राम्य स्थानों पर भेज दिये गये हैं। इनमें से १,१४२ परिवारों को घरेलू प्लाट दे दिये गये हैं और ६५१ परिवारों को खेती की जमीन दे दी गयी है। खेती के लिये २,०७,१११ रुपया और व्यापार आदि के लिये ३४,०५० रुपया दे दिया गया है।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** कैम्पों में अब भी कितने लोग हैं और उन्हें वहां भेजने के लिये क्या प्रेरणा दी जा रही है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** पश्चिमी बंगाल सरकार ने परिवारों को नोटिस दे दिये हैं। छोटे कैम्प कुल आठ ही हैं।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** दंडकारण्य में विस्थापितों के पुनर्वास में कितनी कमी है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** दिसम्बर या नवम्बर में दंडकारण्य विकास प्राधिकार ने बतलाया कि १५ दिसम्बर, १९६० तक उन्हें २००० परिवारों की आवश्यकता है। किन्तु पिछले पांच मास में केवल ५०० परिवार गये हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** विस्थापित दंडकारण्य में जाने से क्यों घबराते हैं और सरकार ने उनकी घबराहट दूर करने का क्या उपाय किया है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** यही अड़चन पिछले कई वर्षों से पैदा हो रही है। परन्तु प्राधिकार ने वह सब कुछ किया है जो करणीय था। पश्चिमी बंगाल सरकार तीन चीजों को करना चाहती थी ; पहली तो यह कि मुख्य सचिव को परियोजना से सम्बन्धित किया जाय और वह कर दिया गया। दूसरी चीज यह थी कि एक ऐसा सभापति हो जो सारा समय काम करे। उसे मान लिया गया है और एक ऐसा सभापति नियुक्त कर दिया गया है। तीसरी बात यह कि इस बोर्ड को अर्ध-स्वायत्त-शासी पद दिया जाये। प्रधान मंत्री ने पिछले जून में बंगाल के मुख्य मंत्री के साथ मुलाकात में यह बात मंजूर भी कर ली थी।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** १९६१ में संभवतः कुल कितने विस्थापित व्यक्ति पश्चिम बंगाल से दण्डकारण्य ले जाये जायेंगे और जो जाने से इन्कार करते हैं क्या उनके पुनर्वास ऋण रद्द कर दिये जायेंगे ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** पश्चिम बंगाल में आज लगभग २०,००० परिवार शिविरों में हैं। पिछले साल उन्हें नोटिस दी गयी थी लेकिन ये परिवार दण्डकारण्य जाते नहीं दिखाई पड़ते। यदि वे जायें और हमारी राय मानें, तो मैं वास्तविक संख्या सभा को बता सकूंगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** जिन विस्थापित व्यक्तियों ने जाने से इन्कार कर दिया है क्या उन्होंने कोई कारण बताये हैं और यदि हां, तो क्या और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** पश्चिम बंगाल में अपने निवास के दौरान जहां तक मुझे मालूम हुआ है, वे कारण इस प्रकार हैं :—पहली बात यह कि उनमें से काफी लोग वहां जम गये हैं उन्हें निःशुल्क सहायता मिल रही है और वे जाना नहीं चाहते। दूसरे कुछ लोग उन लोगों के प्रभाव में हैं जो यह चाहते हैं कि वे वहीं रहें जिसका कारण या तो उनका स्वार्थ है या और कुछ हित।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सूपकार : दंडकारण्य में कितनी जमीन खेती के लायक बनायी गयी है और उसमें से कितनी विस्थापित व्यक्तियों के पास है ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं समझता हूं कि लगभग ८५,००० एकड़ जमीन मध्य प्रदेश और उड़ीसा सरकार ने दंडकारण्य विकास प्राधिकार को दी है। लगभग २५,००० एकड़ जमीन में से पेड़ वगैरह हटा दिये गये हैं और संभव है कि लगभग १५,००० से २०,००० एकड़ जमीन पूरी तरह से खेती के लायक बनायी गयी है। करीब तीन दिन पहले मैंने सभी संसद् सदस्यों को दंडकारण्य के बारे में एक विस्तृत प्रगति विवरण बंटवाया था।

†श्री अजित सिंह सरहदी : इस बात को देखते हुए कि दूसरी ओर से उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं हुई है, क्या ऐसी किसी योजना पर विचार हो रहा है कि स्थानीय क्षेत्र से या कुछ अन्य राज्यों से भूमिहीन लोगों को लाया जाये ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं ने अभी आशा नहीं छोड़ी है। इस प्रश्न पर उस समय विचार किया जा सकता है।

तारांकित प्रश्न संख्या ३७७ के उत्तर का शुद्धिकरण

†श्री जवाहरलाल नेहरू : एडविना माउन्टबैटन निधि के सम्बन्ध में मैंने अभी जो विवरण दिया उसे मैं ठीक करना चाहता हूं। उस निधि की समिति के सदस्यों के नाम मैं ढूंढ़ रहा था। उसमें इस सरकार के एक मंत्री श्री कृष्ण मेनन, दो राज्यपाल अर्थात श्री श्रीप्रकाश और कुमारी पद्मजा नायडू तथा एक मुख्य मंत्री डा० बी० सी० राय हैं। यदि आप चाहें तो मैं सारे नाम पढ़ सकता हूं।

†अध्यक्ष महोदय : कोई जरूरी नहीं है।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : इस के पदाधिकारियों का चुनाव किस तरीके से होता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : कमेटी ने अपने पदाधिकारी चुने।

श्री ब्रजराज सिंह : पूरे नाम बता दीजिये कृपा होगी।

†अध्यक्ष महोदय : उसमें कितने लोग हैं ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : लगभग बीस।

†श्री वाजपेयी : क्या माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने इस निधि में सम्मिलित होने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी थी ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से निमंत्रित किया था।

†श्री ब्रजराज सिंह : क्या उनका व्यक्तिगत रूप भी है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं यह नहीं समझ पाता। यह एक धर्मस्व निधि है और उसी के अनुसार हम आगे बढ़े। केन्द्रीय सरकार से उसका कोई संबंध नहीं है और किसी

---

†मूल अंग्रेजी में

मंत्री या राज्यपाल या और किसी के इस निधि में सम्मिलित होने में कोई नुकसान नहीं है। सिवा इसके कि लोगों को इस में रुचि हो, मैं नहीं समझता कि केन्द्रीय सरकार के साथ इसका कोई संबंध हो।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : कुछ लोग देश में यह धारणा उत्पन्न कर रहे हैं कि

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसके लिए अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह एक गैर-सरकारी निधि है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : जब मुख्य मंत्री उसमें हैं, तब वह गैर-सरकारी निधि कैसे हो सकता है (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री हेम बरुआ** : औचित्य प्रश्न के हेतु।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसमें कोई औचित्य प्रश्न नहीं है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : हमारी बात सुने बगैर फैसला कैसे किया जा सकता है ?

†**श्री हेम बरुआ** : मंत्रिगण, राज्यपाल और मुख्य मंत्री सरकारी हैसियत से रुपया इकट्ठा कर रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक मंत्रियों और दूसरों का संबंध है, वे व्यक्ति भी हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह एक बड़ी असाधारण स्थिति है। प्रत्येक व्यक्ति को लेडी माउन्टबैटन के साथ उसके अपने व्यक्तिगत सम्बन्ध के कारण इस समिति में रखा गया है। इसलिए उनके राज्यपाल होने या न होने से इसका कोई संबंध नहीं है। इसके लिए कसौटी व्यक्तिगत मैत्री और साहचर्य तथा इस निधि में रुचि है। (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री हेम बरुआ** : श्री मथाई इन लेन देनों से संबंधित थे और . . .

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं यह सब समझ नहीं पाता। किसी भी सदस्य या श्री मथाई के विरुद्ध इन आरोपों पर मुझे आपत्ति है और मुझे वे नापसंद हैं। मैं नहीं समझ पाता कि इस निधि से माननीय सदस्यों को क्या लेना देना है ; यदि वे कुछ दान देना चाहते हों तो दें, नहीं तो, न दें।

†**श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : इस संस्था के पदाधिकारियों के चुनाव का तरीका क्या है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : श्री मथाई पहले इन लेन देनों से संबंधित थे। वे अब इस समिति में क्यों रखे गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। मुझे आशंका है कि माननीय सदस्य अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्र से परे जा रहे हैं। कुछ गलतफहमी दूर करने के लिए मैं ने इस प्रश्न के लिए अनुमति दी थी। अब जब एक बार यह बता दिया गया कि यह एक गैर-सरकारी निधि है तब और ब्यौरे पूछना उचित नहीं है। कोई भी माननीय सदस्य या कहीं का और कोई व्यक्ति इस निधि से अपना नाता जोड़ सकता है। माननीय प्रधान मंत्री ने यह निश्चित रूप से बता दिया है कि केन्द्रीय सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। माननीय सदस्यों

---

†मूल अंग्रेजी में

को किसी के प्रति कई शिकायतें हो सकती हैं लेकिन उसके लिए न तो यह स्थान ही है और न अवसर ही । अब मैं प्रत्येक माननीय सदस्य से कहता हूं कि वे इसे आगे न बढ़ायें।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : मंत्रियों ने कितना धन दिया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

पाकिस्तानियों द्वारा अतिक्रमण

†*३७९. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **प्रधान मन्त्री** १४ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानियों ने पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर १६ मई, १९६० को भारतीय राज्य क्षेत्र में जो अतिक्रमण किया था, उस के बारे में सब डिवीजन पदाधिकारी स्तर पर संयुक्त जांच हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**वैदेशिक-कार्य मन्त्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) और (ख). जी नहीं । अनुमान है कि मार्च, १९६१ के मध्य में एक संयुक्त जांच की जायेगी ।

†**श्री अ० मु० तारिक** : पिछले सेशन में मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए यह कहा गया था कि यह कमेटी फौरन अपना काम शुरू करेगी तो मैं वजह जानना चाहता हूं, कि अभी तक यह कांफ्रेंस क्यों नहीं बुलाई गई और इस के बुलाने में क्या क्या दिक्कतें आईं ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : २० जुलाई, १९६० को त्रिपुरा और पूर्वी पाकिस्तान के जिला अफसरों की जो माहवार बैठक हुई थी उसमें जिला मजिस्ट्रेट के स्तर पर एक संयुक्त जांच करने का सवाल उठाया गया था । पिछली बार यही जवाब दिया गया था । २४ फरवरी, १९६१ को त्रिपुरा के जिला मजिस्ट्रेट और पूर्वी पाकिस्तान के कमिल्ला के डिप्टी कमिश्नर के सम्मेलन की कार्यसूची में यह सवाल फिर उठाया गया था । नतीजा यह हुआ कि मार्च के मध्य में संयुक्त जांच करने का निश्चय किया गया ।

†**श्री अ० मु० तारिक** : क्या कारण है कि यह बैठक आज तक न हो सकी ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : वास्तव में, १७ मई, १९६० को अर्थात् उस घटना के दूसरे दिन बाद, एक संयुक्त जांच की गयी थी । लेकिन पाकिस्तानियों ने उलटा विवरण बताया, उन्होंने कहा कि यह घटना पाकिस्तान राज्य क्षेत्र में हुई ।

फाइबर ग्लास

†*३८१. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में फाइबर ग्लास के उत्पादन को वर्तमान स्थिति क्या है और इसके लिये कितने लाइसेंस दिये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : अभी दो फर्में ऐसी हैं जिन्हें सालाना कुल एक १६०० टन फाइबर ग्लास तैयार करने के लिए लाइसेंस दिये जा चुके हैं। इनमें से केवल एक ही फर्म ने अभी तक वास्तव में उत्पादन शुरू किया है लेकिन उत्पादन नियमित नहीं है। अनुमान है कि इस संबंध में और अधिक योजनाएं प्राप्त होंगी।

†श्री वें० प० नायर : फाइबर ग्लास तैयार करने के लिए मुख्यतः कौन-कौन सा कच्चा माल जरूरी होता है ?

†श्री मनुभाई शाह : वह सामान्य सूची है--कैलसाइट, फेल्सपर, क्वार्ट्ज और रेत (सैन्ड)।

†श्री वें० प० नायर : क्या फाइबर ग्लास तैयार करने का लाइसेंस एक ऐसे कारखाने को दिया गया था जो तिन्नेवेल्ली के पास कैल्शियम कारबाइड तैयार करता है ?

†श्री मनुभाई शाह : जी हां। जिन कारखानों का उल्लेख मैंने किया था उनमें वह भी एक है। किन्तु अभी तक उसने कोई सक्रिय कार्यवाही नहीं की है।

†श्री वें० प० नायर : क्या सरकार जानती है कि ब्रिटेन और अन्य देशों में फाइबर ग्लास नौकाओं का ढांचा ढालने के काम आता है जो लकड़ी के बने ढांचे की तुलना में अधिक सस्ता पड़ता है ? यदि हां, तो क्या फाइबर ग्लास से बनाये गये ढांचे वाली नौकाओं को लोकप्रिय बनाने की सरकार की कोई योजना है ?

†श्री मनुभाई शाह : हमें बहुत सी बातों की जानकारी है किन्तु ऐसी कोई परियोजना नहीं है।

कपड़ा उद्योग

†*३८२. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री म० के० कुमारन :
श्री वारियर :
श्री कोडियान :
श्री पुन्नूस :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा उद्योग में तकुआ क्षमता में वृद्धि के बावजूद भी गत वर्ष की अपेक्षा १९५९-६० में रोजगार में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). इन वर्षों में प्रायः कोई फेरबदल नहीं हुआ है।

†श्री अ० क० गोपालन : इस समय कितने यूनिट काम कर रहे हैं और कितने यूनिट बंद हो चुके हैं।

†श्री मनुभाई शाह : लगभग २९ यूनिट बंद हो चुके हैं और ४८० से अधिक काम कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या इस बात की ओर ध्यान देने के लिए कोई कार्यवाही की गयी है कि इस रोजगार में औरतों की संख्या २५ प्रतिशत से कम न हो ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं समझता हूं माननीय सदस्य पटसन उद्योग का उल्लेख कर रहे हैं क्योंकि महिला कर्मचारियों का सवाल उसी उद्योग में है। सूती कपड़ा उद्योग में वह समस्या कभी भी गंभीर नहीं रही।

†**श्री तंगामणि** : इस अवधि में कितने नये करघे और अभी हाल में कुल कितने तकुए लगाये गये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह प्रश्न सूती कपड़ा मिलों के संबंध में है, न कि पटसन मिलों के सम्बन्ध में। पिछले १० वर्षों में १३६ से अधिक नयी कपड़ा मिलें कायम की गयी हैं।

†**श्री अ० क० गोपालन** : इस अवधि में कितनी औरतों को काम से अलग कर दिया गया ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इन प्रश्नों का मुख्य प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। ५२२ मिलें हैं। हम हर दिन के लिए हर मिल का हिसाब नहीं बना सकते। यदि माननीय सदस्य को किसी खास मिल के बारे में दिलचस्पी हो और उसके बारे में जानना चाहते हों कि पिछले तीन महीनों में क्या हुआ, तो मैं अवश्य बता सकता हूं।

†**श्री तंगामणि** : हम यह जानना चाहते हैं कि क्या इस अवधि में औरतों की संख्या घट गयी है क्योंकि उन्हें संरक्षण देने वाले कई कानून लागू हो गये हैं। बात यह है कि इन कानूनों से बचने के लिए कपड़ा उद्योग में औरतों की छंटनी करने की प्रवृत्ति दिखायी पड़ती है।

†**श्री मनुभाई शाह** : मुख्य प्रश्न यह है कि क्या रोजगार घट रहा है और मैंने सभा को निश्चित रूप से बताया है कि रोजगार में कोई कमी नहीं हुई है। इन वर्षों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। सूती कपड़ा मिलों में जहां तक महिला कर्मचारियों का संबंध है, कोई बहुत बड़ी छंटनी नहीं हुई है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना

†*३८३. { **श्री कोडियान** :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री विभूति मिश्र :
श्री सूपकार :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री कालिका सिंह :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों से तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के प्राक्कलनों के बारे में जो चर्चा हुई है उसके आधार पर योजना के परिव्यय में वृद्धि होना आवश्यक हो गया है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ;

(ग) क्या परिव्यय में अनुमानित वृद्धि केन्द्रीय क्षेत्र में है अथवा राज्यीय क्षेत्र में ; और

(घ) योजना आयोग द्वारा स्वीकृत तृतीय पंचवर्षीय योजना के परिव्यय और उसके साधनों का अंतिम रूप क्या है?

†**योजना उपमन्त्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) से (ग). योजना के प्रारूप में दिखाये गये ७२५० करोड़ रुपये के अनुमान के मुकाबले में अब तृतीय योजना में सरकारी क्षेत्र में कुल परिव्यय का अनुमान ७५०० करोड़ रुपये किया गया है। यह संसाधनों के पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुरूप है। राज्यों की योजनाओं के परिव्यय में २०० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है और केन्द्रीय मंत्रालयों की योजनाओं के परिव्यय में ५० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। तृतीय योजना में परिव्यय और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित संकल्प की प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८८]**

(घ) परिव्यय और संसाधनों के बारे में अन्तिम अनुमान तृतीय योजना सम्बन्धी प्रतिवेदन में दिया जायेगा जो अब तैयार किया जा रहा है।

†**श्री कोडियान :** विवरण में कहा गया है :

"राष्ट्र के संसाधनों को, जितना भी अधिक से अधिक संभव होगा, संग्रह करने के लिये पूरा प्रयत्न किया जायेगा......."

क्या मैं जान सकता हूं कि योजना के लिये अतिरिक्त संसाधन संग्रहित करने के लिये सरकार ने क्या विशेष उपाय करने का विचार किया है?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** योजना में बताये गये प्रत्येक मद से वर्तमान रूप में अपेक्षित परिणामों से अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। हम हर बार मूल साधनों के बारे में नहीं सोच सकते।

†**श्री कोडियान :** क्या सरकार और योजना आयोग को यह पता चला है कि, जब कि राज्यों के परिव्यय में २०० करोड़ रुपये की वृद्धि कर दी गयी है और राज्य सरकारें ६० करोड़ रुपये के नये करों द्वारा संसाधन बढ़ाने को राजी हो गयी है, राज्य सरकारों के आय-व्ययकों से किसी अतिरिक्त कराधान द्वारा संसाधनों के बढ़ाये जाने का पता नहीं चलता? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि अतिरिक्त संसाधनों में वृद्धि कराने के लिये योजना आयोग क्या पग उठा रहा है?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** हमें योजना के प्रथम वर्ष से ही कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए क्योंकि अभी ४ वर्ष और बाकी हैं और यह किसी को नहीं पता कि वर्तमान वर्ष में भी जो नजर आता है, उससे अधिक संसाधन नहीं हो सकते।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** राज्यों का योजना व्यय मूलतः ३,८४७ करोड़ रुपये था। परन्तु विवरण से पता चलता है कि अब यह घटा कर ३,७२५ करोड़ रुपये कर दिया गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि किस राज्य के वार्षिक योजना-व्यय में कमी की गयी है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री श्या० नं० मिश्र : वार्षिक योजना में कोई कमी नहीं की गयी है। वार्षिक योजनायें इस ३,७२५ करोड़ रुपये पर आधारित हैं; और जहां तक पांच वर्षों की अवधि का सम्बन्ध है यह कार्यक्रम ३,८४७ करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है।

†श्री स० मो० बनर्जी : विवरण में यह कहा गया है :

"कम से कम समय में ऐसी योजनाओं को आरम्भ करने और पूरा करने में भरसक प्रयत्न किया जायेगा जो विकास-कार्य के लिये अति आवश्यक हैं और जो संसाधनों में वृद्धि का साधन बनेंगी।"

मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार किन योजनाओं को कम से कम समय में पूरा करना चाहती है।

†श्री श्या० नं० मिश्र : जहां तक संसाधनों का सम्बन्ध है, किसी विशेष योजना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये मुख्यत: विभिन्न कृषि कार्य होंगे और उसी प्रकार बचत सम्बन्धी व इसी प्रकार के अन्य कार्यक्रम होंगे।

†श्री राधा रमण : तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम रूप पर संसद में कब विचार किया जायेगा ?

†श्री श्या० नं० मिश्र : यह आशा की जाती है कि योजना का अन्तिम प्रारूप संसद् में इस सत्र के अन्त तक पेश किया जायेगा; और फिर यह आप पर है कि आप इस पर विचार के लिये क्या समय निर्धारित करते हैं।

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) : हम अन्तिम रूप से यह तैयार कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि यह सत्र के समाप्त होने से पूर्व तैयार हो जायेगा। परन्तु इस बारे में अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया जा सका है कि क्या छपी हुई प्रतियां उपलब्ध हो जायेंगी।

†श्री नाथ पाई : श्री कोडियान के एक पूर्व प्रश्न के उत्तर में उपमंत्री महोदय ने बताया था कि यह योजना का प्रथम वर्ष है और इसलिये वे यह नहीं कह सकते कि संसाधनों का वितरण किस प्रकार किया जायेगा। यह तृतीय योजना का प्रथम वर्ष है और यह निर्वाचन-वर्ष के समकालीन है और निर्वाचन द्वितीय योजना के अन्तिम वर्ष के समकालीन है। सरकार इन दो वर्षों में अतिरिक्त संसाधनों के बोझ को वितरित करने में अनिच्छा प्रकट करती है। परिणाम यह होगा कि यह भार अन्य तीन वर्षों में असमानता से वितरित किया जायेगा। यदि हां, तो सरकार निर्वाचनों को बिलकुल भुला कर इस बारे में क्या कार्यवाही करेगी जिससे इस भार का वितरण असमान न हो ?

†श्री नन्दा : मैं निर्वाचन के झंझट में नहीं पड़ना चाहता।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सभी बातें प्रश्न-काल में कहने का मौका ढूंढते हैं। ऐसे कटाक्ष करना ठीक नहीं है। यदि माननीय सदस्य यह प्रश्न पूछें 'इस वर्ष यह न रखे जाने का क्या कोई विशेष कारण हैं' या वे यह पूछें कि 'संसाधनों को इस वर्ष संग्रहित करने कार्य आरम्भ न करने के क्या कोई राजनीतिक कारण हैं, तो मुझे उनको आज्ञा देने में कोई आपत्ति नहीं। परन्तु जब कोई कटाक्ष किया जाता है तो इसका भिन्न अर्थ होता है।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नन्दा : मैं निश्चित रूप से यह चाहूंगा कि प्रथम वर्ष में भी उचित अतिरिक्त कराधान होना चाहिये। निश्चय ही, हम यह चाहते हैं कि केन्द्र और राज्य यथासम्भव अधिक करें। परन्तु इसका वितरण समान रूप से नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई भी योजना नहीं कर सकती। इसमें शनैः शनैः वृद्धि होती है। पहली योजनाओं में भी आरम्भ के वर्ष कम वृद्धि से आरम्भ हुए जैसे १४ या १५ प्रतिशत और फिर यह बाकी वर्षों में २५ प्रतिशत या इससे भी अधिक पहुंच गया। अतः प्रथम वर्ष में कम कर लगाने में कोई असामान्य बात नहीं है। वृद्धि इसी प्रकार होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले वर्ष में ही पांच वर्षों की अवधि के औसत से चलें। अगर प्रति वर्ष वहीं आंकड़े रखे जायें तो वास्तव में वृद्धि कुछ भी नहीं होगी।

†श्रीमती रेणुका राय : क्या यह सच नहीं है कि उन योजनाओं में जो किसी विशेष वर्ष में आरम्भ की जाती हैं और विशेषतः वे योजनायें जिनके निर्माण में काफी धन और समय की आवश्यकता है, इसमें बाद में गति आती है? क्या यह भी एक कारण नहीं है कि प्रथम वर्ष में अन्य वर्षों की अपेक्षा व्यय कम क्यों है?

†श्री नन्दा : यह भी एक कारण हो सकता है।

†श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लोक लेखा समिति ने एक प्रक्रिया बनाई है, जिसको सरकार ने मंजूर कर लिया है, कि किस प्रकार संसद् द्वारा वर्ष भर के लिये आवंटित की गयी धनराशि में से किसी वर्ष की अन्तिम तिमाही में खर्च के लिये बहुत अधिक धन-राशि न छोड़ी जाय, क्या सरकार इस पंचवर्षीय योजना के बारे में व्यय सम्बन्धी ऐसी ही प्रक्रिया अपनाने के औचित्य पर विचार करेगी?

†श्री नन्दा : इस बात को ध्यान में रखते हुए व्यय का हिसाब लगाया जाता है कि व्यय को कार्यकारी बनाया जाये और उससे सर्वोत्तम परिणाम निकलें।

†श्री रंगा : क्या सरकार का यह अनुभव नहीं है कि यदि किसी वर्ष की अन्तिम तिमाही में बहुत अधिक धन खर्च करने की अनुमति दी जाये, तो इससे बहुत कुछ बरबादी को नहीं रोका जा सकेगा? अतः क्या सरकार की यह मंजूरशुदा नीति नहीं रही है कि वह वर्ष की अन्तिम तिमाही में बहुत अधिक धन खर्च करने की अनुमति न दे?

†श्री नन्दा : किसी एक वर्ष और समूची योजना की पांच वर्षों की अवधि में कोई समानता नहीं है। परन्तु फिर भी मैं यह कहूंगा कि अन्तिम अवस्था में खर्च के मामले में अधिक भार की गुंजाइश न छोड़ी जाये।

†श्री नाथ पाई : क्या मैं एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे सकता हूं? कटाक्ष करने का न कोई इरादा था और न वह किया गया। यह राज्य सरकारों की स्थिति से उत्पन्न होता है कि उन्हें अतिरिक्त भार के लिये अपेक्षित करों में वृद्धि करने की कोई इच्छा प्रकट नहीं की है।

†श्री रघुनाथ सिंह : मेरी प्रार्थना है कि चीन-नेपाल सीमा समझौता सम्बन्धी प्रश्न संख्या ४०३ का उत्तर दिया जाये।

†अध्यक्ष महोदय : श्री रघुनाथ सिंह नेपाल-चीन सीमा समझौता सम्बन्धी प्रश्न पूछना चाहते हैं। मंत्री महोदय।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीन-नेपाल सीमा समझौता

†*४०३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा क्षेत्रों के बारें में चीन और नेपाल के बीच कोई समझौता हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस नये समझौते का भारतीय सीमा पर कोई प्रभाव पड़ेगा ?

†**वैदेशिक कार्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खाँ)** : (क) और (ख). नैपाल सरकार द्वारा जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एक समझौता किया गया है जो दोनों सरकारों के दृष्टिकोण से संतोषजनक है। हमारे पास चीन-नेपाल सीमा की व्याख्या के बारे में ब्यौरा नहीं है। जहां तक पता है, हमारी सीमा के लिये हानिकारक कोई बात नहीं है।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि इस समझौते से हमारी सीमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और यह हमारे हितों के लिये हानिकारक नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने यही कहा है।

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यही बात हमने कही है।

श्री रघुनाथ सिंह : चाइना और नेपाल की बार्डर पर जो बात चीत हुई है, अगर उसमें कोई एग्रीमेंट हुआ है, तो उस का असर हिन्दुस्तान की सीमा पर क्या पड़ता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : अगर माननीय सदस्य ने गौर से जवाब सुना होता तो उनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होता।

†**श्री त्यागी** : क्योंकि नेपाल की सीमा की रक्षा करने के लिये हम जिम्मेवार हैं, क्या इस बातचीत के दौरान किसी अवस्था में भारत सरकार से परामर्श किया गया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं समझता कि दो देशों के बीच, विशेषत: ऐसे मामलों में, गोपनीय परामर्श का कैसे प्रचार किया जा सकता है परन्तु इससे पहले भी ---तुरन्त चर्चा के समय नहीं---इन मामलों पर हमारे और नेपाल सरकार के बीच कई बार वार्ता हुई है।

प्रश्नों के लिखित उतर

खाद्यान्नों के भाव

*३१८. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्यान्नों के भावों में होने वाली पर्याप्त कमी का सामान्य रूप से अन्य वस्तुओं की कीमतों पर पर्याप्त प्रभाव नहीं पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त उपमन्त्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) खाद्यान्नों के थोक मूल्य के देशनांक में (१६५२-५३-१००) सितम्बर, १६६० और जनवरी, १६६१ के बीच लगभग ८ प्रतिशत कमी हुई है। उसी अवधि में समस्त वस्तुओं के देशनांक १२५.३ से बढ़ कर १२५.६ हो गये हैं।

(ख) खाद्यान्न के मूल्य में गिरावट का सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव न पड़ने का कारण यह है कि कच्चे जूट, जूट के सामान, तिलहन और खाद्य तेलों के मूल्य चढ़ते रहे हैं क्योंकि पिछले वर्ष फसल खराब होने से संभरण कम हुआ है।

पंजाब में अकाली आन्दोलन

*३१६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में अकाली आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के बारे में पंजाब सरकार ने केन्द्र से कोई निर्देश लिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र ने पंजाब सरकार को क्या निर्देश दिये हैं और क्या पंजाब सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है; और

(ग) दिल्ली में अकाली आन्दोलन पर सरकार को कितनी धनराशि व्यय करनी पड़ी ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) : (क) इस विषय में केन्द्र से कोई निदेश नहीं लिया गया, परन्तु स्थिति की सूचना केन्द्र को मिलती रही।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) (i) पुलिस द्वारा की गई खर्च जो विशेष रूप से अकाली आन्दोलन से सम्बन्धित माना जा सकता है . . . ३२१०४ रुपये

(ii) केन्द्रीय जेल, तिहार में अकाली कैदियों पर खर्च २.६९ लाख रुपये

पाकिस्तान में भारतीय प्रतिलिप्यधिकारों का अतिलंघन

†*३२०. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में भारतीय राष्ट्रजनों के प्रतिलिप्यधिकारों के अतिलंघन के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) भारत सरकार ने अतिलंघन के मामलों को रोकने के लिये पाकिस्तान सरकार से दोनों सरकारों के बीच द्विपक्षीय करार करने का प्रस्ताव किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

†*३२१. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ऐसी योजना के सम्बन्ध में विचार कर रही है जिसके अधीन भारत के निर्धन योग्य विद्यार्थियों के सभी शिक्षा सम्बन्धी खर्चों को पूरा करने के लिये छात्रवृत्तियां दी जायेंगी ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ; और

(ग) उस योजना को कब लागू किया जायेगा ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (ग). सरकार असाधारण योग्यता वाले विद्यार्थियों को उपयुक्त संख्या की छात्रवृत्तियां प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। योजना का पूरा ब्योरा अभी तैयार किया जाना है और अंतिम निर्णय भी अभी किया जाना है ।

बोर्ड आफ कंट्रोल फार क्रिकेट

†*३२२. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री १६ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बोर्ड आफ कन्ट्रोल फार क्रिकेट ने अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में अपने विचार भेज दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

अखिल भारतीय खेल परिषद् ने अपनी १८ जनवरी, १९६१ की बैठक में बोर्ड आफ कंट्रोल फार क्रिकेट से अपनी उपसमिति के प्रतिवेदन और विशेषकर बोर्ड द्वारा संघीय शिक्षा मंत्रालय को दिये गये इस आशय के आश्वासनों कि बोर्ड को रचनात्मक सुझावों का स्वागत एवं क्रियान्वयन करने और देश में क्रिकेट के विकास से सम्बन्धित समस्त मामलों की उनके साथ चर्चा करने में प्रसन्नता होगी , पर प्राप्त टिप्पणों पर विचार किया ।

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय तेल उद्योग में इटली की कम्पनी का सहयोग

†*३२३. **श्री उस्मान अली खाँ :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री वारियर :
श्री पुन्नूस :
श्री कोडियान :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री नारायणन कुट्टि मेनन :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम बरुआ :
श्री याज्ञिक :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा भारत में तेल उद्योग के विकास के लिये इटेलियन आयल कम्पनी के साथ कोई करार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त करार का ब्योरा क्या है ?

†**खान और तेल मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) नहीं श्रीमान् । मामले के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

पम्पोरी और अन्नपूर्णा पर्वतारोहण अभियान

†*३२४. **श्री सै० अ० मेहदी :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष दो भारतीय दल पम्पोरी और अन्नपूर्णा पर्वतारोहण अभियानों की व्यवस्था करेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये यदि कोई राशि निर्धाति की गई है तो वह राशि कितनी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबीर) :** (क) एक भारतीय अभियान दल १९६१ में अन्नपूर्णा ३ पर चढ़ाई का प्रयत्न करेगा । पम्पोरी भेजे जाने वाले किसी अभियान दल की हमें कोई जानकारी नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अन्नपूर्णा ३ पर प्रस्तावित अभियान के लिये ३०,००० रुपया का अनुदान मंजूर किया गया है ।

नेपाल में तेल सर्वेक्षण

*३२५. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २० दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २०९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तेल व प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा नेपाल में सर्वेक्षण व जांच-पड़ताल करने का जो कार्यक्रम बनाया गया था, उस में अब तक क्या प्रगति हुई है और उस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

खान और तेल मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय) : नेपाल में अम्लेकगंज तक राक्सौल-अम्लेकगंज सड़क के साथ साथ भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्य किये गये हैं ।

एक भूगर्भीय सांरेखण कार्य पूरा हो चुका है तथा १६ वर्ग मील का भूगर्भीय मानचित्रण कार्य किया गया है । यह आशा है कि क्षेत्रीय काल के लिये तैयार किया गया कार्यक्रम मई, १९६१ तक पूरा हो जायेगा ।

पन्ना की हीरे की खानें

†*३२६. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की मजाहागवान की हीरे की खान में कुछ दुर्लभ किस्म के हीरों के निक्षेपों का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो इन नये हीरों के निक्षेपों के विदोहन के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

†**खान और तेल मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) कुछ पाइपों के अस्तित्व का पता लगा है ।

(ख) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम उस क्षेत्र में खोज कर रहा है और हीरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये नमूने लिए जा रहे हैं ।

लंका को कोयले का निर्यात

†*३२७. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका की समीपता को देखते हुये सिंगरेनी कोलियरी कम्पनी को वहां कोयले का निर्यात करने की अनुमति देने के बारे में कोई प्रस्थापना है ;

(ख) किस किस कोयला खान से लंका को कोयला भेजा जा रहा है ; और

(ग) १९६० में कुल कितना कोयला भेजा गया और उससे कितनी राशि प्राप्त हुई ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) निर्यात व्यापार मार्गों के माध्यम से किया जाता है और माल बिहार तथा पश्चिम बंगाल की १३ खानों से प्राप्त किया जाता है।

(ग) कुल निर्यात लगभग १४ लाख टन हुआ जिसका मूल्य ५.४ करोड़ रुपये होता है। इसमें से लंका को किया गया निर्यात ३६,६५८ टन था।

अन्दमान में केरल के परिवार

†*३२८. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री मे० क० कुमारन :
श्री वारियर :
श्री कोडियान :
श्री पुन्नूस :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के काश्तकार परिवारों को अन्दमान में बस जाने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो उनको वहां बसाने की योजना का ब्योरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) :** (क) सरकार ने १६६१ में केरल के २० परिवारों को अण्डमान में बसाने का निर्णय किया है।

(ख) अण्डमान की उपनिवेशन एवं बसाने की योजना के अनुसार अण्डमान में बसाये जाने के लिए चुने गये प्रत्येक खेतिहर परिवार को ५ एकड़ साफ की हुई भूमि धान की खेती के लिए और ५ एकड़ पहाड़ी भूमि रहने और औद्यानिक प्रयोजनों के लिए दी जाती है। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी जाती है :

(१) प्रत्यादेय ऋण

गृह निर्माण	८०० रुपये
हल के पशुओं की खरीद	७०० रुपये
बर्तनों की कीमत	१३० रुपये
बीज तथा खाद	१०० रुपये
योग	१७३० रुपये

(२) अनुगृहात् अनुदान :

निर्वाह भत्ता	८४० रुपये
यात्रा व्यय	२१० रुपये
योग	१०५० रुपये
महायोग	२७८० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

सांयकालीन कालेज

†*३२९. { **श्री कोडियान :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री दामानी :
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सायंकालीन कालेज चलाने की वांछनीयता पर विचार करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उक्त रिपोर्ट पर विचार करके किन्हीं निष्कर्षों पर पहुंचा है ; और

(घ) यदि हां, तो वे निष्कर्ष क्या हैं ; ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (घ). उत्पन्न नहीं होते ।

हिन्दी पुस्तकों का सम्भरण

†*३३०. { **श्री वारियर :**
श्री कोडियान :
श्री पुन्नूस : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के स्कूलों को हिन्दी पुस्तकों के निःशुल्क सम्भरण की योजना पर अमल शुरू हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) योजना के अन्तर्गत लगभग ३५०० पुस्तकें विचारार्थ प्राप्त हुई हैं। इन पुस्तकों पर इस प्रयोजन के लिए नियुक्त की गई एक समिति द्वारा विचार किया जा रहा है ।

†मूल अंग्रेजी में

विश्वविद्यालयों में औद्योगिक बस्तियां

†*३३१. { श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर : }

क्या **शिक्षा** मंत्री १६ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों में छोटी औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने की योजना के सम्बन्ध में इस बीच कितनी प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

इस प्रयोजन के लिए अन्तिम रूप से चुने गए पांच विश्वविद्यालयों में औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :

(१) उस्मानिया विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय से निम्नलिखित उत्पादों के निर्माण की योजनायें प्राप्त हुई हैं तथा केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन में छानबीन तथा अन्तिम रूप दिये जाने की अवस्था में है :

(क) साइकिल के पुर्जे

(ख) वैज्ञानिक उपकरण

(ग) ड्राइंग, सर्वेक्षण एवं गणित सम्बन्धी उपकरण

(घ) मेज कुर्सियां आदि बनाना

(२) जाधवपुर विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय से निम्नलिखित कर्मशालाओं की स्थापना की योजनायें प्राप्त हुई हैं तथा वे केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन में छानबीन और अन्तिम रूप दिए जाने की अवस्था में हैं :

(क) सामान्य धातु पालिश कर्मशाला जिसमें एनामेल और पेंटिंग भी सम्मिलित है।

(ख) रेगुलेटरों, स्टार्टरों आदि के बनाने के लिए विद्युतीय कर्मशाला ।

(ग) सामान्य इंजीनियरिंग कर्मशाला ।

(३) बड़ौदा विश्वविद्यालय

केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन द्वारा विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के साथ परामर्श कर के विभिन्न उत्पादों के निर्माण की योजनायें बनाई जा रही है ।

(४) इलाहाबाद विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय में एक औद्योगिक बस्ती की स्थापना के प्रश्न के सम्बन्ध में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) राजस्थान विश्वविद्यालय

निम्नलिखित पांच उत्पादों के निर्माण के लिए एकक स्थापित करने का निर्णय किया गया है जिनमें से केवल प्रयोगशाला प्रतिकर्मकों की एक योजना विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई है और उस पर केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन द्वारा विचार किया जा रहा है :

(क) विद्युतीय माप उपकरण

(ख) पैमाने, बांट तथा माप ।

(ग) प्रयोगशाला प्रतिकर्मक ।

(घ) रेडियो के पुर्जे ।

(ङ) फाउन्टेनपैन, पैंसिलें आदि ।

सामुदायिक विकास कार्य की प्रगति

†*३३२. **श्रीमती रेणुका राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन और पश्चिम जर्मनी के आर्थिक सम्पादकों और समीक्षकों के एक दल ने हाल में भारत के सामुदायिक विकास कार्य का अध्ययन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने अपना प्रतिवेदन भेजा है ?

†**वित्त उपमन्त्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) दल से सरकार को कोई प्रतिवेदन भेजने के लिए नहीं कहा गया था इसलिए कोई औपचारिक प्रतिवेदन नहीं प्राप्त हुआ है ।

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद्

†*३३३.
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हेमराज :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री भक्त दर्शन :
श्री प्र० के० देव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-कार्य मंत्री का ध्यान आसाम सरकार के योजना मंत्री द्वारा दिये ग उस वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया गया है कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् सभी शेष अन्तर्राज्यीय समस्याओं को सुलझाने के लिये अभी तक एक प्रभावकारी अभिकरण नहीं बन पाई और यह कि इस क्षेत्रीय परिषद् के प्रभावकारी रूप से समस्याओं को सुलझाने में सफलता प्राप्त न करने का मुख्य कारण केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य विषयों में हस्तक्षेप करने में संकोच है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये जा रहे हैं कि क्षेत्रीय परिषदें अन्त-र्राज्यीय विवादों को अधिक कारगर रूप से निपटा सकें ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(ख) राज्य पुनर्गठन अधिनियम में उल्लिखित योजना के अनुसार क्षेत्रीय परिषदें सलाहकारी होंगी और सरकार के सामने इस योजना को बदलने के लिए राज्य पुनर्गठन अधि-नियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विदेशी गैर-सरकारी पूंजी

†**३३४. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विशेषतया गैर सरकारी क्षेत्र में विदेशी गैर सरकारी पूंजी के अधिक राशि में लगाये जाने के सम्बन्ध में सुविधायें देने के लिये सरकार द्वारा क्या नये उपाय किये गये हैं ; ?

†**वित्त उपमन्त्री (श्री ब० रा० भगत)** : माननीय सदस्य ने जिस प्रकार के नए उपायों का निर्देश किया है ऐसे कोई भी उपाय निकट भविष्य में नहीं किए गए हैं।

इस्पात कारखानों में उत्पादन की कमी

†३३५. { **श्री मुरारका :**
श्री राजेश्वर पटेल : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में कच्ची सामग्री का पर्याप्त संभरण न होने के कारण इस्पात के तीनों कारखानों में उत्पादन की कुल कितनी कमी हुई थी ;

(ख) इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) क्या किन्हीं कारखानों में कम उत्पादन का कारण कच्ची सामग्री की कमी के अलावा कुछ और भी था ?

†**इस्पात खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

यद्यपि उत्पादन में कुछ कमी हुई है परन्तु उसकी मात्रा का निर्धारण करना कठिन है।

तीनों इस्पात कारखानों में उत्पादन में कमी मुख्यतः दो कारणों से हुई है --(१) धमन भट्टियों का बन्द हो जाना और (२) कच्चे माल के पर्याप्त संभरण की कमी।

रूरकेला की धमन भट्टियों में उत्पादन में चार अवसरों पर बाधा हुई थी। धमन भट्टी संख्या १ एक बार १० से १५ सितम्बर, १९६० तक बन्द रही। धमन भट्टी संख्या २ का काम वर्ष में तीन बार १२ मई, १९६०, १० जून, १९६० और १० सितम्बर, १९६० को बन्द हुआ। रूरकेला में चालू एककों में कच्चे माल की कमी के कारण उत्पादन में कोई

†मूल अंग्रेजी में

कमी नहीं हुई है, हां मई और जून, १९६० में कोयले की कमी अवश्य पड़ी थी। इन दो महीनों में झरिया के कोयले का संभरण असन्तोषजनक रहा। रूरकेला में उत्पादन में कमी का कारण कुछ हद तक कोयले और लोह अयस्क की किस्म का खराब होना है।

भिलाई में धमन भट्टियों के बन्द हो जाने के कारण उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई है और उत्पादन सामान्यतः संतोषजनक रहा है। केवल जून और जुलाई, १९६० में उत्पादन कम हुआ था। उसका कारण लौह अयस्क के स्टाक की कमी और कोयले की कम प्राप्ति है। अतः कोक भट्टियों और बाद में धमन भट्टियों में उत्पादन नियंत्रित करना पड़ा। वास्तव में अयस्क की कमी की कठिनाई इतनी नहीं थी जितनी कि उसके खानों से रेलवे तक परिवहन की। भिलाई में कच्चे माल के स्टाक की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। समस्त चालू एकक अब नियमित रूप से चल रहे हैं। राजरा स्थित लौह अयस्क और नन्दनी स्थित चूने के पत्थर की खानों का पूर्ण यंत्रीकरन किया जा चुका है। कोयले के परिवहन के लिए किए गए उपायों के परिणाम अच्छे रहे हैं।

दुर्गापुर में केवल एक बार १७ जून, १९६० को धमन भट्टी बन्द हुई थी। दुर्गापुर में चालू किए जा चुके एककों में कच्चे माल की कमी के कारण उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई है परन्तु दूसरी कोक ओवेन बैटरी में दूसरी धमन भट्टी चालू करने में कुछ विलम्ब हुआ था। कच्चे माल के स्टाक की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और समस्त चालू किए जा चुके एकक नियमित रूप से चल रहे हैं।

ज्वालामुखी तेल छिद्रण परियोजना

†*३३६. { **श्री हेमराज :**
श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६४९ के **उत्तर** के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज्वालामुखी में कुंआ संख्या २ की खुदाई का काम पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) हां, श्रीमान्।

(ख) गैस अथवा तेल पाये जाने के कोई संकेत नहीं मिले हैं।

श्री रछपालसिंह की गिरफ्तारी

†*३३७. **श्री त्यागी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री रछपाल सिंह की गिरफ्तारी का वारन्ट जारी किया गया था और उस वारन्ट की तामील नहीं की जा सकी क्योंकि उन्होंने दिल्ली के एक पावन स्थान में शरण प्राप्त कर ली थी; और

(ख) यदि हां, तो कितने दिन तक उस वारन्ट की तामील नहीं की जा सकी ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री दातार)** : (क) और (ख) पिछले आठ महीनों में श्री रछपाल सिंह के विरुद्ध अनेक गिरफ्तारी के वारन्ट जारी किये गये थे जो क्रियान्वित नहीं किये जा सके क्योंकि वह गुरुद्वारा शीशगंज में छिपे हुए थे। उन में से पहला वारण्ट १८ जून, १९६० का है। परन्तु उन्होंने २२ फरवरी, १९६१ को पुलिस के आगे समर्पण कर दिया है।

अमरीकी इस्पात मिशन

†*३३८. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इस्पात उद्योग के लिये उच्च तथा मध्यम प्रबन्ध-योग्यता के विकास और अन्य सम्बन्धित मामलों के बारे में सलाह देने के लिये एक द्वि-सदस्यीय अमरीकी इस्पात मिशन भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो उस मिशन की सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन सिफारिशों की कार्यान्विति के लिये क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्णसिंह):** (क) दो अमरीकी प्रशिक्षण विशेषज्ञ हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की प्रशिक्षण योजना में सहायता करने के लिये भारत आये हैं।

(ख) मिशन अपना प्रतिवेदन तैयार कर रहा है जिसके मार्च, १९६१ तक तैयार हो जाने की आशा है।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

राष्ट्रीय सेना छात्र दल

†*३३९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सेनाछात्र दल के विस्तार की प्रस्थापना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्थापना का व्योरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख), एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

लोक-सभा में २ दिसम्बर, १९६० को अतारांकित प्रश्न संख्या ११९१ के उत्तर में राष्ट्रीय सेनाछात्र दल, राष्ट्रीय सेनाछात्र दल राइफल्स और राष्ट्रीय सेनाछात्र दल के अधिकारी प्रशिक्षण

†मूल अंग्रेज़ी में

एककों के विस्तार में १५ नवम्बर, १९६० तक हुई प्रगति का संकेत किया गया था। उसके बाद निम्नांकित विस्तार हुआ है :—

राष्ट्रीय सेनाछात्र दल के सीनियर और जूनियर डिवीजन	लगभग ८०० छात्रसैनिक (कुछ एकक निर्माण प्रक्रम में हैं।)
राष्ट्रीय सेनाछात्र दल राइफल्स . . .	८५,००० छात्रसैनिक
वित्तीय वर्ष के अन्त के पूर्व और भर्ती की संभावना .	४८,००० छात्रसैनिक
अधिकारी प्रशिक्षण एकक . . .	१२५ छात्रसैनिक

आगामी तीन चार महीनों में लगभग १२५ छात्र सैनिक और बढ़ जाने की आशा है।

(२) १९६१–६२ के प्रस्तावों में निम्नांकित विस्तार का उपबन्ध है :—

राष्ट्रीय सेनाछात्र दल सीनियर और जूनियर डिवीजन	२६,५०० छात्रसैनिक
राष्ट्रीय सेनाछात्र दल राइफल्स . . .	४०,००० छात्रसैनिक

रद्दी लोहे का निर्यात

†*३४०. **श्री दामानी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०–६१ में किये गये रद्दी लोहे के निर्यात में १९५९–६० के निर्यात की अपेक्षा वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो इस दिशा में क्या विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). हां, श्रीमान्। १९५९ में २६७,४०० टन रद्दी लोहा निर्यात किया गया था जब कि १९६० में उसका निर्यात ३१४,२९४ टन हो गया है।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

†*३४१. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेक-मरी दल ने स्टील लिमिटेड के प्रबन्ध के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट भेजी है ; और

(ख) क्या भारत सरकार ने उस रिपोर्ट पर विचार कर लिया है और क्या उसकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का पुनर्गठन करने का कोई विचार है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) हां, श्रीमान्।

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने "मैकमरी" नामक प्रबन्ध परामर्शदाता फर्म की सेवायें प्राप्त की थीं और प्रतिवेदन हिन्दुस्तान स्टील को पेश किया जा चुका है। कार्यवाही कम्पनी करेगी जैसाकि वह ठीक समझेगी ।

राष्ट्रीय पुरस्कार

†*३४२. **श्री कुम्भार** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि वे भी जनता द्वारा देश के लिये की गयी विशिष्ट सेवाओं के लिये केन्द्र की राष्ट्रीय पुरस्कार योजना के अनुसार एक योजना प्रारम्भ करें ; और

(ख) यदि हां, तो किस किस राज्य ने यह योजना प्रारम्भ की है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता आन्दोलन योजना

†*३४३. **श्री राम शरण**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता आन्दोलन योजना के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) यह कितने स्थानों पर प्रारम्भ की गयी है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता आन्दोलन भारत सरकार द्वारा फरवरी, १९५६ में चालू किया गया था ।

आन्दोलन के प्रथम वर्ष में भारत सरकार द्वारा समस्त देश के लिये ४०० परीक्षण केन्द्र मंजूर किये गये थे । प्राप्त सूचनाओं के अनुसार देश में इस अन्दोलन का स्वागत हुआ है । आसाम, जम्मू तथा काश्मीर, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्कदीव, अमीनदीव तथा मिनिकाय द्वीपसमूह को छोड़कर समस्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने यह आन्दोलन अपनाया है ।

आन्दोलन के प्रथम वर्ष में हुए अनुभव के आधार पर तथा भौतिक शिक्षा एवं मनोरंजन सम्बन्धी केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड की सलाह पर वर्ष १९६१ से आन्दोलन की नीति बदल दी गई है । पुनरीक्षित नीति की मुख्य विशेषतायें निम्नांकित हैं :

(१) हाई/हायर सेकण्डरी स्कूल और उसके ऊंचे स्तर की समस्त शिक्षा संस्थाओं, मान्यता-प्राप्त जमनेजियम, अखाड़ों, व्यायामशालाओं, खेल क्लबों, आदि में जहां परीक्षण करने के लिये पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हों, परीक्षण केन्द्र खोले जाने चाहिये ।

(२) प्रत्येक परीक्षण केन्द्र में वर्ष में चार बार परीक्षण किये जाने चाहियें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के पुनरीक्षित नीति के अनुसार क्रियान्वयन के लिये आवश्यक हिदायतें जारी की गई हैं।

कोयला खनन कार्य

†*३४४. **श्री आचर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों में कोयला खनन कार्यों को तेज करने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट योजना बनायी है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का व्योरा क्या है ; और

(ग) क्या निगम कोयला खनन कार्य में विदेशी विशेषज्ञों को बुलाना चाहता है और क्या कोयला खनन उद्योग के लिये विशेषज्ञों की प्राप्ति के बारे में कोई विशेष प्रबन्ध कर लिया गया है ?

†**इस्पात, खान और और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को तीसरी पंचवर्षीय योजना में १७० लाख टन अतिरिक्त कोयले का उत्पादन करना होगा। वर्तमान खानों से उत्पादन बढ़ाने के अतिरिक्त निगम, कथरा, रामगढ़, पश्चिम बोकारो व झरिया में कोकिंग कोल के लिये और कुछ अन्य क्षेत्रों में नान कोकिंग कोल के लिये नई खानें खोलने का विचार कर रहा है। इन खानों की वास्तविक स्थिति का निर्णय छिद्रण सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध हो जाने के पश्चात् ही किया जायेगा। इस बीच में निगम द्वारा कोयले के अतिरिक्त उत्पादन का अस्थायी क्षेत्र-वार वितरण और उसका वर्ष-वार प्रावस्था भाजन किया गया है। तदनुसार आयोजन किया जा रहा है।

(ग) निगम की खुली और भूमिगत खानों के कार्य के कुछ कठिन पहलुओं, केन्द्रीय कर्मशालाओं की स्थापना एवं संधारण और कोयला धोने के कारखानों के सम्बन्ध में सहायता करने के लिये विदेशी विशेषज्ञ प्राप्त करने के लिये बातचीत चल रही है। अंतिम अवस्था पर पहुंचने में अभी कुछ समय लगेगा।

भारत में चीनी राष्ट्र जन

†*३४५. { **श्री गोरे** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कोरटकर :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में रहने वाले कितने चीनी राष्ट्रजनों को उनकी अनुचित कार्यवाहियों के कारण देश छोड़ कर चले जाने के लिये कहा गया है ;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों ने निदेश के अनुसार देश छोड़ दिया है, और

(ग) सरकार उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है जो कि उस आदेश के विरुद्ध अभी तक यहां रह रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) ६६.

(ख) चार व्यक्ति देश छोड़ चुके हैं और तीन व्यक्ति शीघ्र ही देश छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं ।

(ग) उनके विरुद्ध विदेशी अधिनियम, १९४६ के उपबन्धों के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जा रही है ।

राजस्थान के जल संसाधनों का सर्वेक्षण

†*३४६. **श्री कर्णीसिंह जी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजस्थान में विशेषतया जोधपुर और बीकानेर डिवीजनों में भूमिगत जल संसाधनों के सम्बन्ध में कोई विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है ?

†**खान और तेल मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)**: राजस्थान के चुने हुए क्षेत्रों की खोज भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा की गई है । खोज के परिणामों का विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा की गई खोजों के परिणाम निम्न प्रकार हैं :

१९५६-५७ में भूमिगत जल के स्त्रोतों के लिये राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, बारमेर, चुरु, सीकर और जोधपुर जिलों के चुने हुए क्षेत्रों की खोज की गई थी। कुल ८०,००० वर्ग मील (२१०,००० वर्ग किलोमीटर) क्षेत्र में दस अनुसंधानात्मक छिद्रण किये गये थे । इन छिद्रणों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

जिला	अनुसंधानात्मक छिद्रणों की संख्या	उत्पादन कुओं में परिवर्तित किये गये कुओं की संख्या
बारमेर . . .	१	
बीकानेर	२	
चुरू	१	..
जैसलमेर	४	१
जोधपुर	१	..
सीकर	१	..
	१०	१

१. चन्धान क्षेत्र : एक ९५० फीट (२८९.५६ मीटर) गहरे परीक्षण कुएं के आधार पर चन्धान क्षेत्र की बड़े पैमाने पर भूमिगत जल के विकास के लिये सिफारिश की गई है । इस परीक्षण

†मूल अंग्रेजी में

कुएं में एक्वाईफर की मोटाई लगभग ६६० फीट (२०१.१५ मीटर) है जिससे ५५,००० अमरीकी गैलन (२१०,००० लिटर) प्रति घण्टे की निकासी है ।

२. **बीकानेर और जोधपुर डिवीजन** : इस क्षेत्र में तीन स्थानों पर छिद्रण किये गये थे जिन में से दो बीकानेर डिवीजन में पालना और रतनगढ़ में थे और तीसरा जोधपुर डिवीजन में रवारा में था। समस्त छिद्रणों को छोड़ दिया गया क्योंकि उपयुक्त एक्वाईफर नहीं निकला ।

पंजाब और उत्तर प्रदेश का तेल सर्वेक्षण

†*३४७. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल निक्षेपों की खोज के लिये उत्तर प्रदेश और पंजाब के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या संभावनायें हैं ; और

(ग) क्या अभी तक तेल के कोई चिन्ह मिले ह ?

†**खान और तेल मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) भूतत्वीय एवं भूभौतिकीय सर्वेक्षण किए जा रहे हैं और कुछ क्षेत्र अंकित किए गए हैं जिनके बारे में अग्रेतर अनुसंधान की आवश्यकता है ।

(ख) अभी कुछ बताना संभव नहीं है ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

उत्तर बिहार का तेल सर्वेक्षण

†*३४८. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल की खोज के लिये उत्तर बिहार के जिलों में सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो बिहार के विभिन्न जिलों के किस-किस स्थान पर सर्वेक्षण कार्य किया गया है ; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**खान और तेल मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) से (ग). बिहार में मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और रैक्सौल में भूकम्पी सर्वेक्षण किए गए हैं । सर्वेक्षण का कार्य अभी भी जारी है और परिणाम उपलब्ध होने में कुछ समय लगेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्र विरोधी गतिविधियां

*३४९. { **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री हेम राज :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री यादव नारायण जाधव : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय के समाचार मिले हैं कि भारत में कुछ साम्प्रदायिक संगठनों की राष्ट्रविरोधी गतिविधियां बढ़ रही हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह समाचार भी मिले हैं कि कुछ पाकिस्तानी नागरिक भी ऐसी प्रवृतियों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस विषय में कोई निर्णय करने जा रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) : (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इंजीनियर और वैज्ञानिक

†*३५०. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार सक्षम इंजीनियरों और वैज्ञानिकों तथा अन्य प्रविधिक कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को सुधारने के सम्बन्ध में एक प्रस्थापना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) :** (क) से (ग). इस प्रश्न पर दूसरे वेतन आयोग ने विचार किया था । आयोग की सिफारिशें भारत सरकार द्वारा सामान्यतः स्वीकार कर ली गई हैं ।

फ्लीट एयर आर्म बेस

†*३५१. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १६ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नौसेना के फ्लीट एयर आर्म बेस की स्थापना के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन) :** अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोलार स्वर्ण क्षेत्र

†*३५२. { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री अमजद अली :
श्री कोडियान :
श्री हेम बरुआ :
श्री दामानी :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री लै० अचौ० सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री कोरटकर :
श्री सिदय्या :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतत्वीय विशेषज्ञों को मैसूर के कोलार स्वर्ण-क्षेत्रों के आस-पास स्वर्ण अयस्क के अन्य निक्षेपों के होने की आशा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या प्रभाव होने की संभावना है ; और

(ग) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि वह सोने की खानों को अपने अधीन ले ले ?

†खान और तेल मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख). स्वर्ण. अयस्क के अन्य निक्षेपों के होने के बारे में जांच के परिणाम अब तक उत्साहजनक नहीं हैं । परन्तु जांच अभी जारी है ।

(ग) मैसूर सरकार ने खानों को केन्द्रीय सरकार से अपने हाथ में लेना स्वीकार कर लिया है और प्रस्ताव विचाराधीन है ।

पुरातत्व विभाग का शताब्दी समारोह

†३५३. { श्री भक्त दर्शन :
श्री नरसिंहन् :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २३ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पुरातत्व विभाग की शताब्दी मनाने के लिये क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य-उपमन्त्री (डा० म० मो० दास) :** केन्द्रीय पुरातत्व विभाग अपने शताब्दी समारोह के सिलसिले में नीचे लिखी तैयारियां कर रहा है :—

(१) एशियाई पुरातत्व पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाना ;

(२) 'इंडिया थ्रू दि एजेज' पर एक प्रदर्शनी ;

(३) केन्द्रीय पुरातत्व विभाग के इतिहास का प्रकाशन ; और

(४) 'रेलिक्स आफ दि पास्ट' नामक ग्रंथमाला का प्रकाशन ।

भारत में पश्चिमी जर्मनी का धन विनियोग

†*३५४. { **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री कुन्हन् : }

क्या **वित्त** मंत्री १६ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में पश्चिमी जर्मनी के धन विनियोग के सम्बन्ध में उस सरकार के साथ की जा रही बात चीत में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**वित्त उपमन्त्री (श्री ब० रा० भगत) :** १६ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न *संख्या* के उत्तर में बताई गई स्थिति ही अभी है ।

कोयले का सम्भरण

†*३५५. **श्रीमती रेणुका राय :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले के संभरण का एक नया तरीका लागू किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). बंगाल, बिहार कोयला खानों से कोयले के यातायात के लिए वैगनों के आवंटन के मामले में एक नई प्रक्रिया अपनाई गई है जिस से उपलब्ध परिवहन क्षमता का पूरा पूरा उपयोग किया जा सके । इस प्रक्रिया के अनुसार कोयला नियंत्रक, रेलवे के वैगनों के प्रतिदिन के आवंटनों के अतिरिक्त एक समय में दस दिन का आवंटन कोयले के लिए करता है । प्रक्रिया की लाभ हानि पर ध्यान दिया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बरसुआ की खानों से लौह अयस्क

†*३५६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरसुआ की यंत्रीकृत खानों से लौह अयस्क के नियमित संभरण का कार्य अब प्रारम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो १ फरवरी, १९६१ तक बरसुआ की यंत्रीकृत खानों से रूरकेला इस्पात कारखाने को कितना लौह अयस्क संभरित किया गया है ; और

(ग) इस समय बरसुआ की खानों से रूरकेला को दिये जा रहे लोह अयस्क का प्रति मीट्रिक टन रेल पर्यन्त निःशुल्क मुल्य क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) क्योंकि यंत्रीकृत संयंत्र अभी प्रारंभिक स्थिति में है इसलिए इतने शीघ्र मूल्य निश्चित करना संभव नहीं है ।

इस्पात के कारखानों में उत्पादन की लागत

†*३५७. { **श्री मुरारका :**
श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीनों इस्पात के कारखानों में तैयार किये जाने वाले विभिन्न उत्पादों के उत्पादन की लागत का हिसाब लगा लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो भारत के अन्य इस्पात के कारखानों की उत्पादन लागत और आयात किये जाने वाले उत्पादों की कीमतों की तुलना में वह कैसी है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो एक लागत अनुभाग स्थापित न करने के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के तीनों इस्पात संयंत्रों में उत्पादन की प्रारंभिक स्थिति है और अभी तक इसके सभी विभाग चालू नहीं हुए हैं । कुछ समय बाद संयंत्र के द्वारा पूरा उत्पादन होने पर लागत का वास्तविक निर्धारण हो सकेगा । परन्तु तीनों इस्पात संयंत्रों में लागत शाखायें स्थापित कर दी गई हैं और लागत लेखा प्रक्रियाओं की क्रियान्विति में पर्याप्त प्रगति हुई है ।

भारतीय विमान-पोत के लिये कर्मचारी

†*३५८. { **श्री हेम राज :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौसेना में सम्मिलित किये गये विमान पोत में काम करने के लिए कितने नवयुवकों को प्रशिक्षण दिया गया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वह कार्य संकटों से भरा हुआ है, विमान पोत में काम करने वाले नवयुवकों को कितना विशेष वेतन दिया जाता है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) इस जानकारी को बताना लोक हित में नहीं है ।

(ख) कोई नहीं ।

पुलिस के कर्मचारियों के लिये आचरण संहिता

†*३५९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री खुशवक्त राय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे देश में पुलिस कर्मचारियों के मूलभूत प्रशिक्षण के भाग के रूप में तयार की गयी व्यापक पुलिस कर्मचारी आचरण संहिता को सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो किस किस राज्य ने उसे अभी तक स्वीकार नहीं किया है ; और

(ग) उसे कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) से (ग) : पुलिस कर्मचारी आचरण संहिता में निहित आचरण के मूलभूत सिद्धांतों का स्तर ऊंचा रखने के लिए उसको राज्य सरकारों को विचारार्थ परिचालित कर दिया गया है । यह पता लगा है कि पश्चिम बंगाल सरकार उस पर विचार कर रही है और अन्य सभी राज्यों ने उसको लागू कर दिया है ।

धर्म प्रचारकों से अघोषित वस्तुओं का पकड़ा जाना

†*३६०. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, १९६० में किसी दिन बम्बई सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने दो रेवरेन्ड फादर्स और तीन रेवरेन्ड सिस्टर्स को गिरफ्तार किया था और उनसे लगभग २ लाख रुपयों की अघोषित वस्तुएं पकड़ ली थीं ;

(ख) क्या बाद में उन्होंने उन वस्तुओं के लिये लाइसेन्स ले लिये थे और अपनी वस्तुएं छुड़ा ली थीं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो उन पकड़ी गयी और बाद में वापस की गयी वस्तुओं का व्योरा क्या है ?

†**वित्त उपमन्त्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) बम्बई सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने दो रेवरेंड फादर्स तथा तीन रेवरड सिस्टर्स द्वारा, १४ अक्तूबर, १९६० को लायी गई १,०५,४०० रुपये की वस्तुओं को जब्त कर लिया था क्योंकि यह सभी वस्तुएं अघोषित थीं ।

(ख) इन व्यक्तियों द्वारा आयात लाइसेंस तथा सीमा शुल्क निष्कासन प्रमाण पत्र दिखाने पर निष्कासन की अनुमति दे दी गई थी । सीमा शुल्क अधिनियम की धारा १६७ (३७) के अधीन वस्तुओं की घोषणा न करने के लिए एक व्यक्ति पर २५० रुपये तथा अन्य प्रत्येक व्यक्ति पर १००० रुपये का जुर्माना किया गया ।

(ग) वस्तुओं की पांच सूचियां सभा पटल पर रखी जाती हैं । **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८९]**

इस्पात का संधारण मूल्य

†*३६१. **श्री त्यागी : क्या इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १ अप्रैल, १९६१ से इस्पात के संधारण मूल्य को अस्थायी रूप से २५ रुपये प्रति टन बढ़ा देने का निर्णय किया है ;

(ख) संधारण मूल्य में प्रस्थापित वृद्धि कर देने के बाद इस्पात का प्रति टन औसत अधिकृत विक्रय मूल्य क्या होगा ;

(ग) जब से पहली बार अधिभार (सरचार्ज) लगाया गया है तब से इस्पात समानीकरण निधि से प्रतिवर्ष कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ है; और

(घ) इस में से कितनी राशि का उपयोग आयात किये गये इस्पात पर होने वाली वार्षिक हानि को पूरा करने के लिये किया गया और कितनी राशि संचित निधि में जमा की गई ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) १-४-१९६० से इस्पात के औसत संधारण मूल्य प्रति टन लगभग ४५ रुपये बढ़ गये हैं । यह एक दम अस्थाई हैं और प्रशुल्क आयोग की सिफारिशें मिल जाने के बाद इनमें समायोजन हो सकेगा । प्रशुल्क आयोग को अलग से लिख दिया गया है ।

(ख) संधारण मूल्य बढ़ जाने के कारण इस्पात के विक्रय मूल्य नहीं बदले गये हैं क्योंकि यह मूल्य परिनियत हैं । परन्तु काली चादरों तथा सफेद चादरों के मूल्य अलग से बढ़ा दिये गए हैं । संधारण मूल्यों के परिवर्तन पर विक्रय मूल्य हमेशा नहीं बदल दिए जाते हैं ।

(ग) समानीकरण निधि से प्रत्येक वर्ष कुल प्रौद्भूति का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९०]**

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इस्पात के आयात में सहायता देने के लिये १९४३–४४ से १९६०–६१ में ४५.१२ करोड़ रुपये की राशि उपयोग किया गया है। लोहा और इस्पात समानीकरण निधि से लेनदेन १–४–१९५७ से भारत की संचित निधि से ही किया जाता है।

जबलपुर में दंगे

†३६२. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री आसर :
श्री वीरेन्द्र बहादुरसिंह जी :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री वाजपेयी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जबलपुर में दंगा दबाने के लिये फरवरी, १९६१ के प्रथम सप्ताह में सेना बुलाई गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो सेना ने क्या सहायता दी ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जबलपुर के असैनिक अधिकारियों की प्रार्थना पर सेना ने नगर में शान्ति और शासन बनाये रखने में नियत प्रणाली और प्रथा के अनुसार उनकी सहायता की।

(ख) सैनिक दलों ने अशांत क्षेत्रों में भ्रमण किया, चौकियां स्थापित कीं, और दो बार, बिना बल के प्रयोग के, जन समूहों को हटाया।

दार्जिलिंग और सिक्किम में नेपाल सरकार के पर्चे

†*३६३. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल में नरेश द्वारा राज्य शासन अपने हाथ में लिये जाने के समर्थन में नेपाल सरकार द्वारा प्रकाशित पर्चे दार्जिलिंग और सिक्किम में बांटे गये थे; और

(ख) यदि हां, तो किस अभिकरण ने यह काम किया था और क्या नेपाल की वर्तमान सरकार ने इस सम्बन्ध में भारत सरकार को सूचित किया था ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) और (ख). यह सच है कि कुछ पर्चे दार्जिलिंग में बांटे गये थे। हमें इसकी जानकारी नहीं है कि सिक्किम में ऐसा किया गया था।

†मूल अंग्रेजी में

ऐसा मालूम होता है कि यह पर्चे सत्त बीर लामा द्वारा बितरित किए गए थे जो नेपाल सरकार के अधीन इल्लामा और झापा (मदुपुर) के बड़ा हाकिम हैं। उनका व्यापार दार्जिलिंग में भी है।

असाम द्वारा चाय के उत्पादन शुल्क में वृद्धि का सुझाव

†*३६४ { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० के देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने भारत सरकार को यह सुझाव दिया है कि चाय पर उत्पादन शुल्क में एक आना प्रतिमन की वृद्धि कर दी जाये ताकि राजस्व के उस संभावित घाटे को पूरा किया जा सके जो चाय के वहन-कर को अवैध ठहराने वाले उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप आसाम को होगा ; और

(ख) यदि हां, तो, सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वित्त उप-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दुर्गापुर के इस्पात कारखाने का विस्तार

†*३६५ { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री उस्मान अली खाँ :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर के इस्पात कारखाने के विस्तार के लिये ऋन प्राप्त करने के लिये चल रही बातचीत पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के विस्तार के लिए ऋण प्राप्त करने के लिये बातचीत अभी पूरी नहीं हुई हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय आर्थिक सेवा तथा भारतीय सांख्यिकीय सेवा

†*३६६ { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री अ० मु० तारिक :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री पांगरकर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १६ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय आर्थिक सेवा तथा भारतीय सांख्यिकीय सेवा स्थापित करने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : दोनों सेवाओं के लिये नियमों के प्रारूप में कुछ संशोधन किए गए हैं जो संघलोक सेवा आयोग के परामर्श से विचाराधीन है। नियमों पर अन्तिम निर्णय लिये जाने के बाद इन नियमों को लागू करने के लिय सरकार की स्वीकृति ली जायेगी।

गुरुकुलों को वित्तीय सहायता

†*३६७. { **श्री रामेश्वर टांटियां** :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री भक्त दर्शन : }

क्या **शिक्षा** मंत्री १६ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुरुकुलों को वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

(ख) इस मामले पर केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड की सिफारिशें सभा पटल पर रखी जाती हैं। **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६१]**

(ग) बोर्ड की सिफारिशें सरकार ने स्वीकार करली हैं और गुरुकुलों से कहा गया है कि अपनी आवश्यकतायें भेजें।

भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि के लिये मौखिक परीक्षा

†३६८ { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री राम कृष्ण गुप्त : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १६ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षाओं में मौखिक परीक्षा के लिये रखे गये अंकों को कम करने के प्रश्न के बारे में इस बीच निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

आसाम के शरणार्थी

†*३६९ { श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने भारत सरकार से पश्चिमी बंगाल में आये हुये आसाम के शरणार्थियों के पुनर्वास के सिलसिले में वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) कितनी सहायता दी गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) से (ग). पश्चिम बंगाल सरकार से यह अनुरोध मिला है कि आसाम के हाल के दंगों के कारण उस राज्य में आये व्यक्तियों के पालन पोषण के लिये सरकार द्वारा व्यय किए गए धन का कुछ अंश केन्द्रीप सरकार को वहन करना चाहिये। भारत सरकार इस अनुरोध पर विचार कर रही है।

दिल्ली में पटाखों का विस्फोट

†*३७ { श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री खुशवक्त राय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम राज :
श्री आसर :
श्री पहाड़िया :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री वाजपेयी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री अमजद अली :
श्री प्र० के० देव :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १० जनवरी १९६१ को पार्लियामेंट स्ट्रीट और कनाट सर्कस के चौराहे के निकट बड़े धमाके के साथ फटने वाले एक पटाखे से तीन व्यक्ति घायल हो गये थे ;

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यह पटाका किस प्रकार का था ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है ; और

(घ) नवम्बर, १९६०, दिसम्बर, १९६० तथा जनवरी १९६१ में दिल्ली और नई दिल्ली में विस्फोट के ऐसे कितने मामले हुए थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) १० जनवरी १९६१ को ७ म०प० पार्लियामेंट स्ट्रीट पर रीगल बिल्डिंग के निकट बस स्टेंड पर एक पटाखा फटा जिससे तीन व्यक्तियों के थोड़ी चोटें आई।

(ख) यह बताया गया कि यह फेंक कर फटने वाला पटाखा था जिसमें पोटासियम क्लोरेट तथा आरसनिक सल्फाइड का मिश्रण एक कपड़े में जूट से बांधा हुआ था।

(ग) इसके बारे में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

(घ) नवम्बर तथा दिसम्बर १९६० में दिल्ली में कोई विस्फोट नहीं हुआ। जनवरी १९६१ में ८ पटाखे फटे थे। उनकी जांच हो रही है।

सरकारी कर्मचारियों के धन सम्बन्धी विवरण

†*३७१. **श्री त्यागी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने सभी कर्मचारियों से प्रतिवर्ष धन सम्बन्धी विवरण मांगे जाते हैं ; और

(ख) क्या उन विवरणो में उनके पुत्रों, पुत्रियों और दामादों या बहुओं के उस रोजगार की शर्तें भी सम्मिलित होती हैं जोकि उन्होंने ठेकों, अभिकरणों या सेवा के रूप में सरकार से या किन्हीं ऐसी गैर-सरकारी फर्मों से प्राप्त किया हो जिनका सीधे ही उस विभाग से सम्बन्ध है जिसमें वह कर्मचारी काम करता है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी नहीं। अचल सम्पत्ति के विवरण प्रतिवर्ष केवल प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारियों से लिये जाते हैं।

(ख) जी नहीं।

हिन्दी शार्टहैन्ड और टाइपराइटिंग शिक्षक

†*३७२. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री ब्रजराज सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग ने हिन्दी शार्टहैन्ड और "हिन्दी टाइपराइटिंग शिक्षकों" के कुछ पदों के लिये विज्ञापन दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय ने इन्हीं पदों को भरने के लिये अपने स्तर पर १४ फरवरी, १९६१ को एक परीक्षा ली थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो क्या इन पदों के लिये समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिया गया था या विभिन्न मंत्रालयों को कोई परिपत्र भेजा गया था या भारत सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले उन सभी स्टेनोग्राफरों को, जो इन पदों के लिये अर्ह थे, बुलाना आवश्यक समझा गया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो किस कसौटी के आधार पर उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने के लिये बुलाया गया था और वे कहां कहां से आये थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित भरती के समय तक अस्थायी रूप से एक पद के लिए १४ फरवरी, १९६१ को एक परीक्षा ली गई थी।

(ग) और (घ). नियोजन तथा प्रशिक्षण के महानिदेशक तथा उत्तर प्रदेश बिहार व राजस्थान की राज्य सरकारों को उपयुक्त व्यक्तियों के नाम भेजने के लिए लिखा गया था। इससे पूर्व भारतीय सरकार के स्थापना अधिकारी के कार्यालय को भी केन्द्रीय सचिवालय से उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम भेजने को लिखा गया था। उम्मीदवारों से कुछ प्रार्थना पत्र सीधे भी प्राप्त हुए हैं। परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों के नामों को विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

क्रमांक	नाम	स्थान
१.	हित सरन शर्मा	नई दिल्ली
२.	पी एन० महरा	अजमेर
३.	प्रेम प्रकाश भारगवा	जयपुर
४.	एम० सी० गुप्ता	सव ही माधोपुर
५.	हरी राम अग्रवाल	अजमेर
६.	यमुना प्रशाद सिंह	कलकत्ता
७.	मोहन लाल शर्मा	अजमेर
८.	वी० के० खन्ना	नई दिल्ली
९.	एच० सी० श्रीवास्तव	अहमदाबाद
१०.	कन्हैया लाल शर्मा	अजमेर

चीन द्वारा रेडियो प्रसारण में बाधा

†*३८०. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री ८ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के केन्टोनीज़ तथा क्योयू भाषा के प्रसारणों के दौरान अनुभूत बाधाओं के बारे में की गई जांच के क्या परिणाम हुए ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह बाधा मूलतः कहां से उत्पन्न होती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो बाधा के मूलस्थान की खोज करने के बारे में क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) सितम्बर, १९६० से आकाशवाणी के केन्टोनीज़ तथा क्योयू भाषा के प्रसारणों के दौरान अनुभूत बाधाओं की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। इस सेवा के श्रवण के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

चेकोस्लोवेकिया को लौह-अयस्क का निर्यात

†*३८४. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री नारायणन कुट्टि मेनन :
श्री पांगरकर :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम चेकोस्लोवेकिया द्वारा अयस्क क्रिय किये जाने के बारे में वहां की सरकार के साथ बातचीत कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बातचीत समाप्त हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). १९६१ में लौह-अयस्क देने के बारे में राज्य व्यापार निगम तथा चेकोस्लोवेकिया के मैसर्स मैटालीमैक्स के बीच बातें समाप्त हो गई हैं। ऐसी कोई विशेष बात नहीं हुई है जो सभा को बताई जाये।

सस्ते रेडियो

†*३८५. **श्री आसर :**
श्री वाजपेयी :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सस्ते रेडियो बनाने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सस्ते रेडियो बाजार में उपलब्ध हैं ;

(ग) यदि हां, तो इन रेडियो के निर्माता का क्या नाम है एवं इसका मूल्य क्या है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या उस रेडियो का परीक्षण एवं प्रमापीकरण भारतीय मानक संस्था द्वारा किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) कितने ही रेडियो निर्माताओं ने सस्ते रेडियो बनाना आरम्भ कर दिया है और अन्य निर्माताओं ने १९६१ में नियमित रूप से बनाने की योजनायें बना ली हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जिन रेडियो निर्माताओं ने सस्ते रेडियो बनाना आरम्भ कर दिया है उनके नाम नीचे दिए जाते हैं :—

१. मैसर्स आई० आर० पी० (रेडियो) प्राइवेट लिमिटेड बम्बई—१२

२. मैसर्स ईस्टर्न इलैक्ट्रानिक्स, फरीदाबाद

३. मैसर्स इण्डियन प्लास्टिक्स लिमिटेड बम्बई—६७

४. मैसर्स मूलचन्दानी रेडियो एण्ड इलैक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई

५. मैसर्स एस० पी० ग्रामोफोन, जालन्धर

६. मैसर्स नेशनल रेडियो कारपोरेशन, पानीपत
७. मैसर्स मैकैन्जी फिलिप (इंडिया) प्राइवेट लिमिटड दिल्ली—६
} ये दोनों फर्में छोटे पैमाने के यूनिट हैं।

उपभोक्ताओं के लिए स्थानीय बिक्री कर के अतिरिक्त सस्ते रेडियो की कीमत १२५ रुपये है।

(घ) यह आवश्यक नहीं है तथा भारतीय मानक संस्था इस काम को करती भी नहीं है।

सूती वस्त्र का उत्पादन

†३८६. { **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूती कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मिलों की प्रार्थना सरकार ने स्वीकार नहीं की है ;

(ख) क्या यह सच है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में सूती कपड़े के उत्पादन का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे देखते हुये कपड़े की कमी बनी रहेगी ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने सूती कपड़े की कमी को दूर करने का क्या उपाय सोचा है ?

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग). एक विवरण सभा की मेज़ पर रखा जाता है।

विवरण

तीसरी पंचवर्षीय योजना में सूती कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य ६ अरब ३० करोड़ गज रहने का विचार है। इस प्रकार दूसरी योजना के अन्त समय जितना उत्पादन स्तर था उसके मुकाबले २ अरब १० करोड़ गज के लगभग वृद्धि होगी। सब की राय यह है कि यह लक्ष्य वास्तविक है और आशा है कि इससे तीसरी योजना की अवधि में कपड़े की मांग पूरी हो सकेगी। निम्नलिखित उपाय करने से इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रस्ताव है :—

(१) मिल के कताई क्षेत्र का इतना विस्तार करना जिससे २ अरब २५ करोड़ पौण्ड सूत के सम्भरण को सुनिश्चय किया जा सके जिसकी आवश्यकता ६ अरब ३० करोड़ गज़ कपड़ा तैयार करने के लिये होगी ;

(२) विकेन्द्रित क्षेत्र में गहन कार्य करना ;

(३) मिल के बुनाई विभाग का कुछ विस्तार करना।

प्रशासकीय प्रक्रिया का पुर्नविलोकन

†*३८७. **श्रीमती रेणुका राय :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के भूतपूर्व उपाध्यक्ष, श्री वी० टी० कृष्णमाचारी, को प्रशासकीय प्रक्रिया एवं प्रथा के पुर्नविलोकन का काम दिया गया है ताकि उनमें सुधार किया जा सके ;

(ख) क्या उन्होंने अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) अक्तूबर १९६० में योजना आयोग के अनुरोध पर श्री वी० टी० कृष्णमाचारी ने राज्यों में प्रशासन को मजबूत बनाने की दो प्रकार की समस्याओं का अध्ययन करना स्वीकार कर लिया था। यह समस्यायें १. तीसरी योजना की क्रियान्विति से संबंधित राज्यों के विभिन्न स्तरों के प्रशासनिक कर्मचारियों, और

२. जिले और खण्ड स्तर पर लोकतंत्रीय संस्थाओं को बनाने के कारण जिले के प्रशासन में उत्पन्न मामलों, के सम्बन्ध में है।

(ख) और (ग). यह एक सामान्य जांच नहीं है और न ही श्री वी० टी० कृष्णमाचारी इसके बारे में कोई रिपोर्ट सरकार को देंगे। इन अध्ययनों से योजना आयोग को विकास योजनाओं की क्रियान्विति में प्रशासनिक कार्यपटूता और सुधार करने में सहायता मिलेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्वी अफ्रीका में भारतीय

†*३८८. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री यादव नारायण जाधव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दारेस सलाम से प्रकाशित "तांगानीका हैरल्ड" समाचार पत्र के सम्पादक श्री वी० आर० बोल, के अभी हाल में प्राप्त उस पत्र की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें उन्होंने उस क्षेत्र में रहने वाले भारतीय उद्भव के लोगों की स्थिति का वर्णन किया है ;

(ख) क्या वहां की वर्तमान दशाओं को ध्यान में रख कर उस पत्र की जांच की गई है; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या नीति अपनाई है ?

†**वैदेशिक-कार्य उप-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) से (ग). गत अगस्त में श्री वी० आर० बोल, दारेस्सलाम से प्रकाशित "तागानीका हैरल्ड" के सम्पादक ने तांगानीका में रहने वाले भारतीयों के भविष्य के बारे में प्रधान मंत्री को लिखा था। श्री बोअल को उत्तर दिया गया था कि भारत सरकार निश्चित रूप से भारतीयों के हितों की रक्षा के लिये उत्सुक है। भारत हमेशा अफ़्रीकी जनता की स्वतंत्रता का पक्षपाती रहा है और इसीलिए वहां पर हो रहे परिवर्तनों का स्वागत करता है। भारतीयों को स्थिति का सामना साहस से करना चाहिये और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अफ़्रीकी आन्दोलन से सहानुभूति रखनी चाहिए।

माडर्न सतग्राम कोलियरी

†*३८९. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माडर्न सतग्राम कोलियरी, आसनसोल से नवम्बर, १९६० में निकाले गये सभी कर्मचारी काम पर वापस ले लिये गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो कितनों को काम पर नहीं लिया गया है ;

(ग) क्या उनका मामला विवाचन के लिये भेजा गया है; और

(घ) क्या विवाचक ने अपना निर्णय दे दिया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) से (घ). कोयला खान के प्रबन्ध ने किसी भी कर्मचारी को नवम्बर, १९६० में नहीं निकाला था। परन्तु अक्तूबर-नवम्बर, १९६० में कोयला खान में दंगे होने के कारण कुछ कर्मचारियों को पद्च्युत किया गया था। उनको पुनः काम पर लगाने के प्रश्न पर विचार हो रहा है। यदि समझौता नहीं हुआ तो दोनों पक्षों के अनुसार प्रादेशिक श्रम आयुक्त (इम्प) अपना पंचाट दे देगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमेंट के कारखाने

†*३९०. { **श्री हेमराज :**
श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में सीमेंट के कितने कारखाने लगाये जायेंगे, और

(ख) वे किन स्थानों पर लगाये जायेंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९२]**

श्री राजेश्वर दयाल की वापसी

†*३९१. { **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री न० रा० मुनिस्वामी : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगो सरकार ने अभी हाल में संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव के कांगो में विशेष प्रतिनिधि, श्री राजेश्वर दयाल, को वापस भेजने की मांग की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग ने उनके कार्य पर कैसा प्रभाव डाला ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) से (ख). सरकार ने ऐसे समाचार देखे हैं कि प्रेज़ीडेंट कासाबु ने श्री राजेश्वर दयाल को वापस बुलाने की मांग की है क्योंकि उन पर से कांगो की जनता और अधिकारियों का विश्वास उठ गया है। इस सम्बन्ध में प्रेजीडेंट कासावूबु तथा राष्ट्र संघ के महासचिव के बीच हुआ पत्र व्यवहार भी प्रकाशित हो चुका है। राष्ट्रसंघ के महासचिव ने अपने उत्तर में स्पष्टत: बता दिया है कि श्री दयाल कांगो में महासचिव के विशेष प्रतिनिधि हैं और कांगो की सरकार के लिये राजनयिक प्रतिनिधि नहीं है। इसलिये उनको वापस बुलाने की मांग नहीं की जा सकती है। श्री दयाल अब भी कांगो में महा सचिव के विशेष प्रतिनिधि हैं।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के महासचिव के बंगले की मरम्मत

†*३९२. **श्री त्यागी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के महासचिव को नई दिल्ली में रहने के लिये जो बंगला मिला है उस में काफी मरम्मत करनी पड़ी थी ;

(ख) यदि हां, तो मुख्य रूप से क्या क्या मरम्मत की गई और उस पर कितना व्यय हुआ; और

(ग) अतिरिक्त वस्तुओं (फर्निशिंग्स) की व्यवस्था करने पर कितना खर्च हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

क्लाइव रोड, नई दिल्ली का बंगला संख्या १ वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के महासचिव के लिए आवंटित किया गया है । इस में पहले स्वास्थ्य सचिव रहते थे । उनके मकान में आने से पहले यह आवश्यक समझा गया कि उसकी मरम्मत करा दी जाये क्योंकि बाद में उसकी मरम्मत करने में कठिनाई हो सकती थी । यह एक पुर ाना मकान है और अन्य पुराने मकानों की भी इसी प्रकार की मरम्मत होनी आवश्यक है । मरम्मत में लगभग १५.६९५ रुपये लगे ।

यह बताना भी आवश्यक है कि बंगले में कुछ परिवर्तन करने भी आवश्यक थे । इन परिवर्तनों के लिये १४,००० रुपये स्वीकार किए गए थे ।

११,८८० रुपये के फर्नीचर की भी स्वीकृति दी गई थी । "ए" क्लास बंगलों के लिए लिया जाने वाला किराया ही इनसे लिया जायेगा ।

श्री राजेश्वर दयाल के विरुद्ध आरोप

†*३९३. **श्री हेम बरुआ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ समझौता आयोग के अध्यक्ष, श्री जाजा ए० बछूकू, तथा उपाध्यक्ष, मोहम्मद सोपी, ने कांगो में श्री रामेश्वर दयाल द्वारा काम करने के ढंग के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे आरोप क्या हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) और (ख). सरकार को समाचार पत्रों से ऐसे समाचार मिले हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ समझौता आयोग के अध्यक्ष श्री जाजा ए० वछूकू तथा उपाध्यक्ष मोहम्मद सोपी ने, राष्ट्र संघ के महासचिव के जनवरी , १९६१ में कांगो आने पर, श्री दयाल के विरुद्ध कुछ निराधार आरोप लगाये थे । सर्वविदित है कि श्री दयाल कांगो में महासचिव के प्रतिनिधि के रूप में एक अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं । इसीलिये सरकार को इन आरोपों को कोई सरकारी जनकारी नहीं है और न ही इन मामलों को वह महत्व देती है ।

भारत-बर्मा सीमा सम्मेलन

†*३९४. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १० से १२ जनवरी, १९६१ को मोरह में जिला पदाधिकारियों के स्तर पर हुए भारत-बर्मा सीमा सम्मेलन में कोई सीमा सम्बन्धी विवाद रखा गया था;

(ख) क्या उस सम्मेलन में लोकचाओ सीमा चौकी के झगड़े का निपटारा हो गया है ;

(ग) क्या नागाविद्रोही कार्यवाहियां तथा टीक लकड़ी सम्बन्धी झगड़े के बारे में भी चर्चा हुई थी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) उस सम्मेलन के क्या परिणाम हुए ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) से (घ). कोई सीमा विवाद नहीं है। समय-समय पर भारत और बर्मा के जिला अधिकारी मिल कर आपसी हित के प्रश्नों पर विचार करते हैं। जनवरी, १९६१ में बर्मा सरकार और मनीपुर प्रशासन के जिला अधिकारी मोटेह में मिले थे। उन्होंने अन्य मामलों के साथ-साथ इस बात को स्वीकार किया था कि मोटेह के निकट भारत और बर्मा के बीच सीमा लोकचंग नदी के बीच की रेखा है इसलिए लोकचंग नदी के भारतीय तट की चौकी को पुल के बीच में ले जाया जा सकता है। उनका यह विचार भी था कि यदि वर्तमान अस्थाई सीमा खंभों को स्थायी बना दिया जावे तो एक सीमा से दूसरी सीमा में आ जाने वाले किसानों को आसानी से रोका जा सकेगा और लकड़ी" अनधिकृत रूप से नहीं ले जाई जा सकेगी। मोटेह में बेली पुल के लोहे के टुकड़े को हटाने तथा बर्मा प्रदेश में सड़क निर्माण करने पर चर्चा हुई और निर्णय कर लिया गया कि तामू-कलेवा रोड जो २½ मील की है बनाई जाये। नागा विद्रोहियों के कार्यों के बारे में कोई बातचीत नहीं की गई थी।

टैगोर शताब्दी

†*३९५. **श्री कालिका सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायल इंडिया, पाकिस्तान एण्ड सीलोन सोसाइटी आफ ब्रिटेन ने मई, १९६१ में सारे देश में मनाई जाने वाली गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की जन्म शताब्दी सम्बन्धी उत्सवों में भाग लेने के लिये योजना बनाने में प्रमुख भाग लिया है; और

(ख) शताब्दी के सिलसिले में और कौन से दूसरे देश इस प्रकार के उत्सव मनाने का प्रबन्ध कर रहे हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). भारत सरकार को यह ज्ञात नहीं है कि समस्त ब्रिटेन में ऐसे किसी उत्सव का आयोजन किया है। रायल इंडिया, पाकिस्तान एण्ड सीलोन सोसाइटी १२ और १३ मई को लन्दन में कार्यक्रम का प्रबन्ध कर रही है।

टैगोर शताब्दी समारोह कई देशों में मनाया जा रहा है।

श्री सी० डी० देशमुख द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप

†*३९६. { **श्री प्र० के० देव** :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री सी० डी० देशमुख द्वारा बताये गये कथित भ्रष्टाचार के मामले परीक्षण के लिये भारत के भूतपूर्व—न्यायाधीश, श्री एस० आर० दास, को सौंपे गये थे ;

(ख) क्या परीक्षण समाप्त हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) जी, हां । श्री सी० डी० देशमुख द्वारा श्री एस० आर० दास को एक मामला सौंपा गया था ।

(ख) और (ग). श्री एस० आर० दास ने इस मामले का परीक्षण करने का कष्ट किया और वे इस निष्कर्ष तक पहुंचे हैं कि मामले में तथ्य की कमी है ।

कलकत्ता का विकास

†*३९७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री प्र० गं० देव :
श्री प्र० के० देव :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री विमल घोष :
डा० विजय आनन्द :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता नगर के विकास सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है, और क्या इसे आगामी योजना में सम्मिलित कर लिया गया है ;

(ख) क्या विश्व बैंक से रुपया मांगा गया है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार पी० एल० ४८० निधि में से इस कार्य के लिये कुछ धन देने के लिये सहमत नहीं है ;

(घ) यदि नहीं, तो फिर इस के लिये कितना धन नियत किया जायेगा ;

(ङ) क्या जिस अभिकरण को यह कार्य सौंपा जा रहा है उस के बारे में व्यौरे तैयार कर के लिये अमरीकी विशेषज्ञ भेजे जा रहे हैं ; और

(च) क्या अमरीकी विदेशी भी इस बोर्ड के सदस्य होंगे ; यदि हां, तो उनके क्या अधिकार होंगे ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) से (च). कलकत्ता नगर सम्बन्धी समस्याओं पर पश्चिमी बंगाल तथा भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस संबंध में कुछ बातों का अध्ययन किया भी जा चुका है । कलकत्ता के लिये एक वृहद्योजना बनाने के कार्य में सहायता देने की दृष्टि से फोर्ड फाउंडेशन से निवेदन किया गया है कि वह विशेषज्ञों का एक दल यहां भेजे । इस सम्बन्ध में राशि के लिये विश्व बैंक या और किसी भी अभिकरण से अभी तक प्रार्थना नहीं की गयी है । फिर भी तृतीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय परिव्यय में १० करोड़ रुपयों की व्यवस्था की जा रही है और अनुमान है कि पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा भी इस के लिये राशि निर्धारित की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चाय का निर्यात

†*३९८. { **श्री अगाड़ी :**
श्री वोडियार :
श्री सुगंधि :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री क० उ० परमार :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता से निर्यात की जाने वाली चाय की नीलामी एवं उसकी दलाली के काम का एकाधिकार एक प्रकार से कुछ गैर-सरकारी भारतीय सार्थों के ही हाथ में है जो जान बूझ कर भारतीयों को इस व्यापार में आने से रोकते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो चाय के निर्यात के लिये उसकी नीलामी एवं दलाली के प्रबन्ध के विस्तार के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय के प्रचार एकक

†*३९९. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के प्रचार एकक कितने तथा किन-किन देशों में कार्य कर रहे हैं ;

(ख) भारत-चीन सीमा सम्बन्धी झगड़ों के बारे में इन एककों ने वर्ष १९६० में क्या प्रचार सामग्री तैयार की है तथा वितरित की है ; और

(ग) इन एककों द्वारा भारत के मामले के बारे में तथा भारत-चीन सीमा सम्बन्धी झगड़ों के सम्बन्ध में भारत द्वारा अपनाई गयी नीति के बारे में विदेशों में जनमत बनाने के लिये और किन-किन "संचार साधनों" का उपयोग किया गया ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

नेपाल में बन्दी भारतीय

†*४००. {श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ५ फरवरी, १९६१ के "हिन्दुस्तान टाइम्स" नामक समाचार पत्र के पृष्ठ ७, स्तम्भ ८ में "नैपाल में चार भारतीय बन्दी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस में जो तथ्य बताये गये हैं क्य वे सच हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार के समाचारों के प्रकाशन से फैलने वाली भ्रांति को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) से (ग). दी गयी जानकारी सच है । एक भारतीय राष्ट्रजन तथा उसका पुत्र और दो पुत्रियां नेपाल में दाखिल हो गये थे और जिस समय वे कुछ इश्तहार बांट रहे थे उस समय उन्हें गिरफ्तार किया गया ।

अन्तर्राष्ट्रीय आण्विक अभिकरण द्वारा प्रस्ताविक परित्राण

†*४०१. {श्री गोरे :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय आण्विक अभिकरण ने सदस्य-राष्ट्रों को विखंडनीय सामग्री के संभरण हेतु प्रविधिक सहायता देने के लिये क्या परित्राण प्रस्तावित किये थे ; और

(ख) क्या यह सच है कि भारत ने उन परित्राणों को इसलिये स्वीकार नहीं किया है कि उन से हमारे देश की प्रभुता का उल्लंघन होता था ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) सभा-पटल पर संकल्प संख्या जी० सी० (४) /आर० ई० एस० / ७१ की एक प्रति और पत्र संख्या जी० सी० (४) / १०८/ आर० ई० वी० १ की एक प्रति रखी गई है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय आण्विक शक्ति अभिकरण द्वारा सितम्बर-अक्तूबर, १९६० में इसकी चतुर्थ महा सम्मेलन में स्वीकार किये गये परित्राणों सम्बन्धी अपेक्षाओं और कार्यान्विति के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालता है । पुस्तकालय में रखा गया । **[देखिये संख्या एल० टी० २६८६/६१]**

(ख) भारत ने उसकी स्वीकृति के विरुद्ध मत दिया था क्योंकि उसकी कार्यान्विति का उन देशों पर प्रभाव पड़ेगा जो कि उस अभिकरण से सहायता चाहते हैं । परन्तु उसका उन औद्योगिक तथा आण्विक उन्नत देशों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जिन्हें अभिकरण की सहायता की आवश्यकता नहीं है । इसलिये उनका कम औद्योगिक उन्नत

---

†मूल अंग्रेजी में

देशों पर अधिक भार पड़ेगा और इस प्रकार से उसका भेदभावपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और उस से उन्नत और कम उन्नत देशों में बड़ा अन्तर उत्पन्न हो जायेगा ।

मध्य प्रदेश में अल्युमिनियम संयंत्र

†*४०२. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक गैर-सरकारी सार्थ ने भारत सरकार से मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट एक अल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना करने की इच्छा प्रकट की है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). उस फर्म से उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, १९५१ के अधीन मध्य प्रदेश में (अन्नपुर में या कोरबा के निकट) एक स्विस फर्म के सहयोग से एक २०,००० टन अल्यूमिनियम स्मेल्टर स्थापित करने के लिये एक लाइसेन्स के लिये प्रार्थना प्राप्त हुई है । वह प्रार्थना अभी विचाराधीन है ।

हथकरघा बुनकरों को छूट

†*४०४. **श्री तंगामणि :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन हथकरघा में बुनकरों को भी छूट देने का है जो साड़ियां बुनने के लिये जर्मनी से आयातित नकली रेशम का धागा प्रयोग में लाते हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस प्रकार की साड़ियों की बहुत खपत है और मद्रास राज्य के बहुत से बुनकर इस प्रकार की साड़िया तैयार करते हैं ; और

(ग) क्या मद्रास के हथकरघा बुनकर संगठनों की ओर से इस बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). जी, नहीं ।

अमजोर पाइराइट्स से गंधकनिर्माण

†*४०५. { **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमजोर पाइराइट्स से गन्धक का निर्माण किये जाने से सम्बन्धित प्रस्थापना की जांच पूरी हो गयी है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) पाइराइट्स तथा जिप्सम से बनाई जाने वाली गन्धक की तुलनात्मक उत्पादन लागत क्या होगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

नार्वे के मैसर्स ओरकला के कारखाने में गन्धक के निर्माण के लिये कमज़ोर पाइराइट्स के संबंध में हाल ही में कुछ प्रारम्भिक परीक्षण किये गये हैं। इन परिक्षणों से यह ज्ञात हुआ है कि किन्हीं निश्चित निर्णयों तक पहुंचने से पहले अधिक विस्तृत पैमाने पर परीक्षण करने की आवश्यकता है । नार्वे की फर्म से इस बारे में बातचीत चल रही है । यदि ये परीक्षण संतोषजनक सिद्ध हुए तो अधिक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मांगी जायेगी ।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद ही पाइराइट्स से गन्धक के उत्पादन की लागत का वास्तविक अनुमान लगाया जायेगा । फिर भी यह अनुमान है कि जिप्सम से गन्धक के उत्पादन की लागत पाइराइट्स से गन्धक के उत्पादन की लागत से बहुत अधिक होगी।

सरकारी उपक्रम

†*४०६. **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री आचार :
श्री सम्पत :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन सरकारी उपक्रमों को, जो अपने लक्ष्यों से अधिक उत्पादन करते हैं, प्रोत्साहनदेने के लिये वार्षिक पुरस्कार देने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) ब्योरा उस पुस्तिका में लिखा है जो कि आज ही सभा पटल पर रखी जा रही है ।

सरकारी उपक्रम

†*४०७. **श्री अ० मु० तारिक** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री अच्याकण्णु :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के काम की जांच करने के लिये एक विशेष स्थायी समिति बनाने का है जिस में संसद् के दोनों सदनों के सदस्य सम्मिलित होंगे; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

कारखाना अधिनियम, १९४८

†*४०८. { **श्री कोडियान :**
श्री रामकृष्ण गुप्त : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १७ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारखानों में बेहतर सुरक्षा प्रबन्ध करने के उद्देश्य से सरकार ने कारखाना अधिनियम, १९४८ के संशोधन की प्रस्थापनाओं को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो वह संशोधन-विधेयक संसद् में कब तक पेश किया जायेगा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) और (ख). ये प्रस्थापनायें सरकार के विचाराधीन हैं।

पंजाबी सूबा

*४०९. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री हेमराज :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री भक्त दर्शन :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० के० देव :
श्री मे० क० कुमारन् : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में चल रहे अकाली आन्दोलन को समाप्त करने के लिये किसी प्रकार की आश्वासन दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अकाली नेताओं ने पंजाबी सूबे के बारे में प्रधान मंत्री से भेंट की थी और यदि हां, तो इस विषय में सरकार का दृष्टिकोण क्या है;

(ग) प्रधान मंत्री ने सन्त फतेह सिंह से उपवास तोड़ने के लिये जो अपील की थी क्या वह मानवीय सहानुभूति की भावना से प्रेरित होकर की गई थी अथवा किसी प्रकार का समझौता करने के लिये की गई थी ; और

(घ) क्या प्रधान मंत्री पंजाबी सूबे के निर्माण के बारे में अब भी अपने पुराने विचारों पर कायम हैं अथवा उन में कोई परिवर्तन हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) से (घ). भारत सरकार का दृष्टिकोण प्रधान मंत्री ने अपने कई एक सार्वजनिक भाषणों में, जो अखबारों में मुफ़स्सल छापे गये थे, साफ़ तौर पर बता दिया था। संक्षेप में वह यह था कि पंजाब का कोई बटवारा पंजाब और भारत दोनों के लिये और इस के साथ ही पंजाब के सिखों व हिन्दुओं के लिए भी हानिकारक होगा।

प्रधान मंत्री ने संत फ़तेह सिंह से उपवास तोड़ने के लिए जो अपील की थी वह इन्सानी हमदर्दी से और एक ऐसी अफ़सोसनाक घटना, जो बहुत से लोगों के दिलों में कड़वापन छोड़ जाती, को होने से बचाने के आम सार्वजनिक कारणों से प्रेरित थी ।

प्रधान मंत्री को कोई ऐसी वजह दिखाई नहीं दी जिस से कि वे पंजाद के किसी बटवारे के विषय पर अपने विचार तबदील करें ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघ

†*४१०. { **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री तंगामणि : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघों और फेडरेशनों की मान्यता जुलाई, १९६० की हड़ताल के बाद समाप्त कर दी गयी थी, उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की गयी है ;

(ख) क्या इस दिशा में कोई भी कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) से (ग). जैसा कि गृह-कार्य मंत्री पहले ही बता चुके हैं, सरकार और इसके कमचारियों के सम्बन्धों का सम्पूर्ण प्रश्न विचाराधीन है ।

अमरीका को कलात्मक वस्तुओं का निर्यात

†४११. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान २५ दिसम्बर, १९६० के 'हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड", दिल्ली में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है कि अमरीका के कुछ एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट स्टोरों के क्रय विभागों के प्रमुख पदाधिकारियों ने यह विचार अभिव्यक्त किया है कि यदि कलात्मक वस्तुओं के सस्तेपन के स्थान पर उनकी किस्म और विश्वसनीयता पर जोर दिया जाये, तो अमरीका को कलात्मक वस्तुओं के निर्यात के लिये बड़े अच्छे अवसर हैं ;

(ख) क्या अमरीका को कलात्मक वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि की संभावनाओं का पता लगाने की दृष्टि से इस संबंध में कोई पूछताछ की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). अमरीका को हस्तशिल्पों के निर्यात की वृद्धि की संभावनाओं के सम्बन्ध में सरकार को ज्ञात है और तदनुसार उस देश तथा अन्य देशों को इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के सम्बन्ध में विभिन्न कार्यवाहियां की जा रही हैं। हस्तशिल्प सम्बन्धी वस्तुओं का निर्यात अब बढ़ रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिक्किम के लिये विकास योजना

†*४१२. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम के लिए दूसरी विकास योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खाँ): (क) और (ख). जी, नहीं। योजना अभी विचाराधीन है ।

सरकारी नियम

†*४१३. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कार्य संचालन से सम्बन्ध रखने वाले चार सौ से अधिक नियम और विनियम हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन नियमों का पुनरीक्षण तथा वैज्ञानिकन करने का कोई प्रयत्न किया गया है ताकि उन्हें अधिक समन्वित और संक्षिप्त रूप दिया जा सके ; और

(ग) इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी, हां

(ख) और (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें मंत्रालय के नियमों तथा विनियमों के वैज्ञानिकन की संभावनाओं का एक लेख है, वे कार्य जिनके संबंध में और अधिक कार्य की आवश्यकता है और इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा सम्मिलित है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६४]**

नेपाली विदेश मंत्री से वार्ता

†*४१४. { श्री हेमराज :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री आसर :
श्री राम गरीब :
श्री बाल्मीकी :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल के विदेश मंत्री ने उनसे उस देश में हाल ही में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में बातचीत की थी; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उस बातचीत से दोनों देशों के बीच गलतफहमियों को दूर करने में कितनी सहायता मिली है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** (क) से (ख). नेपाल के विदेश मंत्री ने अपने हाल ही के दिल्ली के दौरे में प्रधान मंत्री से भेंट की थी और उन से लम्बी चौड़ी बातचीत की थी और इस दौरान में उन्होंने हाल ही की घटनाओं के बारे में नेपाल सरकार का दृष्टिकोण समझाया था । गलतफहमियों का तो कोई प्रश्न ही नहीं। दोनों देशों के सम्बन्ध ठीक रूप से हैं।

अल्वाये का उर्वरक कारखाना

†*४१५. **श्री त्यागी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अल्वाये के उर्वरक कारखाने में लगभग १०,००० टन की उत्पादन क्षमता का पिछले कुछ महीनों से कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कारखाने का औसत मासिक खर्च कितना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र):** (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

विद्युदंशन के कारखाने का निर्माण कार्य, मार्च, १९६० में पूरा हो गया था। यह कारखाना अगस्त, १९६० तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका क्योंकि विद्युत् शक्ति उपलब्ध न थी। अगस्त, १९६० में ८००० किलोवाट विद्युत् उपलब्ध हुई और अगस्त और सितम्बर में, तजरबे के तौर पर कार्य प्रारम्भ किया गया था। १ फरवरी, १९६१ में अतिरिक्त १०,००० किलोवाट विद्युत् उपलब्ध हुई और कारखाने की कुल ७५ प्रतिशत क्षमता का अब उपयोग किया जा रहा है ।

अमोनियम कारखाने के निर्माण का कार्य नवम्बर, १९६० में पूरा हो गया था और कारखाना दिसम्बर, १९६० में चालू कर दिया गया था । इस समय उन कारखानों से ३० टन प्रतिदिन का उत्पादन हो रहा है जब कि स्थापित उत्पादन क्षमता ४० टन प्रतिदिन है ।

अमोनियम फास्फेट के कारखाने का निर्माण कार्य दिसम्बर, १९६० में पूरा हो गया था और अब तजरबे के तौर पर उत्पादन कार्य किया जा रहा है । वर्तमान औसत उत्पादन लगभग ३० टन प्रतिदिन है ।

जब ६००० किलोवाट अतिरिक्त विद्युत् उपलब्ध हो जायेगी, तो नये कारखाने पूरी क्षमता से चलने लग पड़ेंगे ।

अतः केवल विद्युदंशन कारखाना ही विद्युत् के कम संभरण के कारण मार्च, १९६० से अगस्त, १९६० तक खाली रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विस्तार एकक के लिये मासिक व्यय के आंकड़े अलग रूप से उपलब्ध नहीं हैं। सम्पूर्ण फैक्टरी पर कुल खर्च २८.३३ लाख रुपये हुआ है ।

पाकिस्तान को निर्माण सामग्री का संभरण

*४१६. { **श्री अजीत सिंह सरहदी :**
डा० राम सुभग सिंह :
श्री विभूति मिश्र : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सिन्धु-पानी सन्धि के अन्तर्गत पाकिस्तान को जो धन दिया जाना है उसके बदले में पाकिस्तान लोहा, सीमेंट आदि निर्माण सामग्री प्राप्त करना चाहता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रश्न पर दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) नियमित रूप से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव हमें नहीं मिला है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कांगो के कसाई प्रान्त में अकाल

†*४१७. **श्री कालिका सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांगो के कसाई प्रान्त में अकाल पड़ गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को कांगो के अकालग्रस्त प्रान्त की सहायता करने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) से (ग). सरकार ने ऐसी कई रिपोर्टें पढ़ी हैं कि कांगो के दक्षिण कसाई क्षेत्र में हाल ही में सख्त अकाल पड़ा है । रोम के खाद्य तथा कृषि संगठन ने, जोकि अकालग्रस्त क्षेत्र के लिये सहायता के कार्य में समन्वय स्थापित कर रहा है, हम से यह प्रार्थना की है कि हम संभरणकर्ता अथवा दानदाता देशों से कांगो तक अन्न पहुंचाने के लिये नौवहन सम्बन्धी सुविधायें दें और यह कि यदि संभव हो सके तो भारत से भी अन्न सहायता के रूप में दिया जाये । यह प्रार्थना अभी विचाराधीन है ।

गोआ के साथ व्यापार

†*४१८. **श्री आसर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोआ के साथ सीमित व्यापार चलाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रतिबन्धों में कुछ और अधिक रियायतें दिये जाने की कोई संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो क्या और कितनी रियायत दी जायेंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी, हां। सरकार ने १ अप्रैल, १९६१ से या यदि सम्भव हुआ तो उससे पहले गोग्रा से सीमित व्यापार चलाने की अनुमति दे देने के बारे में फैसला कर लिया है।

(ख) ब्योरे के बारे में अभी विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

पेपर इंस्युलेटेड केबल (तार)

†*४१९. **श्री गोरे** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि पेपर इंस्युलेटेड केबल (तार) की सप्लाई में कमी आ गयी है;

(ख) क्या सरकार को तसल्ली है कि इन कुछ एक विद्यमान फैक्टरियों की वर्तमान उत्पादन क्षमता इस सम्बन्ध में देश की वर्तमान मांगों को पूरा कर सकती है; और

(ग) संभरण की कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है या करने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) और (ग). वर्तमान उत्पादन क्षमता इतनी अधिक नहीं है कि देश की सम्पूर्ण मांग पूरी की जा सके। फिर भी उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, १९५१ के अधीन इसके निर्माण के लिये और अधिक क्षमता के लिये औद्योगिक उपक्रमों को लाइसेन्स जारी किये गये हैं। आशा है कि इनकी कार्यान्विति से इस सम्बन्ध में देश की सम्पूर्ण मांग लगभग पूरी हो जायेगी।

हथकरघे के कपड़े के विक्रय पर छूट

†*४२०. **श्री तंगामणि** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हथकरघे के कपड़े की बिक्री पर १० नये पैसे प्रति रुपया की बढ़ी हुई छूट देने के लिये एक वर्ष में २ सप्ताह की अवधि को बढ़ा कर ३ सप्ताह कर देने का विचार रखती है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में हथकरघा बुनकर संगठनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी, नहीं।

स्कूटर

†*४२१. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूटरों के निर्माण के लिये नये लाइसेन्स देने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कसौटी अपनाई है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या वर्तमान कारखाने स्कूटरों की तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये निर्धारित मांग के लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे; और

(ग) क्या वर्तमान निर्माताओं को दिये गये आयात लाइसेंसों का कोटा पर्याप्त है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) अन्य उद्योगों के समान स्कूटरों के निर्माण की योजनाओं पर भी उसकी आर्थिक तथा प्रविधिक स्थिरता, प्रावस्थाबद्ध निर्माण कार्यक्रम, विदेशी सहयोग की शर्तों, स्थान आदि के प्रकाश में विचार किया जाता है और यदि उपयुक्त समझी जायें तो उन्हें मंजूर कर दिया जाता है, परन्तु शर्त यह है कि वर्तमान यूनिटों की स्थापित क्षमता अपेक्षित मांग को पूरा कर सकने में पर्याप्त न हो ।

(ख) वर्तमान यूनिटों को विशिष्ट क्षमता के लिये लाइसेन्स दिये गये हैं । वर्तमान मशीनरी से ये यूनिट अपनी क्षमता से अधिक का उत्पादन नहीं कर सकेंगे और इस प्रकार से वे तृतीय पंच-वर्षीय योजना की अनुमानत: मांग को पूरा न कर सकेंगे ।

(ग) वर्तमान स्कूटर निर्माताओं को आयात किये जाने वाले पुर्जों तथा कच्ची सामग्री के लिये पर्याप्त लाइसेन्स दिये जा रहे हैं ।

विदेशों में भारतीय फिल्म समारोह

†*४२२. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्म निर्यात संवर्धन समिति ने विदेशों में भारतीय फिल्म समारोह आयोजित करने के सम्बन्ध में एक योजना का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) से (ग). फिल्म निर्यात संवर्धन समिति ने २७ जनवरी, १९६१ को नई दिल्ली में अपनी चतुर्थ बैठक में यह सिफ़ारिश की थी कि भारतीय फिल्मों के निर्यात को बढ़ाने के लिये विदेशों में भारतीय फिल्मों के समारोह आयोजित किये जायें और यह सुझाव दिया है कि प्रथम समारोह जकारता और बेंकाक में आयोजित किया जाये । सरकार ने उस सुझाव को मंज़ूर कर दिया है और अप्रैल, १९६१ में जकारता और बेंकाक में समारोह आयोजित करने का विचार है । समारोह का व्यौरा फिल्म उद्योग के परामर्श से तैयार किया जा रहा है ।

†मूल अंग्रेजी में

दीवाली की रोशनी पर खर्च

†*४२३. **श्री त्यागी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दीवाली के अवसर पर की गयी रोशनी पर सरकार द्वारा कितनी राशि खच की गयी थी; और

(ख) यह खर्च आयव्ययक के किस अनुदान में से पूरा किया गया था ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). राष्ट्रपति भवन पर रोशनी करने पर २,५४० रुपये खर्च किये गये थे । यह राशि राष्ट्रपति के सैनिक सचिव द्वारा मांग संख्या ९६—अन्य असैनिक कार्य—'भारित'—में उपबन्धित 'उद्घाटन अनुदान' में से सौंपी गयी राशि में से खर्च की गयी है ।

सिन्दरी उर्वरक कारखाना

†*४२४. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री त्यागी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्दरी उर्वरक कारखाने की उत्पादन क्षमता को मूल क्षमता की तुलना मे ६० प्रतिशत बढ़ा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो मूल उत्पादन क्षमता कितनी थी और वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

मूल स्थापित क्षमता नाइट्रोजन के सम्बन्ध में ७१,१२० मीट्रिक टन प्रति वर्ष है और अमोनियम सल्फेट के सम्बन्ध में ३,५५,६०० मीट्रिक टन प्रति वर्ष है ।

विस्तार योजना के अधीन लगाये गये अतिरिक्त कारखानों की स्थापित क्षमता नाइट्रोजन के सम्बन्ध में ४७,७५० मीट्रिक टन है जोकि मूल स्थापित क्षमता के लगभग ६० प्रतिशत है । जहां तक उर्वरक के किये जाने वाले वास्तविक उत्पादन का सम्बन्ध है, यूरिया की अतिरिक्त स्थापित क्षमता २४,८९० मीट्रिक टन प्रति वर्ष है और डबल साल्ट की १,४२,२४० मीट्रिक टन है ।

उत्पादन क्षमता सदा ही स्थापित क्षमता से कम होती है और यहां भी मूल कारखाने की नाइट्रोजन उत्पादन की क्षमता लगभग ६७,००० मीट्रिक टन कम है और विस्तार कारखानों की नाइट्रोजन की उत्पादन क्षमता ४०,१५० मीट्रिक टन कम है ।

अप्रैल, १९६० से जनवरी, १९६१ तक की अवधि में मूल कारखाने में नाइट्रोजन का उत्पादन ६१,००० मीट्रिक टन प्रति वर्ष रहा है और विस्तार कारखानों में नाइट्रोजन का उत्पादन लगभग १४,५५० मीट्रिक टन रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन

†*४२५. **डा० रामसुभग सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ४ फरवरी, १९६१ से हिन्दी के समाचारपत्रों को संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन अंग्रेजी में छापने पड़ते हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि पहले इस प्रकार के विज्ञापन हिन्दी के समाचारपत्रों में केवल हिन्दी में ही प्रकाशित होते थे ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). जी, हां। ऐसा संघ लोक सेवा आयोग के सभापति द्वारा निम्नलिखित कारणों के आधार पर दिये गये सुझाव पर किया गया है :—

(१) मूल विषय की शुद्धता को बनाये रखने के लिये; और

(२) कुछ एक केन्द्रों में अंग्रेज़ी विज्ञापनों के लिये भी अंग्रेज़ी समाचारपत्रों से अधिक हिन्दी समाचारपत्रों के परिचालन का उपयोग करने के लिये।

(ग) जी, हां।

डल्हौज़ी में खाली मकान

†५४५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डल्हौजी में खाली पड़े हुए मकानों का उपयोग करने के लिये एक योजना बनायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का व्यौरा क्या है; और

(ग) उन सभी मकानों का उपयोग कब तक कर लिया जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (ग). डल्हौजी में प्रतिरक्षा आवास स्थान प्रतिरक्षा सेवाओं द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे हैं। वहां के लगभग सभी मकानों का उपयोग किया जा रहा है, परन्तु वे स्थान उन मकानों के पात्र कर्मचारियों की संख्या पर निर्भर होने के कारण कभी कभी कुछ मकान खाली रह जाते हैं। परन्तु ऐसे मकान मौसम के कारण केवल कुछ समय के लिये ही खाली रहते हैं। उस खाली स्थान का उपयोग करने के लिये कोई विशेष योजना तैयार नहीं की जा रही है ।

कोयले की कमी

५४६. **श्री रा० स० तिवारी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात बनाने वाले कारखानों में ऐसे कोयले की कमी है जो भट्टियों में काम में लाया जाता है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस प्रकार के कोयले का सर्वेक्षण किया गया है और सीधी जिले के सिगरौली नामक स्थान में कई सौ वर्ग मील के क्षेत्र में जो कोयला पाया गया है क्या वह इस्पात भट्टियों के कार्य में नहीं लाया जा सकता; और

(ग) यदि सिगरौली का कोयला इस्पात के कारखानों में प्रयोग के लिए उपयुक्त है तो उसे उपयोग में लाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) इस समय इस्पात कारखानों की भट्टियों में प्रयोग में लाये जाने वाले कोयले की कमी नहीं है ।

(ख) जी हां, सीधी जिले के सिगरौली नामक स्थान में पाया गया कोयला इस्पात भट्टियों में प्रयोग में लाने के योग्य नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में बकाया आयकर

†५४७. **श्री पांगरकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में १ जनवरी, १९६१ को आयकर की कितनी राशि बकाया थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : १ जनवरी, १९६१ को उड़ीसा में आयकर की कुल १,१३,२२,००० रुपयों की राशि बकाया रहती थी ।

महाराष्ट्र में करों की बकाया राशियां

†५४८. **श्री पांगरकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९६१ को महाराष्ट्र के करदाताओं से उपहार कर, धन कर और व्यय कर में से कितनी राशि बकाया रहती थी;

(ख) वह बकाया राशि कितने समय से देय थी; और

(ग) सरकार ने उस राशि की वसूली के लिये क्या क्या कार्यवाही की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९५]**

(ग) जैसे कि उपहार कर, धन कर और व्यय कर में उपबन्धित हैं, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर आवश्यकतानुसार निम्नलिखित कार्यवाहियां की गयी हैं :—

(१) जुर्माने लगाये गये ।

(२) कलेक्टर को एक प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाता है जिसे प्राप्त करने पर वह कर की वसूली करने के लिये इस प्रकार से यत्न करता है जैसे कि वह राशि भूमि राजस्व की बकाया राशि हो;

(३) उन बड़े शहरों में जहां इस प्रकार से नगरपालिका सम्बन्धी करों की वसूली के लिये व्यवस्था है, वहां अभिहरण वारंट जारी कर के सम्बन्धित व्यक्तियों की चल-सम्पत्ति को कुर्क कर दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) यदि वे व्यक्ति वेतन प्राप्त करने वाले कोई कर्मचारी हैं तो उस स्थिति में एक नोटिस जारी कर दिया जाता है जिसमें वेतन देने वाले अफसर से यह कह दिया जाता है कि उन व्यक्तियों को वेतन अदा करते समय उनके करों की बकाया राशियां वेतन में से काट लें ।

(५) एक नोटिस जारी कर दिया जाता है जिस में ऐसे किसी भी व्यक्ति से, जिससे राशि लेनी है या जिसकी ओर कुछ राशि बकाया रह जाने की संभावना होती है, कह दिया जाता है कि वह सीधा ही उतनी राशि की अदायगी कर दे जिससे नोटिस में मांगी गयी राशि पूरी हो जाये ।

कलेक्टर को प्रमाण पत्रों को जारी करने के द्वारा करों की बकाया राशियों की वसूली के बारे में सुविधा देने के लिये केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ने केवलमात्र सीधे कर संग्रह कार्य के लिये ही विशेष राजस्व पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिये राज्य सरकारों से विशेष व्यवस्था की है ।

मैक्सिको में कृषि विकास संबंधी प्रतिवेदन

†५४६. { **श्री पांगरकर :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण : }

क्या **वित्त** मंत्री २६ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैक्सिको में कृषि विकास सम्बन्धी अध्ययन के लिये रिज़र्व बैंक द्वारा भेजे गये अफसर का प्रतिवेदन तैयार हो चुका है;

(ख) क्या रिजर्व बैंक ने प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). वह प्रतिवेदन अभी तैयार किया जा रहा है ।

बम्बई और पूना विश्वविद्यालयों को अनुदान

†**५५०. श्री पांगरकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांस्कृतिक उत्सव आयोजित करने के लिये बम्बई और पूना विश्वविद्यालयों को अनुदान दिये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो १९५९–६० तथा १९६०–६१ में अब तक इस काम के लिये दोनों विश्वविद्यालयों को पृथक पृथक कितनी राशि दी गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) बम्बई विश्वविद्यालय –– कुछ नहीं

†मूल अंग्रेजी में

पूना विश्वविद्यालय --जी, हां ।

		१९५९–६०	१९६०–६१
(ख)	बम्बई विश्वविद्यालय		
	पूना विश्वविद्यालय	२,३२९ रुपये	२,७१९ रुपये

उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थाओं को सहायता

†५५१. **श्री पांगरकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९–६० और १९६०–६१ में अब तक उत्तर प्रदेश में चलने वाली स्वयंसेवी संस्कृत संस्थाओं को कोई अनुदान दिया गया था; और

(ख) उन संस्थाओं के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक को कितनी राशि दी गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख)

नाम	राशि
१९५९–६०	
१. ऋषिकुल विद्यापीठ, ब्रह्मचर्य आश्रम, हरिद्वार	८,००० रुपये
२. सनातन धर्म प्रवर्धनी संस्कृत पाठशाला, मेहडाक्ल (बस्ती)	३,००० रुपये
३. गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन	१०,००० रुपये
४. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	१,००,००० रुपये
१९६०–६१	
५. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	७५,००० रुपये (१ लाख रुपये के अनुदान में से एक किश्त के रूप में)
६. गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर, हरिद्वार	११,८०० रुपये
७. संपादक, संस्कृत साकेत, अयोध्या	१०० रुपये
८. सूर्योदय, वाराणसि	१,७५० रुपये
९. श्री राधा कृष्ण संस्कृत पाठशाला, देवरिया	१,८०० रुपये
१०. श्रीमती भागीरथी व्यास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, चुनार	१,००० रुपये
११. राबर्ट्सगंज संस्कृत विद्यालय तथा कन्या विद्यालय राबर्ट्सगंज (मिर्जापुर)	२,००० रुपये
१२. अखिल भारतीय संस्कृत परिषद् लखनऊ	५,८०० रुपये
१३. श्री सांगवेद आदर्श महाविद्यालय, तमेश्वर नाथ (देवरिया)	५०० रुपये
१४. श्री दैवी सम्पद आदर्श ब्रह्मचर्य महाविद्यालय, शाहजहांनपुर	१,००० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

१५.	श्री विलवेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, मेरठ	४,००० रुपये
१६.	राजकीय संस्कृत पाठशाला, देवरिया	५०० रुपये
१७.	श्री माधव संस्कृत महाविद्यालय, गोवर्धन, मथुरा	२,००० रुपये
१८.	हिन्दी साहित्य पुस्तकालय समिति, मौसवन (उन्नाव)	२,००० रुपये
१९.	श्री विद्या धर्म संजीवन संस्कृत महाविद्यालय देवरिया	७,००० रुपये
२०.	श्री तिवाड़ी वैदिक आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, पुराना कानपुर	१,५०० रुपये
२१.	श्री बद्रीश किश संस्कृत विद्यालय, सीमली (चमोली)	५०० रुपये
२२.	श्री निम्बार्क महाविद्यालय, वृन्दावन	२,००० रुपये

महाराष्ट्र में लड़कियों की शिक्षा

†५५२. **श्री पांगरकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में माराष्ट्र में लड़कियों की शिक्षा के लिये राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार की ओर से कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(ख) क्या महाराष्ट्र में लड़कियों की शिक्षा के विस्तार के लिये कोई योजना बनाई गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) लड़कियों की शिक्षन तथा प्रारम्भिक स्तर पर महिला अध्यापकों के प्रशिक्षण के विस्तार के लिये केन्द्र द्वारा चलाई गई योजना के अन्तर्गत ४.८९ लाख रुपये आवंटित किये गये हैं ।

(ख) जी, हां । लड़कियों की शिक्षा तथा महिला अध्यापकों के प्रशिक्षण के विस्तार की योजना के अन्तर्गत लड़कियों के लिये मिडल तथा सैकंडरी स्कूल में होस्टलों की व्यवस्था करने की एक नई उप-योजना अनुमोदित की गई है । महाराष्ट्र सरकार ने छः प्रार्थनापत्र भेजे हैं जिन में से तीन संस्थाओं के लिये राज्य सरकार को १४६,२५० रुपये का प्रशासनिक अनुमोदन दे दिया गया है, जबकि प्रत्येक राज्य के लिये आवंटन लगभग १.५ लाख रुपये होता है ।

बकाया आयकर

†५५३. **श्री हेम राज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ से १९५९–६० तक आयुक्तों के प्रभार के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आय कर की कितनी राशि बकाया थी;

(ख) ५,०००, १०,०००, २५,०००, ५०,००० रुपये तथा अधिक आय के विभिन्न वर्गों से सम्बन्ध रखने वाले कितने व्यक्ति थे, जिन से आय कर बकाया था; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इन बकाया राशियों की वसूली के लिये क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार किया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) अपेक्षित सूचना अनुबंध 'क' में दी गई है। **(देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध सख्या ९६)**

(ख) बकाया कर का वर्गीकरण बकायेदारों की आय श्रेणियों के अनुसार नहीं किया जाता। अतः यह सूचना देना संभव नहीं है।

(ग) अपेक्षित सूचना अनुबंध 'ख' में दी गई है। **(देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९६)**

हवाई अड्डों पर माल पकड़ा जाना

†**५५४. श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ सितम्बर, १९६० से लेकर विभिन्न हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क प्रधिकारियों द्वारा पकड़ी गई वस्तुओं का मोटे रूप से व्यौरा क्या है; और

(ख) पकड़े गये माल के निपटान के लिये क्या तरीका अपनाया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) सीमाशुल्क, भूमि सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों द्वारा १ सितम्बर, १९६० से ३१ जनवरी, १९६१ तक विभिन्न हवाई अड्डों पर निम्न वस्तुएं पकड़ी गई थीं :—

क्रमांक	वस्तु	अनुमानित मात्रा	अनुमानित मूल्य
१.	सोना	१५.७६३ किलोग्राम (१३५१ तोला)	१,६५,००० रुपये
२.	चलार्थ .		७४,००० रुपये
३.	मूल्यवान पत्थर .	९३६० काराता	१५,१५,००० रुपये
४.	आभूषण	२६.२८८ किलोग्राम (२२५४ तोले)	२,८५,५०० रुपये
५.	घड़ियां .	१०४६	६०,५०० रुपये
६.	अन्य सामान (विविध) .		४,१३,४०० रुपये

(ख) पकड़ कर जब्त किये गये और सरकार के कब्जे में आये हुए माल का निपटान इस प्रकार किया जाता है :—

(१) सोना और अपरिष्कृत आभूषण, जो सोना चांदी की श्रेणी में आते हैं, वह टकसाल को दे दिया जाता है।

(२) चलार्थ सरकार को दे दिया जाता है।

(३) उपभोग्य वस्तुएं साधारणतया सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेची जाती हैं। तथापि यदि नीलामी में उनका उचित मूल्य न मिले, तो वे टेंडर द्वारा बेची जाती हैं;

†मूल अंग्रेजी में

(४) जहां व्यापारियों का पारस्परिक समझौता या मेल होने के कारण अथवा अन्य किन्हीं कारणों से किसी वस्तु का नीलामी या टेंडर द्वारा उचित मूल्य न मिल सकता हो, तो ऐसे मामलों में गैर-सरकारी वार्तालाप से भी माल बेचा जाता है;

(५) कुछ निषिद्ध वस्तुए अर्थात् ताश, सिगरेट और घड़ियां उन व्यापारियों द्वारा खरीदी गई हैं, जो चोरी छिपे लाये गये माल के बहाने से खरीद रसीद का उपयोग करते हैं । अतः जहां संभव होता है, ये वस्तुएं सहकारी सस्थाओं तथा /अथवा मान्यता प्राप्त क्लबों को उचित दामों पर अपने सदस्यों को बेचने के लिये दी जाती हैं ।

(६) जो वस्तुएं लोक स्वास्थ्य तथा नैतिकता के लिये हानिकारक समझी जाती हैं, अर्थात् खतरनाक औषध और गन्दी वस्तुए तथा खराब उपभोग्य माल यानी औषधियां और खाने की चीजें, नष्ट कर दी जाती हैं ।

अध्यापकों की शिक्षा सम्बन्धी यात्रायें

†**५५५. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०–६१ में अध्यापकों की शिक्षा सम्बन्धी यात्राओं की केन्द्रीय योजा. के अन्तर्गत राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार की ओर से अब तक राज्यवार कितनी राशि दी गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

१९६०–६१ में निम्न राज्यों को निम्न राशियों का प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया है :—

क्रमांक	राज्य का नाम	राशि
१.	बिहार	९४८ रुपये
२.	केरल	६३१ रुपये
३.	महाराष्ट्र	८९१ रुपये
४.	उड़ीसा	५२२ रुपये
५.	उत्तर प्रदेश . .	९२३ रुपये

उपरोक्त यात्राओं की मंजूरी राज्य सरकारों से व्यय विवरण प्राप्त होने पर जारी की जायेगी।

२. १९६०–६१ में अभी तक निम्न राज्य सरकारों को, इनके नाम के सामने दिखाये गये वर्षों में की गई यात्राओं के लिये निम्न राशि की मंजूरी दी गई है ।

क्रमांक	राज्य का नाम	मंजूर राशि रुपये	जिस वर्ष में यात्रा की गई
१.	आसाम . .	१८१७.०० ६७६.०६	१९५८–५९ १९६०–६१
२.	केरल . .	९३९.००	१९५९–६०
३.	उड़ीसा . . .	३५६.००	१९५९–६०
४.	उत्तर प्रदेश	६५८.८८	१९५९–६०

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्र मण्डलीय छात्र वृत्ति योजना

†५५६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वैज्ञानिक अनुसधान तथा सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०–६१ में राष्ट्रमण्डलीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां देने के लिये राज्यवार कितने विद्यार्थी चुने गये हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसधान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : राष्ट्रमण्डलीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां देने के लिये १९६०–६१ में ५८ विद्यार्थी चुने गये थे ? राज्यवार संख्या नीचे दी जाती है :—

आन्ध्र प्रदेश	१
बिहार	५
दिल्ली	१
जम्मू और काश्मीर	२
केरल	२
मध्य प्रदेश	१
मद्रास	१०
महाराष्ट्र	२
मैसूर	४
उड़ीसा	५
पंजाब	५
राजस्थान	२
उत्तर प्रदेश	११
पश्चिम बंगाल	७
जोड़	५८

अमरीकी विश्वविद्यालयों में हिन्दी और संस्कृत

†५५७. **श्री का० च० जेना** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका में ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां हिन्दी और संस्कृत पढ़ाई जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या ये भाषाएं भारतीयों द्वारा पढ़ाई जाती हैं या अन्य अध्यापकों द्वारा और क्या ये वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती हैं या अनिवार्य विषय के रूप में ?

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). सूचना वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूतावास द्वारा प्राप्त की जा रही है।

विस्थापित राजनीतिक पीड़ित लोग

†५५६. श्री दी० च० शर्मा : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्थापित राजनीतिक पीड़ित लोगों को मकान या भूमि देने के लिये बनाई गई योजना को कार्यान्वित करने के बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस योजना से अभी तक कितने लोगों को लाभ हुआ है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). विस्थापित राजनीतिक पीड़ित लोगों की ओर से पुनर्वास मन्त्रालय के पास ५१० प्रार्थना पत्र आये थे जिनमें मकान या भूमि देने की प्रार्थना की गई है उन सब लोगों की अर्हता की पड़ताल की गई थी और यह पाया गया कि उनमें से २०१ लोग वैकल्पिक आवास पाने के अधिकारी थे। उनमें से ४२ लोगों को बने हुए मकान दिये गये हैं तथा शेष १५९ व्यक्तियों को लाजपत नगर तथा कालका जी में भूमि आवंटित की गई है।

छात्राओं के लिये होस्टल

†५६०. श्री सिदय्या : क्या शिक्षा मन्त्री ७ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १४९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय स्तर पर केवल छात्राओं के लिये कितने होस्टल हैं और वे कहां पर हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इनमें से किसी होस्टल के लिये वित्तीय सहायता दे रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) उपलब्ध सूचना के आधार पर केवल छात्राओं के होस्टलों की संख्या तथा उनका स्थान दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९७].**

(ख) तथा (ग). इन होस्टलों को चलाने के लिये कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती।

महाराष्ट्र में इस्पात पुनर्वेलन मिल

†५६१. श्री पांगरकर : क्या इस्पात खान और ईंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६१–६२ में महाराष्ट्र में इस्पात पुनर्वेलन मिल स्थापित किये जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो उन मिलों को देने के लिये इस्पात का कोई अभ्यंश निश्चित किया गया है; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा प्रदेश में ऐसे कितने मिल स्थापित किये जायेंगे तथा वे किन स्थानों पर होंगे ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). तीसरी योजना में महाराष्ट्र की प्रादेशिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इस्पात पुनर्वेलन मिलों को लाइसेंस देने

†मूल अंग्रेजी में

के प्रश्न पर देश के अन्य क्षेत्रों के साथ साथ जहां है मिल कम हैं या बिल्कुल नहीं हैं, विचार किया जा रहा है। ऐसी इकाइयों को कच्चा माल देने के प्रश्न पर उनको लाइसेंस दिये जाने के बाद ही विचार किया जाएगा। तथापि अप्रैल, १९६० से लोहा और इस्पात नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत, ५० कर्मचारियों से कम लोगों को काम पर लगाने वाले छोटे पुनर्वेलन मिल स्थापित करने या चलाने के लिये सामान्य अनुमति दे दी गई है, यदि उनके लिये सामान का आयात नहीं किया जाएगा और केवल स्थान पर उपलब्ध टुकड़ों को ही कच्चे माल के तौर पर प्रयोग में लाया जाएगा।

राजस्थान में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये अनुदान

†५६२. **श्री ओंकार लाल** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिये राजस्थान सरकार को कितना अनुदान दिया गया है ;

(ख) क्या राजस्थान में उच्चतर वैज्ञानिक शिक्षा के सामान्य विकास के लिये कोई अनुदान दिया गया है; तथा

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि का ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) कुछ नहीं।

(ख) तथा (ग). राजस्थान में उच्चतर वैज्ञानिक शिक्षा के सामान्य विकास के लिये राज्य सरकार को कोई अनुदान नहीं दिया गया, किन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दूसरी योजना के अन्तर्गत उच्चतर वैज्ञानिक शिक्षा एवं अनुसन्धान की योजनाओं की क्रियान्विति के सम्बन्ध में राजस्थान विश्वविद्यालय को अब तक ६,४८,५७८ रुपये दिये हैं।

राजस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिये चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य सेवायें

†५६३. **श्री ओंकार लाल** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी योजना अवधि के अन्तर्गत, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य सेवाओं की क्रियान्विति के लिये केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आवंटित राशि में से कितनी राशि खर्च की है; और

(ख) अनुसूचित आदिम जातियों को चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य सम्बन्धी क्या क्या सेवाएं दी गई हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) दूसरी योजना अवधि के पहले चार वर्षों में, केन्द्र द्वारा चलाये गये कार्यक्रम के अन्तर्गत ७.५८ लाख रुपये तथा राज्य योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत २.२७ लाख रुपये।

(ख) निम्न सेवाओं की व्यवस्था की गई है,

पीने के जल के कुओं की व्यवस्था, बावलियों को कुओं में बदलना, डिस्पैंसरी की इमारत का निर्माण, सादी दवाइयों का सम्भरण, और क्षय रोग के इलाज के लिये स्थानों का रक्षण। आदिम जाति के लोगों की सेवा के लिये एक चिकित्सा एवं प्रचार गाड़ी भी खरीदी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान में राजनीतिक पीड़ित लोग

†५६४. **श्री ओंकार लाल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में राजनीतिक पीड़ित लोगों को केन्द्रीय सरकार ने प्रति वर्ष कितनी सहायता दी है;

(ख) राजस्थान में कितने राजनीतिक पीड़ितों को जिला वार तथा प्रतिवर्ष यह सहायता मिलती है; और

(ग) राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन यदि कोई मामले हैं, तो कितने हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). सूचना देने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष	दी गई कुल राशि	राजनीतिक पीड़ितों की संख्या
१९५५–५६	८०००	२
१९५६–५७	१२००	२
१९५७–५८	४६००	४
१९५८–५९	२५००	५
१९५९–६०	१५००	६
१९६०–६१ (१८–२–६१ तक)	२००	१

(ग) केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई मामला नहीं है।

राजस्थान में पोस्त का उत्पादन

†५६५. **श्री ओंकार लाल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार वर्षों में राजस्थान में पोस्त का कितना वार्षिक उत्पादन हुआ है;

(ख) पिछले चार वर्षों में वर्ष वार कितना उत्पादन शुल्क वसूल किया गया है; और

(ग) उत्पादन शुल्क निर्धारित के लिये क्या तरीका अपनाया जाता है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** :

(क)

अफीम वर्ष (१ अक्तूबर से ३० सितम्बर तक)	उत्पादन (किलोग्राम)
१९५६–५७	१,४८,४४१
१९५७–५८	१,९८,४९३
१९५८–५९	२,२८,६८९
१९५९–६०	३,१७,७८३

(ख)

प्रति वर्ष	अफीम से वसूल किया गया उत्पादन शुल्क
१९५७	३८,७६,९६५ रुपये
१९५८	३९,९७,९०३ ,,
१९५९	१५,७३,५५८ ,,
१९६०	इस समय सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

ईसाई धर्म प्रचारक

५६६. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री कुम्भार :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों से भारत आने वाले ईसाई धर्मप्रचारकों के बारे में अपनी नीति में कोई परिवर्तन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ;

(ग) १९५८ से लेकर १९६० तक (प्रति वर्ष) कितने ईसाई धर्म-प्रचारक भारत आये;

(घ) क्या किन्हीं ईसाई धर्म प्रचारकों को आगामी वर्षों में भारत आने के लिये दृष्टांक (वीसा) दिये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो कितनों को ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सन् १९५८, १९५९ तथा १९६० में भारत के लिये प्रवेश पत्र दिये गये विदेशी धर्म-प्रचारकों की संख्या क्रमशः २२३, २८२ तथा २३९ है। इनमें से वास्तव में (यहां) कितने आए, यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ). प्रवेश पत्र अग्रिम रूप में नहीं दिये जाते हैं।

केन्द्रीय मद्य निषेध समिति

†५६७. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मद्य निषेध समिति ने राज्यों को सलाह दी है कि सार्वजनिक भूगृहादि अर्थात् होटलों, रेस्टोरेंटों और क्लबों में मद्यपान बन्द कर दिया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्यों ने अब तक क्या कार्रवाइयां की हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) जैसा कि २१ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४७७ के उत्तर में पहले बताया जा चुका है, केन्द्रीय मद्य निषेध समिति ने पिछले नवम्बर में अपनी पहली बैठक में इस बारे में कुछ सिफारिशें की थी। इन्हें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के विचारार्थ परिचालित किया गया है।

(ख) अपेक्षित जानकारी अभी राज्यों से प्राप्त नहीं हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय युवक केन्द्र, नई दिल्ली

†५६८. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री, ६ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१६० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय युवक केन्द्र, नई दिल्ली के विकास के लिये भूमि देने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय भूमि देने की प्रार्थना पर अभी विचार कर रहा है।

युद्धास्त्र कारखानों में इस्पात का उत्पादन

†५६०. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री १६ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के उत्पादन के लिए युद्धास्त्र कारखानों की क्षमता को संतुलित करने और उन्हें आधुनिक ढंग का बनाने की प्रस्थापनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) हां, श्रीमान् आंशिक रूप में धातु और इस्पात कारखाना ईशापुर में मिश्रधातु और विशेष इस्पात के उत्पादन की सुविधाओं को आधुनिक ढंग का बनाने की बात सरकार ने जनवरी, १९६१ में मंजूर की थी। युद्धास्त्र कारखाना कानपुर में विद्यमान सुविधाओं का विस्तार करके मिश्रधातु और विशेष इस्पात का एक सम्मिलित कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है। आशा है कि सितम्बर, १९६१ के अंत तक इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया जायगा।

(ख) ईशापुर के धातु और इस्पात कारखाने की स्वीकृत प्रस्थापनाओं के अनुसार ल हा गर्म करने और रखने रखाने की सुविधाओं को आधुनिक ढंग का बनाया जायगा और बेलने की क्षम ा को उतना ही बनाना होगा जितना कि पिघलाने की क्षमता है। इन बातों की क्रियान्विति पर, आशा है कि ईशापुर के धातु और इस्पात कारखाने में प्रतिमास ५५०० टन इस्पात पिघलाया जा सकेगा। इसमें से ५०० टन इस्पात ढलाई गढ़ाई के काम आएगा और शेष ५००० टन से दरमानी छड़ें, सरिये, बड़ी छड़ें और सामान्य वर्ग की छड़ें बनायी जायेंगी। परियोजना को इस तरह से कार्यान्वित किया जायगा कि उत्पादन न रुके। यह परियोजना साढ़े तीन वर्ष में पूर्ण हो जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

चूड़ा चांदपुर में आदिम जातियों पर गोली चलाना

†५७०. श्री सै० अ० मेहदी :
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हेम बरूआ :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री ल० अचौ० सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर पुलिस ने दिसम्बर, १९६० के पिछले सप्ताह में चूडाचांदपुर की आदिम जातियों पर गोली चलाई ; और

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्योरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). ३० दिसम्बर, १९६० को लगभग १००० आदिवासियों ने चूडांचांदपुर के थाने को घेर लिया और उन दो व्यक्तियों को बलपूर्वक छुड़ाने के लिए थाने पर धावा बोला जिन्हें पहले कोटलियान नामक गांव से पकड़ा गया था। भीड़ से बार बार प्रार्थना की गयी और चेतावनी दी गयी किन्तु इसके बावजूद भी उन्होंने धावा जारी रखा। पुलिस पर गोलियां भी चलायीं गयीं। इस हालत में मनीपुर पुलिस को आत्म रक्षा के लिए गोलियां चलानी पड़ीं। इसके परिणामस्वरूप दो आदमी मारे गये। मनीपुर के जिला दंडाधिकारी इस घटना की जांच कर रहे हैं।

कांगो में हस्पताल

†५७१. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांगों में भारत सरकार ने जो हस्पताल खोला था उसकी हालत इस समय कैसी है ;

(ख) इसे कब तक जारी रखा जायगा ; और

(ग) उस पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) ४०० बिस्तरों वाले सैनिक हस्पताल में जो साज सामान है उससे हस्पताल के कर्मचारी, कांगों में रहने वाली संयुक्त राष्ट्रीय सेनाओं के लिए चिकित्सा सुधिाओं की व्यवस्था करते हैं। इस समय वहां तीन जगह चिकित्सा सुविधाएं दी गयी हैं अर्थात् लियोपोल्डविल, लूलुआबर्ग और कॉनक्विलहाटविल में।

(ख) इस समय यह नहीं बताया जा सकता कि यह प्रबंध कितने दिन तक जारी रहेगा।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोठागुडियम में कम तापमान का कार्बनीकरण संयंत्र

†५७२. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरी योजना में कोठागुडियम में कम तापमान के कार्बनीकरण संयंत्र की स्थापना के प्रस्ताव पर पुर्नविचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का निर्णय हुआ है ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर 'न' में हो तो उसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) से (ग) इस प्रश्न पर कि कोठागुडियम में कम तापमान के कार्बनीकरण संयंत्र की योजना तीसरी योजना में शामिल की जाय, विचार किया गया था किन्तु साधनों के अभाव के कारण उसे शामिल नहीं किया जा सका ।

अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह का भूगर्भीय सर्वेक्षण

†५७३. **श्री कोडियान :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह का विस्तृत भूगर्भीय सर्वेक्षण कराना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितना व्यय हुआ है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) भारत का भू-गर्भीय सर्वेक्षण विभाग, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह का क्रमबद्ध सर्वेक्षण कर रहा है । अगले वर्ष भी वैसा ही करने का विचार है ।

(ख) राज्यों या क्षेत्रों के भूगर्भीय सर्वेक्षण के लिए धन की अलग व्यवस्था नहीं की जाती बल्कि सारा खर्चा भारत के भू-गर्भीय सर्वेक्षण विभाग को दिये गये अनुदान में से पूरा किया जाता है ।

सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिये रक्षण

†५७४. { **श्री कोडियान :**
श्री वारियर :
श्री मं० रं० कृष्ण : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी उपक्रमों की नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्थान रक्षित रखने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किया जायगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) और (ख). सरकारी उपक्रमों को सलाह दी गयी है कि दक्षता को दृष्टि में रखते हुए वे भी यथासंभव रक्षण की नीति का अनुसरण करें । अधिकांश उपक्रमों ने यह बात स्वीकार कर ली है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

घड़ियों का तस्कर व्यापार

५७५. { श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रामकृष्ण गुप्त : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में घड़ियों का तस्कर-व्यापार बहुत बढ़ गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस तस्कर-व्यापार से करोड़ों रुपये की घड़ियां भारत में आ रही है ;

(ग) भारत में किन-किन बन्दरगाहों और केन्द्रों में यह तस्कर-व्यापार अधिक होता है ;

(घ) अब तक सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) गत तीन महीनों में चोरी-छिपे लाई गई कितनी घड़ियां पकड़ी गईं और उनका मूल्य क्या था ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) सीमाशुल्क, भू-सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने १९५६, १९५७, १९५८, १९५९ और १९६० में क्रमश: लगभग १,३४,००० रुपये, ७,५६,००० रुपये, ६,६०,००० रुपये, १७,९९,००० रुपये और ३२,६६,००० रुपये के मूल्य की चोरी छिपे लायी गयी घड़ियां पकड़ी। यह सच है कि ज्यादा मूल्य की घड़ियां पकड़ी जा रही हैं, पर इससे यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि चोरी-छिपे किया जाने वाला व्यापार बढ़ रहा है या करोड़ों रुपये की घड़ियां भारत में लायी जाती है।

(ग) यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता कि बड़े पैमाने पर चोरी छिपे कहां व्यापार किया जाता है। फिर भी और स्थानों के मुकाबले बम्बई, दिल्ली और गोआ की सीमा में ज्यादा घड़ियां पकड़ी गयी हैं।

(घ) सरकार ने घड़ी आदि गैर-कानूनी चीजों का, चोरी-छिपे किया जाने वाला व्यापार रोकने के लिए कई कानूनी और अमली कार्रवाइयां की है। इन कार्रवाइयों में ये शामिल है—(१) चोरी-छिपे किये जाने वाले व्यापार की रोकथाम का काम करने वाले सीमा-शुल्क अधिकारियों के, जांच-पड़ताल करने के अधिकार बढ़ा दिये गये हैं ; (२) जिन पानी में चलने वाले और हवाई जहाजों के बारे में सन्देह पैदा हो जाता है उनकी अच्छी तरह तलाशी ली जाती है ; (३) समुद्रतट और भू-सीमा के जिन भागों से आना जाना आसान होता है उनमें नियमित रूप से और आकस्मिक रूप से भी गश्त लगाया जाता है, (४) प्राप्त सूचना के आधार पर तुरन्त जोरदार कार्रवाई की जाती है। चोरी छिपे व्यापार करने वालों पर समुद्री सीमा-शुल्क अधिनियम के अनुसार भारी जुर्माना किया जाता है जिसमें गैर-कानूनी माल की जब्ती भी शामिल है। इसके अलावा, उपयुक्त मामलों में मुकदमे भी चलाये जाते हैं ताकि अपराधियों को ऐसी कड़ी सजा मिले जिससे और लोग चोरी-छिपे व्यापार करते हुए डरें। विभिन्न क्षेत्रीय संगठन (फील्ड आर्गेनाइजेशन) चोरी-छिपे किये जाने वाले व्यापार को बंद करने के लिए जो कार्रवाइयां करते हैं उन्हें ज्यादा कारगर ढंग से एक सिलसिले में लाने के लिए केन्द्र में राजस्व सूचना निदेशालय (डाइरेक्टरेट आफ रेविन्यू इण्टेलिजेन्स) काम करता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) अक्टूबर, से दिसम्बर १९६० तक लगभग ४,१०,००० रुपये के मूल्य की चोरी छिपे लायी गयी ६,०८४ घड़ियां पकड़ी गयीं । इन आंकड़ों में पूने के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क संग्रहालय (कलेक्टरेट आफ सेण्ट्रल एक्साइज) द्वारा पकड़ी गयी घड़ियां शामिल नहीं हैं क्योंकि इस संग्रहालय के सम्बन्ध में पूरी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

प्रादेशिक भाषाओं में केन्द्रीय अधिनियम

†५७६. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय अधिनियमों के प्रादेशिक भाषाओं में प्राधिकृत रूपांतर करवाने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो वह किस स्थिति में है और उसका ब्योरा क्या है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस):**(क) और (ख). अभी तक ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की गयी है परन्तु केन्द्रीय विधियों, अधिनियमों और नियमों को प्रादेशिक भाषाओं में तैयार कराने की बात पर विचार हो रहा है ।

पंजाब को कच्चे लोहे और इस्पात का संभरण

†५७७. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्चे लोहे और इस्पात के संभरण के बारे में पंजाब राज्य ने शिकायत की है ; और

(ख) यदि हां, तो शिकायत क्या है और १९६०–६१ के बीच कितनी कमी रही ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं। शिकायतें सामान्यतः चादरों और तारों जैसी चीजों के बारे में हैं क्योंकि अभी इन की सामान्य कमी है । अप्रैल-दिसम्बर १९६० में ६६,००० टन इस्पात और ५८,००० टन कच्चा लोहा पंजाब को दिया जा चुका है और इसे अपर्याप्त भी नहीं कहा जा सकता ।

पंजाब में स्कूलों के बच्चों के लिये मध्याह्न भोजन

†५७८. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन देने की योजना के बारे में पंजाब ने सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और इस विषय में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में शिक्षित लोगों की बेकारी

†५७९. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा मंत्री २४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७०६ के उत्तर में के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित लोगों की बेकारी कम करने की योजना के अधीन उड़ीसा के लिये जो ३,००० नये अध्यापक आवंटित किये गये थे उन्हें नियुक्त कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस योजना के अधीन १ फरवरी, १९६१ तक कितने नये अध्यापक लगाये गये हैं ;

(ग) क्या १९६१-६२ में लगाये जाने वाले नये अध्यापकों की संख्या भी निश्चित कर दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उन की संख्या कितनी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ). योजना में १९६०-६१ के बाद नये अध्यापकों के आवंटन की कोई व्यवस्था नहीं है ।

उड़ीसा में बुनियादी शिक्षा

†५८०. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार को बुनियादी शिक्षा के संवर्धन के लिये कुल कितनी रकम दी गयी ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये दूसरी योजना में अब तक कुल कितनी रकम खर्च की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

भाग (क)

१९५६–५७ . .	७.९९ लाख रुपया ।
१९५७–५८ . . .	७.९५ लाख रुपया ।

१९५८–५९ और १९५९-६० के अनुदान वर्गानुसार दिये गये थे अर्थात् प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा और अन्य योजनाओं के लिए १९६०-६१ में अनुदान सामूहिक रूप से दिये जा रहे हैं । इसलिये १९५८-५९ से आगे चल कर बुनियादी शिक्षा के लिए पृथक जानकारी देना संभव नहीं है ।

भाग (ख)

१९५६–५७ . .	७·०३ लाख रुपया ।
१९५७–५८ . . .	८·६६ लाख रुपया ।

जैसाकि ऊपर बताया गया है ; दूसरी योजना के बाकी वर्षों की जानकारी देना संभव नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में शोधन

†५८१. { **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :**
श्री संगण्णा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उड़ीसा सरकार के इस सुझाव पर कोई निर्णय किया जा चुका है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों का पुनरीक्षण होना चाहिये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** नहीं, श्रीमान् ।

उड़िया नाटक

†५८२. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत नाटक अकादमी ने १९६०-६१ में उड़िया नाटक के उन्नयन के लिये अनुदान दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किसे और कितनी राशि दी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) और (ख). १९६०-६१ के दौरान अकादमी ने अब तक निम्न अनुदान दिये हैं जिन में नाटकों का उन्नयन भी सम्मिलित है :—

(१) राष्ट्रीय संगीत संस्था कटक को १५,००० रुपया

(२) उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी, भुवनेश्वर को ७,००० रुपया ।

उड़ीसा सागर तट के निकट पश्चिमी बंगाल सरकार के जहाजों द्वारा मछली पकड़ना

†५८३. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सागर तट के निकट पश्चिमी बंगाल सरकार के जहाजों द्वारा मछली पकड़ने के प्रश्न पर २३ जनवरी, १९५८ को पटना में हुई पूर्व खंड की परिषद् में विचार हुआ था ;

(ख) क्या गृह-कार्य मंत्री ने सलाह दी थी कि इस प्रश्न पर दोनों राज्यों की सरकारें विचार करें ; और

(ग) यदि हां, तो उस चर्चा का अन्तिम परिणाम क्या निकला है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) अभी इस विषय पर दोनों राज्यों में पत्र व्यवहार हो रहा है ।

†मूल अंग्रेजी में

जापानी पुस्तकों और चित्रों की प्रदर्शनी

†५८४. **श्री प्र० चं० बरूग्रा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में जापानी पुस्तकों, चित्रों और गुड़ियों की प्रदर्शनी हुई थी ;

(ख) क्या ये चीजें और भागों में भी दिखलाई गई थीं ; और यदि हां, तो कहां कहां पर ;

(ग) क्या पिछले वर्ष भी वैसी ही प्रदर्शिनियां भारत की ओर से विदेशों में की गई थीं ; और

(घ) यदि हां, तो कहां कहां पर ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) हां श्रीमान्, कलकत्ता और मद्रास में । बम्बई में भी प्रदर्शनी की जायेगी ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

(घ) ज्यूरिच, पेरिस, वियाना, रोम, सिकन्दरिया, कायरो, जकार्टा, सांटियागो और साम्रो पाम्रोलो में ।

त्रिपुरा में निःशुल्क शिक्षा

†५८५. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा प्रशासन गरीब बच्चों को छात्रवृत्तियां देने की योजना पर विचार कर रहा है जिन्हें दसवीं या ग्यारहवीं श्रेणी तक निश्शुल्क शिक्षा दी जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब से लागू की जा रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

यूनेस्को सचिवालय में भारतीय

†५८६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनेस्को सचिवालय और इस के महत्वपूण अभिकरणों में कितने भारतीय नागरिक काम कर रहे हैं ; और

(ख) उन की नियुक्ति की प्रणाली क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) १५ अक्तूबर, १९६० को यूनेस्को सचिवालय में ७ भारतीय थे और यूनेस्को सहयोग तथा प्रविधिक सहायता कार्यक्रम तथा मुख्य परियोजनाओं में ग्यारह भारतीय काम कर रहे हैं ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९८]**

---

†मूल अंग्रेजी में

सांख्यिकीय संस्थायें

†५८७. { **श्री नथवानी :**
श्री मुरारका :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन्म मरण तथा रोगादि सम्बन्धी आंकड़ों के संकलन के लिये सरकार और विशेष सांख्यिकीय संस्थायें स्थापित करना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी संस्थाओं की स्थापना कब की जायेगी ; और

(ग) विद्यमान संस्थाओं को सरकार क्या प्रोत्साहन देना चाहती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) जन्म मरण तथा रोगादि संबंधी आंकड़ों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और यह काम उन्हीं के कार्यालयों में किया जा रहा है। ऐसी संस्थाओं के निर्माण की कोई योजना केन्द्रीय सरकार के पास नहीं आई है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

समापनोन्मुख बैंक

†५८८. { **श्री नथवानी :**
श्री मुरारका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने बैंक समाप्त होने को हैं ;

(ख) वे कब से समापनोन्मुख हैं ;

(ग) अब तक उन में से प्रत्येक ने हिस्सेदारों और खातेदारों को कितने लाभांश दिये हैं ; और

(घ) समापन की कार्यवाही को तेज करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) से (ग). आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६६]**

(घ) बैंकिंग समवायों के समापन की कार्यवाही, समापकों द्वारा, बैंकिंग समवाय अधिनियम १९४९ के उपबन्धों के अनुसार उच्च न्यायालयों की हिदायत के अनुसार की जाती हैं । अधिनियम की तत्सम्बन्धी धाराओं के पुनरीक्षण के प्रश्न पर सरकार रिजर्व बैंक की सलाह से काफी समय से विचार कर रही है और समय समय पर वैसा कर भी दिया जाता है। इस सम्बन्ध में १९५३ और १९५९ में किये गये संशोधन उल्लेखनीय हैं, जिन से समापन की कार्यवाही की गति तेज होगी ।

पंजाब को आवंटित इस्पात और लोहा

†५८९. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में पंजाब को छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए कितना लोहा और इस्पात दिया गया; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रति वर्ष कितनी वास्तविक मात्रा में कितना लोहा और इस्पात दिया गया ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख).

(मीटरिक टनों में)

	वर्ष	आवंटन	भेजे गए संभरण
१. इस्पात	१९५६-५७ . .	१६३५८	१४३०
	१९५७-५८ . .	८३२३	६१०३
	१९५८-५९ . .	१९३४३	१२५८३
	१९५९-६० . .	४०१८३	१०८७५
	१९६०-६१	५५८०६	१८१८३
		(अप्रैल से दिसम्बर १९६० तक)	

२. कच्चा लोहा :

छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये कच्चे लोहे का कोई पृथक अभ्यंश नहीं है। १-७-१९५९ के पूर्व आवंटन पत्री वर्ष के अनुसार किया जाता था। १-७-५९ से कच्चे लोहे के लिए कोटा पद्धति समाप्त कर दी गई है तथा सभी लोग बिना प्राधिकार और कोटा प्रमाणपत्र लिये कच्चा लोहा प्राप्त कर सकते हैं। जनवरी, १९६० के पूर्व भेज गये लोहे के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। राज्यों को आवंटित कच्चे लोहे की मात्रा इस प्रकार है :—

१९५७	१२७१८ टन
१९५८ .	८५१३५ टन
१९५९ .	४२९०० टन

(जनवरी से जून १९५९)

पंजाब राज्य को १९६० में ७६४९३ टन कच्चा लोहा भेजा गया।

दिल्ली में हरिजनों के लिये भूमि

५९०. श्री नवल प्रभाकर : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने अभी तक हरिजनों के लिए ६९ गांवों में भूमि अधिग्रहित की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). २१ गांवों में भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है, तथा १२ गांवों में गांव सभा की शामलात जमीन बांटने के लिए चुन ली गई है। शेष गांवों में भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिसूचनाएं भेजी जा रही हैं।

स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के समारोहों में आमंत्रित लोग

†५९१. { **श्री राधा रमण** :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री रघुनाथ सिंह : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) १५ अगस्त १९६० को लाल किले में और २६ जनवरी को राजपथ में हुए समारोहों में आमंत्रित लोगों की कुल कितनी संख्या थी;

(ख) दोनों अवसरों पर सरकारी और गैर-सरकारी अतिथियों की पृथक् २ संख्या कितनी थी; और

(ग) उनके चुनाव का मानदंड क्या है, और क्या विभिन्न राज्यों में स्थापित राजनैतिक पीड़ित सहायता समितियों द्वारा मान्य राजनैतिक पीड़ितों को भी अतिथियों के रूप में स्थान मिलता है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) अतिथियों की संख्या इस प्रकार थी :

१५ अगस्त १९६०	लगभग १४०००
२६ जनवरी १९६१	लगभग ५००००

(ख) मोटे तौर पर १५ अगस्त १९६० के दिन २५ प्रतिशत अतिथि और २६ जनवरी १९६१ के दिन २७ प्रतिशत अतिथि, सरकारी अधिकारी तथा उनकी पत्नियां थीं। इनमें दिल्ली प्रशासन तथा बाहर के अधिकारी भी शामिल हैं। अन्य अतिथि गैर-सरकारी और विदेशी थे।

(ग) **अधिकारी** : स्वतंत्रता दिवस-१९६० के लिये सह सचिव तथा उससे ऊपर के सभी अधिकारियों को निमंत्रित किया गया। सेना के मामले में कर्नल तथा उसके पद के ऊपर के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह १९६१ के अवसर पर अवर सचिव तथा उससे ऊपर के सभी अधिकारियों को आमंत्रित किया गया। सेना बलों में मेजर तथा उससे ऊपर के सभी अधिकारियों तथा ५० प्रतिशत कैप्टन तथा उसके नीचे के अधिकारियों (तथा उनकी पत्नियों) को निमंत्रित किया गया। इसके अतिरिक्त कर्मचा ी परिषदों तथा मान्यता प्राप्त कर्मचारी सघों के पदाधिकारयों को भी निमंत्रित किया गया।

गैर-अधिकारी : उपलब्ध स्थानों की सीमा को देखते हुए यह उद्देश्य रखा गया कि विभिन्न वर्गों के अधिकाधिक व्यक्तियों को निमंत्रण दिया जा सके। विदेशों अथवा दिल्ली के बाहर से आये हुए लोगों को इस मामले में प्राथमिकता दी जाती है। दिल्ली के स्थायी निवासियों को दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गयी सूचियों के अनुसार निमंत्रण दिया जाता है।

---

† मूल अंग्रेजी में

जहां तक राजनैतिक पीड़ित सहायता समितियों द्वारा मंजूर राजनैतिक पीड़ितों का संबंध है, निमंत्रण जारी करने का प्रश्न केवल उन पीड़ितों के संबंध में उठा जो कि दिल्ली में रहते हैं। जैसा कि दिल्ली के अन्य राजनीतिकों के संबंध में किया जाता है, राजनीतिक पीड़ित सहायता समिति, दिल्ली के द्वारा सीधे कोई निमंत्रण नहीं भेजे गये। तथापि ऐसे राजनीतिक पीड़ितों को निमंत्रण भेजे गए जिनके नाम दिल्ली प्रशासन की ओर से भेजे गए थे। दिल्ली राज्य के बाहर रहने वाले राजनीतिक पीड़ितों को निमंत्रण भेजने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि किसी भी राज्य के किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा निमंत्रण के संबंध में कोई प्रार्थना नहीं की गई।

तीसरी पंचवर्षीय योजना

†५९२. **श्री दामानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में हमारी योजनाओं का अध्ययन करने तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना के मसविदे पर राय या समीक्षा करने के लिए कितने विदेशी विशेषज्ञों या अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इनमें से कितनों ने सरकार को अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). पिछले दो वर्षों के दौरान भारत सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना का अध्ययन करने या उस पर राय लेने के लिए विशेष रूप से किसी विदेशी विशेषज्ञ या अर्थशास्त्री को आमंत्रित नहीं किया है। भारत के विकास कार्यों की प्रगति का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण पर नवम्बर-दिसम्बर १९६० में आर्थिक और वित्तीय सम्पादकों और समीक्षकों के दो शिष्टमंडल, एक अमेरिका से और दूसरा ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी से भारत आये थे। उन्हें भारत सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करना था। समय समय पर अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भेजे गए मिशनों और उन देशों की शैक्षिणिक संस्थाओं से संबद्ध विदेशी विद्वानों ने भारत के आर्थिक विकास से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया और कुछ मामलों में उन्होंने अपनी समीक्षायें और सुझाव भी प्रकाशित किये हैं।

दुहरे कर से बचाव

†५९३. **श्री दामानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०-६१ के दौरान, दुहरे कर से बचाव के लिए जो समझौते हुए उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) दुहरे कर से बचाव के लिए अन्य देशों के साथ की जाने वाली वार्त्ता किस स्थिति में है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) वर्ष १९६०-६१ के दौरान जापान और पश्चिमी जर्मनी से दुहरे कर के बचाव के लिए समझौते किये गये। इन समझौतों के विवरण क्रमशः भारत सरकार के गजट दिनांक १४ जून १९६० और १५ सितम्बर १९६० में प्रकाशित हुए हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) फ्रांस और यूनान के साथ वार्ता चल रही है। लेकिन वह अभी अंतिम स्थिति तक नहीं पहुंची है। फ़िनलेन्ड का एक प्रतिनिधिमंडल भी आगामी सप्ताह वार्त्ता करने के लिए भारत आने वाला है।

तस्कर व्यापार

†५६४. **श्री आसर :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई गोदी से जापानी रंग (डाई) बक्सों के तस्कर व्यापार के लिए भारतीय विमान बल के एक ट्रक का उपयोग किया गया जो ७ जनवरी १९६१ को पकड़ लिया गया ; और

(ख) यदि हां तो इसका विस्तृत विवरण **क्या** है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) असैनिक पुलिस ने यह आरोप लगाया है कि ७ जनवरी १९६१ को बम्बई गोदी से जापानी रंग के बक्सों के तस्कर व्यापार के लिए भारतीय विमान बल के एक ट्रक का, जिसे एक नागरिक ड्राइवर चला रहा था, उपयोग किया गया। असैनिक पुलिस ने उसी दिन रंगों पर कब्जा कर लिया।

(ख) यह मामला विचाराधीन है। असैनिक ड्राइवर को गिरफ्तार कर उस पर आरोप लगाये गये हैं। उसे तथा गोदी के दो अन्य असैनिक व्यक्तियों को अग्रेतर पूछताछ के लिए पुलिस की हिरासत में ले लिया गया है। भारतीय विमान बल के किसी व्यक्ति के अन्तग्रस्त होने का पता नहीं चला है।

मध्य प्रदेश में अस्पृश्यता निवारण

†५६५. **श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार को मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा कार्य रूप में लाई गई अस्पृश्यता निवारण संबंधी योजना का पता है;

(ख) क्या यह सच है कि सवर्ण जातियों के जो व्यक्ति झाड़ू देने का कार्य करना चाहते हैं उन्हें कुछ विशेष भत्ता दिया जाता है ; और

(ग) क्या राज सरकार की विशेष योजनाओं को अमल में लाने में होने वाले व्यय का एक अंश भारत सरकार भी देती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी हां। जहां तक केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं का संबंध है सरकार को उन योजनाओं का पता है।

(ख) भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है। राज्य सरकार ने वह योजना केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने की दृष्टि से नहीं रखी है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मल अंग्रेजी में

आय-कर लगाना

†५९६. **श्री पहाड़िया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित आदिम जातियों को कुछ आय करों से छूट मिली हुई है जब कि अनुसूचित जातियों को वे आय कर देने पड़ते हैं ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अनुसूचित जाति के कितने लोग आय-कर दे रहे हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) संविधान के अनुच्छेद ३६६ के खंड (२५) के अनुसार अनुसूचित आदिम जातियों की परिभाषा यह दी गयी है जो कि संविधान की छटवीं अनुसूची की कंडिका २० में संबद्ध भाग क और भाग ख में विहित किसी क्षेत्र में रहते हों अथवा मनीपुर और त्रिपुरा के संघ के राज्य क्षेत्रों में रहते हों, उन्हें इस शर्त पर आय कर से मुक्ति दी गयी है कि वह सरकारी नौकर न हों। ऐसी कोई छूट अनुसूचित जातियों को नहीं दी गयी है।

(ख) यह छूट जो कि कुछ पहाड़ी क्षेत्रों की आदिम जातियों तक ही सीमित है, ३९ वर्ष पूर्व जारी की गयी एक अधिसूचना के अनुसार है।

(ग) इस संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उन्हें संग्रह करना भी संभव नहीं है क्योंकि करदाताओं का वर्गीकरण जातियों के अनुसार नहीं किया जाता।

पिछड़ी जाति का कल्याण

†५९७. **श्री पहाड़िया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पिछड़ी जातियों के लिए रखे गए धन को पुनः इस प्रकार वितरित किया है कि दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त में कोई राशि न बचने पाये;

(ख) यदि हां, तो आवंटित राशि न बचे इस उद्देश्य के लिए पुनः वितरित की गयी राशि क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) राज्यों के बीच परस्पर पुनर्वितरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि किसी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह नहीं बताया है कि वे योजना के अधीन दिये गये धन का पूर्ण उपयोग करने में असमर्थ हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तेल का भाड़ा

†५९८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६० के दौरान भारत के तेलशोधनशालों तथा तेल समवायों ने कितना समुद्री तेल भाड़ा दिया है, तथा उस राशि में से कितना अंश भारतीय नौवहन समवायों तथा कितना अंश विदेशी नौवहन समवायों को दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : अपेक्षित जानकारी सरलता से उपलब्ध नहीं है ।

राष्ट्रीय नेताओं के चित्र

५९९. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे राष्ट्रीय नेताओं की, जिन के चित्र केन्द्रीय सरकार के प्रतिरक्षा तथा असैनिक कार्यालयों में टांगे जा सकते हैं, कोई अधिकृत सूची है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस सूची को सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गणतंत्र दिवस परेड

†६००. **श्री कुन्हन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में हुए गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न ब्लाकों के लिए कितने निमंत्रण पत्र जारी किये गये;

(ख) प्रत्येक ब्लाक में स्थानों की कुल संख्या कितनी थी; और

(ग) संसद सदस्यों के लिए की गयी व्यवस्था का विस्तृत ब्योरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १००]**

(ग) राष्ट्रपति के सब से निकट का एक ब्लाक संसद सदस्यों के लिए सुरक्षित रहता है । उसमें कुर्सियां सीढ़ीदार ढंग से बिछाई जाती हैं जिससे सभी स्थानों से परेड अच्छी तरह से दिखाई दे । इस ब्लाक का अग्र भाग ३० गज का है । असुविधा से बचने के लिए सीढ़ीदार स्टेंडों को जो लकड़ी के तख्तों से बनाये जाते हैं, उन्हें नये सिरे से बनाया गया है और उन पर कुर्सियां रखी गयीं हैं ।

सालार जंग संग्रहालय

†६०१. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हैदराबाद के सालार जंग पुस्तकालय और संग्रहालय के विकास के लिए क्या कार्यवाही की गयी;

(ख) सालार जंग संग्रहालय के विभिन्न विभागों में संग्रहीत और प्रदर्शित वस्तुओं की अनुमानित कीमत क्या है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पिछले तीन वर्षों में कितने दर्शकों ने सालार जंग संग्रहालय को देखा तथा उस अवधि में राष्ट्रीय संग्रहालय, कलकत्ता में दर्शकों की संख्या क्या है; और

(घ) अन्य दो राष्ट्रीय संग्रहालयों के अलावा भारत में और किन स्थानों पर राष्ट्रीय संग्रहलयों की स्थापना की जायेगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य-मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) निम्नलिखित विकास कार्यक्रम चालू किया जा चुका है।

(१) कलात्मक वस्तुओं और पुस्तकों की सूची और परिचय पत्रों को बनाना।

(२) संग्रहालय के लिए फोटोग्राफ़िक विभाग परिरक्षण प्रयोगशाला की स्थापना।

(३) डायग्राम और चार्ट इत्यादि बनवा कर बालकों के विभाग का पुनर्गठन ।

(४) विद्वानों के लिये निर्देश पुस्तकालय तथा समामान्य जनता के लिए वाचनालय की स्थापना ।

(५) एम० एस० विश्वविद्यालय बड़ौदा के सहयोग से कर्मचारियों को परिरक्षण प्रक्रिया चर्मसंस्कार, प्रदर्शन तथा नामांकन इत्यादि का प्रशिक्षण के लिये एक भाषण शृंखला आयोजित की गयी ।

(६) पुस्तकालय कर्मचारियों को परिरक्षण प्रक्रिया में प्रशिक्षण देने के लिये भारतीय राष्ट्रीय अभिलेख, नई दिल्ली में व्यवस्था की गयी है ।

(ख) ज्ञात नहीं है, क्योंकि स्वर्गीय नवाब सालार जंग ने मूल्य संबंधी कोई सूची या रजिस्टर नहीं रखा है ।

(ग) प्रतिवर्ष दशर्कों की संख्या इस प्रकार रही है ।

वर्ष	सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद	भारतीय संग्रहालय कलकत्ता
१९५८	१,६१,४५१	१२,४८,६०३
१९५९	१,६८,२१५	१४,४७,०३१
१९६० . . .	१,८९,६१७	१३,१७,१५३

(घ) नई दिल्ली, इसकी स्थापना हो चुकी है।

कोयला खान उपक्रमों को प्रोत्साहन

†६०२. **श्री कालिका सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा १९६० और १९६१ में गैर सरकारी क्षेत्र के कोयला खनन उपक्रमों को नये क्षेत्रों में कोयला खनन कार्य का विस्तार करने से संबंधित नीति में क्या कोई परिवर्तन हुआ है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वर्ष १९५७-५८, १९५८-५६, १९५६-६० और चालू वर्ष में कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, १९५७ के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वयं कोयला निकालने के उद्देश्य से अर्जित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तथा विभिन्न अधिनियमों के अधीन विहित क्षेत्र कौन से हैं तथा क्या उन सभी क्षेत्रों में लक्ष्य के अनुसार उत्पादन हुआ है, और यदि नहीं हुआ है, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) उक्त अवधि में कोयला खान उपक्रमों द्वारा कौन से क्षेत्र अर्जित किये गये तथा उनमें क्या परिणाम निकले हैं ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) गैर-सरकारी क्षेत्रों में कोयला क्षेत्रों के विकास के संबंध में सरकारी नीति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाले दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०१]**

बाल अधिनियम १९६०

†६०३. **श्री कालिका सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल अधिनियम १९६० (१९६० का संख्या ६०) किसी संघ राज्य क्षेत्र में भी लागू हुआ है ;

(ख) संघ राज्य क्षेत्रों में इस अधिनियम के लागू करने संबंधी अधिनियमों को जारी करने की संभावित तारीखें क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). भारत सरकार इस अधिनियम को पहले दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र पर लागू करना चाहती है । यह अधिनियम नियम बनने के बाद ही लागू हो सकता है ।

सार्वजनिक छुट्टियां

†६०४. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक छुट्टियों के बारे में सरकार ने कोई नया आदेश जारी किया है, और

(ख) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी हां ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

यह निश्चय किया गया है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में, चाहे वे कहीं भी स्थित हों तीन राष्ट्रीय छुट्टियां अर्थात् गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और महात्मा गांधी का जन्म दिन और तेरह सार्वजनिक छुट्टियां दी जायें । अर्थात् इन तीन अनिवार्य राष्ट्रीय छुट्टियों के अलावा प्रतिवर्ष इन तेरह छुट्टियों का चुनाव इस प्रकार किया जायेगा कि उनमें वे महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार आ जायें जो कि इतवार या अन्य छुट्टियों में नहीं पड़ते हैं । तथापि सार्वजनिक छुट्टियों की संख्या किसी एक वर्ष में १६ से अधिक नहीं होनी चाहियें ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

उक्त १६ पूरी छुट्टियों के अलावा प्रत्येक कर्मचारी प्रतिबंधित छुट्टियों की सूची में से अपने द्वारा चुनी हुई कोई सी दो छुट्टियां ले सकता है। इनकी घोषणा प्रतिवर्ष की जायेगी।

जहां तक दिल्ली और शिमला के बाहर स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों का संबंध है, इन तेरह छुट्टियों को स्थानीय महत्व के त्योहारों के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है, वहां के कार्यालयों के अध्यक्ष प्रतिबंधित छुट्टियों की अपनी सूची बना सकते हैं। पूरी तथा प्रतिबंधित छुट्टियों की सूची बनाने में कार्यालयों के अध्यक्ष इस बात का ध्यान रखेंगे कि :

(१) भारत सरकार के दिल्ली और शिमला स्थित कार्यालयों के निमित्त सूची में शामिल अल्पसंख्यक समुदायों की पूरी छुट्टियां यथासंभव उनकी पूरी छुट्टियों की सूची में शामिल हों।

(२) यदि किसी कारण से पूरी छुट्टियों में कोई विशेष छुट्टी शामिल नहीं की जा सकती है तो उसे प्रतिवन्धित छुट्टियों में स्थान दिया जाए।

यह आदेश उन असैनिक कार्यालयों के लिये भी है जो कि सचिवालयों के प्रकार का काम कर रहे हैं। यह ऐसे संगठनों या विभागों के लिए नहीं है जहां का कार्य सचिवालयों के प्रकार का नहीं है। ऐसे संगठनों, विभागों में जहां का कार्य औद्योगिक, वाणिज्यिक, व्यवसायिक और संचालन के प्रकार का होता है वहां छुट्टियां मंत्रालयों, विभागों के अध्यक्षयों द्वारा समय समय पर विहित आदेशों के अनुसार बनायी जायेंगी।

कलकत्ता के टैस्ट मैच पाकिस्तानी राष्ट्रजन

†६०५. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में होने वाले टैस्ट मैच को देखने के लिये पूर्वी पाकिस्तान से कोई पाकिस्तानी आये थे ; और

(ख) यदि हां, तो कितने ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और जैसे ही उपलब्ध हो जायेगी तो सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भट्टों का बन्द किया जाना

†६०६. **श्री आचार** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले की कमी के कारण गाजियाबाद में गत वर्ष दिसम्बर के अन्त में बहुत से भट्टे बन्द हो गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो कितने भट्टे बन्द हुए थे और उसके कारण कितने लोग बेरोज़गार हो गये थे ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** :(क) तथा (ख). उत्तर प्रदेश में ईंटों के पकाने वाले कोयले की सामान्य कमी है। गाज़ियाबाद की स्थिति के बारे में सरकार को कोई खास खबर नहीं मिली है।

जाली सिक्के

†६०७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय गिरोहों द्वारा भारत में जाली सिक्के बनाये जा रहे हैं;

† मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में ३१ जनवरी, १९६१ तक क्या कार्यवाही की है ;

(ग) कौन कौन देश भारत के साथ सहयोग दे रहे हैं ;

(घ) ३१ जनवरी, १९६१ तक सरकार को कुल कितना नुक्सान हुआ है ;

(ङ) जाली सिक्के बनाने वाले कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं तथा उनको क्या दंड दिया गया है ; और

(च) किस हद तक जाली सिक्कों का बनाना बन्द हो गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) बहुत से विदेशों में भारतीय १०० रुपये के नोट का पाया जाना इस संदेह का द्योतक है ।

(ख) फारस की खाड़ी वाले क्षेत्र में विशेष प्रकार के नोट का जारी किया जाना, प्रति व्यक्ति को ७५ रुपये से अधिक भारतीय मुद्रा रखने पर प्रतिबन्ध, जाली नोटों की पकड़ करने के लिये प्रशुल्क तथा पुलिस पदाधिकारियों के लिये प्रशिक्षण, तथा १०० रुपये के जाली नोटों वाले मामलों में सुव्यवस्थित रूप से जांच पड़ताल करना आदि कुछ ऐसे कदम हैं जो जाली नोटों के प्रचलन तथा उनके आयात को रोकने के लिये उठाये गये हैं ।

(ग) सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय दांडिक पुलिस संगठन की सहायता ली है तथा इस प्रकार के जाली कारबार को रोकने के लिये सदस्य देशों की सहायता ली है । अक्तूबर १९६० में वाशिंगटन में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय दांडिक पुलिस सम्मेलन में यह मामला उठाया गया था और सदस्य राष्ट्रों ने सर्वसम्मति से जाली सिक्कों की वारदातों को रोकने के लिये भारत की यथासंभव सहायता करने के लिये अपनी सहमति प्रकट की थी ।

(घ) जाली नोटों के प्रचलन से भारत को कोई हानि नहीं हुई है ।

(ङ) इन जाली सिक्कों के मामले में १७ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया हुआ बताते हैं । कुछ मामले अभी तक अदालतों में निलम्बित हैं लेकिन उनको क्या दंड दिया गया अथवा उन पर क्या मुकद्दमा चलाया गया इस मामले में अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(च) सरकार द्वारा जो कार्यवाही की गई है उससे १०० रुपये के जाली नोटों का चौर्यानयन कम हुआ है ।

सैनिकों को शिक्षा

†९०८. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने हमारे संविधान की मुख्य एवं मूलभूत बातों के सम्बन्ध में सैनिकों तथा पदाधिकारियों को शिक्षा देने की कोई योजना चालू की है अथवा उसका कोई ऐसा विचार है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : नेशनल डिफेंस अकादमी तथा इंडियन मिलिटरी अकादमी के पाठ्यक्रम में, जहां कि कमीशन प्राप्त करने से पूर्व के सैनिकों को शिक्षा दी जाती है, हमारे संविधान की मुख्य बातें सम्मिलित हैं । कमीशन प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों को भी संविधान के अध्ययन की आवश्यकता है ताकि वे अपने पदोन्नति वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का उत्तर दे सकें ।

सैनिक शिक्षा कार्यक्रम के अंग के रूप में अन्य सैनिकों को नागरिकता का पाठ पढ़ाया जाता है जो कि हमारे संविधान के मुख्य तथा मूलभूत अधिकार हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

भारत में विनियोजित ब्रिटिश पूंजी पर लाभ

†६०६. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री २३ दिसम्बर, १६६० के तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १६४७, १६५७ तथा १६५६ में जो ब्रिटिश पूंजी भारत में विनियोजित की गई थी उनके लाभ के रूप में प्राप्त कितनी राशि ब्रिटेन को भेजी गई है ; और

(ख) भेजे गये लाभांशों की राशि भारत में विनियोजित ब्रिटिश राशि का कितना भाग है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १६४७ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। १६५७ और १६५८ में ब्रिटेन को जो राशि भेजी गई है वह क्रमशः २३ करोड़ तथा २३.६ करोड़ रुपये है। १६५६ के आंकड़े अभी तैयार नहीं हैं।

(ख) लगभग ६ प्रतिशत।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

†६१०. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, १६६० की हड़ताल में भाग लेने के कारण अब तक कितने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी निकाले गये, सेवा से अलग किये गये तथा जबरदस्ती उनको सेवा मुक्त किया गया ;

(ख) कितने व्यक्तियों की वार्षिक उन्नति रोकी गई, अथवा कितने व्यक्तियों की नीचे वाली श्रेणी में अथवा निचले वेतन क्रम में पदावनति की गई है ;

(ग) कितने व्यक्ति अभी तक निलम्बित हैं अथवा कितने व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस दिये हुए हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन कर्मचारियों को, जिनके विरुद्ध कि विभागीय स्तर पर अनुशासन की कार्यवाही की गई है, न्यायिक अथवा अर्द्ध न्यायिक निकायों में अपील करने की अनुमति देने का है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). १५-२-६१ को स्थिति निम्न थी :—

(क)	नौकरी से अलग किये गये/हटाये गये . .	३२७
	अस्थायी कर्मचारी जिनकी नौकरी समाप्त की गई .	१८३
	सेवा से जबरदस्ती सेवा निवृत्त .	१८
(ख)	जानकारी उपलब्ध नहीं है।	
(ग)	अभी तक निलम्बित व्यक्ति : . .	३६४
	निलम्बित विभागीय कार्यवाही . . .	३८६

(घ) जिन व्यक्तियों को दंड दिया गया है उन्हें संविहित नियमों के अधीन उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष अपील करने का अधिकार है। अतः न्यायिक अथवा अर्द्ध न्यायिक निकायों के समक्ष अपील करने का प्रश्न नहीं उठता।

छावनियों में स्कूल

†६११. **श्री गोरे :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छावनियों में प्राथमिक तथा हाई स्कूलों की संख्या कितनी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन स्कूलों को वित्तीय सहायता देने के बारे में सरकार की नीति क्या है; और

(ग) क्या इन स्कूलों की ओर से वित्तीय सहायता पाने के लिये सरकार को कोई ज्ञापन मिला है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) ३८८ प्राथमिक स्कूल और १२८ हाई स्कूल हैं।

(ख) भाग (क) के उत्तर में जिन स्कूलों का उल्लेख किया गया है उनमें से १०९ प्राथमिक स्कूल तथा ९ हाई स्कूल स्वयं छावनी बोर्डों द्वारा चलाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्राय: राज्य शिक्षा प्राधिकारियों की सिफारिशों के आधार पर छावनी बोर्ड मान्यता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों तथा गैर सरकारी निकायों द्वारा चलाये जाने वाले हाई स्कूलों के प्राथमिक सैक्शनों को आर्थिक सहायता देते हैं।

(ग) छावनियों में चल रहे इन स्कूलों की ओर से सरकार को कोई सामान्य ज्ञापन नहीं मिला है।

पंजाब के लिये लोहा और इस्पात की आवश्यकता

†६१२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ में अब तक पंजाब के लिये कितने लोहे तथा इस्पात की आवश्यकता हुई है ; और

(ख) कितना लोहा तथा इस्पात उन्हें दिया गया है ?

†**इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) तथा (ख).

(i) **इस्पात**	**नियतन**	**(मीट्रीक टनों में) भेजा गया**
आवश्यकता २३२,१३४	१४६,५४४ (केन्द्रीय समर्थक प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये अभ्यंश के अतिरिक्त)	(अप्रैल से दिसम्बर, १९६० तक)

(भेजे गये माल में स्टाकिस्टों को भेजा गया माल निहित है तथा चालू तथा बकाया आदेशों के बदले में भेजा गया माल निहित है)।

(ii) कच्चा लोहा

आवश्यकता	२,३०,००० टन
संभरण/भेजा गया	५७,५०७ टन अप्रैल से दिसम्बर १९६० तक)

पुरातत्वीय वस्तुएं

†६१४. **श्री तंगामणि** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** २० दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के क्या नाम हैं जिन्होंने कुम्हारहर तथा रूपकुंड के मौर्य खंडहरों की खुदाई में प्राप्त वस्तुओं में कारबन १४ का पता लगाया था;

(ख) क्या कारबन १४ के बारे में निश्चय करने के सम्बन्ध में भारत की किसी प्रयोगशाला में कुछ सुविधायें प्राप्त हैं;

---

† अंग्रेजी में

(ग) क्या पुरातत्वीय विभाग तथा नृतत्वीय विभाग के अतिरिक्त भारत में कोई विभाग और भी है जहां कारबन १४ का सुनिश्चयीकरण का काम किया हो ;

(घ) क्या भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो उन संस्थाओं एवं विभागों के नाम क्या हैं जो कारबन १४ का सुनिश्चयीकरण करते हैं ;

(ङ) क्या पुरातत्वीय विभाग के नमूने कारबन १४ का सुनिश्चय करने के लिये नेशनल फिजीकल लेबोरेटरी भेजे गये हैं ;

(च) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम हुए हैं ; और

(छ) क्या नेशनल फिजीकल लेबोरेटरी के पास कारबन १४ का सुनिश्चय करने के लिये संयंत्र हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (प्रो० हुमायून् कबिर)** : (क) डा० एस० डी० चटर्जी तथा उनके साथी ।

(ख) यूनीवर्सिटी कालिज ऑफ साइंस तथा टैक्नोलोजी, कलकत्ता के फिजिक्स विभाग में कुछ सुविधायें उपलब्ध हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) (१) डक्कन कालिज पोस्ट ग्रेजुएट एन्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना ने अपने सामान का परीक्षण पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में कराया था ।

(२) आंध्र प्रदेश के पुरातत्वीय विभाग ने अपने सामान का परीक्षण ब्रिटिश म्युजियम की प्रयोगशाला में कराया था ।

(ङ) जी हां ।

(च) चूंकि जांच होने से पूर्व ही इस काम में लगे अनुसन्धान वैज्ञानिक छोड़ कर चले गये हैं अतः यह कार्य अस्थायी तौर पर बन्द कर दिया गया है ।

(छ) जी हां ।

विश्वविद्यालयों द्वारा पुरातत्वीय खुदाई

†६१५. **श्री तंगामणि** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा की गई पुरातत्वीय खोज के लिये पुरातत्वीय विभाग द्वारा अनुदान दिये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन किन विश्वविद्यालयों को इससे लाभ हुआ है और प्रत्येक विश्व-विद्यालय को पिछले वर्षों से कितना कितना अनुदान दिया गया है ;

(ग) विश्वविद्यालयों के उन विशेषज्ञों के क्या नाम हैं जिन्हें इनसे लाभ हुआ है ;

(घ) क्या सरकार ने इन अनुदानों के लिये कोई नियम निर्धारित किये हैं ;

(ङ) उन विशेषज्ञों के क्या नाम हैं जो पुरातत्वीय विभाग की केन्द्रीय परामर्शदात्री बोर्ड और केन्द्रीय परामर्शदात्री बोर्ड की स्थायी समिति के सदस्य हैं ;

(च) क्या इस प्रकार के अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये जाने का विचार है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(छ) यदि भाग (ङ) का उत्तर नहीं है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी हां ।

(ख)	१९५५–५६	शून्य	
	१९५६–५७	शून्य	
	१९५७–५८	कलकत्ता विश्वविद्यालय	२५०० रु०
	१९५८–५९	अलाहाबाद विश्वविद्यालय	६००० रु०
		बनारस विश्वविद्यालय	५००० रु०
		कलकत्ता विश्वविद्यालय	६००० रु०
	१९५९–६०	शून्य	

(ग) विश्वविद्यालयों को पुरातत्वीय खोज के लिये अनुदान दिये जाते हैं। अत: व्यक्तियों को लाभ पहुंचने का प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी हां ।

(ङ) चूंकि अनुदान विश्वविद्यालय को दिये जाते हैं न कि व्यक्ति विशेष को अत: यह प्रश्न नहीं उठता ।

(च) जी नहीं ।

(छ) ये तदर्थ अनुदान हैं जो पुरातत्वीय खोज के लिये ही दिये जाते हैं ।

श्रमजीवी पत्रकार वेतन समिति की सिफारिशें

†६१६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **श्रम और योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विभिन्न समाचारपत्रों के मालिकों के क्या नाम हैं जिनके विरुद्ध अब तक ये शिकायतें आई हैं कि उन्होंने श्रमजीवी पत्रकार वेतन समिति की सिफारिशों को उस तारीख से लागू नहीं किया है जब से कि समिति ने सिफारिश की थी ;

(ख) उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है : और

(ग) इस कार्यवाही के फलस्वरूप प्रत्येक मामले में अब तक कितना सुधार हुआ है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली):** (क) से (ग). सिफारिशों को क्रियान्वित करना राज्य सरकारों के अधीन आता है। उपलब्ध जानकारी इस प्रकार है :—

आंध्र प्रदेश ।

एक श्रमजीवी पत्रकार से उसका वेतन निर्धारित न करने की व्यक्तिगत शिकायत आई है । राज्य सरकार उस समाचारपत्र के प्रबन्ध से बातचीत कर रही है ।

बिहार :

पांच संस्थानों से सिफारिशों को क्रियान्वित न करने की शिकायतें मिली हैं और राज्य सरकार मामले की जांच कर रही है ।

मद्रास :

'आनन्द विकालान" के प्रबन्धकों ने सिफारिशें क्रियान्वित नहीं की है अत: कर्मचारियों को प्रबन्धकों से रुपया लेने के लिये प्रार्थनापत्र देने की सलाह दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

महाराष्ट्र :

जो आठ शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनमें से एक शिकायत ही सही मालूम पड़ती है। उस के प्रबन्धक मजदूर संघ से सीधे बातचीत कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश :

बारह शिकायतें मिली थीं और उचित कार्यवाही की जा रही है।

पश्चिमी बंगाल :

एक शिकायत मिली थी और श्रमजीवी पत्रकारों की राशि निश्चित करने के लिये उसे श्रम अदालत भेज दिया गया है।

दिल्ली :

सात शिकायतें मिली थीं और प्रत्येक के बारे में उचित कार्यवाही की गई है।

लाओस में भारतीय राष्ट्रजन

†६१७. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल लाओस में कितने भारतीय रह रहे हैं ; और

(ख) क्या उनको कोई कठिनाइयां हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) आजकल लाओस में लगभग १०० भारतीय रह रहे हैं।

(ख) जहां तक सरकार को जानकारी है लाओस में रहने वाले भारतीयों को कोई कठिनाई नहीं है।

अनुशासन संहिता

†६१८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, १९६० से सरकार को नियोजकों को ओर से कर्मचारियों के अनुशासन उल्लंघन सम्बन्धी कितनी शिकायतें मिली हैं ; और

(ख) इन शिकायतों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) ४१।

(ख) (१) अनुशासन उल्लंघन सम्बन्धी १९ शिकायतें सम्बन्धित दलों एवं उनके केन्द्रीय संगठनों को मिली हैं।

(२) तीन मामलों में दोनों पक्षों से बातचीत करके समझौता कर दिया गया है।

(३) जांच करने के बाद मालूम हुआ कि तीन शिकायतें निरर्थक थीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) ११ शिकायतों के मामले राज्यों के क्षेत्राधिकार में थे और वे मामले कार्यवाही के लिये सम्बन्धित राज्य सरकारों को भेज दिये गये हैं ।

(५) ५ शिकायतों के बारे में जांच हो रही है

तिलहन एवं खली का निर्यात

†६१९. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री वोडियार :
श्री अगाड़ी : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिलहन एवं खली के निर्यात की स्थिति अच्छी है ;

(ख) यदि हां तो इन वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) १९६०-६१ में अब तक निर्यात से कितनी आय हुई है ; और

(घ) किन किन देशों को निर्यात किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) और (ख). देश में पेरने वाले उद्योगों को ध्यान में रखते हुए, सामान्य नीति की दृष्टि से तिलहनों का निर्यात नहीं किया जाता । एच० पी० एस० मूंगफली की थोड़ी मात्रा जिस की इंगलिस्तान तथा नीदरलैंड और कनाडा में खाद्यान्नों के लिये भारी मांग है और कनफैक्शनरी बनाने के लिये छोटे छोटे तिलहन जैसे नाइजर, और कारडी का भी निर्यात किया जाता है । तोरिया के बीज भी थोड़ी मात्रा में निर्यात किये जाते हैं । मूंगफली, तिलहन तथा खोपड़ा की खली भी कोटा के रूप में निर्यात की जाती है । अन्य प्रकार की खली के निर्यात के लिये अनुज्ञप्तियां उदारता के साथ दी जाती हैं । कुछ विदेशों में तिलहन और खली की काफी मांग है, लेकिन निर्यात का मामला तो अतिरिक्त मात्रा और प्रतियोगात्मक मूल्यों पर निर्भर करता है ।

(ग) तिलहन एवं खली का कुल निर्यात अप्रैल से नवम्बर १९६० तक १०·४ करोड़ रुपये का किया गया था ।

(घ) तिलहन और खली का निर्यात इंगलिस्तान, कनाडा, पश्चिम जर्मनी, नेदरलैंड्स, जेकोस्लोवेकिया, पोलैंड, बेलजियम, डेनमार्क और यूगोस्लोविया को किया जाता है ।

विदेशों में भारतीय दूतावास तथा मिशन

†६२०. **श्री वें० प० नायर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय दूतावास एवं उच्चायुक्तों में भारत सरकार के कितने प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी १ जनवरी १९६१ को कार्य कर रहे थे ; और

(ख) वर्ष १९६० में इन पदाधिकारियों के लिये कितना विदेशी विनिमय दिया गया था ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) ऐसे पदाधिकारियों की कुल संख्या ३५६ है ।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

छपाई और लिखाई कागज के कारखाने

†६२१. **श्री पांगरकर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में गैर-सरकारी क्षेत्र में छपाई के और लिखने के कागज तैयार करने के कुछ कारखाने खोलने के सवाल पर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) और (ख). कागज तैयार करने के लिये महाराष्ट्र राज्य में औद्योगिक कारखाने खोलने के लिये लाइसेंस प्राप्त करने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन जितने आवेदन पत्र अब तक आ चुके हैं उन में से १७ को लाइसेंस दिये जा चुके हैं और ५ पर अभी विचार किया जा रहा है ।

मद्रास में चमड़ा उद्योग

†६२२. **श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०-६१ में अब तक मद्रास में चमड़ा उद्योग के विकास के लिये क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है ; और

(ख) चमड़ा उद्योग में आने के लिये प्रोत्साहन देने के लिये अनुसूचित जाति संगठनों को उपर्युक्त अवधि में कुल कितनी रकम दी गयी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०२]**

मद्रास में कुटीर उद्योग

†६२३. **श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में कुटीर उद्योगों के लिए एक एम्पोरियम खोलने की कोई योजना है ;

(ख) क्या इस बारे में अन्तिम निर्णय हो चुका है ; और

(ग) यदि हां, तो वह कब और कहां खोला जायगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) मद्रास में कुटीर उद्योगों के लिये केन्द्रीय सहायता से एम्पोरियम खोलने की कोई योजना नहीं है । वहां निम्नलिखित एम्पोरियम अभी चल रहे हैं :—

१. काटेज इन्डस्ट्रीज़ सेल्स एम्पोरियम, मद्रास

२. हैन्डी क्राफ्ट्स एम्पोरियम मद्रास

३. विक्टोरिया टेक्नीकल इंस्टिट्यूट, मद्रास ।

४. खादी ग्रामोद्योग भवन, मद्रास ।

५. हैन्डलूम हाउस, मद्रास

६. कॉयर शोरूम एण्ड सेल्स डीपो, मद्रास

७. 'लीलीपुट' स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ एम्पोरियम, मद्रास ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†मूल अंग्रेजी में

महाराष्ट्र में हथकरघा उद्योग

†६२४. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के हथकरघा उद्योग की वस्तुओं का अमेरिका को निर्यात १९५९ से धीरे धीरे कम हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ; और

(ग) अमेरिका को निर्यात बढ़ाने के लिये अब तक क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** (क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है क्योंकि हथकरघा कपड़े के निर्यात के आंकड़े केवल संपूर्ण भारत के सम्बन्ध में ही रखे जाते हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

†६२५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकारी क्षेत्र की विभिन्न उपक्रमों के संचालकों का आज तक का एक विवरण सभा पटल पर रखा जायगा जिस में यह बताया गया हो कि वर्तमान संचालक कितनी अवधि से बोर्ड में रहे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : सरकारी क्षेत्र की कंपनियों अथवा निगमों की सब से नवीन वार्षिक रिपोर्टें तत्सम्बन्धी मंत्रालयों ने सभा पटल पर रख दी है। इन रिपोर्टों में सभी संचालकों के नाम हैं। फिर भी यदि माननीय सदस्य किन्हीं खास निगमों या कम्पनियों के सम्बन्ध में नवीनतम सूची चाहते हों, तो मैं बड़ी खुशी से दूंगा ।

उत्तर प्रदेश में मध्य और निम्न वर्ग आवास योजनाएं

†६२६. **श्री सरजू पांडेय** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अब तक उत्तर प्रदेश को प्रत्येक वर्ष मंझली और कम आय वाले लोगों के लिए मकान बनाने की योजनाओं के अधीन कितनी रकम का कर्ज दिया गया ; और

(ख) अब तक कितने मकान बनाये गये ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी बताने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०३]**.

उत्तर प्रदेश में स्थानीय विकास कार्य

†६२७. { **श्री सरजू पांडेय** :
श्री कालिका सिंह :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७, १९५७-५८, १९५८-५९ और १९५९-६० में स्थानीय विकास कार्य के लिये उत्तर प्रदेश को कुल कितनी रकम दी गई ; और

(ख) उस राज्य ने इन वर्षों में कितनी रकम काम में लाई ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) स्थानीय विकास कार्य के लिये निम्न-लिखित रकमें उत्तर प्रदेश को दी गई थी :—

वर्ष	रकम (लाख रुपयों में)
१९५६–५७ .	८७·५०
१९५७–५८ .	११३·४१
१९५८–५९ .	७४·४७
१९५९–६० .	७१·२५

(ख) राज्य सरकार ने बताया है कि निम्नलिखित रकमें काम में लाई गयीं :—

वर्ष	रकम (लाख रुपयों में)
१९५६–५७	१०२·२२४
१९५७–५८ .	१०६·१९३
१९५८–५९ .	७५·६२७
१९५९–६० .	६६·१२४

उत्तर प्रदेश में खादी का उत्पादन

†६२८. **श्री सरजू पांडेय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में १९६०–६१ मे (माहवार) कितनी खादी तैयार की गई ;

(ख) १९६१-६२ में खादी उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** (क) अब तक प्राप्त जानकारी के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य मे १९६०–६१ में खादी का उत्पादन इस प्रकार रहा :—

महीना	(उत्पादन वर्ग गज में)
अप्रैल	७,१८,३२५
मई .	६,७०,६७७
जून	८,२९,३६७
जुलाई	९,०३,६०४
अगस्त	१२,४०,६३७
सितम्बर	१३,३४,७४२
अक्तूबर	१४,१९,५३६
नवम्बर	१५,०७ ४०४
दिसम्बर	१,५२,२२४
कुल	८८,७६,०३६

(ख) १९६१-६२ में खादी के उत्पादन के लिये अभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

†मूल अंग्रेज़ी में

हिमाचल प्रदेश में गन्दी बस्तियां हटाना

†६२९. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में हिमाचल प्रदेश को गंदी बस्तियां हटाने के लिए कितनी रकम दी गयी ; और

(ख) किन किन योजनाओं पर यह रकम खर्च की गयी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश प्रशासन न तो गंदी बस्तियां हटाने की कोई योजना कार्यान्वित कर रही है और न ही कोई रकम इस योजना के अधीन उसके लिए इस अवधि में नियत की गयी है ।

हिमाचल प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग

†६३०. **श्री शि० न० रामौल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने १९५८-५९, १९५९–६० और १९६०-६१ में प्रत्येक जिले में इस्पात, पीतल, जस्त और ऊन का कितना कितना कोटा दिया ;

(ख) किन किन लोगों को कोटा दिया गया और प्रत्येक को कितना कितना सामान दिया गया ;

(ग) कोटा लेने वाले व्यक्तियों ने उन्हें दिये गये कोटे से प्रत्येक वर्ष कितना तैयार माल पैदा किया ; और

(घ) उन्होंने अपने कारखानों में कितने कितने मजदूर लगाये ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). यह सब जानकारी इकट्ठी करना संभव नहीं है । फिर भी यदि माननीय सदस्य किसी खास कारखाने या कारखानों के बारे में कोई जानकारी चाहते हों तो मैं खुशी से दूंगा ।

चाय की फसल

†६३१. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९ में चाय की फसल कम हुई ;

(ख) क्या कम फसल का एक कारण यह भी था कि उर्वरक की कमी थी ; और

(ग) इस कमी के क्या कारण थे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी नहीं । १९५९ में भारत में चाय का उत्पादन ७१.९६८ करोड़ पौंड था जब कि १९५८ में ७१·७ करोड़ पौंड और १९५७ में ६८·५२ करोड़ पौंड था ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

कोयरोलाइट

†६३२. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयरोलाइट नामक पदार्थ के औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोग के बारे में अनुसन्धान पूरा हो जाने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: औद्योगिक उत्पादन के लिए "कोयरोलाइट" बनाने में प्रयोगशाला संबंधी ढंग अपनाने की संभावना की परीक्षण कर लिया गया है । यह बताया गया है कि प्लास्टिक उद्योग में जो साज सामान अभी फिलहाल काम में लाया जाता है उसमें फेरबदल करना जरूरी है इसके पहले कि इस प्रक्रिया का वाणिज्यिक उपयोग शुरू किया जाये । केन्द्रीय नारियल रेशा अनुसन्धान इंस्टिटयूट साज सामान में फेर बदल करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ।

मोटरगाड़ी उद्योग

†६३३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान मोटरगाड़ी उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए झा समिति ने जिन उपायों का सुझाव दिया था उन पर सरकार ने अंतिम रूप से विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) झा समिति के विभिन्न सिफारिशों और सुझावों पर सरकार के निर्णय दिनांक ६ सितम्बर, १९६० के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के संकल्प संख्या ए० ई० इन्ड १(६०)/६० में घोषित किये गये थे । संकल्प उसी दिन सभा की टेबल पर रख दिया गया था ।

औद्योगिक बस्तियां

†६३४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक बस्तियों में कितने शेड में उत्पादन शुरू हो गया है ; और

(ख) कुल खर्च, उत्पादन और रोजगार में लोग कितने हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). ५० औद्योगिक बस्तियों में १०१६ शेड में उत्पादन शुरू हो गया है । ये बस्तियां बनाने में ८.६७ करोड़ रुपया खर्च हुआ है । अनुमान है कि इन बस्तियों में औद्योगिक एककों में वार्षिक उत्पादन ११.४६ करोड़ रुपये का है और लगभग १३६०० व्यक्ति रोजगार में लगे हुए हैं ।

जिला विकास कार्यक्रम

६३५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १६ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर (उ० प्र०) के जिला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार की संभावनाओं के बारे में जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, उसकी सिफारिशों को सारे देश में लागू करने की दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : जिला-स्तर पर रोज़गार की सम्भावनाओं के बारे में नमूने के तौर पर की गई जांच के सुझावों को राज्यों की तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाते समय ध्यान में रखा गया है। यह जानकारी राज्य सरकारों से मिली सूचना के आधार पर है।

गांवों में मकान बनाने का कार्यक्रम

†६३६. **श्री कोडियान** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना में गांवों में मकान बनाने का कार्यक्रम तेजी से चलाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) इस संबंध में कितनी रकम खर्च की जायेगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). तीसरी योजना के दौरान गांवों में मकान बनाने पर कितना धन खर्च किया जायगा यह तभी मालूम होगा जब योजना अंतिम रूप से तैयार हो जाये। इस प्रयोजन के लिए यथासंभव अधिक से अधिक निधि प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है और वह निधि अन्य विकास कार्यक्रमों की मांगों तथा प्राथमिकताओं के अनुसार होगी।

तीसरी योजना में गांवों में मकान बनाने का कार्यक्रम तेजी से चलाने के लिए आवश्यक कार्यवाही इस बात पर निर्भर होगी कि इस प्रयोजन के लिए वास्तव में कितनी निधि उपलब्ध होगी। गांवों में मकान बनाने के कार्यक्रम के कुछ अधिक महत्वपूर्ण पहलू, जिन पर तीसरी योजना की अवधि में अधिक ध्यान देना होगा, "तीसरी पंचवर्षीय योजना--मसविदे की रूपरेखा" के अध्याय ६ के भाग ४ में बताये गये हैं जिसमें यह कहा गया है :

"तीसरी योजना के अधीन सामुदायिक विकास आन्दोलन के साथ इस योजना का अधिक घनिष्ट प्रबंध स्थापित करना होगा और ईंटें बनाने की भट्टियां कायम करने, इमारती सामान तैयार करने, नये मकानों का क्षेत्रफल बढ़ाने और किसानों, खासकर भूमिहीन किसानों के रहने की हालत में सुधार करने पर अधिक ध्यान देना होगा। तकनीकी सहायता देने वाले संगठन को भी सुदृढ़ बनाना होगा।"

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा संधारित बिजलीघर

†६३७. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा संचालित बिजली घर कहां कहां हैं, और

(ख) प्रत्येक बिजली घर में प्रत्येक श्रेणी के कितने कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

†**निर्माण, आवस और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०४]**

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत भारतीय राष्ट्रजन

†६३८. { **श्री अन्सर :**
श्री वाजपेयी :

क्या प्रधान मंत्री १६ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९२३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानि जिन दो भारतीय राष्ट्रजनों को भगा ले गये थे उनकी वापसी के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** पूर्वी पाकिस्तान के अधिकारियों ने यह बताया है कि उन्होंने इन दो व्यक्तियो को पाकिस्तान से पटसन और धान चोरी से ले जाने की कोशिश करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया था । जालपाईगुड़ी के डिप्टी कमिश्नर ने पाकिस्तान में डिप्टी कमिश्नर को सुझाव दिया है कि इस बारे में संयुक्त जांच की जाये कि किन परिस्थितियों में इन भारतीय राष्ट्रजनों को गिरफ्तार किया गया ।

नागा

†६३९. { **श्री रामजी वर्मा :**
श्री सम्पत् :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागा आक्रमणकारियों ने १७ दिसम्बर, १९६० को एक नागा औरत को मार डाला जो इम्फाल में माओ से खुजामा जा रही थी;

(ख) क्या यह सच है कि गश्ती सेना और नागा आक्रमणकारियों के बीच गोलाबारी से यह नागा औरत मारी गयी; और

(ग) इस घटना का ब्यौरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) से (ग). १७ दिसम्बर, १९६० को नागा आक्रमणकारियों ने मनीपुर सीमा के पास नागालैण्ड में खुजामा गांव के बाहर सड़क संरक्षण दल की ओर दो गोलियां चलायीं । एक औरत को, जो मनीपुर में माओ गांव से खुजामा जा रही थी, गोली से चोट आयी और बाद में वह मर गयी ।

सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान

†६४०. **श्री वें० प० नायर :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को जिन्हें ५०० रु० माहवार से कम वेतन मिलता है, उन कर्मचारियों की तुलना में जिन्हें ५०० रुपये या उससे अधिक वेतन मिलता है, दिल्ली और नयी दिल्ली में सरकारी क्वार्टर देने के सम्बन्ध में १९५८ और १९५९ की तुलना में १९६० में क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : दिल्ली और नयी दिल्ली में आवास में सामान्य संग्रह के सम्बन्ध में स्थिति नीचे विवरण में दी गयी है :—

	१९५८		१९५९		१९६०	
	मांग	उपलब्धि	मांग	उपलब्धि	मांग	उपलब्धि
(क) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	१७४५४	६,५५२	१७,४५४	६,७२६	१९,२५५	७,८५६
(ख) अन्य कमचारी जिन्हें ५०० रु० माहवार से कम वेतन मिलता है	३९,२६७	१६,७५१	३९,२६७	१६,४८३*	४७,५९७	१७,१४८
(ग) ऐसे कर्मचारी जिन्हें ५०० रु० माहवार और उससे अधिक वेतन मिलता है	४,६०४	२,२६३	४,६०४	२,७५९	५,०७८	२,७८२

*मद (ख) में वर्ष १९५९ के लिये उपलब्धि के आंकड़े वर्ष १९५८ के आंकड़े से कम हैं क्योंकि कुछ वर्ग के क्वार्टर जिनके लिये ५०० रु० माहवार से कम वेतन पाने वाले कर्मचारी अधिकारी हैं, ऊंचे वर्ग के क्वार्टर बना दिये गये और इसी प्रकार कुछ दूसरे मकानों को भी ऊंची श्रेणी का बना दिया गया।

उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योग

†६४१. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के छोटे पैमाने के किन्हीं उद्योगों को भारत के राज्य बैंक से उसकी 'अग्रिम योजना' के अधीन अब तक कोई ऋण सुविधायें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो वे उद्योग कौन कौन से हैं;

(ग) क्या उड़ीसा में खेती के औजार, बाइसिकिल, रंग रोगन आदि उद्योगों को अब तक कोई प्रोत्साहन मिला है ; और

(घ) यदि हां, तो अब तक किस प्रकार का प्रोत्साहन दिया गया है।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). विवरण संलग्न है। अग्रिम योजना सफल और कारगर साबित हुई है इसलिये अब यह देश के सभी भागों में भारत के राज्य बैंक की सभी शाखाओं के लिये लागू होती हैं। **[देखिये परिशिष्ट १. अनुबन्ध संख्या १०५]**

†मूल अंग्रेजी में

राज्य और तीसरी पंचवर्षीय योजना

†६४२. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री भ० क० कुमारन :
श्री वारियर :
श्री कोडियान :
श्री पुन्नूस :
श्री स० मो० बनर्जी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री कालिकासिंह :

क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में उसकी मूल मांग के मुकाबले में तीसरी योजना में कुल खर्च कितना होगा ;

(ग) प्रत्येक राज्य के लिये किन किन मुख्य शीर्षकों में सम्पूर्ण खर्च बांटा गया है; और

(घ) यदि कोई राज्य अपने संसाधन बढ़ाना मंजूर करतो क्या उसे अपना खर्च बढ़ाने की इजाजत दी जायगी ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: (क) से (ग). राष्ट्रीय विकास परिषद् ने १४ जनवरी, १९६० के अपने सकल्प द्वारा तीसरी योजना में राज्यों के खर्च पर मंजूरी दे दी है। खर्च बताने वाला विवरण राष्ट्रीय विकास परिषद् के संकल्प की प्रति के साथ सभा पटल पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट १,** *अनुबन्ध संख्या १०६*]

(घ) यह सामान्य नीति है लेकिन प्रत्येक मामले में सावधानी से विचार करना आवश्यक है।

नारियल जटा उद्योग का सर्वेक्षण

†६४३. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल रेशा उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की हालत की कोई जांच अभी हाल की गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) उनकी हालत सुधारने के लिये क्या उपाय और तरीके सुझाये गये हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) से (ग). लेबर ब्यूरो, शिमला के संचालक ने श्रमिक अनुसन्धान समिति की रिपोर्टों में दिये गये आंकड़ों को नवीनतम बनाने के लिए नमूने के आधार पर नारियल रेशा उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की हालत की जांच की थी। इस जांच के निष्कर्ष इण्डियन लेबर जर्नल के दिसम्बर, १९६० के अंक में प्रकाशित किये गये थे और उसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। ऐसी जांच का उद्देश्य मजदरों की हालत के बारे में वास्तविक जानकारी इकट्ठी करना होता है जो इस समस्या पर और आगे विचार करने के लिए उपयुक्त पदाधिकारियों के समक्ष रखी जायगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद्

†६४४. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष, जनवरी-फरवरी में राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् के तत्वाधान में देश के कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों में प्रबन्ध विकास के सम्बन्ध में गोष्ठियां की गयी थीं;

(ख) यदि हां, तो कहां-कहां; और

(ग) कितनी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी, हां।

(ख) कानपुर, बम्बई, मद्रास, कोचीन, कलकत्ता, दिल्ली, जालन्धर, कटक, पूना, कोल्हापुर और बंगलौर।

(ग) १३।

आसाम के शरणार्थियों को यात्रा भत्ते

†६४५. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह सुझाव दिया था कि आसाम सरकार आसाम से आये हुए शरणार्थियों को कुछ यात्रा भत्ता दे;

(ख) यदि हां, तो कितना; और

(ग) उक्त यात्रा भता कितने परिवारों को देने का सुझाव दिया गया था ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) और (ख). ३० दिसम्बर १९६० को केन्द्रीय पुनर्वास मन्त्री, पश्चिमी बंगाल के पुनर्वास मन्त्री और आसाम के वित्त मन्त्री में एक बैठक हुई थी जिसमें यह निर्णय किया गया था कि जब आसाम से आये शरणार्थी जो कि पश्चिमी बंगाल के कैम्पों में हैं, वापिस बंगाल जायेंगे, तो उन्हें निम्नलिखित भत्ते दिये जायेंगे :—

(१) निःशुल्क रेलवे वारंट;

(२) यात्रा भत्ता; और

(३) विसर्जन अकर्म वेतन।

(ग) ज्ञात हुआ है कि उत्तर बंगाल के कैम्पों में लगभग ६,००० परिवार हैं। उन परिवारों को जिन्हें आसाम वापस जाने के लिये पात्र घोषित किया जायेगा, उक्त (क) और (ख) में लिखित सुविधायें दी जायेंगी।

मोटर गाड़ियों के पुर्जों का निर्माण

†६४६. **श्रीमती रेणुका राय :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ही मोटर गाड़ियों के उन प्रमुख पुर्जों का, जिन्हें इस समय यहां केवल जोड़ा जाता है, निर्माण प्रारम्भ करने में कितना समय लगेगा ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस समय भारत में जोड़े जा रहे या अंशतः निर्मित किये जा रहे पुर्जों के आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा का उपयोग किया जा रहा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) आशा है कि १९६३ तक सिवाय कुछ एक, स्वामित्वाधिकार के पुर्जों जैसे कारबरेटरों और डिस्ट्रीब्यूटरों के शेष सभी प्रमुख पुर्जों का भारत में निर्माण आरम्भ हो जायेगा ।

(ख) देश में मोटर गाड़ियों के निर्माण के लिये पुर्जों के आयात के लिये मोटर गाड़ी निर्माताओं और डीजल इंजनों के निर्माताओं की हाल ही में आवंटित की गई विदेशी मुद्रा लगभग ३० करोड़ रुपये प्रति वर्ष हैं ।

नये उद्योगों के लिये लाइसेन्स

†६४७. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में नये उद्योगों की स्थापना के लिये किस-किस फर्म को लाइसेन्स दिये गये हैं ;

(ख) १९६१ में किस-किस फर्म को लाइसेंस दिये जायेंगे ; और

(ग) किस-किस आधार पर ये लाइसेन्स दिये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) उन सभी लाइसेंसों—नये और विस्तार के लिये लाइसेंसों—की सूची प्रतिवर्ष वाणिज्य तथा उद्योग पत्रिका में छपती है और उस के साथ ही फर्मों के नाम भी छपते हैं । इन पत्रिकाओं की प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में हैं ।

(ख) ये लाइसेन्स इस के लिये आने वाले आवेदन पत्रों का परीक्षण करने के बाद ही इस अधिनियम के अधीन दिये जाते हैं । अतः १९६१ में जिन फर्मों को लाइसेन्स दिये जायेंगे, उन के नाम इस समय बताना संभव नहीं है ।

(ग) ये लाइसेन्स आने वाले आवेदन पत्रों के आधार पर दिये जाते हैं । जिन बातों को ध्यान में रखा जाता है, वे ये हैं—निर्मित की जाने वाली वस्तु की मांग और संभरण की स्थिति, योजना की प्रविधिक और वित्तीय सुस्थिरता, उस के लिये किया जाने वाला आयात, निर्यात संबंधी संभावनायें, प्रादेशिक विकास की दृष्टि से स्थान का चुनाव, कच्ची सामग्री, पानी, विद्युत् और परिवहन सम्बन्धी सुविधायें ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर

†६४८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर में १९६० में उत्पादन बढ़ गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितना ;

(ग) वह १९५९ के आंकड़ों की तुलना में कैसा है ; और

(घ) क्या १९६१ के उत्पादन के लिये कोई और मद भी सम्मिलित की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). जी, हां । १९६० में ६४८ मशीनी औज़ार तैयार किये गये थे जबकि १९५९ में ६१६ मशीनी औजारों का निर्माण किया गया था ।

(घ) १९६१ में अत्यधिक गति की टेरन्ट खराद और उस से सम्बद्ध खरादों के निर्माण का भी विचार है ।

सुगन्धित द्रव्य

†६४९. **श्री वें० ईधाचरण :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में इत्र का कुल कितना उत्पादन किया गया था ; और

(ख) क्या उस का उत्पादन केवल स्वदेशी ही है या किसी विदेशी सहयोग से इस का उत्पादन किया जा रहा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) १९६० में कुल ९५,१४९ किलोग्राम इत्र का उत्पादन किया गया था ।

(ख) कुछ अंश तक स्वदेशी और कुछ अंश तक विदेशी सहयोग से उत्पादन किया जाता है ।

पत्रकारिता डिप्लोमाधारी

†६५०. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २१ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पादन कला में पत्रकारिता प्राप्तकर्ताओं को सरकारी सेवा में ले लिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें कहां और किस प्रकार की नौकरी मिलती है और उन का वेतन क्रम क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी, हां ।

(ख) पत्रकारिता में डिप्लोमा निम्नलिखित स्थानों के लिये एक अर्हता मानी जाती है :— विज्ञापन पदाधिकारी, क्षेत्र प्रदर्शन पदाधिकारी, उप-सम्पादक, पत्रकार, सूचना असिस्टेण्ट, लेख्य असिस्टेण्ट, आदि ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मुसलमानों की सम्पत्ति पर काबिज हिन्दू विस्थापित व्यक्ति

†६५१. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल के मुसलमान नागरिकों द्वारा की गई इन शिकायतों सम्बन्ध में, कि पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए हिन्दुओं ने उन के मकानों पर कब्जा कर लिया है; निष्क्रान्त सम्पत्ति अधिनियम के अधीन एक जांच की गई थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन में से कितनी शिकायतें सत्य सिद्ध हुई हैं;

(ग) मुसलमान मालिकों को उन के मकान वापिस दिलाने के लिये क्या कारवाई की गई है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि भारत सरकार पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों द्वारा पश्चिमी-बंगाल के विभिन्न भागों में हिन्दुओं और मुसलमानों के मकानों पर कब्जा जमा लेने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली समस्या को हल करने के लिये उचित कार्यवाहियों के सम्बन्ध में विचार कर रही है ; और

(ङ). यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). जून १९६० तक पश्चिमी बंगाल निष्क्रान्त सम्पत्ति अधिनियम, १९५१ के अधीन ३५,३४९ आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे । यह अधिनियम उन मुसलमानों की सम्पत्तियों की वापसी को नियमित करता है जो कि १९५० में पूर्वी पाकिस्तान चले गये थे परन्तु ३१ मार्च, १९५१ तक वापिस आ गये थे । इन में से १२,८०८ मामले सच्चे सिद्ध हुए हैं ।

(ग) इन १२,८०८ मामलों में से १२,५५० मामलों में सम्पत्तियां वापिस कर दी गई हैं । शेष २५८ मामलों में से अधिकांश सम्पत्तियों की वापसी के सम्बन्ध में आदेश दे दिये गये हैं, परन्तु उन मकानों में रहने वाले शरणार्थियों के लिये कोई और प्रबन्ध न होने के कारण उन आदेशों की अभी तक कार्यान्विति नहीं की गई है ।

(घ) और (ङ). इन सम्पत्तियों की वापसी, विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास तथा भूमि पर अनाधिकृत अधिकार के व्यक्तियों का निष्कासन अधिनियम, १९५१ के अधीन की जाती है । इस समय इस प्रकार की ८३४ मुस्लिम सम्पत्तियां हैं जिन में ५,२५७ रह रहे हैं और ९४१ हिन्दुओं की सम्पत्तियां हैं जिन में १४,३३५ परिवार रह रहे हैं । इन सभी सम्पत्तियों का विस्तृत सर्वेक्षण करने का निर्णय किया गया है और यह कार्य लगभग एक मास में पूरा हो जायेगा । उस के बाद ही इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जायेगा ।

गृह-निर्माण योजनाओं के लिये जीवन बीमा निगम की निधियां

†६५२. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०-६१ में जीवन बीमा निगम से मध्यम वर्ग की गृह--निर्माण योजनाओं के लिये अतिरिक्त राशि प्राप्त करने के लिये किये गये प्रयत्नों के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : चालू वित्तीय वर्ष में मध्यम वर्ग की गृह-निर्माण योजनाओं के लिये और अधिक राशि के लिये जीवन बीमा निगम से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी है, क्योंकि निगम द्वारा इस समय तक दी गयी ३ करोड़ रुपये की राशि इस वर्ष इस योजना के अधीन ऋण देने के लिये राज्यों की कुल मांग को पूरा कर सकती है ।

कार्य-कुशलता संहिता

†६५३. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ३० नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १०४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कार्यदक्षता संहिता सम्बन्धी उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उपाय खोजने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : समिति द्वारा प्रश्नावली के उत्तर में मैं प्राप्त जवाबों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

राजस्थान–पश्चिमी पाकिस्तान सीमा का सीमांकन

†६५४. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री ३० नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान-पश्चिमी पाकिस्तान सीमा का उल्लंघन करने के कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : कुल लगभग ६४४ मील में से ३५५ मीलों में सीमा सम्बन्धी खम्भे लगा दिये गये हैं ।

त्रिपुरा में पुल निर्माण-कार्य

†६५५. श्री दशरथ देव : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास मन्त्रालय ने त्रिपुरा में कंचनपुर बाजार से जगतबन्धु बाड़ी तक की सड़क पर पुल निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिये कोई राशि मंजूर की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मंजूर की गयी है ;

(ग) किस प्रकार के पुल बनाने की आशा है; और

(घ) क्या उसके निर्माण के लिये टेण्डर मंगाये जायेंगे या कि किन्हीं ठेकेदारों से बातचीत करके इस कार्य को प्रारम्भ किया जायेगा ?

†पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) ३,५८,०००·०० रुपये ।

(ग) इमारती लकड़ी के अर्ध स्थायी पुल ।

(घ) टेण्डर मंगाये गये थे और सबसे कम दर बताने वाले को काम सौंप दिया है ।

मध्य प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग

†६५६. श्री कुन्हन : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों के विकास के लिये कितनी राशि आवंटित की गयी है; और

(ख) इस सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३१ मार्च, १९६० तक समाप्त होने वाले प्रथम चार वर्षों में मध्य प्रदेश राज्य सरकार को दी गयी राशि और उस द्वारा ३० सितम्बर, १९६० तक खर्च की गयी राशि के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:—

	दी गयी राशि		खर्च
	अनुदान (लाख रुपये)	ऋण (लाख रुपये)	(लाख रुपये)
लघु उद्योग . .	२६.६६	५९.९३	६०.४७ (राज्य अंश सहित)
औद्योगिक बस्ती .	—	४६.४१	४३.५२

१९६०–६१ के लिये राशि मार्च, १९६१ के मध्य में दी जायेगी।

प्रारम्भ की गयी योजनायें सन्तोषजनक ढंग से चल रही हैं। भारत सरकार द्वारा प्रविधिक रूप से मंजूर की गयी योजनाओं के अधीन १८ केन्द्रों में प्रशिक्षण प्रारम्भ कर दी गयी है। इंदौर में लकड़ी परिरक्षण, गुना में साइकिल के पुर्जे बनाने, विहिशा में दबाये गये आलू का उद्योग और माहू में छातों की तीलियों की फैक्टरी सम्बन्धी योजनाओं के बारे में सन्तोषजनक प्रगति हो रही है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १२ औद्योगिक बस्तियां बनाने का विचार किया गया था। इंदौर, ग्वालियर और भोपाल की औद्योगिक बस्तियों में काम प्रारम्भ हो चुका है, और बरहानपुर बस्ती का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और जबलपुर बस्ती का निर्माण कार्या भी लगभग पूरा हो रहा है। रायपुर की बस्ती का कार्य छत्तों के स्तर तक पहुंच गया है और सागर की बस्ती का कार्य प्लिंथ तक पहुंच गया है। रतलाम, बिलासपुर, दुर्ग और सालना की औद्योगिक बतियों के बारे में प्रारम्भिक कार्य पूरा हो गया है। उड्डयन में औद्योगिक बस्ती का कार्य एक सहकारी समिति द्वारा किया जायेगा।

आकाशवाणी केन्द्र गौहाटी के कर्मचारी

†६५७. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी, गौहाटी (आसाम) के कुछ कर्मचारियों को जुलाई, १९६० में आसाम के झगड़ों के दौरान रेडियो स्टेशन जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और इसलिये वे गौहाटी से चले गये थे;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) क्या इस कार्य को पूरा करने के लिये अन्य रेडियो स्टेशनों से कर्मचारियों को यहां भेजा गया है; और

(घ) यदि हां, तो कहां कहां से ?

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी, हां।

(ख) ४४।

(ग) जी हां।

(घ) कलकत्ता, कटक, श्रीनगर, लखनऊ, धारवार, जलन्धर, रांची और बम्बई के स्टेशनों से यहां कर्मचारी भेजे गये थे।

तीसरी पंचवर्षीय योजना

६५८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की प्रतियां विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में छपवाई हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ख) **योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) जी हां।

प्रादेशिक भाषा		प्रतियों की संख्या
१. हिन्दी		१०,०००
२. उर्दू		४,५००
३. बंगला		५,०००
४. तामिल		५,०००
५. तेलुगु		५,०००
६. उड़िया		५,०००
७. मराठी		७,०००
८. गुजराती	छप रही हैं	५,०००
९. मलयालम		७,०००
१०. पंजाबी	तैयार की जा रही है	—
११. कन्नड़		

जहां तक असमिया संस्करण का सम्बन्ध है, असम सरकार ने कहा है कि जब तक तीसरी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप नहीं दे दिया जाता तब तक इन्तजार किया जाय और उसके बाद अन्तिम रिपोर्ट को असमिया में अनुवाद किया जाय।

(ग) प्रश्न नहीं उठ

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिण भारत प्लाइवुड निर्माता संघ

†६५९. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री १४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण भारत प्लाइवुड निर्माता संघ कालीकट द्वारा भेजे गये प्रतिनिधि मण्डल से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या क्या सुझाव दिये गये हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) एक अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है। संघ ने प्रतिज्ञा की है कि वह एक दूसरी रिपोर्ट भी भेजेगी जिसमें निर्यात को बढ़ाने के सम्बन्ध में ठोस सुझाव दिये जायेंगे। वह रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) अन्तरिम रिपोर्ट में निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं :—

(१) प्रत्येक फैक्टरी अपनी चाय के उत्पादन से में से १० प्रतिशत निर्यात के लिये रखें।

(२) सदस्यों से तालिका इकट्ठी करने और उन्हें कोलम्बो भेजने की जिम्मेवारी संघ ले ले, क्योंकि उसमें आयातकर्ताओं को गारण्टी दी जा सकेगी।

(३) लंका में किसी भी किस्म की चाय के दर स्वदेशी उत्पादन की लागत से लगभग २ रुपये कम होगी। कमी को पूरा करने के लिये सरकार को उचित दर पर इमारती लकड़ी देनी चाहिये।

(४) भारत को लंका से पर्याप्त मात्रा में खोपरा और सुपारी का आयात करना चाहिये और उसके बदले लंका को भारत से पर्याप्त मात्रा में चाय मंगवानी चाहिये।

(ग) दूसरी रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद ही इस सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक विचार किया जायेगा।

जिरकोन (गोमेद)

†६६०. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस देश की फाउण्डरियों के लिये पर्याप्त मात्रा में जिर्कोन का आयात किया जा रहा है ;

(ख) इसका वार्षिक आयात कितना है और इस पर कितनी लागत आती है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि जिर्कोन के स्थान पर इस्तेमाल किया जाने वाला रूटाइल नामक धातु देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र प्रदेश में बेरियम केमिकल्ज़ फैक्टरी

†६६१. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में द्रोणाकल में एक बेरियम केमिकल्ज़ फैक्टरी स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो वहां पर किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जायेगा ;

(ग) फैक्टरी पर कितनी लागत होगी और उसकी कितनी उत्पादन क्षमता होगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) ब्लेन फिक्से (पिगमेंन्ट किस्म)

बेरियम क्लोराइड (प्रविधिक किस्म)

बेरियम क्लोराइड (बी० पी० किस्म)

बेरियम सल्फेट (बी० पी० किस्म)

बेरियम नाइट्रेट

बेरियम कारबोनेट

बेरियम सल्फेट

बेरियम हाइड्रोक्साइड

(ग) उस पर लगभग ५० लाख रुपयों की लागत आयेगी । इसकी प्रति वर्ष ४६५० टन विभिन्न किस्मों के बेरियम की उत्पादन क्षमता होगी ।

तिब्बत में भूटानी बस्तियों के बारे में चीन को पत्र

६६२. **श्री पहाड़िया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन सरकार ने भारत सरकार के उस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया है जिसमें तिब्बत में भूटान की आठ बस्तियों का प्रश्न भूटान द्वारा प्रार्थना करने पर उठाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में और क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) (क) और (ख) जी हां । जवाब का इन्तजार है । भारतीय अधिकारी दल ने चीनी अधिकारियों से बातचीत करने के दौरान में उनका ध्यान फिर से इस ओर आकर्षित किया था ।

नेपाल में भारतीय राजदूतावास

†६६३. **श्री आसर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष, दिसम्बर में काठमण्डू में भारतीय राजदूतावास के एक पदाधिकारी को वहां के लोगों ने तंग किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे और उस पदाधिकारी का क्या नाम है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि नेपाली प्रैस और नेपाल सरकार ने उस पदाधिकारी को वापस बुला लेने के लिये सुझाव दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). नेपाली प्रैस में एक रिपोर्ट आयी थी जिसमें यह कहा गया था कि काठमण्डू में भारतीय राजदूतावास के एक पदाधिकारी पर आक्रमण किया गया था वह आरोप पूर्ण रूपेण गलत था और राजदूतावास ने उसका निराकरण भी कर दिया है ।

(ग) और (घ). यह सच है कि कुछ नेपाली समाचार पत्रों ने पदाधिकारी को वापस बुला लेने का सुझाव दिया है, परन्तु नेपाल सरकार से ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।

गुजरात में योजना मंत्री के विरुद्ध प्रदर्शन

†६६४. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोडासा (गुजरात) में योजना मंत्री के विरुद्ध कोई प्रदर्शन किया गया था और बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो प्रदर्शन के क्या कारण थे ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) जी, हां । मोडासा (गुजरात) में प्रदर्शन किया गया था और कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था ।

(ख) यह प्रदर्शन उदयपुर-हिम्मतनगर रेलवे सम्पर्क के कारण से किया गया था ।

जिला केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क कार्यालय, सतारा को लेखन-सामग्री का संभरण

†६६५. **श्री आसर** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों से सतारा जिले (महाराष्ट्र) के जिला केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क कार्यालय और इसकी शाखाओं को लेखन-सामग्री का संभरण नहीं किया गया ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि वर्ष १९५८–५९ के लिये जो लेखन-सामग्री भेजी गयी थी, वह रेलवे में मार्ग में ही खो गयी थी ; और

(घ) यदि हां, तो उनको और लेखन-सामग्री क्यों नहीं दी गयी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी, नहीं । वर्ष १९५८–५९ और १९५९–६० के लिये सतारा जिले के केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क कार्यालय के सुपरिन्टेन्डेन्ट ने जो इन्डेन्ट भेजा था, वह कलकत्ता के सरकारी लेखन-सामग्री कार्यालय द्वारा जितना अधिक संभव हुआ, पूरा किया गया । उस कार्यालय के अधीन अधीनस्थ कार्यालय लेखन-सामग्री कार्यालय को सीधे इन्डेन्ट नहीं भेज सकते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) सरकारी लेखन-सामग्री कार्यालय, कलकत्ता को ऐसी किसी हानि के बारे में नहीं बताया गया है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उर्दू में समाचार-चित्र

†६६६. **श्री ही० न० मुकर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्म्स डिवीजन को ऐसे आदेश दिये गये हैं कि तेरह भाषाओं की उस सूची में से जिनमें समाचार-चित्र बनाये जाते हैं, उर्दू को हटा दिया जाये; और

(ख) यदि हां तो, इसके क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चाय की खेती

†६६७. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में चायके उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये कोई योजना बनाई गयी है ; और

(ख) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में कुल कितनी एकड़ भूमि में चाय की खेती होती है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) न सरकार को और न चाय बोर्ड को उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सरकारों से उनके क्षेत्रों में चाय की खेती को प्रोत्साहन देने के लिये को योजना मिली है । जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है, राज्य सरकार ने राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में चाय बोर्ड की वित्तीय सहायता से चाय की खेती के विकास के लिये चाय बोर्ड को हाल ही में एक पंचवर्षीय अनुसन्धानात्मक योजना भेजी है । इस समय बोर्ड इस योजना की जांच कर रहा है ।

क्षेत्रों के विस्तार के अतिरिक्त जिस चीज की अधिक आवश्यकता है, वह इन क्षेत्रों में उत्पादित चाय की किस्म में सुधार करने की है जिसके लिये बोर्ड द्वारा पग उठाये जा रहे हैं ।

(ख) ३१ मार्च, १९६० को ५०९२ एकड़ ।

उत्तर प्रदेश में रेशम उद्योग

†६६८. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेशम बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के साथ वाले निचले पहाड़ी क्षेत्रों में रेशम उद्योग के विकास के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कार हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस

†६६९. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात तथा निर्यात मुख्य नियंत्रक किन विशिष्ट आधार पर वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंसों का पुनर्वैधिकरण करते हैं ;

(ख) कुछ मामलों में वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंसों के पुनर्वेधकरण करने का अधिकार पत्तन लाइसेंस अधिकारियों को सौंपने के क्या कारण हैं ;

(ग) वर्ष १९५८, १९५९ और १९६० में मुख्य नियंत्रक द्वारा पुनर्वैध करे गये वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंसों की, संख्या और मूल्यों—दोनों रूपों में, क्या प्रतिशतता है ; और

(घ) पत्तन अधिकारियों द्वारा ऐसे ही वैधकरण की क्या प्रतिशतता है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) लाइसेंस अधिकारियों द्वारा तब वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंसों का पुनर्वेधकरण किया जाता है जब उसे, उसके समक्ष पेश किये गये मूल कागजातों के आधार पर यह सन्तोष हो जाये कि :

(१) यद्यपि वास्तविक उपभोक्ताओं ने लाइसेंस की वैधता की अवधि में माल मंगाने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किये, परन्तु माल का लदान ऐसे कारणों से न किया जा सका जो आयातकों और विदेशों में माल भेजने वालों के काबू से बाहर हैं; और

(२) अवधि बढ़ाने के बारे में इन्कार किये जाने से लाइसेंसदार के सामान्य उत्पादन कार्यक्रम में वास्तविक कठिनाई और गड़बड़ हो जायेगी ।

(ख) पत्तन लाइसेंस अधिकारियों को वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंसो को, जो उन्होंने जारी किये हैं, तीन महीने की अधिकतम अवधि के लिये पुनर्वैध करने के अधिकार पहले से हैं । व्यापार और उद्योग द्वारा अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुए और समय खराब न होने देने और जल्दी निपटारा करने के खयाल से हाल ही में उन को, पूंजी माल लाइसेंस योजना के अधीन लाइसेंसों को छोड़ कर, जहां कहीं आवश्यक हो, आयात तथा निर्यात मुख्य नियंत्रक और अन्य टेक्निकल अधिकारियों के परामर्श से सभी वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंसों को पुनर्वैध करने के अधिकार दे दिये गये हैं ।

(ग) और (घ). संक्षिप्त जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है । तथापि यह अनुमान लगाया जाता है कि वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंसों के पुनर्वैध के मामले १० प्रतिशत से अधिक नहीं हैं ।

अल्युमीनियम, तांबा आदि का आयात

†६७०. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अल्युमीनियम, तांबा और निकल आदि के आयात के लिये भारत और कनाडा की सरकारों में कोई समझौता हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). कनाडा सरकार कोलम्बो योजना सहायता कार्यक्रम के अधीन अल्युमिनियम, तांबे और निकल का कुछ आयात करने देती है । मोटे

†मूल अंग्रेजी में

तौर पर समझौता यह है कि भारत में उपभोक्ता भारत में उन सार्थो को आर्डर देते हैं जो इन धातुओं के लिये कनाडा के निर्माताओं और संभरण कर्ताओं के एजेन्टों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

वर्ष १९६०-६१ में उपरोक्त कार्यक्रम के अधीन इन धातुओं के आयात के लिये भारत को ११७ लाख कनाडी डालर दिये गये हैं, जिस का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

अल्युमीनियम	५५ लाख डालर (लगभग ११,१७६ मीटरिक टन) ।
तांबा	(५५ लाख डालर (लगभग ४,६७४ मीटरिक टन) ।
निकल	७ लाख डालर (लगभग १८३ मीटरिक टन)
कुल	११७ लाख डालर

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आवंटन

†६७१. { **श्री त० ब० विट्ठल राव :** **श्री तंगामणि :** **श्री बाल्मीकी :** }

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् में १४ जनवरी, १९६१ को दिल्ली में हुई अपनी बैठक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को आवंटन में वृद्धि करने के बारे में विचार किया ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया ;

(ग) तृतीय योजना-काल में उन के लाभ के लिये वर्तमान आवंटन क्या है ; और

(घ) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा फैसला किये गये अधिक आवंटन का एक भाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों पर खर्च किया जायेगा ?

†**योजना उपमन्त्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) और (ख). राष्ट्रीय विकास परिषद् ने विभिन्न सेक्टरों अथवा विकास मदों पर आवंटन के ब्यौरे पर विचार नहीं किया ।

(ग) इस समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आवंटन के बारे में योजना आयोग विचार कर रहा है और इस बारे में सूचना अन्तिम रिपोर्ट में संसद् के समक्ष पेश कर दी जावेगी ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पश्चिमी बंगाल का पुनर्वास विभाग

†६७२. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल राज्य के पुनर्वास विभाग में नये पद बनाने के लिये पुनर्वास मंत्रालय की इजाजत ले ली गयी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष १९६० के अन्तिम ६ महीनों में ऐसी कोई अनुज्ञा दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो कितने पदों के लिये अनुज्ञा दी गयी है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी, नहीं। राज्य सरकारें प्रतिवर्ष निर्धारित की गई वित्तीय सीमा के भीतर पुनर्वास मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना पद कम कर सकती हैं, स्थगित कर सकती हैं और नये पद बना सकती हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

गोबरदंग और मेदिया के बीच पुल

†६७३. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय के गोबरदंग और मेदिया शरणार्थी बस्तियों के बीच एक पुल बनाने के लिये कोई धन मंजूर किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना धन मंजूर किया गया और कितना धन खर्च किया गया ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) और (ख). गोबरदंग और मेदिया बस्ती के बीच एक पुल बनाने के लिये दिसम्बर, १९६० में २ लाख रुपये मंजूर किये गये थे परन्तु क्योंकि नवम्बर, १९६० के मध्य तक पश्चिमी बंगाल सरकार से इस कार्य के लिये ब्यौरेवार योजना और प्राक्कलन प्राप्त नहीं हुए थे, इस मंजूरी को रद्द करना पड़ा। अतः कोई व्यय नहीं किया गया।

ट्रैक्टरों का निर्माण

†६७४. { **श्री अरविन्द घोषाल** :
श्री कोरटकर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी ट्रैक्टर बनाने के लिये कोई कारखाना स्थापित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कहां स्थापित किया गया है और इस में वार्षिक उत्पादन कितना होगा ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). क्रोलर किस्म के भारी ट्रैक्टर, शावल आदि जैसे मिट्टी हटाने के उपकरण बनाने के लिये एक योजना को कार्यान्वित करने के लिये मैसर्ज लाइमट लिमिटेड, मद्रास नामक एक नई कम्पनी बनाई गई है, यह कारखाना मद्रास में स्थापित होगा और क्रोलर ट्रैक्टरों की क्षमता इस में उत्पादन के बाद निर्धारित की जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रेस संघ सहकारी समिति के लिये भूमि

†६७५. { **श्री तंगामणि :**
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस संघ ने मंत्रालय को कोई इस आशय का अभ्यावेदन किया है कि वह प्रेस संघ सहकारी समिति के लिये भूमि दिलाने के प्रस्ताव पर शीघ्र कार्य करने के बारे में उन की सिफारिश करे ; और

(ख) इस सम्बन्ध में मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

†**सूचना और प्रसारण मन्त्री (डा० केसकर) :** (क) जी, हां ।

(ख) प्रेस संघ सहकारी आवास समिति लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा रिहायश के लिये भूमि के आवंटन के बारे में प्राप्त आवेदन-पत्र दिल्ली के मुख्य आयुक्त को सिफारिश के साथ, विचार के लिये भेज दिया गया । इस बारे में कार्यवाही दिल्ली प्रशासन द्वारा की जावेगी ।

विदेशों में भारतीय फिल्में

६७६. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय फिल्मों को लोकप्रिय बनाने और उन के प्रचार के लिये सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाये हैं ; और

(ख) इस विषय में कहां तक सफलता मिली है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (डा० केसकर): (क) और (ख). भारतीय फ़िल्मों का निर्यात बढ़ाने के उपायों के बारे में सरकार को सलाह देने के लिये एक निर्यात-प्रोत्साहन समिति बनाई गई है । समिति ने फिल्मों का निर्यात बढ़ाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोहों और व्यापारिक मेलों में भाग लेने और भारतीय दूतावासों के द्वारा फिल्मों का अव्यवसायिक प्रदर्शन करने के अतिरिक्त जो सुझाव दिये हैं उन में से कुछ इस प्रकार हैं:—

(१) भारतीय फ़िल्म उद्योग के सम्बन्ध में विदेशों में वितरण के लिये एक सुवेनीर (परिचय पुस्तक) का प्रकाशन ।

(२) भारतीय दूतावासों की मार्फ़त संभावित ग्राहकों के सामने चुनी हुई भारतीय फ़िल्मों का प्रदर्शन ।

(३) विदेशों में जाने वाले व्यापारिक शिष्टमंडलो द्वारा निर्यात-प्रोत्साहन ।

(४) वितरण और निर्यात करने वालों की जानकारी के लिये भारतीय व्यापार प्रचार-मंडलों से फ़िल्म-व्यापार संबंधी सूचनायें प्राप्त करना ।

(५) विदेशों में भारतीय फ़िल्मों के समारोहों का आयोजन । इन उपायों को कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही हो रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नये उद्योगों के लिये लाइसेंस

†६७७. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ५ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने उद्योग आरम्भ करने के लिये कितनी फर्मों पर जुर्माना किया है और कितनी फर्मों को नये नये लाइसेंस दिये हैं ; और

(ख) क्या विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लघन के लिये जुर्माना किये गये समय के बाद से प्रत्येक फर्म को दिये गये लाइसेंसों के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा जायगा ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). उन सार्थों और व्यक्तियों की सूचियां प्रति मास नियमित रूप से वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गई उद्योग तथा व्यापार पत्रिका में प्रकाशित की जाती हैं जिन्हें नये उद्योग आरम्भ करने अथवा वर्तमान उद्योगों में सारभूत विस्तार करने के लिये लाइसेंस दिये जाते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ऐसी किसी सार्थ को औद्योगिक लाइसेंस न दिया जाये जिस ने विदेशी मुद्रा नियमों अथवा आयात व्यापार नियंत्रण अधिनियम अथवा औद्योगिक अधिनियम के अधीन नियमों और विनियमों का गम्भीर रूप से उल्लंघन किया हो। भाग (ख) में अपेक्षित जानकारी पिछले कई वर्षों से, जब से विभिन्न अधिनियमों के अधीन ये विनियम लागू किये गये हैं, इकट्ठा करना संभव नहीं है। परन्तु यदि माननीय सदस्य किसी विशेष सार्थ या पक्ष के बारे में जानकारी चाहे जिस ने इन नियमों का गंभीरता से कोई उल्लंघन किया हो, तो मं उस के बारे में ब्यौरा और पूरी जानकारी दूंगा।

नागा व्यक्ति

†६७८. { **श्री हेमराज :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागा पहाड़ी तुएनसांग क्षेत्र और मनीपुर में नागा विद्रोहियों द्वारा दिसम्बर, १९६० और जनवरी, १९६१ में कितने सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्ति मारे गये ; और

(ख) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०७]**

(ख) विद्रोही आन्दोलनों के बारे में अधिक व्यक्ति सूचना दे रहे हैं। जब तक नागालैंड में विधि और व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती, सरकार विद्रोहियों के विरुद्ध अभियान जारी रखने को कटिबद्ध है।

राजस्थान में हथकरघा उद्योग

†६७९. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष १९५९–६० और १९६०–६१ में हथकरघा उद्योग को वित्तीय सहायता देने के बारे में राजस्थान सरकार से कोई प्रस्थापना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष १९५९–६० में राजस्थान सरकार ने हथकरघा उद्योग के विकास के लिये ९,११,६५४ रुपये की योजनाओं का प्रस्ताव किया और वर्ष १९६०–६१ में १५,५६,८४८ रुपये की योजनाओं का प्रस्ताव किया । राजस्थान सरकार की इन योजनाओं पर वर्ष १९५९–६० में कुल ७,७६,३४८.५० रुपये और वर्ष १९६०–६१ में ३,२५,४३५ रुपये मंजूर किये गये ।

पंजाब में खादी का उत्पादन

†६८०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ में अब तक पंजाब में कुल कितनी खादी का उत्पादन हुआ; **और**

(ख) वर्ष १९६१–६२ में खादी के उत्पादन के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है ।

विवरण

अब तक प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर पंजाब में वर्ष १९६०–६१ में खादी का उत्पादन निम्न प्रकार रहा :

(वर्ग गजों में)

महीना	पंजाब वर्ष १९६०–६१ में खादी का उत्पादन
अप्रैल	६,८५,३९१
मई	५,६९,१७५
जून	६,८१,८८६
जुलाई	७,४२,९८५
अगस्त	४,४७,२९०
सितम्बर	४,३३,०७७
अक्तूबर	५,२४,८९४
नवम्बर	६,२८,५५८
दिसम्बर	६,७२,५६९
कुल	५३,८५,८२५

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अभी तक वर्ष १९६१–६२ में खादी के उत्पादन के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

चाय मशीनों की क्रयावक्रय योजना

†६८१. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय बोर्ड को चाय मशीनों की क्रयावक्रय योजना के बारे में कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) अब तक कितने आवेदन-पत्र निपटाये गये हैं ;

(ग) क्या इस कार्य के लिये मंजूर की गयी २ करोड़ रुपये की धन राशि में से धन वास्तव में दिया जा चुका है ;

(घ) क्या आवेदन-पत्रों को निपटाये जाने के बाद कोई फालतू रकम बचेगी ; और

(ङ) यदि हां, तो फालतू रकम का इस्तेमाल किस प्रकार किया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) आवेदन-पत्र देने की अन्तिम तिथि अर्थात् ३१ अगस्त, १९६० तक योजना के अधीन १३१ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे ।

(ख) अभी तक २६.२२ लाख रुपये की धनराशि के लिये १९ आवेदन-पत्र अन्तिम रूप से मंजूर किये गये हैं और ४ को अन्तिम रूप से अस्वीकार कर दिया गया है ।

(ग) अभी तक वास्तव में कोई रकम नहीं दी गई है ।

(घ) और (ङ). अभी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

उद्योगों के लिये नियन्त्रित कच्चा माल

†६८२. **श्री मू० चं० जैन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रमशः वर्ष १९५७–५८, १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ के दौरान बड़े पैमाने के और छोटे पैमाने के उद्योगों में कच्चे माल के रूप में विभिन्न नियंत्रित सामान की कुल कितनी मात्रा इस्तेमाल की गयी ;

(ख) क्या नियंत्रित कच्चे माल की कमी के बारे में छोटे उद्योगपतियों से सरकार को कोई शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति को संभालने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०८]**

छोटे पैमाने के उद्योगों का बोर्ड

†६८३. **श्री मू० चं० जैन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने के उद्योग बोर्ड की एक बैठक हाल ही में त्रिवेन्द्रम में हुई थी;

(ख) उस बैठक में क्या मुख्य निर्णय अथवा सिफारिशें की गयीं; और

---

†मल अंग्रेजी में

(ग) वे सिफारिशें किस हद तक स्वीकार की गई हैं और केन्द्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों ने कार्यान्वित की हैं ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०९]**

(ग) सरकार द्वारा सिफारिशों पर विचार किया जायेगा और उचित कार्यवाही के लिये सम्बन्धित प्राधिकारियों को बता दिया जायेगा ।

स्थगन प्रस्ताव

कराची-स्थित भारतीय उच्च आयोग पर आक्रमण

†**अध्यक्ष महोदय :** पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्च आयोग के कार्यालय पर हुए हमले के सम्बन्ध में आठ स्थगन प्रस्तावों की पूर्व-सूचना दी गई है । इस विषय पर कुछ ध्यान दिलाने के प्रस्तावों की भी सूचना दी गई है । इसके सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** पाकिस्तान की इन घटनाओं के प्रति माननीय सदस्यों की चिन्ता स्वाभाविक है । हमें जो तथ्य प्राप्त हुए हैं, मैं आपके सामने रखता हूं ।

२४ फरवरी को साढ़े तीन बजे हमारे कराची-स्थित उच्च आयोग के कार्यालय के सामने जबलपुर के दंगों के विरोध में एक छोटा सा प्रदर्शन हुआ था । उस प्रदर्शन में सड़क पर घूमने वाले २५ अवारे थे । उनके साथ एक काला झंडा था । वे लोग प्रधान मंत्री के खिलाफ़ आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे । नारे काफी भड़काने वाले थे । पुलिस ने इसकी सूचना हमारे उच्च आयोग को पहले से दे दी थी । वहां काफी बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद थी । आध घंटे तक नारेजनी करने के बाद पुलिस ने उनको तितर बितर कर दिया था ।

उसके बाद २५ फरवरी को दो प्रदर्शन हुए । पहले जुलूस में करीब ४०० स्कूली बच्चे और कुछ कालेज के लड़के थे । वे भी साढ़े बारह से एक बजे तक, आधे घंटे तक नारे लगाकर वापस चले गये थे ।

उसी दिन एक दूसरा करीब ६०० आदमियों का जुलूस निकाला गया, जिसमें ज्यादातर गुण्डे थे । वे साढ़े तीन बजे शाम को उच्च आयोग के कार्यालय के सामने आये और कुछ देर तक भारत और प्रधान मंत्री के विरुद्ध नारे लगाते रहे । फिर उन्होंने पथराव शुरू कर दिया । उन्होंने कार्यालय की करीब सभी खिड़कियां तोड़ दीं और आयोग के कार्यालय तथा अधिकारियों की कारों को काफी तोड़ फोड़ दिया । आयोग के कार्यालय के सामने एक अर्थी जलाई गई और जलती हुई लकड़ियां और चिथड़े कार्यालय की इमारत में फेंके गये । हालांकि कार्यालय के अहाते के दरवाजे बन्द थे और पुलिस ने भीड़ को उसके अन्दर नहीं घुसने दिया था, फिर भी पत्थरों और कांच के टुकड़ों से हमारे कुछ लोगों को चोटें लगीं । उच्च आयुक्त का कहना है कि चोटें मामूली थीं । कांच के एक टुकड़े से उनकी नाक पर भी थोड़ा छिल गया है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

और इसमें सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि पाकिस्तानी पुलिस की भी कुछ शह इन घटनाओं के पीछे थी। पुलिस को पहले से मालूम था, और इसकी सूचना उसने हमारे उच्च आयोग को पहले से दे दी थी कि ऐसे जुलूस निकल सकते हैं। लेकिन फिर भी आधे घंटे तक जुलूस निकलने के बाद भी, वहां सिर्फ सौ पुलिस वाले ही मौजूद थे। वे देखते रहे। जुलूस से पहले सिर्फ चालीस पुलिस वाले थे, बाकी बाद में पहुंचे थे। पुलिस ने पत्थरों से भरा एक ट्रक और एक या इससे ज्यादा गधा-गाड़ियां वहां आ जाने दीं थीं। आयोग के दफ्तर के सामने ही उनसे पत्थर उतार कर जमा किये गये थे। इनके अलावा, और सारे लोगों का रास्ता बन्द कर दिया गया था। पुलिस के देखते-देखते वही पत्थर आयोग के दफ्तर पर बरसाये गये थे। उच्च आयोग द्वारा भेजे गये तार में बताया गया है कि करीब साढ़े चार बजे पुलिस ने सीटी बजाई थी और तभी भीड़ छंटने लगी थी; अहाते में हजारों पत्थर, टूटे हुए कांच के टुकड़े और जलते हुए चिथड़े पड़े थे। इन घटनाओं की हमें इतनी ही जानकारी है।

स्थानापन्न उच्च आयुक्त ने शीघ्र ही पाकिस्तान के वैदेशिक सचिव से मुलाकात की और इन घटनाओं के बारे में काफी जोर से विरोध प्रदर्शित किया। उन्होंने पाकिस्तान के वैदेशिक कार्यालय को एक लिखित पत्र भी दिया जिसमें इन घटनाओं की जांच कराने और उच्च आयोग तथा इसके अधिकारियों को पूरा संरक्षण देने का अनुरोध किया गया था। साथ में यह भी कहा गया था कि पाकिस्तान सरकार नुकसान का उचित हर्जाना तो देगी ही।

वैदेशिक सचिव, श्री इकरामुल्ला ने स्थानापन्न उच्चायुक्त से कहा था कि उनको इस घटना की बात सुन कर बड़ा अफसोस और साथ ही ताज्जुब भी हुआ है। उन्होंने जांच कराने का वायदा किया और यह भी वायदा किया कि वह पाकिस्तान के वैदेशिक कार्य मंत्री से, जो रावलपिंडी में थे, टेलीफोन पर बात करेंगे। बताया गया है कि उन्होंने साथ ही यह भी कहा था कि सही ग़लत जो भी जबलपुर में हुआ हो, पर भारतीय उच्च आयोग के खिलाफ कोई हिंसा नहीं होनी चाहिये और उसे पूरा संरक्षण मिलना ही चाहिये।

दूसरे दिन, इस समाचार के आने के बाद, हमारे स्थानापन्न उच्च आयुक्त ने एक बार फिर पाकिस्तान के वैदेशिक सचिव से मुलाकात की, जिन्होंने बताया कि पाकिस्तान के वैदेशिक-कार्य मंत्री ने टेलीफोन पर बड़ा अफसोस जाहिर किया है इन घटनाओं पर। यहां दिल्ली में हमारे राष्ट्र मंडलीय सचिव ने भी पाकिस्तानी उच्च आयुक्त को एक विरोध पत्र भेजा था।

ऐसी ही कुछ घटनायें करांची में बाद में भी होती रही थीं और वहां धारा १४४ जैसी ही कोई धारा लागू कर दी गई थी। शहर में थोड़ा बहुत झगड़ा बना रहा था। अभी उसकी पूरी पूरी जानकारी हमें नहीं है, इसलिये मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा।

†**श्री मुहम्मद इलियास** (हावड़ा) : कराची की इन घटनाओं से सारे देश की जनता में क्षोभ की लहर दौड़ गई है। खास तौर से अल्पसंख्यकों में बड़ा गुस्सा है। यह सब प्रेसीडेंट अय्यूब खाँ के भाषण से शुरू हुआ है। उनको हमारे देश के घरेलू मामलो में इस तरह दखल नहीं देना चाहिये। उन्होंने जबलपुर की घटना की तुलना प्रधान मन्त्री लुमुम्बा की हत्या से की है। मैं विरोधी दल का होते हुए भी, पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब तक श्री नेहरू प्रधान मन्त्री हैं, तब तक हमारे देश में अल्पसंख्यकों के जान माल को कोई खतरा नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान के लोग हमारे यहां गड़बड़ी करने की कोशिशें कर रहे हैं। उनको बता दिया जाना चाहिये कि हम इसे सहन नहीं

†मूल अंग्रेज़ी में

करेंगे। पाकिस्तान के जनतन्त्र प्रेमी लोगों ने स्वयं ही कराची की घटनाओं की निन्दा की है, जिस प्रकार हमारे देश के लोगों ने जबलपुर की घटनाओं की निन्दा की है।

मैं स्वयं अल्पसंख्यक जाति का हूं। भारत के अल्पसंख्यक लोग कराची की घटना से बड़े चिन्तित हैं।

मेरा अनुरोध है कि भारत सरकार देश की जनता से कहे कि वह कराची की घटनाओं का बदला लेने की बात न सोचे। सभा के सभी सदस्यों को पाकिस्तान और भारत की जनता की शक्ति और एकता को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करना चाहिये।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा) : मैंने भी एक स्थगन-प्रस्ताव की पूर्व-सूचना दी थी। मैंने एक रास्ता खोज निकाला है। हमें एक विभाग स्थापित करना चाहिये जो यह पता लगाये कि ये गड़बड़ियां क्यों होती हैं। कोई भी अच्छा मुसलमान इस तरह की गड़बड़ियां पसन्द नहीं करेगा। तब सिर्फ कुछ गुण्डे ही अल्पसंख्या में रह जायेंगे। हमें जनता में यही भाव पैदा करने की कोशिश करनी चाहिये।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : आज दो और बुरी खबरें अखबारों में आई हैं। पूर्वी पाकिस्तान के खुलना नगर में पांच व्यक्ति मारे गये हैं और कराची में श्री नारायण मन्दिर पर हमला हुआ है। क्या प्रधान मन्त्री को इसकी कोई सूचना है?

†**श्रीमती रेणुका राय** (माल्दा) : खुलना की घटना के बारे में, मैंने भी ध्यान दिलाने के एक प्रस्ताव की पूर्व-सूचना दी है।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : प्रधान मन्त्री ने जो विवरण दिया है उससे पता चलता है कि पाकिस्तान के गुण्डे पुलिस के अनुशासन में चल रहे थे। वे पुलिस की सीटी सुनते ही तितर-बितर हो गये। इसका तो यही मतलब है कि पुलिस ही उनको लाई थी।

†**श्री अमजद अली** (धुबरी) : वह सारी गड़बड़ी प्रेसीडेण्ट अय्यूब खाँ के ढाका के वक्तव्य के बाद ही शुरू हुई थी। प्रधान मन्त्री श्री नेहरू के रहते हुए, भारत में अल्पसंख्यकों को कोई खतरा नहीं है। जनरल अय्यूब खाँ को हमारे देश के मामलों में इस तरह दखलन्दाजी नहीं करनी चाहिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे खुलना की घटना की जानकारी नहीं है; शायद गृह-कार्य मन्त्रालय को हो। हम जांच करा सकते हैं। अपने विवरण में मैंने कहा था कि कराची में अभी भी कुछ गड़बड़ी चल रही है। उसकी पूरी जानकारी नहीं है, इसलिये मैं अभी उसके बारे में ब्यौरेवार कुछ भी नहीं कहना चाहता। कई तरह की चीजें हो रही हैं। एक मन्दिर के पास कोई जुलूस निकाला गया था। कांगो के बारे में, श्री लुमुम्बा के समर्थन में भी एक जुलूस निकाला गया था। धारा १४४ लगी होने के कारण, जुलूस की भिड़न्त पुलिस से हुई थी। घटनायें हुई हैं लेकिन उनमें से किसी ने भी तूल नहीं पकड़ा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मन्त्री के वक्तव्य के बाद अब इस पर अधिक चर्चा करना अनावश्यक नहीं है। मैं स्थगन-प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अचल सम्पत्ति का अर्जन तथा अधिग्रहण (संशोधन) नियम

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्री (श्री क० च० रेड्डी)** : मैं अचल सम्पत्ति का अर्जन तथा अधिग्रहण अधिनियम, १९५२ की धारा २२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ११ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७६ में प्रकाशित अचल सम्पत्ति का अर्जन तथा अधिग्रहण (संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—२६७२/६१]

उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये आदेश

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) राष्ट्रपति महोदय द्वारा संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत २५ फरवरी, १९६१ को उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा की एक प्रति संविधान के अनुच्छेद ३५६ के खण्ड (३) के अन्तर्गत ;

(२) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, १९५४ की धारा २३क की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३१०० में प्रकाशित असम उच्च न्यायालय (अवकाश) आदेश, १९६०।

(दो) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३१०१ में प्रकाशित उड़ीसा उच्च न्यायालय (अवकाश) आदेश, १९६०।

(तीन) दिनांक ७ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ६ में प्रकाशित कलकत्ता उच्च न्यायालय (अवकाश) आदेश, १९६०।

(चार) दिनांक ७ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ७ में प्रकाशित मैसूर उच्च न्यायालय (अवकाश) आदेश, १९६०।

[पुस्तकालय में रखी गईं। देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० २६७३/६१ और २६७४/६१]

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** (पुरी) : उड़ीसा के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा की एक प्रति अभी-अभी सभा-पटल पर रखी गई है। हम यहां सामान्य आय-व्ययक पर ७ मार्च से चर्चा शुरू करेंगे। उड़ीसा का आय-व्ययक कब लिया जायेगा ?

†**श्री दातार** : सरकार इन सब प्रश्नों पर विचार कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

समवाय अधिनियम और उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें और 'प्रेजिडेंशियल एवार्डस टू पब्लिक अण्डरटेकिंग्स' नामक पुस्तिका

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २१ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९३ में प्रकाशित कम्पनीज़ (केन्द्रीय सरकार को अपीलें) संशोधन नियम, १९६१।

(ख) दिनांक १८ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९५ में प्रकाशित कम्पनीज़ (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम तथा प्रपत्र (संशोधन) नियम, १९६१।

(२) कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६४१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत उक्त एक्ट की दसवीं अनुसूची में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२१ की एक प्रति।

(३) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९६१ की धारा १५ के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक २ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३ की एक प्रति।

(४) "प्रैजिडेंशियल अवार्डस टू पब्लिक अण्डरटेकिंग्स" नामक पुस्तिका की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए क्रमशः संख्या एल० टी०—२६७५/६१, २६७६/६१; २६७७/६१; २६७८/६१; और २६७९/६१]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय का निरीक्षण) नियम

†**श्रम उपमन्त्री (श्री आबिद अली)** : मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा २५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ४ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २८७ में प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय का निरीक्षण) नियम, १९६१ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० २६८०/६१]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, और सम्पदा कर अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें और बैंकिंग समवाय अधिनियम के अन्तर्गत तैयार की गई योजनायें

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता :—

(१) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत

†मूल अंग्रेजी में

सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ११ फरवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १५४।

(ख) दिनांक ११ फरवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १५५।

(ग) दिनांक ११ फरवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १५६।

(घ) दिनांक ११ फरवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १५७।

(ङ) दिनांक ११ फरवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १५८।

(२) धन कर अधिनियम, १९५७ की धारा ४६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक ४ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २७१ में प्रकाशित धन कर (संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति।

(३) बैंकिंग कम्पनीज़ अधिनियम, १९४९ की धारा ४५ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २० फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ४०६ में प्रकाशित प्रभात बैंक के पुनर्निर्माण तथा उसे नेशनल बैंक आफ लाहौर के साथ मिलाने की योजना।

(ख) दिनांक २० फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या स० ओ० ४०७ में प्रकाशित बैंक आफ नागपुर के पुनर्निर्माण तथा उसे बैंक आफ महाराष्ट्र के साथ मिलाने की योजना।

(ग) दिनांक २० फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ४०८ में प्रकाशित इण्डो-कमर्शियल बैंक के पुनर्निर्माण तथा उसे पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलाने की योजना।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये क्रमशः [संख्या एल० टी०—२६८१/६१; २६८२/६१; और २६८३/६१]

बागान सम्बन्धी औद्योगिक समिति के निष्कर्ष

†**श्री आबिद अली:** मैं बागान सम्बन्धी औद्योगिक समिति के ९ नवम्बर, १९६० को कलकत्ता में हुई नवें अधिवेशन की चौथी बैठक के निष्कर्षों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २६८४/६१]

राष्ट्रपति से संदेश

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं राष्ट्रपति का संदेश पढ़कर सुनाना चाहता हूं। माननीय सदस्यगण उनके सम्मान में खड़े होकर यह संदेश सुनें। गत वर्ष भी हमने राष्ट्रपति का संदेश इसी प्रकार सुना था। यह कोई नयी प्रथा नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुझे राष्ट्रपति से निम्न संदेश मिला है :—

"मैंने १४ फरवरी, १९६१ को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष जो अभिभाषण दिया था उसके लिये लोक-सेभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे परम संतोष है ।"

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

अबिलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

कलकत्ते की गोदियों में खुरचने और रंग करने वाले मजदूरों द्वारा हड़ताल

†**श्री ब्रजराज सिंह:** (फीरोजाबाद) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर श्रम मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"कलकत्ते की गोदियों में ३ फरवरी, १९६१ से खुरचने और रंग करने वाले ५,००० मजदूरों की हड़ताल ।"

†**श्रमउपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूं कि अब हड़ताल समाप्त हो गई है ।

उनकी तीन मागें थीं—छुट्टी के दिन के काम की दोगुनी मजूरी दी जाये ; प्रत्येक मजदूर को रात में काम करने के लिये एक रुपया ज्यादा अदा किया जाये ; और कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड द्वारा सीधी बुकिंग और अदायगी हो । तीसरी मांग योजना में सम्मिलित नहीं है, इसीलिये उसे कार्यान्वित करना संभव नहीं था । पहली दो मांगों के बारे में मजदूरों और मालिकों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चली रही थी । अभी-अभी मुझे सूचना मिली है कि हड़ताल वापस ले ली गई है । मांगों के सम्बन्ध में अभी सूचना आने को है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या यह सच नहीं है कि इन गोदी मजदूरों ने जो मांगें की थीं; वे बम्बई की गोदियों में पहले से, १९५८ से प्रभावी है ? फिर सरकार ने उनको कलकत्ता में अपनी ही ओर से प्रभावी क्यों नहीं बना दिया था ? उनके लिये मजदूरो को हड़ताल क्यों करनी पड़ी ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हमें पहले सारे तथ्य तो जान लेने चाहियें ।

†श्री आबिद अली : जब भी मजदूरों की ओर से कोई शिकायत हमारे पास आती है, हम मजदूरों और मालिकों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाते हैं । हमारे समझौता अधिकारी उनका आपस में समझौता कराने की कोशिश करते हैं । लेकिन यदि कोई पक्ष अपनी बात पर अड़ जाये, तो हम उसे मजबूर भी नही कर सकते । इस मामले में हमारा प्रयास सफल हुआ है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इस मामले में समझौता अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया था या नहीं ?

†**श्री आबिद अली** : अभी इसकी ठीक-ठीक सूचना मेरे पास नहीं आई है । लेकिन समझौता अधिकारियों का कर्त्तव्य है कि वे हस्तक्षेप करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

धार्मिक न्यास विधेयक

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना

†**श्री जगन्नाथराव** (कोरापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कुछ धार्मिक न्यासों के अधिक अच्छे निरीक्षण तथा प्रबन्ध का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये नियत समय को ३१ अगस्त, १९६१ तक बढ़ा दिया जाये ।"

इस का कारण यह है कि यह विधेयक काफी विवाद-ग्रस्त हो गया है । इसलिये हम विभिन्न संगठनों के विचारों पर काफी विस्तृत ढंग से विचार करना चाहते हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कुछ धार्मिक न्यासों के अधिक अच्छे निरीक्षण तथा प्रबन्ध का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये नियत समय को ३१ अगस्त, १९६१ तक बढ़ा दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

रेलवे यात्री किराया (निरसन) विधेयक

†**वित्त मन्त्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे यात्री किराया अधियनिम, १९५७ को निरक्षित करने और उसमें कुछ आनुसंगिक व्यवस्थायें करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : मैं इस पर आपत्ति करता हूं । संविधान के अनुच्छेद २८० और २८१ के आधार पर मैं आपत्ति करता हूं । उनके अनुसार करो का वितरण ....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य की आपत्ति विधेयक की विषय-वस्तु के बारे में है । लेकिन वह विधेयक के पुरःस्थापन से पहले नहीं की जा सकती ।

प्रश्न यह है :

"कि रेलवे यात्री किराया अधिनियम, १९५७ को निरसित करने और उसमें कुछ आनुसंगिक व्यवस्थायें करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

विनियोग विधेयक

†**वित्त उपमंत्री श्री ब० रा० भगत** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री ब० रा० भगतः** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, १९५६ में आग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय :

"कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, १९५६ में आग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

रेलवे आय व्ययक, सामान्य चर्चा

†**श्री तंगामणि :** (मदुरै) : रेलवे आय व्ययक पर हमने अच्छी प्रकार से चर्चा कर ली है माननीय मंत्री महोदय ने अन्य सदन में इस पर जो विचार व्यक्त किये वह भी हमारे सामने हैं । मैंने कुछ अधिक नहीं कहना । मेरा कहना यह है रेलवे मंत्री महोदय ने रेलवे का जो सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया है उतना वह है नहीं । इस दिशा में मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूं । अभी हाल ही में लोक लेखा समिति का १९५८–५९ का प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ था । उसमें कई अनियमिततायें थीं । मामलें को और आगे ले जाया जाता तो और भी कई बातें सामने आतीं । समिति ने इस बात पर जोर दिया था कि हमें इस बात का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए कि रेलवे की प्रविधिक क्षमता बढ़ें । मेरा निवेदन है कि रेलवे प्रशासन का यही लक्ष्य होना चाहिए कि रेलवे लोगों की अधिक से अधिक सेवा कर सके । पहले पहिल मैं यात्रियों को दी जाने वाली सुविधायें, क्वाटर तथा रेलवे स्टेशनों के बारे में कहना चाहता हूं । दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि इस दिशा में कई क्षेत्र नितान्त उपेक्षित पड़े हैं । तीसरी बात जिस पर मैं कुछ कहूंगा वह कार्मिक संघों के सम्बन्ध में है, यद्यपि यह बड़ी छोटी सी बात है ।

द्वितीय योजना में सभी औद्योगिक क्षेत्रों में रेलें बिछा दी गयीं । सब से अधिक प्राथमिकता उद्योग के क्षेत्र को दी गयी । मेरा निवेदन है कि अब तीसरी योजना में हमें अन्य दिशा की ओर भी ध्यान देना चाहिए । हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहए कि रेलवे अधिक से अधिक क्षेत्रों में पहुंचे और जनता उनसे लाभ उठाये । स्टेशनों पर यात्रियों को कम से कम सुविधायें तो मिलनी ही चाहिएं । केरल में वर्षा बहुत होती है अतः स्टेशनो पर समुचित शैडों की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि यात्रियों को भीगने से बचाया जाय । इसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा । इसके साथ ही मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि विंध्याचल के दक्षिण का क्षेत्र और सारा आंध्र प्रदेश रेलवे के मामले में बहुत बुरी तरह उपेक्षित है । मैं

---

†मूल अंग्रेजी में

निवेदन करूंगा कि काजीपट गोदूर रेलवे का निर्माण करने में एक दम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी प्रकार कन्याकुमारी को भी रेलवे से जोड़ देना चाहिए। मद्रास और केरल राज्यों द्वारा जो प्रस्थापनायें इस दिशा में प्रस्तुत की गयी हैं उन पर गम्भीरतापूर्ण विचार किया जाना चाहिए। इस मामले में किसी प्रकार की राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिए। रेलवे लाइनों को दोहरी करने के मामले की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मद्रास–तूतीकोरिन लाइन और मद्रास-कोचीन लाइन पर तो दोहरी पटरिया बिछाई ही जानी चाहिएं।

अब मैं कार्मिक संघों को मान्यता देने के प्रश्न की ओर आता हूं। मेरा यह निश्चित मत है कि दक्षिण रेलवे श्रमिक संघ और कर्मचारी संघ को मिला कर जिस नये श्रमिक संघ का जन्म हुआ है उसे मान्यता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि प्रथम अप्रैल, १९४७ और ३१ मार्च, १९५३ के बीच सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। १ अप्रैल, १९५५ और ३१ मार्च, १९५७ के बीच सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को परिवार के लिए भी पेंशन मिलनी चाहिए। साथ ही कर्मचारियों से जो १२½ प्रतिशत मकान का किराया वसूल किया जाता है उसे कम करके ५ प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए। अन्त में यह भी मेरा अनुरोध है कि आम हड़ताल के सम्बन्ध में जो कर्मचारी हटा दिये गये थे उन्हें कुछ चेतावनी देकर पुनः काम पर लगा लेना चाहिए।

†**श्री विमल घोष** : (बैरकपुर) कई वर्षों से यह अवस्था चल रही है कि रेलवे यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ रही है। यह स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। इस का प्रभाव न केवल हमारे औद्योगिक विकास पर ही पड़ता है प्रत्तुत निर्यात व्यापार भी इस से प्रभावित होता है। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि उपलब्ध यातायात के लिये अपेक्षित प्रबन्ध किया जा सके मेरा निवेदन है कि इस दिशा में परिवहन के अन्य साधनों का भी उपयोग किया जाना चाहिये। एक समिति भी रेलवे और सड़कों के बारे में विचार कर रही है। रेलवे के भार को हलका करने के लिये तटवर्ती नौवहन व्यवस्था का विकास किया जाना चाहिये। इसके लिये विदेशी विनिमय की आवश्यकता तो होगी परन्तु इस से देश के उद्योग तथा निर्यात व्यापार को आशातीत लाभ होगा। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वह इस समस्या को कैसे सुलझा रहे हैं।

यह बड़ा खेद का विषय है कि रेलवे वित्त की व्यवस्था अच्छी नहीं है। अवक्षयण निधि अत्यन्त थोड़ी रह गई है। विकास निधि भी पर्याप्त नहीं है और सदा ही केन्द्रीय सरकार से ऋण ले कर ही काम चलता है। मेरा मत यह है कि रेलवे से सामान्य राजस्व में धन देने के लिये नहीं कहा जाना चाहिये था। रेलवे को व्यापारिक आधार पर नहीं चलाया जाना चाहिये उसे तो राष्ट्रीय हितों का पूरा ध्यान रख कर अपने कार्य को करना है। अतः मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि किरायों और भाड़ों को बढ़ाया जाय। मेरा यह मत है कि इस से देश के औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है साथ ही सड़क परिवहन द्वारा होड़ भी अधिक बढ़ सकती है। इस सब का हमारी अर्थवयवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना है मेरा निवेदन है कि इस समस्या को हल करने के लिये रेलवे के सामान्य राजस्व में दिये जाने वाले अंशदान में कमी कर दी जानी चाहिये। इस से रेलवे को काफी सरलता हो जायगी और किराये भाड़े बढ़ाने के कुप्रभाष से भी बचा जा सकेगा।

रेलवे की चालन योग्यता के बारे में मंत्री महोदय राज्य सभा में बहुत कुछ कह चुके हैं, मैं उस मामले को विस्तार से यहां नहीं लेना चाहता। मेरे विचार में इस दिशा में मंत्री महोदय का उत्तर विशेष रूप से सन्तोषजनक नहीं था इस के अतिरिक्त रेलवे, ईंधन की खपत सम्बन्धी समस्या

†मूल अंग्रेजी में

भी हल नहीं कर सकी। मेरा निवेदन है कि रेलों को डीज़ल और बिजली से चलाने की जो योजनायें विचाराधीन हैं उन्हें सभा के समक्ष लाया जाना चाहिये।

इस बारे में कोयला भी बड़ी आवश्यक वस्तु है, सरकार को यह भी सदन को बताना चाहिये कि तीसरी योजना की अवधि में कोयला धोने वाले कितने कारखाने लगाये जाने वाले हैं और ये किन किन स्थानों पर लगाये जायेंगे। इसी संदर्भ में सरकार को यह भी बताना चाहिये कि क्षेत्रों के आकार और प्रशासन के विकेन्द्रीकरण के बारे में भी उस की क्या नीति है। अन्त में इस बात पर जोर दूंगा कि पूर्व रेलवे के स्यालदह स्टेशन पर बिजली लगाने के कार्य को शीघ्रता से किया जाना चाहिये। स्यालदह स्टेशन को नया रूप भी दिया जाना चाहिये। वहां यात्रियों की सुविधा के लिये भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिये।

इसके पश्चात् लोक-सभा ५ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

लोक-सभा ५ बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।]

सामान्य आय व्ययक, १९६१-६२

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय वित्त मंत्री।

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :** मैं भारत सरकार की १९६१-६२ की अनुमित प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

२. चालू वर्ष की समाप्ति के साथ ही हम आयोजित विकास का एक दशक पूरा कर लेंगे और तीसरी पंचवर्षीय आयोजना का समारम्भ करेंगे मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि पिछले दस वर्षों में अर्थ-व्यवस्था के प्रायः सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। कृषि, सिंचाई और बिजली, बड़े और साथ ही बीच के दर्जे के और छोटे उद्योग धन्धों, परिवहन और सामाजिक सेवाओं में बहुत अधिक रुपया लगाया जा चुका है। सम्भवतः हम इन घटनाओं के इतने समीप हैं कि इन के पूरे प्रभाव अथवा महत्व का अनुमान नहीं कर सकते। मेरा खयाल है कि तरह तरह की कठिनाइयों के बावजूद हम अर्थ-व्यवस्था में एक नयी गतिशीलता लाने में सफल हुए हैं। सरकारी क्षेत्र ने काफी प्रगति की है और ऐसे कामों को हाथ में लिया है जो बिलकुल नये हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र भी काफी आगे बढ़ा है। क्या शहरों, क्या कस्बों और क्या देहात में, सारे देश में ही चारों ओर नये विकास का शुभारम्भ दिखाई दे रहा है।

३. क्षेत्र और विस्तार दोनों दृष्टियों से पहली आयोजना कोई बड़ा प्रयास नहीं था। यद्यपि वह आयोजना सन्तोषजनक ढंग से पूरी हो गई, किन्तु जब हम उसे पूरा कर ही रहे थे तभी यह बात समझ में आ गई थी कि जब तक हम विकास की गति तेज न करेंगे तब तक जनता को गरीबी के चंगुल से छुड़ाया न जा सकेगा।

४. परिणामतः दूसरी पंचवर्षीय आयोजना पहली आयोजना से बड़ी और ऊंचे उद्देश्यों वाली थी। इस का उद्देश्य उत्पादन, निवेश (इन्वेस्टमेण्ट) और रोजगार को और भी ज्यादा बढ़ाना था। इसकी कल्पना विकास की लम्बी अवधि को ध्यान में रख कर की गई थी। हमारा उद्देश्य देश में, जल्दी से जल्दी, इतने बड़े पैमाने पर मशीनें बनाने की क्षमता पैदा करना है जिस से पूंजीगत सामान के लिये दूसरे देशों पर निर्भर रहे बिना ही हम विकास की गति जारी रख सकें। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये बहुत बड़े क्षेत्र में प्रगति करनी है, जैसेकि धातुओं के उत्पादन में, खास कर लोहे और इस्पात के उत्पादन में, भारी मशीनें बनाने के लिये बड़े बड़े कारखाने खोलने में और साथ

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

ही जरूरी तकनीकी और हुनरों के विकास में। और जबकि हम मशीनें बनाने की क्षमता बढ़ाने की दिशा में प्रगति कर रहे हैं, हमें खेती के आधार को भी पष्ट करना और अपनी बढ़ती हुई जन-संख्या की दूसरी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करना है।

५. माननीय सदस्यों को पता है कि दूसरी पंचवर्षीय आयोजना को क्रियात्मक रूप देने में हमें आर्थिक साधनों, ख़ास कर बाहरी साधनों के सम्बन्ध में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। फलत:आयोजना में कुछ हेरफेर करना और अपना ध्यान मुख्य रूप से उन्हीं आयोजनाओं को पूरा करने की ओर रखना जरूरी हो गया जिन्हें दूसरी पंचवर्षीय आयोजना का 'मुख्य अंश' (कोर) कहा जाता है। सरकारी क्षेत्र के पूंजी परिव्यय का लक्ष्य ४,८०० करोड़ रुपये से घटा कर ४,५०० करोड़ रुपये कर दिया गया। अनुमान है कि दूसरी पंचवर्षीय आयोजना की समाप्ति तक हम संशोधित लक्ष्य से आगे निकल जायेंगे और खर्च की रकम ४,६००करोड़ रुपये तक पहुंच जायेगी।

६. पिछले १० वर्षों के विकास सम्बन्धी आयोजन के इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में लगभग ६६ प्रतिशत और खेती की उपज में लगभग ३३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस्पात और मशीनें बनाने के उद्योग को मिला कर इंजीनियरी के बहुतेरे उद्योगों में हम ने कारखानों की संस्थापित क्षमता (इंस्टाल्ड कपैसिटी) में भारी वृद्धि की है। रासायनिक उद्योगों में भी तेजी से विकास हुआ है। साथ ही हम ने बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं को भी, जैसेकि ईंधन, शक्ति (पावर), परिवहन (ट्रांस्पोर्ट) और सिंचाई की सुविधाओं को, जो शीघ्रतापूर्ण आर्थिक विकास के लिये नीव का काम देती हैं, काफी बढ़ाया है।

७. दूसरी आयोजना में कुछ अतिरिक्त कर १०४० करोड़ रुपये के थे जिन में से लगभग ८०० करोड़ रुपये के करों का सम्बन्ध केन्द्र से था। गैर-सरकारी बचतों, मुख्यत: ऋणों, छोटी बचतों और भविष्य निधियों (प्रावीडेण्ट फण्ड) से लगभग १,४०० करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है और अनुमान है कि आयोजना की अवधि में लगभग ११०० करोड़ रुपये की घाटे की वित्त-व्यवस्था (डेफिसिट फाइनेंसिंग) करनी पड़ेगी, जबकि मूल अनुमान १,२०० करोड़ रुपये का था। जहां तक इस का सम्बन्ध है स्थिति सन्तोषजनक है। हम अब और भी बड़ी आयोजना को हाथ में ले रहे हैं और हमें अपने साधनों को ऐसे ढंग से प्रयुक्त करने के लिये और भी ज्यादा प्रयत्न करना होगा जिस से पहले से भी अधिक विकास और प्रगति हो सके।

८. आशा है तीसरी आयोजना अपने अन्तिम रूप में शीघ्र ही प्रकाशित हो जायेगी। सदन को इस पर यथा समय विचार करने का काफी समय मिलेगा। इसलिये मैं इस की कुछ मुख्य-मुख्य बातों का ही जिक्र करूंगा और बताऊंगा कि इस के लिये पर्याप्त साधन जुटाने की समस्या का क्या तात्पर्य है। राष्ट्रीय विकास परिषद् की अन्तिम बैठक में हमारे सामने चुनाव करने की एक बहुत कठिन समस्या उठ खड़ी हुई। एक तरफ तो हम उन साधनों के सम्बन्ध में, जिन्हें हम जुटा सकने की आशा कर सकते थे, अपने सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे थे कि आयोजना का खर्च ७५०० करोड़ रुपये तक सीमित रहना चाहिये। दूसरी ओर उन कार्यक्रमों के कारण, जिन की आवश्यकता है और जिन के लिये आगे उच्च लक्ष्य की ओर बढ़ने की तत्परता है, खर्च की रकम बढ़ रही थी। परिषद् ने निश्चय किया कि जहां तक स्थूल आयोजन (फिजिकल प्लानिंग) का प्रश्न है, ८,००० करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा तक के कार्यक्रम बनाये जाने चाहियें, लेकिन ७,५०० करोड़ रुपये की वित्तीय सीमा का पालन अवश्य किया जाना चाहिये। बड़े कार्यक्रमों के बन जाने से लाभ यह होगा कि ज्यों ही साधनों की प्राप्ति सम्भव होती दिखाई देगी हम उस पर अमल करना शुरू कर देंगे। इस के साथ ही हम अपने साधनों से अधिक के दायित्व न ले सकते हैं और

न हमें लेने ही चाहियें । तीसरी आयोजना की सारी अवधि में हमें इस बात के लिये सतर्क रहना पड़ेगा कि हम उस व्यवस्था का कम से कम सहारा लें जिसे आम तौर पर घाटे की वित्त-व्यवस्था कहा जाता है । दूसरे शब्दों में, आयोजना का आकार, कर इकट्ठा करने के हमारे प्रयत्नों और बचत की रकमें जुटाने की हमारी योग्यता पर निर्भर होगा । यदि हम ७,५०० करोड़ रुपये के लक्ष्य से सचमुच अधिक रुपया प्राप्त कर लें तो मुझ से ज्यादा किसी और को प्रसन्नता न होगी ।

९. तीसरी आयोजना के साधन सम्बन्धी हमारे अनुमान में इस बात को मान लिया गया है कि आयोजना का खर्च पूरा करने के लिये विभिन्न सरकारी उद्योगों के अधिशेष (सर्प्लस) हमें प्राप्त हो सकेंगे । रेलों के अलावा, जिन के लिये अलग से प्रबन्ध है, सरकार ने पिछले दस वर्षों में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उद्योग धन्धों में बड़ी बड़ी रकमें लगाई हैं । यह बात बुनियादी महत्व की है कि ये उद्योग धन्धे निर्दोष वाणिज्यिक सिद्धान्तों के आधार पर चलाये जायें और ये काफी मुनाफा भी उठायें जिस से लाभ की रकमों को फिर से उद्योगों में लगाया जा सके ।

१०. देश के अन्दर रुपया प्राप्त करने की दिशा में जो कठिनाइयां हैं उन के अलावा हमें आयोजन के सिलसिले में विदेशी वित्त-साधनों, अर्थात् विदेशी मुद्रा के निर्णयात्मक महत्व का भी ध्यान रखना चाहिये । जैसाकि आयोजना की रूप-रेखा में बताया गया है, अगले पांच वर्षों में हमें बहुत अधिक विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी और उस सीमा को हम तोड़ना नहीं चाहते । इस प्रसंग में यह बहुत ही आवश्यक है कि हमें हर सम्भव दिशा में विदेशी मुद्रा का खर्च घटा कर निर्यात के स्तर को ऊंचा उठाना चाहिये । आयोजना का विस्तृत कार्यक्रम निर्धारित करते समय हमें इस बात को निश्चित कर देना होगा कि तीसरी आयोजना की अवधि में वास्तविक व्यय के रूप में विदेशी मुद्रा की कमी, जिसे हम विदेशी सहायता से पूरा करना चाहते हैं, उन अनुमानों से बढ़ने न पाये जो आयोजना की रूपरेखा में दिये गये हैं ।

११. जो कठिनाइयां हमारे सामने हैं उन को देखते हुए इतने विशाल आकार का क्रियाकलाप कोई सरल काम नहीं है । इस के लिये त्याग की आवश्यकता है । इस के लिये बहुत सी चीजों की इच्छा का त्याग करने की आवश्यकता है । इस के लिये उपभोग पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, ताकि निवेश (इन्वेस्टमेण्ट) के लिये अधिक साधन प्राप्त हो सकें । इस विकास के मार्ग में जितनी कठिनाइयां हैं उन्हें बाहरी सहायता से कुछ हद तक दूर किया जा सकता है । दूसरी आयोजना की अवधि में ऐसी सहायता हमें मित्र देशों से प्राप्त होती रही है और उस के बल पर हम मुख्य प्रायोजनाओं (कोर प्रोजेक्ट्स) को ले कर काफी प्रगति कर सके हैं, हालांकि आयोजना के बीच ही हमें विदेशी मुद्रा की तंगी का सामना करना पड़ा था । जिन सबों ने हमारी सहायता की है हम उन के कृतज्ञ हैं । किन्तु मैं सदन को स्मरण दिलाऊंगा कि अन्त में हम अपने ही उद्यम और त्याग से अपने भविष्य का निर्माण कर सकेंगे ।

आर्थिक स्थिति की समीक्षा

१२. पहले की परम्परा को निभाते हुए अब मैं देश की चालू साल की आर्थिक स्थिति की संक्षेप में समीक्षा करना चाहता हूं । बजट पत्रों के साथ जो आर्थिक समीक्षा (इकोनामिक सव) बांटी गई है उसमें, प्रकट होने वाली आर्थिक प्रवृत्तियों का विस्तार से विवेचन किया गया है । इस समीक्षा में उन कारणों और उद्देश्यों की ओर भी मोटे तौर पर ध्यान दिलाया गया है जिनके आधार पर अगले वर्ष राजस्व और मुद्रा विषयक हमारी नीतियों का संचालन होना चाहिये । इसलिए मैं आर्थिक स्थिति के विस्तार में नहीं जाऊंगा, बल्कि १९६०–६१ की महत्वपूर्ण बातों के सम्बन्ध में ही कुछ कहूंगा ।

[श्री मोरारजी देसाई]

१३. इस साल अर्थ-व्यवस्था में कई तरफ प्रगति हुई है। सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में पूंजी लगाये जाने का स्त र ऊंचा रहा और बढ़ते हुए औद्योगिक उत्पादन की गति और भी तेज की गयी। लेकिन १९५९–६० का खेती का मौसम बहुत अच्छा नहीं रहा। इससे देश में गल्ले और कच्चे माल की कमी रही। किसी हद तक इस कमी को और अधिक आयात करके पूरा किया गया। फिर भी कृषि सम्बन्धी कच्चे माल की कीमतें काफी ऊपर चढ़ गयीं और थोक मूल्यों का सम्पूर्ण स्तर भी ऊंचा उठा। किन्तु अगले साल कृषि पदार्थों और औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने के लक्षण साफ दिखाई दे रहे हैं। इस बात की पूरी आशा है कि औद्योगिक उत्पादन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति जारी रहेगी।

उत्पादन

१४. १९५९–६० में खेती की पैदावार उतनी नहीं हुई जिसकी हमने प्रारम्भ में आशा की थी। इसका मुख्य कारण मौसम की खराबी था। गल्ले की पैदावार लगभग ७ करोड़ २० लाख टन रही, जो पहले के साल से लगभग ५ प्रतिशत कम थी। कपास, कच्चे जूट और तिलहन की पैदावार में भी काफी कमी रही। लेकिन गन्ने की उपज में ६.६ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

१५. चालू कृषि वर्ष के लिए लक्षण अच्छे हैं। अनुमान है कि खरीफ की फसल अगर १९५८–५९ की बहुत बढ़िया फसल से अच्छी नहीं तो उसके बराबर तो होगी ही। रबी की बुवाई सन्तोषजनक है। पिछले साल के मुकाबले इस साल कपास की फसल भी काफी ज्यादा होगी। गन्ने के उत्पादन में और भी वृद्धि की आशा है। लेकिन जूट और तिलहन की पैदावार उतनी ही अच्छी होने की आशा नहीं है।

१६. १९६० के पहले दस महीनों में औद्योगिक उत्पादन में, १९५९ की इसी अवधि के मुकाबले, ११.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। वृद्धि का यह अनुपात अब तक के सभी अनुपातों से अधिक है। वृद्धि प्रायः सभी उद्योग धंधों में हुई है और यह सन्तोष की बात है कि मध्यवर्ती उत्पादनों (इण्टरमीजिएट प्रोडक्ट्स) और पूंजीगत सामान (कैपिटल गुड्स) के क्षेत्र में यह अपेक्षाकृत अधिक हुई है। खनिज लोहे (आयरन ओर), लोहे और इस्पात, औद्योगिक मशीनों, कागज और कागज के गत्ते, रासायनिक पदार्थों, सीमेण्ट, इंजीनियरिंग की सामान्य वस्तुओं और इंजीनियरिंग के बिजली के सामान तथा परिवहन के साजसामान के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भारतीय कपास की कमी होते हुए भी मिल के कपड़े का उत्पादन––लगभग ५ अरब गज––१९५९ के मुकाबले कुछ ज्यादा रहा।

१७. कई महत्वपूर्ण उद्योग धन्धों की उत्पादन क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। देश में तरह तरह के उद्योग धन्धे स्थापित होते जा रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि नयी नयी तरह का माल बनाने और मौजूदा उत्पादन को बढ़ाने के लिए छोटे और बीच के दर्जे के बहुतेरे कारखाने खुलते जा रहे हैं। जैसाकि सदन को मालूम है, छोटे पैमाने के कारखानों को व्यापारिक बैंकों से कर्ज दिलवाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के संरक्षण में कर्ज की गारण्टी देने की योजना को आसानी से जारी करने के लिए कानून बनाया गया था। यह योजना ठीक तरह से चल रही है और पिछले ७ महीने में लगभग ३०० दरख्वास्तें मंजूर की गई हैं।

१८. गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात के दो कारखानों को बढ़ाने का कार्यक्रम प्रायः पूरा हो चुका है। सरकारी क्षेत्र के तीन इस्पाती कारखानों (प्लांट) ने अच्छी प्रगति की है और अगले

कुछ महीनों में सभी धमन भट्टियां, इस्पात पिघलाने के विभाग (शाप) और ढलाई करने वाली मिलें काम शुरू कर देंगी। १९६० में लगभग २२ लाख टन तैयार इस्पात (फिनिश्ड स्टील) बनाया गया और अनुमान है कि १९६१ में इसका उत्पादन बढ़ कर ३५ लाख टन तक पहुंच जायेगा। इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने का कार्यक्रम—साथ ही खानों और परिवहन का विकास—हमारे औद्योगिक विकास का साधन है और इसीलिए तीसरी आयोजना में इसे काफी महत्व की जगह दी गयी है।

१९. १९६० में कोयले का उत्पादन लगभग ५ करोड़ १० लाख टन था, जबकि १९५९ में ४ करोड़ ७० लाख टन। सरकारी क्षेत्र की प्रायः सभी नयी खानों में उत्पादन होने लगा है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (आयल ऐण्ड नेचरल गैस कमिशन) द्वारा पंजाब के ज्वालामुखी और होशियारपुर क्षेत्रों, गुजरात में खम्भात और अंकलेश्वर के क्षेत्रों और आसाम में रुद्र सागर क्षेत्रों में तेल की खोज जारी रही। गुजरात में की गयी खोज के आधार पर तेल साफ करने का एक बड़ा कारखाना खोलने का फैसला किया गया है जिसे हाल के रूसी कर्जे से रुपया दिया जायेगा।

२०. विकास का एक नया उल्लेखनीय क्षेत्र मशीनों का निर्माण है, जिसकी नीव दूसरी आयोजना में डाली गयी थी और जिस पर तीसरी आयोजना में ज्यादा जोर दिया जायेगा। भोपाल में बिजली का भारी सामान बनाने की प्रायोजना (हैवी इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट) का पहला दौर खत्म हो चुका है और दूसरे दौर के लिए ब्रिटेन से मिले हुए कर्ज से साज-सामान के लिए आर्डर दिये जा रहे हैं। भारी मशीनों के क्षेत्र में जिन प्रायोजनाओं को तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के दौरान पूरा किया जायगा उनमें ये शामिल हैं :—रांची का भारी मशीनें बनाने का कारखाना, दुर्गापुर का खान खुदाई की मशीनें बनाने का कारखाना, जिन्हें रूसी कर्जे से रुपया दिया जा रहा है और ढलाई-गढ़ाई का कारखाना जिसे चेकोस्लोवेकिया के सहयोग से खड़ा किया जा रहा है। बैंगलोर के मशीनी औजार बनाने के कारखाने (हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी) में मूल अनुमान की अपेक्षा अभी ही ज्यादा माल बनने लगा है और अब कारखाने का विस्तार किया जा रहा है। गैर-सरकारी क्षेत्र में भी मशीनें बनाने की क्षमता सन्तोषजनक ढंग से बढ़ रही है और चीनी, कागज तथा सीमेण्ट उद्योगों के लिए आवश्यक मशीनें और संमंत्र (प्लांट) तैयार करने की दिशा में बहुत प्रगति हुई है।

मुद्रा सम्बन्धी प्रवृत्तियां

२१. इस साल जनता के पास मुद्रा-उपलब्धि में २१९ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि १९५९ में १७१ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। इस वृद्धि का एक बड़ा कारण बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की वृद्धि है। सरकार द्वारा बकों से लिये जाने वाले ऋण में पहले के वर्ष की अपेक्षा बहुत कम वृद्धि हुई। इन बातों का मुद्रा-बाहुल्यकारी प्रभाव रिजर्व बैंक की विदेशी परिसम्पद के घटने से कुछ हद तक कम हो गया।

२२. अनुसूचित बैंकों में जमा की गयी रकमों में १९६० में ६५ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जबकि पहले के वर्ष में २५४ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। इस भारी अन्तर का मुख्य कारण पब्लिक ला ४८० के अनुसार किये जाने वाले आयातों से उत्पन्न रुपया प्रतिरूप निधियों के रखने की नयी व्यवस्था है। ये रकमें पिछले साल तक भारतीय राज्य बैंक (स्टेट बैंक आफ इण्डिया) में जमा की जाती थीं और यह बक उन्हें अपनी दूसरी रकमों के साथ-साथ राजकोष हुंडियों (ट्रेजरी बिल) या दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों (डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी) में लगा देता था। इस व्यवस्था से अनुसूचित बैंकों में जमा की जाने वाली रकमों और सरकारी प्रतिभूतियों में किये जाने वाले उनके निवेशों के परिमाण की तस्वीर कुछ बिगड़ जाती थी। इसलिए अमरीकी अधिकारियों से

[श्री मोरारजी देसाई]

सलाह करके फैसला किया गया कि ये रकमें १२ मई १९६० से सीधे भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक आफ इण्डिया) में जमा की जायं और बैंक उन्हें भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में लगा दे। इस बात का भी प्रबन्ध किया गया है कि भारतीय राज्य बैंक में पहले जमा की गयी रकमें जुलाई १९६० से कुछ अवधि तक बारह बारह करोड़ रुपये की मासिक किस्तों में सरकार को सौंप दी जायं। इस नयी व्यवस्था के परिणाम को हिसाब में लेने पर भी, अनुसूचित बैंकों में जमा की जाने वाली रकमों में १९५९ की अपेक्षा १९६० में कुछ कम वृद्धि हुई।

२३. दूसरी ओर, अनुसूचित बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों में १९५९ की अपेक्षा बहुत ज्यादा--दुगुने से ज्यादा--वृद्धि हुई। इससे ऋण और जमा का अनुपात (क्रेडिट डिपाजिट रेशो), जो १९५९ के आखिर में ५३ प्रतिशत था, १९६० के अन्त में बढ़ कर ६२ प्रतिशत हो गया। यदि पब्लिक ला ४८० के अनुसार जमा की गयी रकमें छोड़ दी जायं, तो यह अनुपात दिसम्बर, १९६० में ७२ प्रतिशत निकलता है, जबकि एक साल पहले यह ६३ प्रतिशत था। वाणिज्यिक बैंकों (कमर्शल बैंक्स) के साधनों पर पड़ने वाले इस दबाव के कारण उनके द्वारा रिजर्व बैंक से लिये जाने वाले ऋणों में वृद्धि हुई है, हालांकि उनके पास की सर्वोत्कृष्ट प्रतिभूतियों (गिल्ट-एजेड सिक्योरिटीज) में कमी हुई है।

२४. सामान्य शेयरों के मूल्यों की बढ़ने की प्रवृत्ति ने, जो १९५८ से दिखाई दे रही है, जोर पकड़ा और वर्ष के करीब मध्य में सट्टेबाजी की धूम शुरू हो गयी। परिवर्तनशील लाभांशों वाली प्रतिभूतियों (वेरिएबल डिविडेण्ड सिक्योरिटी) के मूल्यों का सूचक अंक १९६० के पहले सात महीनों में लगभग १४ प्रतिशत बढ़ गया। जिन्स बाजारों में भी तेजी रही। सट्टेबाजी की इन प्रवृत्तियों को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने नये ऋणों की कुल रकम पर रोक लगाने के कई उपाय किये। बैंक दर ज्यों की त्यों रही, पर बैंकों द्वारा कुछ सीमाओं से ऊपर लिये जाने वाले ऋणों पर दण्डात्मक दरें (पीनल रेट) लागू कर दी गयीं। इसमें सन्देह नहीं कि जहां बैंकों को उत्पादन और व्यापार की उचित आवश्यकता को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए, वहां इस बात का भी ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए कि नये ऋण बहुत ज्यादा न दिये जायें। जुलाई, १९६० से शेयरों के मूल्यों में कमी हुई है। यह कमी कुछ तो ऋण-नियंत्रण के कारण, कुछ शेयर बाजारों द्वारा सीमान्तिक रकमों (मार्जिन) सम्बन्धी अपनी आवश्यकताओं में परिवर्तन करके किये गये उपायों के कारण और कुछ पूंजी निर्गम नियंत्रण (कैपिटल इश्यू कण्ट्रोल) की कार्य-सम्बन्धी नीतियों में किये गये कुछ परिवर्तनों के कारण हुई है। परिवर्तनशील लाभांशों वाली प्रतिभूतियों के मूल्यों का सूचक अंक, जो बढ़ कर जुलाई, १९६० के अन्त में १८२ तक पहुंच गया था, वर्ष के लगभग अन्त में १६५ रह गया।

२५. प्रसंगतः मैं उस पुनर्वित्त निगम रीफाइनेंस कारपोरेशन का भी उल्लेख कर दूं, जो बीच के दर्जे के उद्योग-धन्धों का वित्त-प्रबन्ध करने में बैंकों की सहायता करने के लिए १९५८ में स्थापित किया गया था। हमने हाल के महीनों में इस निगम का कार्यक्षेत्र काफी बढ़ा दिया है। इसके लिए हमने ज्यादा बैंकों के लिए तथा राज्य वित्त निगमों (स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन) और चुने हुए राज्य सहकारी बैंकों के लिए भी सुविधाएं प्रस्तुत की हैं; आवश्यकतानुसार ऋणों की मीयाद बढ़ा कर ७ वर्ष से १० वर्ष कर दी है; और निगम को इस बात का फैसला करने का ज्यादा अधिकार दे दिया है कि किन उद्योग धन्धों की मदद की जाय। इन परिवर्तनों के कारण और शायद रुपये की तंगी के कारण भी, ज्यादा ऋण दिये गये। इस प्रकार जबकि १९५९ में ८५ लाख रुपये के ऋण दिये गये थे, १९६० में १४१ लाख रुपये के ऋण दिये गये और जनवरी १९६१ में तो ७० लाख रुपये से भी अधिक के ऋण दिये गये।

२६. साधनों को जुटाने और काम में लाने के विषय में बैंकों को बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है। इसलिये सरकार चाहती है कि उनमें स्वस्थता और क्षमता बनी रहे। सभा को मालूम है कि हमने बैंकों में रुपया जमा करने वालों के हित की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये हैं; इनमें बैंकों को फिर से संगठित करने या उन्हें दूसरे बैंकों में मिला देने का काम आसान बनाने के अधिकार भी शामिल हैं। हाल में हमने एक अध्यादेश (आर्डिनेंस) जारी किया है, ताकि बैंकों को फिर से संगठित करने या दूसरे बैंकों के साथ मिला देने में जो कठिनाइयां महसूस की गयी हैं वे दूर हो जायं और बैंकों को बैंकिंग कम्पनी अधिनियम के अनुसार भारतीय राज्य बैंक में मिलाया जा सके। ये व्यवस्थायें भारत के बैंकों में से कुछ ज्यादा कमजोर बैंकों को मजबूत बनाने में सहायक होंगी। मुझे विश्वास है कि भारत के बैंक सामूहिक रूप में मूलतः सुदृढ़ और स्वस्थ स्थिति में हैं। बैंकों के अच्छे प्रबन्ध और जमाकर्ताओं के हित की रक्षा के लिए जो भी कदम उठाना आवश्यक हो सरकार ने उसे उठाने का पक्का इरादा कर रखा है।

मूल्य

२७. थोक मूल्यों का सूचक अंक, जो १९५९ के अन्त में ११७.८ था, १९६० के अक्टूबर महीने के मध्य में १२७.४ के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया, लेकिन साल के अन्त में घटकर १२४.३ रह गया। १९५९ की बनिस्बत १९६० का औसत ६.५ प्रतिशत अधिक रहा, औद्योगिक कच्चे माल में, मुख्यतः तेलहन, कपास और कच्चे जूट में १८ प्रतिशत की और निर्मित (मैन्युफैक्चर्ड) माल में ११ प्रतिशत की वृद्धि हुई। चावल के मूल्यों में लगभग ७ प्रतिशत की वृद्धि हुई, जब कि गेहूं के मूल्यों में ११ प्रतिशत की कमी हुई। इस तरह सामूहिक दृष्टि से अनाज का सूचक अंक कुछ नीचे उतरा है। मूल्यों की प्रवृत्तियों पर हम बराबर नजर रखते हैं और कपास, जूट तथा मूंगफली जैसी खास जिन्सों के बारे में हमने मुनासिब कदम उठाये है, जैसे कि 'कोटा सिस्टम' जारी करना और कर्जों पर नियंत्रण—साथ ही जिन्सों के बदले रुपये देने (मार्जिन) के मामले में कड़ाई भी। लेकिन १९६० के अन्तिम भाग में चावल के मूल्यों का सूचक अंक काफी नीचे आ गया। जनवरी के महीने में सूचक अंक में मौसमी चढ़ाव रहा और यह महीने के अन्त में १२६.२ पर था, जब कि पिछले साल जनवरी के आखिर में यह ११९.२ पर था। श्रमिक वर्ग के रहन-सहन के खर्च के सूचक अंक में सिर्फ थोडी सी वृद्धि हुई है। दिसम्बर १९६० में यह १२४ था, जब कि एक साल पहले १२२।

२८. दूसरी आयोजना की प्रायः सारी अवधि में मूल्यों की प्रवृत्ति चढ़ाव की ओर रही। विकासशील अर्थ-व्यवस्था में कुछ मूल्य-वृद्धि अनिवार्य है। फिर भी इस बात की मजबूती करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि तीसरी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में साधारण जन को जो आवश्यक वस्तुएं खरीदनी पड़ें उनके दाम दूसरी चीजों की बनिस्बत टिके रहें। इस उद्देश्य का पूरा ध्यान रख कर ही यह आयोजना बनायी गयी है। अनाज की पैदावार में भारी वृद्धि ही वह नींव है जिस पर आयोजना निभर है और इस मौके पर मैं किसानों और देहात-सुधार के काम में लगे हुए उन सरकारी व गैर-सरकारी अभिकरणों (एजेंसियों) से अपील करूंगा कि वे १० करोड़ टन अनाज पैदा करने का लक्ष्य प्राप्त करने का उद्यम करें जिसे आयोजना की रूप रेखा के मसविदे में निर्धारित किया गया है।

२९. सरकार के पास गल्ले का भारी स्टाक है, जिसमें २५ लाख टन माल है और पिछले साल पब्लिक ला ४८० के अनुसार अनाज मंगाने के लिए अमेरिका के साथ जो करार किया गया है उसकी बदौलत सरकार को अगले वर्षों में और भी अनाज मिल सकने का आश्वासन प्राप्त है। यद्यपि यह दूसरा विकल्प आवश्यक और शुभ है, फिर भी इसे उत्पादन सम्बन्धी उन बाधाओं को दूर करने

[श्री मोरारजी देसाई]

के लिए भरोसे का आधार ही मानना चाहिए, जिनके कारण अतीत में ज्यादा अनाज पैदा करने के रास्ते में रुकावटें आयीं।

शोधन शेष

३०. दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के आखिरी वर्ष, १९६०-६१ में शोधन शेष सम्बन्धी स्थिति बिगड़ने लगी। १७ फरवरी, १९६१ को भारतीय रिजर्व बैंक के पास पौण्ड पावने (स्टर्लिंग एसेट्स) का १५७ करोड़ रुपया था, यानी पिछले वर्ष के इसी समय से लगभग ४६ करोड़ रुपया कम। इस कमी के कुछ अंश का कारण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि (इण्टर नेशनल मोनेटरी फण्ड) से लिए गए लगभग ११ करोड़ रुपये के संकटकालीन ऋण का चुका दिया जाना है। इस अदायगी के कारण निधि से कर्ज लेने की हमारी शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए यह चिन्ता की बात नहीं है। पर इसके अलावा, अन्य खातों में हमारी शेष रकमें बहुत कम हो गयी हैं। इन के बारे में आर्थिक समीक्षा में विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

३१. हमारी विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में चालू वित्त-वर्ष में जो कमी हुई है वह विचार और चिन्ता का विषय है। इससे पहले तो निर्यात में वृद्धि करने के हमारे प्रयत्नों के बढ़ाये जाने की आवश्यकता प्रकट होती है। किन्तु एक ऐसे विकासशील आर्थिक क्षेत्र में यह आसान नहीं है जहां रहन-सहन के स्तर इतने नीचे हैं जितने कि भारत में। पर निर्यात से होने वाली, विदेशी मुद्रा की, प्राप्ति में वृद्धि करना हमारी आयोजना की सफलता के लिये बहुत आवश्यक है। हमारे औद्योगिक क्षेत्र की कमजोरियों में से एक यह है कि जूट, सूती कपड़े और चाय के उद्योगों जैसे कुछ उद्योगों को छोड़ बाकी अधिकतर उद्योगों की दृष्टि देश के विशाल भीतरी बाजार पर ही रहती है; वे अपनी चीजों को विदेशों में बेचने का प्रयत्न नहीं करते। इस बात को देखते हुए कि हमारे उद्योग-धंधों के लिये कच्चा माल, मशीनें (कम्पोनेण्ट), फालतू पुरजे और दूसरा जरूरी सामान मुहैया करने का खर्च विदेशी मुद्रा के खर्च का एक बहुत बड़ा भाग है, यह जरूरी है कि हर एक उद्योग, जो आयात पर निर्भर है, अपनी तैयार की हुई वस्तुओं को विदेशों में बेच कर विदेशी मद्रा की उस रकम का कुछ भाग तो प्राप्त कर ले जिसे वह खर्च करता है। इस बात की ओर भविष्य में ज्यादा ध्यान देना होगा। सरकार निर्यात करने वाले उद्योगों की हर तरह से—उनके खर्च के लिए विदेशी मुद्रा की ज्यादा रकम देकर, बाहर भेजे जाने वाले उनके माल पर लगाये गये भीतरी करों और शुल्कों को जल्दी वापस करके तथा अन्य प्रकार से—सहायता करने के लिए तैयार रहेगी।

३२. हमें विदेशी मुद्रा के खर्च के बारे में और भी ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। आयात-नियन्त्रण के नियम काफी कड़े कर दिये गये हैं। पर विदेशी मुद्रा और भी कई ढंग से खर्च की जाती है। इनमें से एक ढंग किसी न किसी कारण विदेश-यात्रा करना है। यह जरूरी हो गया है कि विदेशों में जाकर अध्ययन करने के कम लाभकारी पाठ्य-क्रमों में से कुछ को स्वीकृत विषयों की सूची से निकाल कर शिक्षा सम्बन्धी व्यय के लिए निर्धारित की जाने वाली, विदेशी मुद्रा की रकमें कम कर दी जायं। दूसरे प्रयोजनों के लिये भी ज्यादा कड़ी नीति बरती जा रही है। एसे लोगों की संख्या बहुत है, जो जान पड़ता है, रिजर्व बैंक से विदेशी मद्रा लिए बिना विदेश चले जाते हैं और फिर तरह-तरह के दूसरे उपायों से विदेशी मुद्रा प्राप्त कर लेते हैं। इस समय ऐसे व्यक्तियों की विदेश-यात्रा पर रोक लगाने का मेरा इरादा नहीं है जिन्हें विदेशी मुद्रा की रकम न मिली हो, क्योंकि बहुत से लोग सचमुच अतिथियों के रूप में, छात्रवृत्तियो के आधार पर या दूसरे उचित साधनों से विदेश जाते हैं। पर साथ ही सदन इस बात से सहमत होगा कि हम वर्तमान स्थिति को जारी नहीं रहने दे सकते। इसलिए शीघ्र ही यह नियम

बनाने का मेरा विचार है कि विदेश जाने वाले व्यक्ति एक ऐसा प्रपत्र (फार्म) भर कर दें जिसमें यह बताया गया हो कि वे अपने लिए विदेशी मुद्रा किस तरह प्राप्त कर रहे हैं। सन्देहजनक मामलों में, तथ्यों के आधार पर आवश्यकतानुसार जांच-पड़ताल की जाएगी।

३३. पर निर्यात बढ़ाने और आयात घटाने के प्रयत्नों से ही विदेशी मुद्रा सम्बन्धी हमारी समस्या हल नहीं होगी। इस समस्या का अन्तिम समाधान तो उन प्रयत्नों से ही हो सकेगा जो हम देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए कर रहे हैं। पर जब तक हम इन प्रयत्नों में लगे रहेंगे तब तक हमें बहुत ज्यादा विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी। जब हमने अपनी दूसरी पंचवर्षीय आयोजना शुरू की थी तब हमारे पास स्टर्लिंग के रूप में (पौंड पावने में) ७४६ करोड़ रुपये की रकम शेष थी। अब हम उससे बड़ी आयोजना शुरू कर रहे हैं पर हमारी प्रारक्षित निधियां उससे बहुत कम हैं। पर यह आयोजना शरू करते हुए हम इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि बाहरी दुनिया में अब आमतौर से इस बात की आवश्यकता समझी जा रही है कि हमारे विकास सम्बन्धी प्रयत्नों में हमारी सहायता की जाय और यह बात भी स्वीकार की जा रही है कि हमारा लक्ष्य ऐसी प्रगति करना है जो किसी भी तरह अत्यधिक महत्वकांक्षा का द्योतक नहीं कही जा सकती।

विदेशी सहायता

३४. विश्व बैंक ने १९६० में हमें दो ऋण देना मंजूर किया था—हमारी रेलो के विकास के लिए ३३ करोड़ रुपये का ऋण और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (इण्डस्ट्रियल क्रडिट एण्ड इन्वस्टमेण्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया) के लिये १० करोड़ रुपये का ऋण। अमरीकी विकास ऋण निधि से बिजली सम्बन्धी विभिन्न प्रायोजनाओं के लिए और ट्रोम्बे में उर्वरकों का एक कारखाना खोलने के लिए १०७ करोड़ रुपये के ऋण दिये गये। अमरीकी निर्यात आयात बैंक ने २४ करोड़ रुपये का दूसरा ऋण दिया। ब्रिटेन की सरकार ने उस देश में खरीदे गये पुंजीगत माल के लिए अदायगी करने के लिए २० करोड़ रुपये के दो ऋण देने मंजूर किये। पश्चिमी जर्मनी की सरकार ने १० करोड़ डालर की जो सहायता देने का वायदा १९५८ में किया था उसमें से उसने १९५९ में ४ करोड़ डालर देना और १९६० में ६ करोड़ डालर देना मंजूर किया। इस साल जिन अन्य ऋणों और उधारों के लिये बातचीत की गयी उनमें पोलैण्ड से मिलने वाला १४ करोड़ रुपये का ऋण, स्विटजरलैण्ड से मिलने वाला ११ करोड़ रुपये का ऋण और यूगोस्लाविया से मिलने वाला १९ करोड़ रुपये का ऋण था।

३५. विश्व बक ने सहायता करने वाले देशों के प्रतिनिधियों की तीसरी बैठक सितम्बर १९६० में पेरिस में बुलायी, जिसका उद्देश्य इस बात का प्रारम्भिक अन्दाजा लगाना था कि भारत की तीसरी आयोजना सम्बन्धी आवश्यकता कितनी है। इस बैठक के बाद, ब्रिटेन की सरकार हमारी तीसरी आयोजना के लिए प्रारम्भिक सहायता के रूप में ६७ करोड़ रुपये की रकम देने को तैयार हुई और पश्चिमी जर्मनी की सरकार इस बात के लिए राजी हुई कि हम उस देश को २८ करोड़ रुपये तक के माल के आर्डर दें। इसके अलावा, पश्चिमी जर्मनी की सरकार इस बात के लिए भी राजी हो गयी कि राउरकेला प्रायोजना के लिए दिये गये ऋण का जो भाग चालू और अगले वर्षों में चुकाया जाना था उसके ज्यादातर हिस्से की अदायगी हम स्थगित कर सकते हैं। सदन को स्मरण होगा कि १९५९ में रूस की सरकार, तीसरी आयोजना की प्रायोजनाओं में अपने सहयोग के लिए, प्रारम्भिक उधार के रूप में, १७९ करोड़ रुपये की रकम देने को सहमत हो गयी थी। इस रकम की अनुपूर्ति के लिए लगभग ६० करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण देने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके लिये पिछले सप्ताह एक करार पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।

[श्री मोरारजी देसाई]

३६. पिछले मई महीने में अमेरिका के साथ पब्लिक ला ४८० के अधीन ६३६ करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुओं के सम्बन्ध में जो करार किया गया था उसके अनुसार हम १८० लाख टन गेहूं, १० लाख टन चावल और कुछ परिमाणों में मक्का, कोदें, कपास, तम्बाकू और सोयाबीन का तेल मंगा सकते हैं। इस करार के अनुसार मंगाये गये अनाज से हम भारी परिमाण में अनाज का संग्रह कर सकेंगे। पब्लिक ला ४८० के अधीन अब तक जितने करार किये गये हैं उनके अनुसार कुल १०९६ करोड़ रुपये से कुछ अधिक की चीजें मंगायी जा सकती हैं।

३७. हमें कोलम्बो आयोजना सम्बन्धी देशों से सहायता मिलती रही। प्रायोजनाओं के लिए और अलौह धातुओं (नानफेरस मैटल) जैसी आधारभूत वस्तुओं के रूप में भी कनाडा से मिले हुए अनुदान विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके विशिष्ट अभिकरणों (स्पेशलाइज्ड एजेन्सीज) तथा फोर्ड निधि और राकफेलर निधि से भी सहायता मिली। जहां हमें अधिक उन्नत देशों से सहायता मिल रही है, वहां हम भी कोलम्बो आयोजना की तकनीकी सहयोग योजना (टैक्निकल कोआपरेशन स्कीम) के अनुसार ट्रेनिंग की सुविधाएं और विशेषज्ञों की सेवाएं प्रस्तुत करके तथा और-और तरह से, अपने साधनों की सीमा के अन्दर, दूसरे देशों की सहायता करने के लिए तत्पर और इच्छुक रहे हैं। चालू वर्ष और अगले वर्ष में नेपाल को दी जाने वाली सहायता की रकम ६ करोड़ रुपया हो जाएगी। इसके अलावा, हम अपने पड़ौसी देशों, सिक्किम और भटान को उसकी विकास आयोजनाओं में सहायता करते रहे।

३८. दूसरी आयोजना के पांच वर्षों में कुल जितने ऋणों और उधारों के लिए नियमित करार किये गये उन सब की रकम १५१७ करोड़ रुपये हैं। इसमें से १३८७ करोड़ रुपये की रकम सरकार के लिए है, इसमें भी पहली आयोजना में खर्च न हुई ८७ करोड़ रुपये की रकम शामिल है। अनुमान है कि दूसरी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में कुल ७५२ करोड़ रुपये की रकम खर्च होगी और ७२२ करोड़ रुपये की रकम खर्च होने से बच जायगी, जो अगली आयोजना के लिए प्राप्त होगी। इस बची हुई रकम में ३२९ करोड़ रुपये की रकम ऋणों के लिए है और यह तीसरी आयोजना के कामों में खर्च की जानी है।

३९. हमें दूसरी पंचवर्षीय आयोजना की सारी अवधि में मित्र देशों से सहायता मिलती रही। इस अवसर पर मैं, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के अध्यक्ष श्री यूजीन ब्लैक के नेतृत्व में बैंक द्वारा किये गये उस कार्य का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं जो उसने उन देशों के प्रतिनिधियों की बैठकों का आयोजन करके किया है, जो हमें सहायता करने के प्रश्न पर संयुक्त रूप से तथा मैत्री भाव और रचनात्मक दृष्टि से विचार कर रहे हैं।

वित्त आयोग

४०. जैसाकि माननीय सदस्यों को मालूम है, करों आदि के साधनों के, केन्द्र से राज्यों को किये जाने वाले, हस्तान्तरण के सम्बन्ध में दूसरे वित्त आयोग (फाइनेन्स कमीशन) ने जो फैसला किया है वह १९६१-६२ में समाप्त होने वाली पांच वर्षों की अवधि के लिए है। दूसरे वित्त आयोग को राज्य सरकारों की आवश्यकता का अन्दाजा लगाने में काफी कठिनाई हुई थी, क्योंकि जिस अवधि के लिए उसने सिफारिशें की हैं उसका कुछ भाग दूसरी आयोजना की अवधि में और कुछ तीसरी आयोजना की अवधि में पड़ता है। इसलिए उसने यह सिफारिश की थी कि भविष्य में वित्त आयोग का फैसला जिस अवधि के सम्बन्ध में किया जाना हो वह अवधि और आयोजना की अवधि भविष्य में एक ही होनी चाहिए। इसलिए पिछले दिसम्बर में तीसरा वित्त आयोग संगठित किया गया और

उससे अनुरोध किया गया है कि वह अपनी सिफारिशें १९६२-६३ से १९६५-६६ तक की चार वर्षों की अवधि के लिए करे। पहले के आयोगों की भांति, यह आयोग भी आय सम्बन्धी करों और केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों के बंटवारे के बारे में सिफारिशें करेगा और इसके अलावा इस विषय में भी सलाह देगा कि जिन राज्यों को सहायता की आवश्यकता है उन्हें कितने अनुदान दिये जायं, और यह सलाह वह इस बात को ध्यान में रखते हुए देगा कि तीसरी आयोजना की आवश्यकताएं कितनी हैं और इन राज्यों को कितना अतिरिक्त राजस्व स्वयं प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये। आयोग यह भी बताएगा कि मृत सम्पत्ति शुल्क के बंटवारे के सिद्धान्तों में यदि परिवर्तन करने हों तो वे क्या हों और राज्यों को रेल-किराया-कर के हिस्से के बदले दिया जाने वाला अनुदान उनमें किस तरह बांटा जाय। चूंकि रेल-किराया-कर १ अप्रैल, १९६१ से उठा दिया जायगा, इसलिए इस करके बदले दिये जाने वाले अनुदान के बंटवारे के सम्बन्ध में की जाने वाली आयोग की सिफारिशें अगले वर्ष से लागू होंगी।

लेखा प्रणाली में परिवर्तन

४१. वर्तमान लेखा-प्रणाली १९३५ के भारत शासन विधान के जारी होने के समय निर्धारित की गयी थी और उसमें तब से प्रायः कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कुछ समय से यह महसूस किया जा रहा है कि बाद के संविधान सम्बन्धी परिवर्तनों को और सरकार के विकास सम्बन्धी व्यय की बढ़ती हुई गति को देखते हुए, इस लेखा-प्रणाली को नया रूप देकर तर्कसंगत बनाया जाना चाहिये। इस विषय पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से विचार किया गया और यह निश्चय किया गया कि दो वर्षों की अवधि में लेखा-प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन किये जायं। अगले वर्ष जो परिवर्तन किये जायेंगे वे व्याख्यात्मक ज्ञापन में विस्तारपूर्वक बताये गये हैं।

४२. यहां मैं महत्वपूर्ण मदों की ही चर्चा करूंगा। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, "असैनिक प्रशासन" समूह-शीर्षक के अन्तर्गत प्रशासन से सम्बन्ध रखने वाले बजट शीर्षक, जैसे 'सामान्य प्रशासन', 'लेखा-परीक्षा', 'पुलिस' और 'जेल' ही शामिल नहीं हैं, बल्कि सरकार के विकास सम्बन्धी कार्यों से सम्बन्ध रखने वाले मुख्य शीर्षक, जैसे, 'शिक्षा', 'कृषि' और 'चिकित्सा' भी शामिल हैं। इस बात के अलावा कि "असैनिक प्रशासन" नाम कुछ भ्रामक है, बजट के वर्तमान रूप में, सरकार द्वारा अपने प्रशासनिक कार्यों पर किया जाने वाला व्यय तथा सामाजिक और विकास-सम्बन्धी कार्यों पर किया जाने वाला व्यय अलग-अलग नहीं दिखाया जाता। इस त्रुटि को दूर करने के लिए "असैनिक प्रशासन" समूह शीर्षक दो भागों---"प्रशासनिक सेवाएं" तथा "सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं" में बांटा जा रहा है। "असैनिक प्रशासन" समूह-शीर्षक के इस प्रकार बंट जाने से माननीय सदस्यों के लिए यह ठीक-ठीक जानने में आसानी होगी कि प्रशासनिक व्यय में कितनी वृद्धि हुई है।

४३. कुछ वैधानिक अनुदानों को छोड़, राज्य सरकारों को दिये जाने वाले सहायक अनुदान खाते के तत्सम्बन्धी मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत विषयानुसार दर्ज किये जाते हैं और उनकी व्यवस्था सम्बद्ध अनुदानों में की जाती है। ये अनुदान उन कार्यों पर केन्द्रीय सरकार का अन्तिम व्यय नहीं हैं, बल्कि केन्द्र से राज्यों को किये जाने वाले, साधनों के, अन्तरण ही हैं इसलिए इन्हें एक अलग शीर्षक "राज्यों को सहायक अनुदान" के अन्तर्गत लाया जा रहा है और इनके लिए व्यवस्था एक सम्मिलित मांग में की जा रही है। विभिन्न प्रकार के अनुदान, जैसे वैधानिक अनुदान, आयोजना-अनुदान और आयोजना-अनुदानों से पृथक् अनुदान, इन सब अनुदानों का उपयोग करने वाले मन्त्रालयों के अनुसार, इस शीर्षक के अन्तर्गत अलग-अलग दिखाये जायेंगे। इस प्रणाली से, केन्द्र से राज्यों को दिये जाने वाले कुल अनुदान एक जगह दिखाई देंगे और इन अनुदानों के उपयोग के सम्मिलित नियन्त्रण में भी आसानी हो जायगी।

[श्री मोरारजी देसाई]

४४. मैं एक और परिवर्तन का भी उल्लेख कर दूं जिसमें माननीय सदस्यों को शायद दिलचस्पी हो। केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों के, राज्यों के हिस्से की उन्हें की जाने वाली अदायगियां अब तक '२— केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क' मुख्य शीर्षक के अन्तर्गत व्यय के रूप में दिखायी गयी हैं। ये रकमें भी राज्यों को किये जाने वाले, साधनों के अन्तरणों जैसी ही हैं। अब ये रकमें 'केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों में राज्यों का हिस्सा' नामक पृथक् मुख्य शीर्षक के अन्तर्गत दिखायी जायंगी।

४५. यह भी निश्चय किया गया है कि श्रम और नियोजन सम्बन्धी व्यय अगले वर्ष से एक नये मुख्य शीर्षक "श्रम और नियोजन" के अन्तर्गत दर्ज किया जाय। इस समय यह व्यय 'विविध विभाग' और 'विविध' शीर्षकों के अन्तर्गत दिखाया जाता है।

४६. मुझे विश्वास है कि सभा इन परिवर्तनों का स्वागत करेगी जिनसे उन प्रयोजनों का अधिक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत होगा जिनके लिए बजट में धनराशियों की व्यवस्था की जा रही है।

वित्त वर्ष १९६०-६१

४७. चालू वर्ष के बजट में, जिसे संसद् ने अन्तिम रूप से स्वीकृत किया है, ९१९.६५ करोड़ रुपये के राजस्व और ९८०.३५ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान किया गया था जिससे राजस्व खाते में ६०.७० करोड़ रुपये की कमी रही थी। वर्तमान अनुमानों के अनुसार अब ९२३.७२ करोड़ रुपये के राजस्व और ९५७.३८ करोड़ रुपये के व्यय की सम्भावना है जिससे ३३.६६ करोड़ रुपये की कमी रह जायगी।

४८. कुल राजस्व में ४०.१३ करोड़ रुपये की वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों (यूनियन एक्साइज ड्यूटीज) और निगम कर (कारपोरेशन टैक्स) को मिला कर आय कर से अधिक प्राप्तियां हुई; लेकिन करों से निकलने वाले राज्यों के हिस्से में ३६.०६ करोड़ रुपये की वृद्धि होने से ये प्राप्तियां अधिकांश में प्रति सन्तुलित हो जायंगी। इस तरह वास्तव में राजस्व में ४.०७ करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायगी। सीमा शुल्कों की १६३ करोड़ रुपये की प्राप्तियां प्रायः उसी स्तर पर हैं जिसका बजट में अनुमान किया गया था। अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों को मिला कर केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों से ३९४.९८ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी, जो मूल अनुमान से १५.३७ करोड़ रुपये अधिक है। यह वृद्धि बहुत सी मदों में हुई है जिनमें तम्बाकू, साफ किया हुआ डीजल तेल और मोटर गाड़ियां उल्लेखनीय हैं। साथ ही इसका कारण इस वर्ष उत्पादन का बढ़ना और पहले से ज्यादा निकासी होना है। निगम कर को मिला कर आय सम्बन्धी करों से २५ करोड़ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान है। वृद्धि का मुख्य कारण पहले के वर्षों के कर-निर्धारण के बहुसंख्यक मामलों का निबटारा और मूल अनुमान की अपेक्षा करों की अधिक वसूलियां हैं। लेकिन इसी के साथ आय कर में से राज्यों को दिये जाने वाले हिस्से में, इस साल ज्यादा वसूलियां होने और पहले के वर्षों की बकाया रकमों की अदायगी के कारण, ३४.२३ करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायगी। किन्तु राज्यों को दिये जाने वाले तदर्थ अनुदानों में ७.४३ करोड़ रुपये की कमी होने से इस रकम में भी अंशतः कमी हो जायगी। राज्यों के तदर्थ अनुदानों में कमी होने का कारण, समवाय (कम्पनी) करके ढांचे में हेरफेर होने से आय कर के उनके हिस्से में कमी होना है जिसके लिए व्यय अनुमानों में व्यवस्था की गयी है। लोहे और इस्पात के अधिभार (सरचार्ज) से, जो लोहा और इस्पात समकरण निधि (आयरन एण्ड स्टील इक्वेलाइजेशन फण्ड) को अन्तरित कर दिया जाता है, २.१ करोड़ रुपया कम प्राप्त होने की सम्भावना है, जबकि पलिब्क ला ४८० कार्यक्रम के अनुसार अनुदानों में ५ करोड़ रुपये की कमी हो जायगी।

४९. अब इस वर्ष राजस्व खाते से ९५७.३८ करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है, जबकि मूल बजट में ९८०.३५ करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान किया गया था। प्रतिरक्षा सेवाओं (डिफेंस सर्विसेज) के व्यय का अनुमान २९६.७२ करोड़ रुपया और असैनिक (सिविल) व्यय का ६९०.६६ करोड़ रुपया है।

५०. असैनिक व्यय में १७.४३ करोड़ रुपये की कमी कई शीषकों के अन्तर्गत होने वाले परिवर्तनों का सामूहिक प्रभाव है। ब्याज सम्बन्धी अदायगियों में २.२४ करोड़ रुपये की कमी होगी जिसका प्रधान कारण बाजार ऋणों और राजकोष हुण्डियों कम जारी किया जाना है, लेकिन यह कमी डाकखाना बचत बैंकों में जमा की गयी रकमों और बचत पत्रों (सेविंग्स सर्टीफिकेट्स) पर पहले से ज्यादा ब्याज दिये जाने से अंशतः प्रतिसन्तुलित हो जायगी। अधिभार को इस्पात समकरण निधि में और पब्लिक ला ४८० के अनुसार प्राप्त अनुदान को विशेष विकास निधि (स्पैशल डेवलपमेण्ट फण्ड) में अन्तरित करने से ७.१ करोड़ की कमी हो जायगी। जैसा की मैं पहले बता चुका हूं, आय कर के बदले राज्यों को दिये जाने वाले तदर्थ अनुदानों में ७.४३ करोड़ रुपये की कमी हो जायेगी, लेकिन कम तनख्वाहें पाने वाले कर्मचारियों के वेतनों में वृद्धि करने के लिए राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों में २.४१ करोड़ों रुपये की वद्धि हो जायेगी।

५१. इस साल प्रतिरक्षा सेवाओं पर होने वाले वास्तविक व्यय में ५.५४ करोड़ रुपये की कमी होने का अनुमान है। इसका मुख्य कारण, मूल अनुमान की अपेक्षा भण्डार और साज-सामान की खरीद पर कम खर्च किया जाना है।

वित्त वर्ष १९६१-६२

५२. अगले साल के लिए, करों के वर्तमान स्तर के आधार पर, मैं बजट में ९६२.९२ करोड़ रुपये के कुल राजस्व और १०२३.५२ करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था कर रहा हूं जिससे ६०.६० करोड़ रुपये की कमी रह जायगी।

५३. चालू साल के संशोधित अनुमान की अपेक्षा इस साल सीमा शुल्कों में १ करोड़ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान है, जब कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों में ११.२६ करोड़ रुपये की और भी वृद्धि तथा आय सम्बन्धी करों और निगम कर को मिला कर ६ करोड़ रुपये की वृद्धि की सम्भावना है। रेलों से प्राप्त होने वाले अंशदान (कंट्रिब्यूशन) में १६.२३ करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान है, जो मुख्यतः रेलवे अभिसमय समिति (रेलवे कन्वेंशन कमिटी) की सिफारिशों को अमल में लाने के कारण होगी। लाभांश (डिवीडेण्ड) की दर ४ प्रतिशत से बढ़ा कर ४ १/२ प्रतिशत हो जाएगी। इसके अलावा रेल किराये पर लगने वाले कर की जगह रेलें साधारण राजस्व में प्रतिवर्ष १२.५ करोड़ रुपये का अतिरिक्त अंशदान देंगी, जो अनुदानों के रूप में राज्यों में बांट दिया जाएगा। रिजर्व बैंक का लाभ, चालू साल की ४० करोड़ रुपये की रकम से २ १/२ करोड़ रुपया ज्यादा होगा और अनुमान है कि पब्लिक ला ४८० के अनुसार प्राप्त होने वाले अनुदान में ५ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। अनुमान है कि आय कर में से राज्यों को दिये जाने वाले हिस्से में अगले साल ६.१९ करोड़ रुपये की कमी मुख्यतः इस कारण होगी कि पहले के वर्षों की बकाया रकमों की कम अदायगी की जायगी। किन्तु ये सुधार अनेक शीर्षकों के अन्तगत कमियां होने से—खास कर लोहे और इस्पात के अधिभार

[श्री मोरारजी देसाई]

(सरचार्ज) में, जिसमें प्रतिधारण मूल्य में अस्थायी वृद्धि होने से ३.४ करोड़ रुपये की और कमी हो जायगी—अंशतः प्रतिसन्तुलित हो जायेंगे ।

५४. असैनिक व्यय में, संशोधित अनुमानों की तुलना में, अगले साल ४९.९४ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी । खातों के वर्गीकरण में परिवर्तन होने से, जिसका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं, १९६१-६२ के आंकड़ों को चालू साल के ऐसे ही आकड़ों से पूरी तरह से मिलाया नहीं जा सकता किन्तु कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं की समीक्षा करते समय मैं उपयुक्त शीर्षकों के अन्तर्गत होने वाले इन परिवर्तनों के प्रभावों का समंजन कर दूंगा । देश के अन्दर और बाहर लिये गये ऋणो के बढ़ने से ब्याज सम्बन्धी अदायगियों के अन्तर्गत ९.५५ करोड़ रुपये की वृद्धि दिखलायी गयी है । लोहे और—इस्पात सम्बन्धी अधिभार तथा पब्लिक ला ४८० कार्यक्रम के अनुसार प्राप्त होने वाले अनुदान सम्बन्धी परिवर्तनों से भी, जिनका जिक्र पहले किया जा चुका है, व्यय में वृद्धि होगी । राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों, जो अब अलग से दिखलाये जायेंगे और अधिभार के अन्तरण को छोड़ कर, जिसका जिक्र पहले किया जा चुका है, अगले साल सामाजिक और विकास सेवाओं पर ३२.८८ करोड़ रुपया अधिक खर्च होने का अनुमान है । यह वृद्धि प्रायः सभी शीषकों में बंटी हुई है और इसका प्रधान कारण उन योजनाओं को अमल में लाना है, जो तीसरी आयोजना में शामिल की गयी हैं । समवाय (कम्पनी) कर के ढांचे में परिवर्तन होने से आय कर में से राज्यों को दिये जाने वाले हिस्से में कमी होने के कारण उन्हें जो तदर्थ अनुदान दिये जाते हैं उनमें २.७६ करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायगी । उन अनुदानों को छोड़कर जो रेल-किराया-कर समाप्त हो जाने के कारण अदा किये जायेंगे, जिसका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं, राज्यों को अगले साल दिये जाने वाले अनुदानों में १८.३५ करोड़ रुपये की कमी हो जायगी जिसका मुख्य कारण उन अनुदानों का बन्द किया जाना है जो कम तनख्वाहें पाने वाले कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने के लिए दूसरी आयोजना की अवधि में दिये जाते थे । आशा है कि केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में राज्यों की आवश्यकताओं का निर्धारण करते समय तीसरा वित्त आयोग इस प्रश्न पर विचार करेगा ।

५५. प्रतिरक्षा सेवाओं (डिफ़ेंस सर्विसेज) के वास्तविक व्यय में अगले साल १६.२ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी । स्थल सेना (आर्मी) के अनुमानों में ९.२ करोड़ रुपये की और जल सेना (नेवी) तथा वायु सेना (एयर फ़ोर्स) के खर्च की इकट्ठी रकम में ३.५४ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी । निष्क्रिय प्रभारों (नान-इफ़ेक्टिव चार्जेज) के अन्तर्गत भी ३.४६ करोड़ रुपये को वृद्धि होगी जिसका प्रधान कारण हाल का यह फैसला है कि जिस तरह १ अप्रैल, १९५८ से असैनिक (सिविल) क्षेत्र में छोटी पैंशनों में अस्थायी वृद्धि की गयी है उसी तरह फ़ौजी पैंशन-भोगियों को भी उसी तारीख से यह लाभ पहुंचना चाहिये । प्रतिरक्षा व्यय के अनुमानों में यह सम्पूर्ण वृद्धि मुख्यतः स्थल सेवाओं के लिए, जिसमें कुछ प्रतिष्ठानों का विस्तार भी शामिल है, वादे के मुताबिक अतिरिक्त व्यवस्था करने और वेतन आयोग (पे कमिशन) की सिफारिशों के आधार पर सैनिक अफसरों को अदायगी करने के लिए व्यवस्था करने के कारण होगी ।

पूंजीगत व्यय

५६. अमेरिका से प्राप्त होने वाली सहायता को विशेष विकास निधि (स्पेशल डेवलपमेण्ट फण्ड) में अन्तरित करने से सम्बन्ध रखने वाले समायोजन को छोड़ कर, जिसे प्राविधिक आधार पर पूंजीगत व्यय माना जाता है, चालू साल के बजट में पूंजीगत

व्यय के लिए ३७१ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। संशोधित अनुमान की रकम अब ४१६ करोड़ रुपये, यानी ४५ करोड़ रुपये अधिक रखी गयी है। पहले से अधिक आयात करने, खास तौर से गेहूं का, अनाज की खरीद पर होने वाले वास्तविक व्यय में ३०.४८ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में किये जाने वाले खर्च में मूल अनुमान की अपेक्षा १३.५ करोड़ रुपये की वृद्धि की सम्भावना है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (आयल ऐण्ड नेचरल गैस कमिशन) द्वारा तेल की खोज करने के सम्बन्ध में ७.९४ करोड़ पये की अतिरिक्त रकम की आवश्यकता होगी, जबकि सिन्ध नदी के पानी के सम्बन्ध में की गयी सन्धि के अनुसार विश्व बैंक (वर्ल्ड बैंक) को ८.२७ करोड़ रुपये की अदायगी करनी होगी। पूंजीगत व्यय की कुछ अन्य मदों के अन्तर्गत कमी होने से ये वृद्धियां अंशतः प्रतिसन्तुलित हो जायेंगी। अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत किये गये परिवर्तनों के सम्बन्ध में विस्तृत स्पष्टीकरण, हमेशा की तरह अनुदानों की मांगों की टिप्पणियों और व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिये गये हैं।

५७. अगले साल पूंजी परिव्यय के लिए ४५४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जो चालू साल के संशोधित अनुमान से ३८ करोड़ रुपया अधिक है। यह वृद्धि कई शीर्षकों में बंटी हुई है और तीसरी आयोजना के पहले साल की अतिरिक्त आवश्यकताओं को प्रकट करती है। अपने पूंजी परिव्यय के लिए रेलें ३६.३८ करोड़ रुपया अधिक खर्च करेंगी, लेकिन गल्ले की खरीद के वास्तविक व्यय में २६ करोड़ रुपये की कमी हो जायगी। बड़ी-बड़ी वृद्धियों में उल्लेखनीय यह हैं :-- सीमा-वर्ती सड़कों के लिए ७.७ करोड़ रुपया, औद्योगिक विकास के लिए ८.४६ करोड़ रुपया, दिल्ली प्रशासन (एडमिनिस्ट्रेशन) द्वारा प्राप्त भूमि के विकास के लिए ५.२ करोड़ रुपया और गल्ला भरने के गोदाम बनाने के लिए २.८३ करोड़ रुपया।

५८. अभी बताये गये प्रत्यक्ष पूंजी परिव्यय के अतिरिक्त राज्यों को ऋण देने के लिये अनुमानों में से इस साल ३५६.०७ करोड़ रुपये और अगले साल ४०९.२२ करोड़ रुपये और दूसरी पार्टियों को कर्ज देने के लिए, जिनमें पत्तन न्यास (पोर्ट ट्रस्ट), सरकारी स्वामित्व के निगम और विदेशी सरकारें शामिल हैं, ईस साल १७४.३७ करोड़ रुपये और अगले साल १७०.६० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

५९. अगले वर्ष के अनुमानों में, आयोजना को अमल में लाने के लिए, कुल ९४३ करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था की गयी है, जिसमें से १८१ करोड़ रुपया राजस्व खाते का और बाकी ७६२ करोड़ रुपया, कर्जों को मिलाकर, पूंजी खाते का है। इसके अलावा, रेलें अपने साधनों से २३ करोड़ रुपये की व्यवस्था करेंगी। इन अनुमानों में राज्यों की सहायता के लिए ३५२ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जिसमें से ९० करोड़ रुपया राजस्व बजट का और २६२ करोड़ रुपया पूंजी बजट का है। अनुमान है कि राज्य अपनी निधियों से २०० करोड़ रुपया प्राप्त करेंगे और इस तरह राज्यों के परिव्यय की राशि ५५२ करोड़ रुपया हो जायगी। आयोजना के केन्द्रीय अंग पर सब मिला कर ६१४ करोड़ रुपया खर्च होगा। इस तरह तीसरी आयोजना के पहले साल आयोजना का कुछ खर्च--केन्द्र और राज्यों दोनों का--११६६ करोड़ रुपया होगा। ये व्यवस्थाएं करते समय हमने इस बात का ध्यान रखा है कि विकास की अवस्थाओं का निर्धारण समुचित रूप से और सावधानी के साथ किया जाय। इसलिए अगले साल की व्यवस्था के एक बड़े भाग का सम्बन्ध दूसरी आयोजना की प्रायोजनाओं (प्रोजेक्ट्स) से है जिसे तीसरी आयोजना में ले जाया जायगा और नयी प्रायोजनाओं के

[श्री मोरारजी देसाई]

लिए जिनके लिये बहुत सा प्रारम्भिक कार्य करने की आवश्यकता है, मामूली सी व्यवस्था की गयी है ।

अर्थोपाय

६०. चालू वर्ष के लिये, मूल बजट में, १५३ करोड़ रुपये की कुल कमी का अनुमान किया गया था । वर्तमान निर्धारणों के आधार पर अब इस कमी के घट कर १५ करोड़ रुपया रह जाने का अनुमान है । १३८ करोड़ रुपये का सुधार बहुत सी बातों का परिणाम है । राजस्व के घाटे में अब २७ करोड़ रुपये की कमी होने का अनुमान है । पब्लिक ला ४८० की रकमों को भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करने के सम्बन्ध में नई कार्य-प्रणाली के अनुसार, जिस का जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, विशेष प्रतिभूतियों (स्पेशल सिक्योरिटीज़) में २४० करोड़ रुपया लगाया गया है---१०८ करोड़ रुपया भारतीय राज्य बैंक से किये गये अन्तरण का और १३२ करोड़ रुपया नई वास्तविक जमा का । पहले की रोकड़ बाकी में, मूल अनुमान की अपेक्षा, १९ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है । २८९ करोड़ रुपये की यह वृद्धि, पूंजी व्यय में ४५ करोड़ रुपये की वृद्धि जिस का जिक्र पहले किया जा है, देश और विदेश के वास्तविक ऋणों में ८४ करोड़ रुपये की कमी और दूसरे ऋण शीर्षकों के अन्तर्गत १९ करोड़ रुपये की कमी होने से अंशतः प्रतिसन्तुलित हो जायगी ।

६१. बजट में २५० करोड़ रुपये के बाजार ऋणों का अनुमान किया गया था जिस में २५ करोड़ रुपये इनामी बांडों (प्राइज बाण्ड) के थे । साल के दौरान १७५ करोड़ रुपये के दो ऋण जारी किये गये :---३$^1/_2$ प्रतिशत बन्ध-पत्र (बाण्ड) १९६६ और ४ प्रतिशत ऋण १९९० । २$^3/_4$ प्रतिशत ऋण १९६०---४ प्रतिशत ऋण १९६०---७० और साल के दौरान चुकाये जाने वाले २$^1/_4$ प्रतिशत हैदराबाद ऋण १९५५---६० के खरीदारों (होल्डर्स) के लिये ऋण-रूपान्तरण (कन्वर्सन) की सुविधायें भी दी गयीं । इन ऋणों में जो रुपया लगाया गया उस की कुल रकम १८०.७० करोड़ रुपये तक पहुंची, जिस में ७४.६ करोड़ रुपया ऋण रूपान्तरण का था ।

६२. वर्ष के अन्त तक इनामी बाण्डों से १२.५ करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है । जैसाकि माननीय सदस्यों को पता है, इस योजना के जारी होने के कुछ ही महीनों के अन्दर इन बाण्डों की बिक्री खूब हुई, लेकिन उस के बाद से इन की मांग बहुत ज्यादा घट गयी है । मेरा खयाल है कि इन बाण्डों में जनता के बहुत बड़े भाग की दिलचस्पी है और अगर सरकारी व गैर-सरकारी दोनों तरह के संगठन कुछ ज्यादा व मिलजुल कर काम करें ---खास तौर से राज्यों में---तो हाल में जितनी सफलता मिली है उस से भी ज्यादा सफलता मिल सकती है ।

६३. सदन को याद होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम विभाग (इश्यू डिपार्टमेंट) में रखी तदर्थ राजकोष हुण्डियों (ट्रेजरी बिल्स) के एक भाग को क्रमशः दीर्घकालीन ऋणों में परि-वर्तित करने (ग्रेजुअल फंडिंग) के निश्चय के अनुसार १९५८-५९ में ३०० करोड़ रुपये की राजकोष हुण्डियों और १९५९-६० में १५० करोड़ रुपये की राजकोष हुण्डियों को दिनांकित प्रतिभूतियों (सेक्यूरिटीज़) में परिवर्तित किया गया । चालू वर्ष में भी हम ने इस क्रम को जारी रखा और ५० करोड़ रुपये की और भी राजकोष हुण्डियों को परिवर्तित किया ।

६४. पिछले तीन वर्षों में छोटी बचतों के परिणाम उत्साहवर्धक रहे । पिछले साल कुल ८४ करोड़ रुपये का वास्तविक संग्रह हुआ । चालू साल के पहले दस महीनों का वास्तविक संग्रह, पिछले साल की इसी अवधि के संग्रह से १९ करोड़ रुपये अधिक है और साल के अन्त तक संभवतः पहले पहल १०० करोड़ रुपया इकट्ठा हो जायगा । छोटी बचतों के आन्दोलन को सफल बनाने के लिये जनता के बहुसंख्यक लोगों ने जो सहयोग और सहायता दी है वह उत्साहवर्द्धक और भविष्य

के लिये शुभ शकुन है। इस अवसर पर मैं उस सहायता के लिये कृतज्ञता प्रकट करता हूं जो गैर-सरकारी अभिकरणों (एजेंसियों), खास कर केन्द्र और राज्यों के सलाहकार बोर्डों और विभिन्न मंत्रालयों के अन्तर्गत सरकारी संगठनों द्वारा पहुंचाई गई है। मुझे आशा है कि इस उत्साहवर्द्धक प्रवृत्ति में, तीसरी आयोजना में, जिस में इस मद के ५८५ करोड़ रुपये रखे गये हैं, और भी तेजी आयेगी। फिर भी, इस सुधार पर भरोसा कर के हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाने में बुद्धिमानी न होगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये और भी अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता होगी। उन्नति के लिये त्याग की आवश्यकता होती है और लोकतंत्रात्मक आयोजन का सार यही है कि सभी लोग अपनी इच्छा और तत्परता से बराबर-बराबर त्याग करें। प्रत्येक नागरिक से मेरा निवेदन है कि वह त्याग के इस कार्य में सम्मिलित हो और छोटी बचतों की योजनाओं में पैसा लगाने के लिये और भी ज्यादा बचत करे।

६५. अगले साल के बजट में मैंने बाजार ऋणों के २३५ करोड़ रुपये रखे हैं। छोटी बचतों के सम्बन्ध में मैंने वास्तविक जमा के रूप में १०५ करोड़ रुपये लिये हैं जिसमें इस वर्ष की संभाव्य प्राप्तियों की अपेक्षा ५ करोड़ रुपये अधिक हैं। वर्तमान निर्धारण (एसेसमेंट) के अनुसार अगले वर्ष ४२१ करोड़ रुपये की विदेशी सहायता प्राप्त होने का अनुमान है। पब्लिक ला ४८० की निधियों से ९६ करोड़ रुपये के वास्तविक निवेश (नेट इन्वेस्टमेंट) की सम्भावना है, जिस में ३६ करोड़ रुपया भारतीय राज्य बैंक में पहले जमा की गई रकमों के अन्तरण (ट्रांसफर) का है।

६६. अगले वर्ष की सम्पूर्ण बजट स्थिति का सारांश यह है :—

कराधान के वर्तमान स्तर के आधार पर राजस्व में ६१ करोड़ रुपये (वास्तव में ६०.६ करोड़) की कमी होने का अनुमान है। पूंजी परिव्यय की रकम ४५४ करोड़ रुपये, राज्य सरकारों और दूसरों को दिये जाने वाले ऋणों की रकम ५८० करोड़ रुपये और ऋण अदा करने की रकम १६७ करोड़ रुपये होगी। १२६२ करोड़ रुपये के इस कुल खर्च के लिये २३५ करोड़ रुपया जनता से लिये जाने वाले ऋणों से, १०५ करोड़ रुपया छोटी बचतों से, ४२१ करोड़ रुपया विदेशी सहायता से, १७६ करोड़ रुपया ऋणों की वसूली से, ९६ करोड़ रुपया पब्लिक ला ४८० की निधियों के निवेश से और १०४ करोड़ रुपया विविध प्राप्तियों से आयेगा; और बजट का सम्पूर्ण घाटा १२५ करोड़ रुपये का रह जायगा।

६७. अब मैं अगले वर्ष के कर सम्बन्धी प्रस्तावों को ले रहा हूं।

६८. विकासशील अर्थव्यवस्था में करनिर्धारण का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रशासनिक व्यय की पूर्ति के लिये केवल आय-व्यय का वार्षिक ब्योरा तैयार करने की युक्ति से कहीं अधिक है।

६९. आयोजना के लिये साधन बढ़ाने के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि करों की प्राप्ति सम्बन्ध में हमारे प्रयत्नों का महत्व क्या है। तीसरी आयोजना में अनुमान किया गया है कि करों से प्राप्त होने वाला राजस्व राष्ट्रीय आय के ८.५ प्रतिशत से बढ़ कर ११ प्रतिशत तक पहुंच जायगा। अब यह करों के द्वारा प्रति वर्ष राजस्व खाते के घाटे की पूर्ति का प्रयत्न करने का प्रश्न नहीं रह गया। हमें सारी आयोजना की दृष्टि से धन-प्राप्ति के साधन जुटाने हैं। स्पष्ट है कि विकास के जिस कार्य को हम ने हाथ में लिया है उस में सभी को योगदान करना चाहिये। फिर भी अपने प्रस्तावों को तैयार करते समय हम ने इस बात का ध्यान रखा है कि समाज के किसी एक भाग पर करों का ज्यादा बोझ न पड़े। इसलिये उन मदों की भारी सूची तैयार करना आवश्यक हो गया जिन पर कर लगाया

[श्री मोरारजी देसाई]

गया है । मैंने इस बात का भी खयाल रखा है कि कम आमदनी वाले लोगों पर करों का बहुत कम भार पड़े । अन्ततः मैं ने इस बात की मजबूती करने का यत्न किया है कि अपनी कर निर्धारण व्यवस्था द्वारा ही हम अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करें ।

हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपनी कर सम्बन्धी नीतियों से आयात को निरुत्साहित और निर्यात को प्रोत्साहित करें। उपभोग को निरुत्साहित और निवेश को प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है ।

७०. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर-निर्धारण के लिये जिन प्रस्तावों को मैं पेश करने जा रहा हूं उन में इन बातों का ध्यान रखा गया है ।

सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क

७१. सीमा शुल्कों के सम्बन्ध में मेरे प्रस्तावों में ४१ मदों की शुल्क-दरों में वृद्धि करने का विचार किया गया है । शुल्कों की दरों में जो परिवर्तन किये गये हैं उन की व्याख्या बजट पत्रों के साथ प्रचारित किये गये ज्ञापन में विस्तार के साथ की गयी है । फिर भी यहां मैं कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों का जिक्र करूंगा ।

७२. सुपारी के वर्तमान शुल्कों में प्रति किलोग्राम ८० नये पैसे की वृद्धि करने का प्रस्ताव है । इस से सुपारी से कमाये जाने वाले भारी मुनाफे का कुछ हिस्सा हमें मिल जायगा । अनुमान है कि इस प्रस्ताव से साल भर में ५७ लाख रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी । प्रस्ताव है कि अनिर्मित (अनमैन्युफैक्चर्ड) तम्बाकू के वर्तमान शुल्क में लगभग ५० प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाय । इस से हर साल ८९ लाख रुपया मिलने की सम्भावना है । कुछ कपड़ों पर मूल्यानुसार (एड वेलोरम) लगने वाला ५० प्रतिशत का वर्तमान शुल्क, बढ़ा कर मूल्यानुसार १०० प्रतिशत कर दिया जायगा । इस वृद्धि से दूसरे कपड़ों के शुल्क की सामान्यतः ऊंची दरों के साथ मेल बैठ जायगा । इस प्रस्ताव से ६८ लाख रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा । इसी तरह लोहे और इस्पात की चीजों के मूल्यानुसार ३५ प्रतिशत के शुल्क को बढ़ा कर मूल्यानुसार ५० प्रतिशत कर दिया जायगा जिस से हर साल लगभग १ करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी ।

७३. देश में मशीनों का निर्माण तेजी से बढ़ रहा है । इस उद्योग के विकास में सहायता पहुंचाने के विचार से मशीनों और पुर्जों के आयात-शुल्क में वृद्धि करने का विचार है । इस मद के सम्बन्ध में मेरे प्रस्ताव में दो बातें हैं : पहली यह कि शुल्क की वैधानिक दर (स्टेच्युटरी रेट) मूल्यानुसार १० प्रतिशत से बढ़ा कर मूल्यानुसार १५ प्रतिशत कर दी जाय——उन मदों को छोड़ कर जिन के सम्बन्ध में, आयात-निर्यात शुल्क और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार (जेनरल एग्रीमेंट आन टैरिफ्स ऐण्ड ट्रेड) के अनुसार वचन दिया जा चुका है——और दूसरी यह कि शुल्क की रियायती दर, जो अभी उन किस्मों की मशीनों पर लगती है जिन्हें सरकारी अधिसूचना (एक्जिक्यूटिव नोटिफिकेशन) के अनुसार छूट मिली हुई है, मूल्यानुसार ५ प्रतिशत से बढ़ा कर मूल्यानुसार १० प्रतिशत कर दी जाय । सरकार की सामान्य नीति यह रही है कि पूंजीगत वस्तुओं का शुल्क जितना सम्भव हो उतना कम रखा जाय । चूंकि यह वृद्धि थोड़ी ही है, इसलिये उत्पादन के खर्च पर इस का असर भी क्या पड़ेगा । इस प्रस्ताव से ७.७६ करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति का अनुमान है ।

७४. सुरासार (स्पिरिट्स), शराब और यव्य (माल्ट) के शुल्क में वृद्धि करने और यव्य-कटु (हाप) पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव है जिस से अनुमानतः २४ लाख रुपये की वार्षिक प्राप्ति होगी ।

बिजली के व दूसरे औजारों (इंस्ट्रूमेण्ट), वैज्ञानिक यंत्रों (एपरेटस) और उपकरणों (एप्लायन्सेज) के, जिनका अन्यथा उल्लेख नहीं है, वर्तमान शुल्क में मूल्यानुसार १० प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि रेलवे लाइन सम्बन्धी रेल सामग्री और रेलों के डिब्बे वगैरह व उनके हिस्सों के मौजूदा शुल्क में मूल्यानुसार ५ प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाये। इन दोनों परिवर्तनों से १.४८ करोड़ रुपये की अतिरिक्त वार्षिक प्राप्ति का अनुमान है।

"अन्य सभी वस्तुएं जिनका अन्यथा उल्लेख नहीं" की अवशिष्ट मद का—जो आयात-निर्यात शुल्क सूची की प्रविष्टि ८७ के अन्तर्गत आती है—शुल्क मूल्यानुसार १० प्रतिशत बढ़ा दिया जायेगा जिससे २.४३ करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी।

७५. मैं अखबारी कागज (न्यूज प्रिण्ट) के शुल्क में भी थोड़ी सी वृद्धि करने का प्रस्ताव रख रहा हूं। १९३७ में अखबारी कागज की वैधानिक शुल्क-दर २५ प्रतिशत थी। लेकिन यह शुल्क, सुविधा की दृष्टि से, अधिसूचना द्वारा कुछ निश्चित-दरों पर निर्धारित किया गया था, जो उस समय लगभग २५ प्रतिशत बैठता था। उसके बाद से, अखबारी कागज को मिला कर, कागज के शुल्क की वैधानिक दर बढ़ कर ४० प्रतिशत हो गयी है, जिसमें उत्पादन शुल्क भी जोड़ा जाता है, जबकि अखबारी कागज की निश्चित दरें प्रायः ज्यों की त्यों रही हैं। दूसरी ओर, इस बीच अखबारी कागज के दाम बहुत चढ़ गये हैं जिसका परिणाम यह हुआ है कि शुरू में निर्धारित की गयी २५ प्रतिशत की प्रचलित दर के मुकाबले शुल्क की निश्चित दरों का मूल्यानुसार भार अब ५ प्रतिशत से भी कम बैठता है। इसलिए इस शुल्क में मूल्यानुसार लगभग १० प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। एक अधिसूचना द्वारा इस परिवर्तन को लागू किया जा रहा है। अनुमान है कि इस परिवर्तन से हर साल ३८ लाख रुपये की प्राप्ति होगी।

७६. चाय उन चीजों में से एक है जिन से हमें विदेशी मुद्रा (फारेन एक्सचेंज) की बहुत प्राप्ति होती है। लेकिन इस समय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग घटती जा रही है। इसका निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात शुल्क में प्रति किलोग्राम ९ नये पैसे की कमी करने का प्रस्ताव है, अर्थात् लगभग १७ प्रतिशत, जिससे राजस्व में २ करोड़ रुपये की कमी हो जायेगी।

७७. इन परिवर्तनों का वास्तविक प्रभाव यह होगा कि सीमा-शुल्कों से प्राप्त होने वाले राजस्व में १६.९५ करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायेगी।

७८. उत्पादन शुल्कों में परिवर्तन होने के कारण, जिनका जिक्र मैं अभी ही करने जा रहा हूं, आवश्यकतानुसार समप्रभावोत्पादक (काउण्टरवेलिंग) आयात शुल्क लगाने की व्यवस्था की जा रही है जिससे देसी उत्पादक को हानि न पहुंचे। अनुमान है कि समप्रभावोत्पादक शुल्कों से १२.३२ करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

७९. केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों के सम्बन्ध में, १४ चीजों की—जिन पर अभी शुल्क लगता है—शुल्क-दरों में परिवर्तन करने और १८ नयी चीजों पर शुल्क लगाने का मेरा प्रस्ताव है।

८०. चाय की खपत को नियंत्रित करने और इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए खुली चाय के उत्पादन शुल्क में प्रति किलोग्राम ५ से ८ नये पैसे की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। साथ ही बन्द चाय (पैकेज टी) की शुल्क दर में प्रति किलोग्राम ६ नये पैसे की कमी की जा रही है, क्योंकि शुल्क की वर्तमान दर के कारण प्रचलित व्यापार में परिवर्तन आता जा रहा है। इस हेर फेर से १.९८ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। इसी अभिप्राय से कहवा (काफी) की शुल्क दर में भी लगभग ३३ प्रतिशत वृद्धि करने का प्रस्ताव है जिससे ३८ लाख रुपये की प्राप्ति होगी।

तम्बाकू हमारी राजस्व प्राप्ति का स्थायी आधार है । १९५७ में इसके शुल्कों में भारी परिवर्तन किये गये थे, किन्तु अनुभव से पता लगा है कि इनमें कुछ सरलता लाने और इन्हें वैज्ञानिक संगति देने की आवश्यकता है । ताकि ऊंची शुल्क-दर के तम्बाकू की जगह कम दर के तम्बाकू का इस्तेमाल कम होने लगे, दोनों दरों के अन्तर को कम करना जरूरी है । तम्बाकू के डंठलों के शुल्क में भी वृद्धि करना आवश्यक है । वायु और धूम्रशोधित (फ्लू क्योर्ड) तम्बाकू, सिगरेटों, सिगारों और चुरुटों के शुल्क-ढांचे में भी सरलता लायी जा रही है । इन परिवर्तनों से २.५८ करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा ।

८१. रहन-सहन का स्तर ऊंचा होने के साथ-साथ किरासिन यानी मिट्टी के तेल की खपत भी बढ़ती जा रही है और चूंकि देश में हमारी जरूरत भर का मिट्टी का तेल पैदा नहीं होता, इसलिए इसे भारी मात्रा में बाहर से मंगाना पड़ता है । मिट्टी के तेल, खास कर अच्छी किस्म के मिट्टी के तेल के इस्तेमाल में कमी लाना जरूरी है, इसलिए इसके शुल्क में लगभग ४६ प्रतिशत की वृद्धि करने का मेरा प्रस्ताव है । इससे शुल्क भार बढ़ कर प्रति किलोलिटर ९५.५५ रुपया हो जायेगा । इससे और साथ ही ४.४५ रुपये के वर्तमान शुल्क के कारण कुल शुल्क बढ़ कर प्रति किलोलिटर १०० रुपया हो जायेगा । एक अधिसूचना प्रकाशित करके, घटिया दर्जे के मिट्टी के तेल को, जिसका इस्तेमाल प्रायः देहात में होता है, इस वृद्धि से छूट दी जा रही है । इस वृद्धि से २.८४ करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी ।

साफ किये हुए डीजल आयल और जिस डीजल आयल का अन्य प्रकार से उल्लेख नहीं है उसके शुल्क में भारी अन्तर होने के कारण लोगों में दूसरी किस्म के डीजल आयल में साफ किया हुआ डीजल आयल मिलाकर इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है । अंशतः इस असंतुलन को दूर करने के लिए उस डीजल आयल के शुल्क में, जिसका अन्यथा उल्लेख नहीं है, प्रति मैट्रिक टन २८ रुपये १५ नये पैसे की वृद्धि करने का प्रस्ताव है । इससे १.३३ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी ।

८२. रेयन धागे का उद्योग चमक रहा है और खासा मुनाफा उठा रहा है । मेरा प्रस्ताव है कि सभी किस्म के धागे और 'स्टेपल' रेशे के शुल्क में लगभग दो-तिहाई की वृद्धि कर दी जाय । इस परिवर्तन से १.६६ करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा ।

मैं बनास्पती (वेजिटेबिल प्रोडक्ट) के शुल्क में भी प्रति क्विंटल, यानी १०० किलोग्राम २ रुपये ८० नये पैसे की वृद्धि कर रहा हूं । इससे हर साल ८० लाख रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति का अनुमान है ।

रंग और रोगन तथा कागज के उद्योग अच्छी तरह से जम चुके हैं और इन चीजों की स्थिति ऐसी है कि ये राजस्व में और भी अंशदान दे सकते हैं । इसलिए मैं रंगों और रोगनों के शुल्क में लगभग २५ प्रतिशत की और कागज व कागज के गत्ते के शुल्क में ३६ प्रतिशत से ५६ प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं । लेकिन छपाई और लिखने के कागज के शुल्क में किसी तरह की वृद्धि करने का प्रस्ताव नहीं है । अनुमान है कि रंगों और रोगनों और कागज व कागज के गत्तों से क्रमशः ३० लाख रुपये और २.३७ करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा ।

८३. सूती कपड़े की फाइन और मीडियम 'ए' किस्मों की शुल्क दरों में भारी अन्तर होने से फाइन की जगह मीडियम 'ए' कपड़ा ज्यादा बनाया जाने लगा है । इस हालत को कुछ हद तक ठीक करने के लिए मीडियम 'ए' ग्रे (धूसर रंग के) कपड़े के बुनियादी शुल्क में २५ प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव है । वैज्ञानिक विधि से तैयार किये गये कपड़े (प्रोसेस्ड क्लाथ) के उत्पादन शुल्क

में भी थोड़ी वृद्धि की जा रही है । इन परिवर्तनों से ४.७२ करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान है ।

निश्चित संख्या की अपेक्षा बिजली के कम करघों से काम लेने वाले कारखानों के सम्बन्ध में जो रियायत अभी छोटे कारखानों को शुल्क की पूरी छूट या कम दर के रूप में दी जाती है उसके कारण प्रशासन में अपव्यवहार और कठिनाइयां पैदा हो गयी हैं । इसका प्रतिकार करने के लिए सूती, रेयन और रेशमी कपड़े के सिर्फ उन्हीं कारखानों को पूरी छूट दी जायेगी जहां दो से ज्यादा करघों पर काम नहीं होता और ऊनी कपड़े के मामले में यह पूरी छूट उन कारखानों को दी जायेगी जहां एक से ज्यादा करघों पर काम नहीं होता । सम्मिलित शुल्क की खण्ड दरों में भी मुनासिब हेरफेर किया जा रहा है ।

८४. देश के दियासलाई उद्योग के विकास के लिए यह आवश्यक है कि सर्वसाधारण के उपयोग के लिए दियासलाई की सिर्फ एक आकार की डिबियां बनाई जायं और इसके लिए ५० तीलियों वाली डिबिया को सबसे अधिक उपयुक्त समझा गया है । इस प्रतिमानीकरण (स्टैंडर्डाइ-जेशन) को, जोर-जबर्दस्ती की बजाय राजस्व विषयक उपायों से बढ़ावा देने के लिए, दियासलाइयों की शुल्क-प्रणाली में कुछ परिवर्तन करने का विचार है । शुल्क की अधिकतम दर को ५७ नये पैसे प्रति हजार तीली से बढ़ा कर ६५ नये पैसे प्रति हजार तीली कर देने का प्रस्ताव है । ५० तीलियों की प्रतिमानित डिबियों की शुल्क दरें प्राय: वर्तमान स्तर पर ही रखी जायेंगी और बढ़ी हुई दर सिर्फ उन्हीं दियासलाइयों पर लागू होगी जो अप्रतिमानित डिबियों में भरी जायेंगी । साथ ही, इस उद्योग के घरेलू क्षेत्र (काटेज सेक्टर) को, जो तीलियां बनाने में बांस का इस्तेमाल करता है, बढ़ावा देने के लिए रियायती दरों में और भी कमी की जा रही है । इन प्रस्तावों से राजस्व में कोई विशेष अन्तर आने की सम्भावना नहीं है । नयी आवश्यकताओं के अनुसार अपने को ढालने के लिए इस उद्योग को काफी समय देने के उद्देश्य से ४० और ६० तीलियों की डिबियों की वर्तमान रियायती दरों को और ३ महीने के लिए जारी रखने का प्रस्ताव है ।

८५. साइकिलों के रिम बनाने के छोटे और बड़े आकार के कारखानों को, जो अपने माल की निकासी के लिये प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) बजार पर निर्भर हैं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । छोटे-छोटे कारखानों को सहायता देने की अपनी नीति के अनुसार कुछ रियायतें देने का मेरा प्रस्ताव है जिससे उन्हें सालाना १० लाख रुपये तक की राहत मिल सकेगी ।

८६. देश के औद्योगिक विस्तार के साथ साथ, अब उत्पादन के क्षेत्र में भी विस्तार करना सम्भव है । सोडा ऐश, कास्टिक सोडा और ग्लिसरिन पर थोड़े थोड़े परिमाण शुल्क (स्पेसिफिक ड्यूटीज), तारकोल के रंगों पर मूल्यानुसार १५ प्रति शत शुल्क, उन पेटेण्ट या मालिकाना दवाओं पर १० प्रति शत जिनमें मद्यसार यानी एलकोहल न हो और सुन्दरता बढ़ाने वाली व सिंगार-संवार की कुछ चीजों पर २५ प्रतिशत शुल्क लगाने का प्रस्ताव है । जिन पेटेण्ट और मालि-काना दवाओं में मद्यसार यानी एलकोहल पड़ता है उन पर औषधीय और प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम मेडिसिनल ऐण्ड टायलेट प्रिपरेशंस (एक्साइज ड्यूटीज) ऐक्ट के अनुसार पहले ही से शुल्क लगता है । इन कुल मदों से वार्षिक रूप से १.८ करोड़ रुपये की राजस्व-प्राप्ति का अनुमान है ।

इसी तरह सेलोफन और प्लास्टिक पाउडरों व प्लास्टिक की दूसरी अध-तैयार (सेमी-फिनिश्ड) चीजों पर मूल्यानुसार २० प्रति शत शुल्क लगाने का प्रस्ताव है । अनुमान है कि इन से लगभग ५० लाख रुपये की प्राप्ति होगी ।

८७. मिल के बने सूती और ऊनी धागे पर थोड़ा सा परिमाण शुल्क लगाने का विचार है और मुझे आशा है कि शुल्क का कम से कम एक हिस्सा निर्माण व्यय में खप जायेगा। इस कार्रवाई से मोजे-बनियान वगैरह और कुछ दूसरे कपड़े भी, जिनपर अभी कोई शुल्क नहीं लगता, शुल्क की सीमा में आ जायेंगे। लेकिन यह शुल्क सूत की उन लच्छियों पर नहीं लगेगा जो हथकरघों से बुनाई करने के काम आती हैं, जैसे कि धोतियां, साड़ियां और कपड़े की दूसरी चालू किस्में तैयार करने के लिये और न यह उस धागे पर लगेगा जो ऊन की घटिया चीजें तैयार करने के लिये पुराने ऊनी कपड़ों से तैयार किया जाता है। इस शुल्क से ५.५५ करोड़ रुपये की राजस्व-प्राप्ति का अनुमान है।

८८. मेरा अगला प्रस्ताव शीशा और शीशे की चीजों और चीनी मिट्टी व चीनी मिट्टी के बर्तनों पर (जिन में पिर्च, प्याले वगैरह भी शामिल हैं) मूल्यानुसार ५ प्रतिशत से लेकर मूल्यानुसार १५ प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगाने के बारे में है। शीशे का जो सामान मुख्यतः स्कूली प्रयोगशालाओं और अनुसंधानशालाओं के काम आता है उस पर शुल्क की नीची दर लागू करने की व्यवस्था की जा रही है। अनुमान है कि इन दोनों मदों से एक साथ १.६० करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

सदन को स्मरण होगा कि पिछले साल कुछ किस्म के एलूमीनियम पर शुल्क लगाया गया था। अब मैं दो अन्य अलौह (नान-फेरस) धातुओं, अर्थात् तांबे और जस्ते को भी उसी श्रेणी में रखना चाहता हूं, क्योंकि ये दोनों धातुएं कुछ हद तक एलूमीनियम का काम देती हैं, इसलिये चद्दरों (शीट) और चक्कों (सर्किल) पर ३०० रुपया प्रति मिट्रिक टन और नलों व नलियों (पाइप और ट्यूब) पर मूल्यानुसार १० प्रति शत शुल्क लगा रहा हूं। एलूमीनियम के नलों और नलियों को भी तांबे और जस्ते के नलों और नलियों के स्तर पर लाने का प्रस्ताव है। अनुमान है कि इस प्रस्ताव से लगभग ८० लाख रुपये की प्राप्ति होगी।

८९. रेडियो सेटों (वायरलेस रिसीविंग सेट), वायु अनुकूलनकारी यंत्रों (एयर कंडीशनिंग मशीनरी) और रेफ्रिजरेटरों पर भी शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। वायु-अनुकूलनकारी यंत्रों और रेफ्रिजरेटरों पर २० प्रतिशत शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। रेडियो सेटों के मामले में ३०० रुपये प्रति सेट से अधिक कीमत के सेटों पर मूल्यानुसार २० प्रतिशत की अधिकतम दर और सस्ते रेडियो सेटों पर रियायती दरें लागू करने का प्रस्ताव है जिन रेडियो सेटों की कीमत प्रति सेट १५० रुपये तक होगी उन पर यह शुल्क नहीं लगेगा इन शुल्कों से ८३ लाख रुपये का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

९०. इस शीर्षक के अन्तर्गत मेरा अन्तिम प्रस्ताव मिल के बने रेशमी कपड़े पर, राज्यों द्वारा ऐसे कपड़े पर लगाये जाने वाले बिक्रीकर के बदले, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने के सम्बन्ध में है। राज्यों ने इस प्रस्ताव को मान लिया है।

९१. इन सब प्रस्तावों के परिणामस्वरूप ३०.९० करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा जिसमें से राज्यों को, उनके हिस्से के रूप में, २.३ करोड़ रुपया मिल जायेगा।

प्रत्यक्ष कर

९२. व्यक्तिगत आय कर की दरों के ढांचे के सम्बन्ध में मैं केवल एक परिवर्तन करने का प्रस्ताव कर रहा हूं। अभी अर्जित आय पर रियायती दर पर कर लगाया जाता है और यह अधिभारों की भेदात्मक (डिफरेंशल) दरों की एक योजना के आधार पर किया जाता है जिसके अनुसार १ लाख रुपये से अधिक की अर्जित आय पर ५ प्रति शत की नीची दर पर अधिभार लगता है, जब कि समस्त अनर्जित (अनअर्न्ड) आय पर बुनियादी आय कर और अधिकर के १५ प्रति शत का विशेष अधिभार लगता

है। इस प्रकार अनर्जित आय पर कर की अधिकतम खण्ड दर (स्लैब रेट), अधिभार को मिलाकर ८४ प्रति शत है, जबकि १ लाख रुपये से अधिक की अर्जित आय पर यह ७७ प्रति शत है। लेकिन अर्जित आय के साथ पृथक व्यवहार करने का औचित्य उस समय समाप्त हो जाता है जब आय और उसी के साथ कर चुकाने की क्षमता बढ़ जाती है और मेरे विचार से १ लाख रुपये से अधिक की आमदनी पर उसी दर के आस पास कर लगाया जाना चाहिये जिस दर से अनर्जित आय पर लगता है। इसलिये मैं १ लाख रुपये से अधिक की अर्जित आय पर ५ प्रतिशत के वर्तमान विशेष अधिभार की दर को बढ़ाकर बुनियादी कर का १० प्रति शत कर देना चाहता हूं।

९३. मैंने कम्पनियों पर लगने वाले करों के सम्बन्ध में कुछ परिवर्तनों का प्रस्ताव रखा है, ताकि करों के वर्तमान ढांचे को वैज्ञानिक संगति दी जा सके और पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिल सके। सामान्य शेयरों का अनुपात बढ़ाने के लिये हम कम्पनियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस बात की मजबूती रखने के लिये कि कोई कम्पनी ऊंचे लाभांश (डिविडेण्ड) देकर अपनी प्रारक्षित निधि का अपव्यय न करे, प्रारक्षित निधियों और हिस्सों पर दिये जाने वाले लाभ को पूंजी के रूप में बदलना एक अच्छी तरकीब है। हाल के अनुभव से प्रकट हुआ है कि कम्पनियों द्वारा बोनस शयरों पर जो अधिकर (सुपर टैक्स) दिया जाता है उससे इस काम को ठेस पहुंचती है चूंकि अब अतिरिक्त लाभांश पर लगनेवाला कर उठा दिया गया है, इसलिये राजस्व की दृष्टि से और कम्पनियों का सामान्य शेयरों का आधार विस्तृत करने के लिये, मैं यही ठीक समझता हूं कि नये बोनस शेयरों का कर ३० प्रति शत से घटा कर १२½ प्रति शत कर दिया जाये फिर भी पूंजी निर्गम नियंत्रक (कण्ट्रोलर आफ केपिटल इश्यू) इस बात का ध्यान रखेगा कि बोनस शेयरों को जारी करने की मंजूरी तब तक न दी जाये जब तक प्रस्तावों की बारीकी से छानबीन न कर ली जाय।

९४. मेरा अगला प्रस्ताव कम्पनियों द्वारा प्राप्त लाभांश पर दिये जाने वाले अधिकर की दर के सम्बन्ध में है। कानून के अनुसार उन लाभांशों के लिये अधिकर की रियायती दर है जो मूल कम्पनी को अपनी गौण (सबसीडियरी) कम्पनी से प्राप्त होते हैं, जबकि गौणता, अर्थात् अल्पसंख्यक शेयरों के आधार पर अन्तः समवाय-निवेश (इण्टर-कारपोरेट इन्वेस्टमेंट) पर ऊंची दर से कर लगता है। मेरे विचार से, हमें अपने कर सम्बन्धी कानूनों द्वारा गौण कम्पनियों की स्थापना को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। हमारे व्यापक सामाजिक उद्देश्यों के अनुसार हमारे कर सम्बन्धी कानून ऐसे होने चाहियें जिनसे जनता के लिये, संयुक्त पूंजी वाली सभी कम्पनियों में हिस्सा बंटाने का क्षेत्र बढ़ जाये; ऐसे नहीं कि यह क्षेत्र और भी संकुचित हो जाये। एक और बात भी मेरे ध्यान में है। चूंकि गौण कम्पनियों से प्राप्त होने वाली आमदनी के मामले में रियायत दी जाती है, इस लिये भारतीय कम्पनियों में पूंजी लगाने वाले विदेशी अधिकांश शेयर अपने पास रखने की इच्छा प्रकट करते हैं। एक भारतीय कम्पनी को अल्पसंख्यक शेयरों (माइनारिटी शेयर-होल्डिंग) के आधार पर जितना कर देना पड़ता है उसकी बनिस्बत अल्पसंख्यक शेयरों के कारण विदेशी कम्पनी को कहीं ज्यादा ऊंची दर पर देना पड़ता है। विदेशी पूंजी लगने से हमारे औद्योगिक विकास के कार्यक्रमों को बड़ी सहायता मिल सकती है। विदेशी निवेशकों को हम कर के सम्बन्ध में इस प्रकार की रियायतें नहीं देते, जो ठीक ही है। लेकिन साथ ही हमें उस विदेशी अन्तःसमवाय निवेश, पर, जो सरकार की अनुमति से किया जाता है—इसी प्रकार के भारतीय निवेश की अपेक्षा ऊंची दर से कर नहीं लगाना चाहिये। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा प्रस्ताव है कि अन्तः समवाय निवेश के लाभांशों पर जो अधिकर दिया जाये, चाहे वह निवेश भारतीय हो अथवा विदेशी और चाहे बहुसंख्यक शेयरों के आधार पर हो अथवा अल्पसंख्यक शेयरों के आधार पर उसकी दर २० प्रति शत निर्धारित की जानी चाहिये। ताकि इस परिवर्तन का प्रभाव पहले के इस प्रकार के निवेशों पर न पड़े, इसलिये कर की नयी दर उन्हीं कम्पनियों में किये गये निवेश पर लागू होगी जो अप्रैल, १९६१ के बाद संगठित की जायेगी।

९५. मेरे अन्य प्रस्ताव का सम्बन्ध विदेशी कम्पनियों द्वारा भारतीय उद्यमों से प्राप्त होने वाली रायल्टी के कर से है। मौजूदा दर—आयकर और अधिकर को मिला कर—६३ प्रतिशत बैठती है, जो ऐसा लगता है, किसी भी देश में लगने वाली दर से ऊंची है। आखिर में कर की इस ऊंची दर का भार हमारे ही उद्योगों पर पड़ता है, क्योंकि सम्बद्ध विदेशी कम्पनी स्वभावतः रायल्टी की ऐसी दर मांगती है जिससे, करों की कटौती के बाद, उसे काफी लाभ रहे। ताकि भारतीय उद्योगों को अधिक अनुकूल शर्तों पर तकनीकी सहयोग मिल सके, इसलिये मैं उन रायल्टियों पर दिये जाने वाले कर को घटा कर ५० प्रतिशत करना चाहता हूं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ३१ मार्च, १९६१ के बाद, स्वीकृत करारों के आधार पर दी जायेगी।

९६. हाल के वर्षों में कम्पनियों और उनके डाइरेक्टरों तथा कार्यवाहों (एक्जिक्यूटिव) में, कम्पनी के खर्च से भारी पैमाने पर खातिरदारी करने का रुझान बढ़ा है। यद्यपि कम्पनी के कारबार के खयाल से कुछ खातिरदारी अनिवार्य और सचमुच जरूरी है, लेकिन अक्सर इस तरह का खर्च, कम्पनी के लाभ के अनुपात को देखते हुये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। समाज पर इस दिखावे और फिजूल खर्ची का बुरा असर पड़ता है और मितव्ययता की आवश्यकता तथा सामाजिक समानता के हमारे आदर्श के साथ इन बातों का मेल नहीं बैठता। इस तरह के कामों के लिये कुछ सुविधा इस बात से भी मिल जाती है कि कर अदा करने के सम्बन्ध में इस तरह के खर्च कारबारी खर्च में दिखलाये जाते हैं। मुनासिब पैमाने पर किये जाने वाले खर्च को दण्डनीय ठहराये बिना इस स्थिति में सुधार लाने के लिये मैंने प्रस्ताव किया है कि कम्पनियों के खातिरदारी खर्चे, निश्चित सीमाओं के अन्दर, आय कर की दृष्टि से ग्राह्य (एडमिसिबल) माने जाने चाहिएं।

९७. आय कर अधिनियम (इनकम-टैक्स ऐक्ट) में जिन संशोधनों के लिये मैंने प्रस्ताव किये हैं उनमें से कुछ अधिक महत्वपूर्ण संशोधनों का मैं संक्षेप में जिक्र करूंगा। अभी पानी के जहाज के सम्बन्ध में लागत के ४० प्रतिशत की दर से और दूसरे संयंत्र (प्लांट) या मशीनों के लिए २५ प्रतिशत की दर से विकास छूट दी जाती है। प्रस्ताव है कि जो मशीनें या संयंत्र ३१ मार्च, १९६१ के बाद लगाये जायं उनके लिये २५ प्रतिशत की दर को घटा कर २० प्रति शत कर दिया जाय। पानी के जहाज के सम्बन्ध में ४० प्रतिशत की विकास छूट जारी रहेगी। मेरा यह प्रस्ताव भी है कि जहां एक कम्पनी दूसरी कम्पनी में मिला दी जाती है या जहां किसी फर्म को प्राइवेट कम्पनी का रूप दे दिया जाता है और जिन मशीनों या संयंत्र के लिये पूर्वाधिकारी (प्रडिसेसर) को विकास छूट दी जानी है उनका हस्तांतरण हो जाता है, वहां हस्तांतरित परिसम्पद् के लिये जो विकास छूट दी जा चुकी है उसे वापस नहीं लिया जायगा और छूट का जो भी हिस्सा काम में न आया होगा वह, उपयुक्त शर्तों के अनुसार उत्तराधिकारी कम्पनी को दे दिया जायगा।

९८. विदेशी प्रौद्योगिक विशेषज्ञों को, जिनकी सेवा के इकरारनामे केन्द्रीय सरकार द्वारा मान लिये गये हैं, जिस अवधि के लिये कर की छूट दी जाती है वह २४ से ३६ महीने के बीच अलग अलग है। प्रस्ताव है कि यह छूट सभी मामलों में समान रूप से ३६ महीने के लिये दी जाय। और भी, इस ३६ महीने की अवधि के बाद, यदि प्रौद्योगिक विशेषज्ञ की सेवाएं भारत में बनाये रखी जायं और मालिक विशेषज्ञ की तनख्वाह के हिसाब से कर देता रहे, तो जो रकम मालिक द्वारा कर के रूप में अदा की जायगी उसे मालिक की आमदनी का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इस रियायत के पहले के करमुक्त ३६ महीने की अवधि के बाद २४ महीने तक दिये जाने का प्रस्ताव है। ये दोनों रियायतें उन प्रौद्योगिक विशेषज्ञों को अपने आप मिल जायेंगी जिन के इकरारनामे वर्तमान विनियमों के अनुसार स्वीकृत किये जा चुके हैं।

९९. एक और संशोधन द्वारा, सरकार द्वारा स्वीकृत लोक वित्त संस्थाओं (पब्लिक फाइनेंशल इंस्टिट्यूशन) को—जो लम्बी अवधि के लिये धन देकर औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिये स्थापित की गई है—विशेष प्रारक्षित निधि में अन्तरित उन रकमों के लिये, जो प्रत्येक वर्ष की कुल आय के १० प्रतिशत से अधिक न हों, तब तक छूट लेने का अधिकार दिया गया है जब तक प्रारक्षित निधि में ले जायी गई रकम संस्था की चुकता हिस्सा पूंजी के बराबर न हो जाये ।

१००. माननीय सदस्यों की एक और प्रस्ताव में भी दिलचस्पी होगी जिसके द्वारा, आय-कर अधिनियम की धारा १५ सी० के अनुसार ५ वर्ष के कर-अवकाश का लाभ, कुछ शर्तें पूरी करने वाले नये होटलों को देने की बात सोची गई है। नये होटलों को इस रियायत का लाभ पहुंचाने का उद्देश्य ऐसे होटलों के निर्माण के लिये प्रोत्साहन देना है जो मुख्यतः सैलानियों की सुख—सुविधा की दृष्टि से बनाये जायं, ताकि विदेशी मुद्रा कमायी जा सके।

१०१. कम आमदनी वाले समूहों के व्यक्तियों के इस्तेमाल के लिये रिहायशी मकान बनाने के काम को बढ़ावा देने के लिये मैं ३१ मार्च, १९६१ के बाद बना कर पूरे किये गये नये रिहायशी मकानों के वार्षिक मूल्य में ६०० रुपये की सालाना कटौती की व्यवस्था करना चाहता हूं । यह रियायत मकान के बन कर पूरे होने की तारीख से सिर्फ तीन साल तक के लिए मिल सकेगी। इसके अलावा मैं उन व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी ऐसे मकानों के लिये २० प्रतिशत की प्रारम्भिक मूल्यह्रास की छूट देना चाहता हूं जो २०० रुपया मासिक से अधिक न पाने वाले कर्मचारियों के लिये बनाये गये हों ।

१०२. आयकर अधिनियम के बाकी संशोधनों का उल्लेख करके मैं सदन का समय नहीं लूंगा, क्योंकि वे छोटे हैं और राजस्व की दृष्टि से उनका विशेष महत्व नहीं है ।

१०३. प्रत्यक्ष करों में इन सब परिवर्तनों के परिणामस्वरूप ३ करोड़ रुपय की अतिरिक्त राजस्व-प्राप्ति होगी ।

प्रस्तावों का वास्तविक प्रभाव

१०४. अब मैं अपने प्रस्तावों के वास्तविक प्रभाव का सारांश बताता हूं । केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों के परिवर्तनों से २९·२७ करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति का अनुमान है। २·३ करोड़ रुपये की रकम को छोड़ कर, जो राज्यों को सौंप दी जायगी, केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों से २८·६ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। आय कर और निगम कर के छोटे-छोटे परिवर्तनों से ३ करोड़ रुपये की आमदनी होने का अनुमान है। इन प्रस्तावों के परिणाम-स्वरूप केन्द्र को ६०·८७ करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। इससे राजस्व की घटती बिलकुल साफ हो जायेगी और राजस्व में २७ लाख रुपये का नाम मात्र अधिशेष (सर्प्लस) रह जायेगा । इस तरह १२५ करोड़ रुपये का सम्पूर्ण घाटा कम हो कर ६४ करोड़ रुपये का रह जायगा जिसे राजकोष हुण्डियों के विस्तार से पूरा किया जायेगा ।

१०५. जिन करनिर्धारण प्रस्तावों की रूपरेखा मैंने अभी खींची है उनसे निस्सन्देह आम जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, यद्यपि मेरा उद्देश्य यही रहा है कि समाज के कमजोर वर्गों पर इसका कम भार पड़े। किन्तु यदि तीसरी आयोजना के आरम्भ के समय मैंने इससे छोटे प्रयत्न के लिये आह्वान किया होता तो मैं अपने कर्त्तव्य से डिग जाता। हमने अपने देशवासियों के रहन-

सहन का स्तर ऊंचा करने और आत्मनिर्भर अर्थ-व्यवस्था का शीघ्रतापूर्वक निर्माण करने का भार अपने कन्धों पर लिया है। यह कार्य हम जनता की इच्छा से लोकतंत्रात्मक प्रणाली के अनुसार कर रहे हैं। त्याग और तपस्या के समय विश्राम की कल्पना नहीं की जा सकती।

१०६. दूसरी आयोजना के लिये साधन जुटाने में हमने प्रभावपूर्ण प्रयत्न किये हैं। नये करों के द्वारा लगभग ८०० करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करके हमने पांच वर्ष की अवधि में न केवल राजस्व खाते का सारा खर्च चालू आमदनी से पूरा किया है, बल्कि चालू अधिशेषों से लगभग १३० करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय भी पूरा किया है। इसके अतिरिक्त हमने राज्यों को, आयकर और केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों में से उनका हिस्सा देने के अलावा, ७०० करोड़ रुपये के राजस्व सम्बन्धी अनुदान देकर उनकी सहायता की है। साथ ही हमने मूल अनुमान के अनुसार घाटे की वित्त-व्यवस्था को सीमा के अन्दर हो रखा है। इस तरह मैं कह सकता हूं कि ये सफलताएं मामूली नहीं हैं।

१०७. तीसरी आयोजना के लिये हमारे उद्देश्य और लक्ष्य और भी ऊंचे हैं। अगले पांच वर्षों में हमारा प्रयत्न यही होना चाहिये कि अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करके मूल्यों पर पड़ने वाले दबाव की रोकथाम करें और बचतों की रकमें जुटायें ताकि इस बात की मजबूती हो जाय कि घाटे की वित्त-व्यवस्था ५५० करोड़ रुपये की सीमा के अन्दर ही रहेगी जिसकी कल्पना आयोजना की रूपरेखा में की गई है। आयोजना के पहले वर्ष में हम इस दिशा में अच्छा आरम्भ कर रहे हैं।

१०८. हमने अपने लिये कुछ सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य चुने हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिये हमें भरसक प्रयत्न करना चाहिये जिसका मतलब यह होगा कि आने वाले कुछ समय के लिये हमें कठिन परिश्रम और त्याग करना पड़ेगा। किन्तु इसी के साथ रहन-सहन के ऊंचे स्तरों, अधिक रोजगार और अधिक अच्छी सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था के रूप में सुन्दर प्रतिफल की आशा भी है ही। जिन कार्यों को हमने हाथ में लिया है वे देश के भविष्य के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं। विकास की इस निर्णयात्मक अवस्था में हम डगमगाने की कल्पना तक नहीं कर सकते।

वित्त विधेयक

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार १ मार्च, १९६१/१० फाल्गुण १८८२ (शक) के ग्यारह बजे म के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, २८ फरवरी, १९६१
९ फाल्गुन, १८८२ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		९९७-१०१८
तारांकित प्रश्न संख्या		
३७३	गांवों में बेरोजगारी	९९७-९९
३७४	पंचकुइयां रोड नई दिल्ली पर चतुर्थ श्रेणी के क्वार्टर	९९९-१०००
३७५	दादरा और नगर हवेली	१००१-०३
३७६	उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों का विकास	१००४-०६
३७७	एडविना माउंटबेटन निधि	१००६-०८
३७८	पश्चिम बंगाल से दण्डकारण्य जाने वाले शरणार्थी	१००८-१२
३७९	पाकिस्तानियों द्वारा अतिक्रमण	१०१२
३८१	फाइबर ग्लास	१०१२-१३
३८२	कपड़ा उद्योग	१०१३-१४
३८३	तृतीय पंचवर्षीय योजना	१०१४-१७
४०३	चीन-नेपाल सीमा समझौता	१०१८
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१०१८-११३१
३१८	खाद्यान्नों के भाव	१०१८-१९
३१९	पंजाब में अकाली आन्दोलन	१०१९
३२०	पाकिस्तान में भारतीय प्रतिलिप्याधिकारों का अतिलंघन	१०१९
३२१	योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	१०२०
३२२	बोर्ड आफ कन्ट्रोल फार क्रिकेट	१०२०
३२३	भारतीय तेल उद्योग में इटली की कम्पनी का सहयोग	१०२१
३२४	पम्पोरी और अन्नपूर्णा पर्वतारोहण अभियान	१०२१-२२
३२५	नेपाल में तेल-सर्वेक्षण	१०२२
३२६	पन्ना की हीरे की खानें	१०२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः	विषय	पृष्ठ
३२७	लंका को कोयले का निर्यात	१०२२–२३
३२८	अन्दमान में केरल के परिवार	१०२३
३२९	सायंकालीन कालेज	१०२४
३३०	हिन्दी पुस्तकों का संभरण	१०२४
३३१	विश्वविद्यालयों में औद्योगिक बस्तियां	१०२५–२६
३३२	सामुदायिक विकास कार्य की प्रगति	१०२६
३३३	पूर्वी क्षेत्रीय परिषद्	१०२६–२७
३३४	विदेशी गैर-सरकारी पूंजी	१०२७
३३५	इस्पात कारखानों में उत्पादन की कमी	१०२७–२८
३३६	ज्वालामुखी तेल छिद्रण परियोजना	१०२८
३३७	श्री रछपाल सिंह की गिरफ्तारी	१०२८–२९
३३८	अमरीकी इस्पात मिशन	१०२९
३३९	राष्ट्रीय सेना छात्र दल	१०२९–३०
३४०	रद्दी लोहे का निर्यात	१०३०
३४१	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	१०३०–३१
३४२	राष्ट्रीय पुरस्कार	१०३१
३४३	राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता आन्दोलन योजना	१०३१–३२
३४४	कोयला खनन कार्य	१०३२
३४५	भारत में चीनी राष्ट्रजन	१०३२–३३
३४६	राजस्थान में जल संसाधनों का सर्वेक्षण	१०३३–३४
३४७	पंजाब और उत्तर प्रदेश का तेल सर्वेक्षण	१०३४
३४८	उत्तर बिहार का तेल सर्वेक्षण	१०३४
३४९	राष्ट्र विरोधी गतिविधियां	१०३५
३५०	इंजीनियर और वैज्ञानिक	१०३५
३५१	फ्लीट एयर आर्म बेस	१०३५
३५२	कोलार स्वर्ण क्षेत्र	१०३६
३५३	पुरातत्व विभाग का शताब्दी समारोह	१०३६–३७
३५४	भारत में पश्चिमी जर्मनी का धन विनियोग	१०३७
३५५	कोयले का संभरण	१०३७
३५६	बरसुआ की खानों से लोह अयस्क	१०३८
३५७	इस्पात के कारखानों म उत्पादन की लागत	१०३८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

३५८	भारतीय विमान-पोत के लिये कर्मचारी . . .	१०३८–३९
३५९	पुलिस के कर्मचारियों के लिये आचरण संहिता . .	१०३९
३६०	धर्म प्रचारकों से अघोषित वस्तुओं का पकड़ा जाना . .	१०३९–४०
३६१	इस्पात का संधारण मूल्य	१०४०–४१
३६२	जबलपुर में दंगे	१०४१
३६३	दार्जिलिंग और सिक्किम में नेपाल सरकार के पर्चे . .	१०४१–४२
३६४	आसाम द्वारा चाय के उत्पादन शुल्क में वृद्धि का सुझाव .	१०४२
३६५	दुर्गापुर के इस्पात कारखाने का विस्तार . . .	१०४२
३६६	भारतीय आर्थिक सेवा तथा भारतीय सांख्यिकीय सेवा . .	१०४२–४३
३६७	गुरुकुलों को वित्तीय सहायता . . .	१०४३
३६८	भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि के लिये मौखिक परीक्षा	१०४३
३६९	आसाम के शरणार्थी .	१०४४
३७०	दिल्ली में पटाखों के विस्फोट .	१०४४–४५
३७१	सरकारी कर्मचारियों के धन संबंधी विवरण	१०४५
३७२	हिन्दी शार्ट हैन्ड और टाइप राइटिंग शिक्षक .	१०४५–४६
३८०	चीन द्वारा रेडियो प्रसारण में बाधा	१०४६–४७
३८४	चैकोस्लोवेकिया को लौह अयस्क का निर्यात . .	१०४७
३८५	सस्ते रेडियो . . .	१०४७–४८
३८६	सूती वस्त्र का उत्पादन	१०४८–४९
३८७	प्रशासकीय प्रक्रिया का पुनर्विलोकन . . .	१०४९
३८८	पूर्वी अफ्रीका में भारतीय . . .	१०५०
३८९	माडर्न सतग्राम कोलियरी . . .	१०५०
३९०	सीमेंट के कारखाने . .	१०५१
३९१	श्री राजेश्वर दयाल की वापसी . . .	१०५१
३९२	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के महासचिव के बंगले की मरम्मत	१०५१–५२
३९३	श्री राजेश्वर दयाल के विरुद्ध आरोप . .	१०५२
३९४	भारत बर्मा सीमा सम्मेलन . . .	१०५२–५३
३९५	टैगोर शताब्दी	१०५३

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

३९६	श्री सी० डी० देशमुख द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप	१०५३–५४
३९७	कलकत्ता का विकास . .	१०५४
३९८	चाय का निर्यात . . .	१०५५
३९९	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के प्रचार एकक	१०५५
४००	नेपाल में बन्दी भारतीय . . .	१०५६
४०१	अन्तर्राष्ट्रीय आण्विक अभिकरण द्वारा प्रस्तावित परित्राण	१०५६–५७
४०२	मध्य प्रदेश में अल्युमिनियम संयंत्र	१०५७
४०४	हथकरघा बुनकरों को छूट .	१०५७
४०५	अमजोर पाइराइट्स से गंधक-निर्माण	१०५७–५८
४०६	सरकारी उपक्रम .	१०५८
४०७	सरकारी उपक्रम .	१०५८–५९
४०८	कारखाना अधिनियम, १९४८	१०५९
४०९	पंजाबी सूबा .	१०५९–६०
४१०	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघ . .	१०६०
४११	अमरीका को कलात्मक वस्तुओं का निर्यात .	१०६०
४१२	सिक्किम के लिये विकास योजना .	१०६१
४१३	सरकारी नियम . .	१०६१
४१४	नेपाली विदेश मंत्री से वार्ता	१०६१–६२
४१५	अल्वाये का उर्वरक कारखाना	१०६२–६३
४१६	पाकिस्तान को निर्माण सामग्री का संभरण	१०६३
४१७	कांगो के कासाई प्रान्त में अकाल .	१०६३
४१८	गोआ के साथ व्यापार .	१०६३–६४
४१९	पेपर इंस्युलेटिड केबल (तार) .	१०६४
४२०	हथकरघे के कपड़े के विक्रय पर छूट	१०६४
४२१	स्कूटर . .	१०६४–६५
४२२	विदेशों में भारतीय फिल्म समारोह	१०६५
४२३	दीवाली की रोशनी पर खर्च	१०६६
४२४	सिन्दरी उर्वरक कारखाना	१०६६
४२५	संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन	१०६७

विषय | पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—**क्रमशः**

अतारांकित
प्रश्न संख्या

५४५	डलहौजी में खाली मकान	१०६७
५४६	कोयले की कमी	१०६७–६८
५४७	उड़ीसा में बकाया आयकर .	१०६८
५४८	महाराष्ट्र में करों की बकाया राशियां	१०६८–६९
५४९	मैक्सिको में कृषि विकास संबंधी प्रतिवेदन .	१०६९
५५०	बम्बई और पूना विश्व विद्यालयों को अनुदान	१०६९
५५१	उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थाओं को सहायता .	१०७०–७१
५५२	महाराष्ट्र में लड़कियों की शिक्षा .	१०७१
५५३	बकाया आयकर	१०७१–७२
५५४	हवाई अड्डों पर माल पकड़ा जाना . . .	१०७२–७३
५५५	अध्यापकों की शिक्षा संबंधी यात्राएं	१०७३
५५६	राष्ट्र मंडलीय छात्रवृत्ति योजना .	१०७४
५५७	अमरीकी विश्वविद्यालयों में हिन्दी और संस्कृत	१०७४–७५
५५९	विस्थापित राजनीतिक पीड़ित लोग	१०७५
५६०	छात्राओं के लिये होस्टल .	१०७५
५६१	महाराष्ट्र में इस्पात पुनर्वेलन मिल . .	१०७५–७६
५६२	राजस्थान में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये अनुदान . .	१०७६
५६३	राजस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य सेवाएं	१०७६
५६४	राजस्थान में राजनीतिक पीड़ित लोग .	१०७७
५६५	राजस्थान में पोस्त का उत्पादन .	१०७७
५६६	ईसाई धर्म-प्रचारक	१०७८
५६७	केन्द्रीय मद्य निषेध समिति	१०७८
५६८	राष्ट्रीय युवक केन्द्र, नई दिल्ली .	१०७९
५६९	युद्धास्त्र कारखानों में इस्पात का उत्पादन . .	१०७९
५७०	चूड़ाचांदपुर में आदिम जातियों पर गोली चलाना	१०८०
५७१	कांगों में हस्पताल	१०८०
५७२	कोठागुडियम में कम तापमान का कार्बनीकरण संयंत्र .	१०८१
५७३	अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह का भू-गर्भीय सर्वेक्षण .	१०८१

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित

प्रश्न संख्या

५७४	सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए रक्षण	१०८१
५७५	घड़ियों का तस्कर व्यापार	१०८२–८३
५७६	प्रादेशिक भाषाओं में केन्द्रीय अधिनियम	१०८३
५७७	पंजाब को कच्चे लोहे और इस्पात का संभरण	१०८३
५७८	पंजाब में स्कूलों के बच्चों के लिये मध्यान्ह भोजन	१०८३
५७९	उड़ीसा में शिक्षित लोगों की बेकारी	१०८४
५८०	उड़ीसा में बुनियादी शिक्षा	१०८४
५८१	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में शोधन	१०८५
५८२	उड़िया नाटक	१०८५
५८३	उड़ीसा सागर तट के निकट पश्चिम बंगाल सरकार के जहाजों द्वारा मछली पकड़ना	१०८५
५८४	जापानी पुस्तकों और चित्रों की प्रदर्शनी	१०८६
५८५	त्रिपुरा में निःशुल्क शिक्षा	१०८६
५८६	युनेस्को सचिवालय में भारतीय	१०८६
५८७	सांख्यिकीय संस्थायें	१०८७
५८८	समापनोन्मुख बैंक	१०८७
५८९	पंजाब को आवंटित इस्पात और लोहा	१०८७–८८
५९०	दिल्ली में हरिजनों के लिये भूमि	१०८८–८९
५९१	स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के समारोहों में आमंत्रित लोग	१०८९–९०
५९२	तीसरी पंचवर्षीय योजना	१०९०
५९३	दुहरे कर से बचाव	१०९०–९१
५९४	तस्कर व्यापार	१०९१
५९५	मध्य प्रदेश में अस्पृश्यता निवारण	१०९१
५९६	आयकर लगाना	१०९२
५९७	पिछड़ी जातियों का कल्याण	१०९२
५९८	तेल का भाड़ा	१०९२–९३
५९९	राष्ट्रीय नेताओं के चित्र	१०९३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित

प्रश्न संख्या

६००	गणतंत्र दिवस परेड	१०६३
६०१	सालार जंग संग्रहालय	१०६३–६४
६०२	कोयला खान उपक्रमों को प्रोत्साहन . . .	१०६४–६५
६०३	बाल अधिनियम १९६० . . .	१०६५
६०४	सार्वजनिक छुट्टियां	१०६५–६६
६०५	कलकत्ता टैस्ट मैच में पाकिस्तानी राष्ट्रजन . . .	१०६६
६०६	मठ्ठों का बंद किया जाना . .	१०६६
६०७	जाली सिक्के . .	१०६६–६७
६०८	सैनिकों की शिक्षा	१०६७
६०९	भारत में विनियोजित ब्रिटिश पूंजी पर लाभ . .	१०६८
६१०	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी . . .	१०६८
६११	छावनियों में स्कूल	१०६८–६९
६१२	पंजाब के लिये लोहा और इस्पात की आवश्यकता .	१०६९
६१४	पुरातत्वीय वस्तुएं . .	१०६९–११००
६१५	विश्वविद्यालयों द्वारा पुरातत्वीय खुदाई . . .	११००–०१
६१६	श्रमजीवी पत्रकार वेतन समिति की सिफारिशें . .	११०१–०२
६१७	लाओस में भारतीय राष्ट्रजन . .	११०२
६१८	अनुशासन संहिता .	११०२–०३
६१९	तिलहन एवं खली का निर्यात .	११०३
६२०	विदेशों में भारतीय दूतावास तथा मिशन	११०३
६२१	छपाई और लिखाई के कागज के कारखाने .	११०४
६२२	मद्रास में चमड़ा उद्योग	११०४
६२३	मद्रास में कुटीर उद्योग	११०४
६२४	महाराष्ट्र में हथकरघा उद्योग	११०५
६२५	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम . .	११०५
६२६	उत्तर प्रदेश में मध्य और निम्न आय वर्ग आवास योजनाएं	११०५
६२७	उत्तर प्रदेश में स्थानीय विकास कार्य	११०५–०६
६२८	उत्तर प्रदेश में खादी का उत्पादन	११०६
६२९	हिमाचल प्रदेश में गंदी बस्तियां हटाना	११०७
६३०	हिमाचल प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग	११०७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित

प्रश्न संख्या

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
६३१	चाय की फसल	११०७
६३२	कोयरोलाइट	११०८
६३३	मोटर गाड़ी उद्योग	११०८
६३४	औद्योगिक बस्तियां	११०८
६३५	जिला विकास कार्यक्रम	११०८–९
६३६	गांवों में मकान बनाने का कार्यक्रम	११०९
६३७	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा संधारित बिजली घर	११०९
६३८	पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत भारतीय राष्ट्रजन	१११०
६३९	नागा	१११०
६४०	सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान	१११०–११
६४१	उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योग	११११
६४२	राज्य और तीसरी पंचवर्षीय योजना	१११२
६४३	नारियल जटा उद्योग का सवक्षण	१११२
६४४	राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद्	१११३
६४५	आसाम के शरणार्थियों को यात्रा भत्ते	१११३
६४६	मोटर गाड़ियों के पुर्जों का निर्माण	१११३–१४
६४७	नये उद्योगों के लिये लाइसैन्स	१११४
६४८	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटिड, बंगलौर	१११४–१५
६४९	सुन्धित द्रव्य	१११५
६५०	पत्रकारिता डिप्लोमा धारी	१११५
६५१	मुसलमानों की सम्पत्ति पर काबिज हिन्दू विस्थापित व्यक्ति	१११५–१६
६५२	गृह-निर्माण योजनाओं के लिये जीवन बीमा निगम की विधियां	१११६
६५३	कार्य-कुशलता संहिता	१११६–१७
६५४	राजस्थान—पश्चिमी पाकिस्तान सीमा का सीमांकन	१११७
६५५	त्रिपुरा में पुल निर्माण कार्य	१११७
६५६	मध्य प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग	१११७–१८
६५७	आकाशवाणी केन्द्र गौहाटी के कर्मचारी	१११८–१९
६५८	तीसरी पंचवर्षीय योजना	१११९
६५९	दक्षिण भारत प्लाइवुड निर्माता संघ	११२०
६६०	जिरकोन (गोमेद)	११२०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
६६१	आन्ध्र प्रदेश में बेरियम केमिकल्ज़ फैक्टरी	११२१
६६२	तिब्बत में भूटानी बस्तियों के बारे में चीन को पत्र	११२१
६६३	नेपाल में भारतीय राजदूतावास	११२१
६६४	गुजरात में योजना मंत्री के विरुद्ध प्रदर्शन	११२२
६६५	जिला केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कार्यालय, सतारा को लेखन सामग्री का संभरण	११२२–२३
६६६	उर्दू में समाचार चित्र	११२३
६६७	चाय की खेती	११२३
६६८	उत्तर प्रदेश में रेशम उद्योग	११२३
६६९	वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस	११२४
६७०	अल्युमीनियम, तांबा आदि का आयात	११२४–२५
६७१	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आवंटन	११२५
६७२	पश्चिम बंगाल का पुनर्वास विभाग	११२५–२६
६७३	गोबरदंगा और मेदिया के बीच पुल	११२६
६७४	ट्रैक्टरों का निर्माण	११२६
६७५	प्रेस संघ सहकारी समिति के लिये भूमि	११२७
६७६	विदेशों में भारतीय फिल्में	११२७
६७७	नये उद्योगों के लिये लाइसेंस	११२८
६७८	नागा व्यक्ति	११२८
६७९	राजस्थान में हथकरघा उद्योग	११२८–२९
६८०	पंजाब में खादी का उत्पादन	११२९–३०
६८१	चाय मशीनों की क्रयावक्रय योजना	११३०
६८२	उद्योगों के लिये निमंत्रित कच्चा माल	११३०
६८३	छोटे पैमाने के उद्योगों का बोर्ड	११३०–३१
स्थगन प्रस्ताव		११३१—३३

अध्यक्ष महोदय ने कराची में भारतीय उच्च आयोग पर पाकिस्तानी प्रदर्शनकारियों द्वारा हाल में किये गये आक्रमण के बारे में आठ स्थगन प्रस्तावों को, जिनकी सूचना निम्नलिखित सदस्यों ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी :—

सर्वश्री प्रकाशवीर शास्त्री, प्रेमजी आसर, अटल बिहारी वाजपेयी, अ० क०

विषय पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव—क्रमश :

गोपालन , मुहम्मद इलियास, तंगामणि , हेम बरूआ, ब्रज राज सिंह और स० मों० बनर्जी, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती और राजा महेन्द्र प्रताप।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ११३४—३६

(१) अचल सम्पत्ति का अर्जन तथा अधिग्रहण अधिनियम, १६५२ की धारा २२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ११ फरवरी, १६६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७६ में प्रकाशित अचल सम्पत्ति का अर्जन तथा अधिग्रहण (संशोधन) नियम, १६६१ की एक प्रति :

(२) राष्ट्रपति महोदय द्वारा संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत २५ फरवरी, १६६१ को उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा की एक प्रति संविधान के अनुच्छेद ३५६ के खण्ड (३) के अन्तर्गत ।

(३) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, १६५४ की धारा २३क की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ३१ दिसम्बर, १६६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३१०० में प्रकाशित असम उच्च न्यायालय (अवकाश) आदेश १६६० ।

(दो) दिनांक ३१ दिसम्बर, १६६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३१०१ में प्रकाशित उड़ीसा उच्च न्यायालय (अवकाश) आदेश, १६६० ।

(तीन) दिनांक ७ जनवरी, १६६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ६ में प्रकाशित कलकत्ता उच्च न्यायालय (अवकाश) आदेश, १६६० ।

(चार) दिनांक ७ जनवरी, १६६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ७ में प्रकाशित मैसूर उच्च न्यायालय (अवकाश) आदेश, १६६० ।

(४) समवाय अधिनियम, १६५६ की धारा ६४२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २१ जनवरी, १६६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६३ में प्रकाशित कम्पनीज (केन्द्रीय सरकार को अपीलें) संशोधन नियम, १६६१ ।

(ख) दिनांक १८ फरवरी, १६६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६५ में प्रकाशित कम्पनीज (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम तथा प्रपत्र (संशोधन) नियम, १६६१ ।

(५) समवाय अधिनियम, १६५६ की धारा ६४१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की दसवीं अनुसूची में कुछ और संशोधन करने

सभा पटल पर रखे गये पत्र—क्रमश :

वाली दिनांक १ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२१ की एक प्रति ।

(६) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९६१ की धारा १५ के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक २ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३ की एक प्रति ।

(७) "प्रैजिडेंशियल अवार्डस् टू पब्लिक अंडरटेकिंग्स" नामक पुस्तिका की एक प्रति ।

(८) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा २५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ४ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २८७ में प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय का निरीक्षण) नियम, १९६१ की एक प्रति ।

(९) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ११ फरवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १५४ ।

(ख) दिनांक ११ फरवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १५५ ।

(ग) दिनांक ११ फरवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १५६ ।

(घ) दिनांक ११ फरवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १५७ ।

(ङ) दिनांक ११ फरवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १५८ ।

(१०) धन कर अधिनियम, १९५७ की धारा ४६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक ४ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २७१ में प्रकाशित धन कर (संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति ।

(११) बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ की धारा ४५ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं की एक-एक प्रति ।

(क) दिनांक २० फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ४०६ में प्रकाशित प्रभात बैंक के पुनर्निर्माण तथा उसे नेशनल बैंक आफ लाहौर के साथ मिलाने की योजना ।

(ख) दिनांक २० फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ४०७ में प्रकाशित बैंक आफ नागपुर के पुनर्निर्माण तथा उसे बैंक आफ महाराष्ट्र के साथ मिलाने की योजना ।

(ग) दिनांक २० फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ४०८ में प्रकाशित इण्डो-कर्मशियल बैंक के पुनर्निर्माण तथा उसे पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलाने की योजना ।

विषय **पृष्ठ**

सभा पटल पर रखे गये पत्र— क्रमश:

(१२) बागान सम्बन्धी औद्योगिक समिति के ६ नवम्बर, १६६० को कलकत्ता में हुई नवें अधिवेशन की चौथी बैठक के निष्कर्षों की एक प्रति ।

राष्ट्रपति से संदेश . . . ११३६-३७

अध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा को बताया कि राष्ट्रपति ने एक सन्देश द्वारा अपने १४ फरवरी, १६६१ के अभिभाषण पर लोक-सभा के सदस्यों द्वारा अभिव्यक्त किये गये धन्यवाद पर सन्तोष प्रकट करते हुए उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ११३७

श्री ब्रजराज सिंह ने कलकत्ते की गोदियों में सुरमने और रंग करने वाले मजदूरों द्वारा की गयी हड़ताल की ओर श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान दिलाया । श्रम उप-मंत्री (श्री आबिद अली) ने इस सम्बन्ध में शीघ्र ही जानकारी प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया ।

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए अवधि का बढ़ाया जाना ११३८

धार्मिक न्यास विधेयक १६६० सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि ३१ अगस्त, १६६१ तक बढ़ा दी गयी ।

विधेयक—पुरस्थापित किए गए ११३८—३६

१. रेलवे यात्री किराया (निरसन) विधेयक, १६६१

२. विनियोग विधेयक, १६६१

३. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विधेयक, १६६१

रेलवे आय व्ययक — सामान्य चर्चा ११३६—४१

१६६१–६२ के वर्ष के लिए रेलवे आय व्ययक पर चर्चा आरम्भ हुई, चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

आय व्ययक (सामान्य) १६६१–६२ —उपस्थापित ११४१—६६

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने १६६१–६२ के वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्कलित आय और व्यय का विवरण उपस्थापित किया ।

बुधवार, १ मार्च १६६१ । १० फाल्गुन, १८८२ (शक) के लिए कार्यावलि

रेलवे आय-व्ययक १६६१–६२ पर आगे चर्चा, विनियोग विधेयक १६६१ पर विचार और उसका पारित किया जाना ।

GMGIPND—L.S. III—2103 (Ai) L.S.D.—27-3-61—125.